लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit
Formatted
Date 3/84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61042
Date 11.12.70

सत्यमेव जयते

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—20, मंगलवार, 25 अगस्त, 1970/3 भाद्र, 1892 (शक)
No.—20, Tuesday, August 25, 1970/Bhadra 3, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
571. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विविधीकरण कार्यक्रम	Diversification Programme of H. M. T.	1—5
576. राजस्थान में स्कूटर बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Plant in Rajasthan	5—7
577. प्रबन्धक गृहों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त करने का प्रभाव	Effect of Abolition of Managing Agency System on Employees Working in Managing Houses	7—10
578. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशकों आदि द्वारा ली जाने वाली परिलब्धियों की अधिकतम राशि निर्धारित करना	Ceiling on Emoluments drawn by Managing Directors etc., in Public Limited Companies	10—15
580. निर्वाचन विधि में संशोधन	Amendment of Election Law	15—20
583. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के हड़ताली कर्मचारियों की अनुपस्थिति को क्षमा करने के निर्णय के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र देने की धमकी	Threat of Resignation by Officers against decision to Condone Absence of Striking Staff of North Eastern Frontier Railway	20—23

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
587. गुड़ का वायदा व्यापार	Forward Trading in Gur	23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
572. प्रबन्धक ऐजेंसी प्रणाली को समाप्त करने का प्रबन्धक गृहों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर प्रभाव	Effect of Abolition of Managing Agency System on Service Conditions of Employees in Managing Houses	24
573. जाली रसीदों के आधार पर रेलवे माल डिब्बों से माल उतारना	Unloading of Wagons on Railways through Forged Receipts	24—25
574. मध्य, पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में पंजीकृत सामान्य कार्मिक संघों की सदस्य संख्या	Membership of Registered General Trade Unions in Central, Western, Northern and North Eastern Railways	25—26
575. बनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयां	Forest Based Industrial Units	26—27
579. उड़ीसा में कागज के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Paper Plant in Orissa	27
581. हरिदास मूंडड़ा के नियंत्रणाधीन कम्पनियां	Concerns Controlled by Hari Das Mundhra	27—30
582. हिसार (हरियाणा) में कार बनाने का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Car Plant in Hissar (Haryana)	30
584. रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कोयला उद्योग का कम सहयोग प्राप्त होना	Slow Pace of Co-operation from Coal Industry in Modernisation Programme of Railways	30 - 31
585. रेलवे-प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	Labour Participation in the Management of Railways	31
586. रेलवे में भर्ती पर रोक	Ban on Recruitment in Railways	31—32
588. ट्रैक्टर बनाने के लिये किर्लोस्कर बन्धुओं को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Kirloskars for Manufacture of Tractors	32

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
589. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा ढोल निर्माण कारखानों को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे ले जाना	Shifting of Barrel Plant from Sewri to Trombay by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., Bombay	32—33
590. दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता रेलवे स्टेशनों पर रेल की सीटों (बर्थ्स) के आरक्षण में कठिनाइयां	Difficulties in Reservations of Berths at Delhi, Bombay, Madras and Calcutta Railway Stations	33—34
591. तिलहन में वायदे के सौदे	Forward Trading in Oilseeds	34
592. रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध कार्य में भाग लेने के विषय पर उनके संघों से विचार विमर्श	Consultation with Railway Employees Federations on Participation by Workers in Management of Railways	34
593. रबड़ टायरों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Rubber Tyres	35
594. रेलवे के कोयले की चोरी करने वाले अपराधियों से निपटने के लिये बनाया गया विशेष विभाग	Special Cell Created against Criminals Indulging in Theft of Railway Coal	35—36
595. गोल्डन तम्बाकू कम्पनी में लगी पूंजी	Investment in Golden Tobacco Company	36—37
596. हल्दीबाड़ी और जलपाईगुड़ी तथा दोमोहिनो चन्गरबन्धा (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइनो का पुनः निर्माण	Re-construction of Railway Lines between Haldibari and Jalpaiguri and Domohoni Changrabandha (North East Frontier Railway)	37
597. विधि व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Legal Profession	38
598. जाखूपुरा से डुबरी (दक्षिण पूर्व रेलवे) तक नयी रेलवे लाइन के निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिये अग्रिम धन का प्रस्ताव	Offer of Advance to Meet Expenditure on Construction of New Railway Link from Jakhupura to Dubari (South Eastern Railway)	38

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
599. उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे को मीटर लाइन के सैक्शनों को मिलाना	Amalgamation of Metre Gauge Sections of Northern and Western Railways	38—39
600. स्टेनलैस स्टील बर्तन उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials for Stainless Steel Utensils Industry	39

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

3749. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा निवृत्ति के बाद श्री जी० डी० खंडेलवाल की एक बिड़ला फर्म में प्रबन्ध सलाहकार के पद पर नियुक्ति	Appointment of Shri G. D. Khandelwal as a Managerial Advisor in a Birla Firm after Retirement as Chairman, Railway Board	39—40
3750. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का उत्पादन	Production of Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd.	40—41
3751. नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि० का उत्पादन	Production of National Instruments Ltd.	41—42
3752. भारतीय रेल मार्गों पर मालगाड़ी, यात्री गाड़ी और विद्युत चालित मालगाड़ियों का लूटा जाना	Looting of Goods, Passenger and Electric Goods Train on Indian Railways	42
3753. पूर्वोत्तर रेलवे में लूट पाट, हत्या तथा डकैतियों की घटनायें	Incidents of Loot, Murder and Dacoities on North Eastern Railway	42- 43
3754. महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिये समिति	Committee on Amendment of Supression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956	43
3755. स्कूटर अलाट करने के लिये शब्द 'प्रशासनिक' और 'गैर प्रशासनिक' का निर्धारण करने के लिये अपनाया गया मापदण्ड	Criteria Adopted for Determining the Terms 'Executive' and 'Non-Executive' for the purpose of Allotment of Scooters	44—4[illegible]

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3756. उत्तर रेलवे के अधिकारियों के वेतन-मान	Scales of Pay of Officers of Northern Railways	45—46
3757. उत्तर रेलवे के अन्तर्गत निर्माता लेखाकारों के पदों का प्रशासनिक विभाग को सौंपा जाना	Handing over of Posts of Works Accountants to the Executive on Northern Railway	46
3758. वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी	Vazir Sultan Tobacco Company	47
3759. युद्ध के दौरान खण्डित हुई गोहाना पानीपत रेलवे लाइन का पुनः चालू किया जाना	Restoration on Gohana Panipat Railway Line Dismantled during the War	47—48
3760. उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद टूंडला सैक्शन पर काम करने वाले नैमितिक मजदूरों के विलयन की मांग	Demand for Absorption of Casuals Engaged in Allahabad Tundla Section of Northern Railway	49
3761. सरकारी उपक्रमों में प्रति-नियुक्ति पर गये अधिकारी	Officers on Deputation with Public Sector Undertakings	50
3762. औद्योगिक विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रति-नियुक्ति पर आये कर्मचारी	Deputationists in Public Sector Undertakings under the Control of Ministry of Industrial Development	50—51
3763. कतरनों का निर्यात	Export of Scrap	52—53
3764. कतरनों का निर्यात	Export of Scrap	53—54
3765. आंध्र प्रदेश में विदेशी सहयोग से मद्य बनाने का कारखाना लगाना	Setting up of Wine Distillery in Andhra Pradesh with Foreign Collaboration	54
3766. पटना में कांग्रेस के कार्य-कर्त्ताओं को प्रधान मंत्री का शीघ्र आम चुनाव सम्बन्धी संकेत देना	P. M's Indication to Congress Workers at Patna for Early General Elections	54—55
3767. कर्मचारियों के लिये शीतक वर्दी	Cooling Dress for Workers	55

अता० प्र० सख्या, U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3768. निगमित क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा के लिये समिति	Committee to Review Performance of Corporate Sector	55—56
3769. दिल्ली में एक परिवहन संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to Set up Transport Museum in Delhi	57
3770. प्रबन्ध निदेशकों आदि के पारिश्रमिक / उपलब्धियां/ परिलब्धियां नियत करने के लिये निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त	Guidelines Laid down for Fixing Remuneration/Emoluments/Perquisities of Managing Directors and others	57—58
3771. विशेष इस्पात के लिये विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिये भारतीय शिष्ट मंडल की विदेशी यात्रा	Visit by Indian Delegation Abroad for Explosing Foreign Markets for Special Steel	58
3772. न्यायालयों तथा कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Courts and Offices	58—59
3773. घरेलू उद्योगों के लिये इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Domestic Industry	59—60
3775. नेपा नगर (मध्य प्रदेश) में अखबारी कागज बनाने के लिये लुगदी का आयात	Import of Pulp for Production of Newsprint at Nepa Nagar, M. P.	60
3776. ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के लिये मध्य प्रदेश को ऋण	Loan to Madhya Pradesh for Setting up Tractor Factory	61
3777. मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर बाजारों की स्थापना	Setting up of Supar Bazars in Rural Areas of Madhya Pradesh	61
3778. चण्डीगढ़ में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये उपाय	Steps to Attract Industries in Chandigarh	61
3779. 63-क्रैक माल गाड़ी में आग	Fire in 63-Crack Goods Train	62

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3780. मतदाताओं की नवीनतम सूची	Up-to-Date List of Voters	62
3781. पारादीप (उड़ीसा) में टायर और ट्यूब का कारखाना	Tyre and Tube Factory at Paradeep (Orissa)	62—63
3782. कानपुर की एक फर्म द्वारा मैथोक्सिक्लौर के निर्माण की योजना	Scheme for Manufacture of Methoksiclore by a Kanpur Firm	63
3783. दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे के रोकड़ तथा वेतन कार्यालय के लिपिकों की वरीयता निश्चित करना	Fixation of Seniority of Clerks of Cash and Pay Office South Central and Southern Railways	63—64
3784. पूर्वोत्तर सीमांत तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में हड़ताल	Strike on North East Frontier and South Eastern Railways	64
3785. विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा प्राप्त और उसके द्वारा निबटाये गये आवेदन-पत्र	Applications Received and Disposed of by Foreign Investment Board	64
3786. डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट, इलाहाबाद के अधीन रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Tuitions Fees to Railway Employees under Divisional Superintendent, Allahabad	65
3787. डिवीजनल सुपरिन्टैंडेन्ट के कार्यालय के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	Non Payment of Arrears to Employees of Divisional Supreintendent's Office, Allahabad	65
3788. भारतीय रेलवे में कार्मिक संघ को मान्यता देने का मापदंड	Criteria for Recognition of Trade Union on Indian Railways	65—66
3790. दिल्ली और मुरादाबाद के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाना	Introduction of Special Train between Delhi and Moradabad	66
3791. हापुड़ रेलवे जंक्शन में टर्मिनल की सुविधाएं	Terminal Facilities at Hapur	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjec	पृष्ठ Pages
3792. स्टेनलैस स्टील की चादरों और बर्तनों के मूल्यों में गिरावट	Declined in Prices of Stainless Steel Sheets and Utensils	67
3793. ओल्वाकोड डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के भारतीय रेलवे के गार्डों द्वारा ज्ञापन	Memorandum Submitted by Indian Railway Guards Olavakkot Division (Southern Rly.)	67
3794. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता देना	Assistance to Small and Medium Industries by Industrial Finance Corporation	67—68
3795. कम्पनी के निदेशकों द्वारा बोर्डों की बैठकों में शामिल होने के लिये परिलब्धियां तथा अन्य लाभ देना	Perquisites and Benifits drawn by Company Directors Attending Meetings of Boards	68—69
3796. बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये रेलवे द्वारा उपाय	Measures to Check Ticketless Travelling on Railways	69—70
3798. कागज उत्पादन की क्षमता में विस्तार करने के लिये प्रस्ताव	Proposals for Expanding Paper Production Capacity	70
3799. इस्पात उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Steel Industry	70—71
3800. रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्राथमिक स्कूल खोलना तथा चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुधार	Opening of Primary School for Railway Employees Children and Improvement of Chandigarh Railway Station	71
3801. बेबी स्कूटर कारखाना	Baby Scooter Factory	72
3802. सीमेंट के मूल्यों में कमी	Reduction in Cement Prices	72
3803. सीमेंट उद्योगों के कार्य परिणाम	Working Results of Cement Industries	73
3804. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्वाचन याचिका सम्बन्धी निर्णय में पुलिस प्रशासन की आलोचना	Criticism against Public Administration in Election Petition Judgements of Madhya Pradesh High Court	73—74
3805. मध्य प्रदेश में नई कम्पनियां	New Companies in Madhya Pradesh	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3806. औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की लागत का सर्वेक्षण	Survey of Cost of Production of Industrial Goods	74—75
3807. मुगल सराय में गैंगमैन तथा रेलवे सुरक्षा दल में मुठभेड़	Clash between Gangmen and Railway Protection Force at Mughal Sarai	75
3808. 20 बड़े औद्योगिक गृहों की परिसंपतियों में वृद्धि	Increase in Assets of 20 Large Industrial Houses	75—76
3809. दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर सर्वोदय साहित्य भण्डार के एजेंट को तंग करना	Harassment to the Agent of Sarvodya Sahitya Bhander at Delhi Main Railway Station	76—77
3810. सिगरेट उद्योग की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी	Authorised and Paid up Capital of Cigarette Industry	77
3811. इलाहाबाद डिवीजन में रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिये स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर और केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों में लीव रिजर्व की प्रतिशतता	Percentage of Leave Reserve in the Posts of Station Masters, Assistant Station Masters and Cabin Assistant Station Masters in Allahabad Division	77
3812. हाजीपुर स्टेशन से (पूर्वोत्तर रेलवे) ब्रांच लाइन के लिये सर्वेक्षण	Surveys for Branch Line from Hajipur Station (N. E. Rly.)	77
3813. गोरखपुर और नरकटियागंज के बीच सीधी रेलवे लाइन का चालू किया जाना	Commissioning of Direct Rail Link between Gorakhpur and Narkatiaganj	77—78
3814. दिल्ली और मद्रास तथा दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रैस जैसी रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of Express Trains Like Rajdhani Express between Delhi and Madras and Delhi and Bombay	78
3815. रेलवे में लोहे के स्लीपरों या लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंकरीट के स्लीपरों का प्रयोग	Use of Concrete Sleepers in Place of Cast Iron or Wooden Sleepers on Railways	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3816. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रिंटिंग मशीन का निर्माण	Manufacture of Printing Machines in H. M. T.	79
3817. पश्चिम रेलवे में फालतू सहायक निर्माण परीक्षकों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of Surplus A. I. OWs. of Western Railway	79—80
3818. रेलवे सेवा आयोग के बजाय रेलवे प्रशासन द्वारा इंजीनियरिंग विभाग में वर्क्स मिस्त्रियों की भर्ती	Recruitment of Works Mistries in Engineering Department by Railways Administration Instead of by Railway Service Commission	80
3819. उत्कल एक्सप्रैस का मुरैना (मध्य प्रदेश) पर ठहरना	Stoppage of Utkal Express at Morena (Madhya Pradesh)	80
3820. मुरैना रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल	Overbridge at Morena Railway Station	80—81
3821. बिहार में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of Small Scale Industries in Bihar	81
3822. एपेन्डिक्स II-ए परीक्षा का जोनल रेलवे के एफ०ए० एण्ड सी०ए०ओ० द्वारा लिया जाना	Conduct of Appendix II-A Examination by the F. A. and C. A. Os. of the Zonal Railway	81
3823. पूर्व रेलवे के एफ०ए० एण्ड सी०ए०औ० द्वारा ली गई ऐपेंडिक्स II-ए परीक्षा का परीक्षाफल	Result of Appendix II-A Examination Held by F. A. and C. A. O. Eastern Railway	82
3824. दक्षिण पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के हड़ताली कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest and Release of Striking Employees of South Eastern and North East Frontier Railways	82—83
3825. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में यात्री पथ प्रदर्शकों का चयन तथा पदोन्नति	Selection and Promotion of Passenger Guides in Delhi Division (Northern Rly.)	83
3826. दिल्ली स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर यात्री पथ प्रदर्शक	Passenger Guides at Delhi Station (Northern Rly.)	83
3827. रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Rourkela Steel Plant	84

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3828.	रबड़ टायरों की किस्म / Quality of Rubber Tyres	85
3829.	इस्पात उद्योग में अनुसन्धान तथा विकास कार्य / Research and Development Work in Steel Industry	85—86
3830.	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन / Production in Chittaranjan Locomotive Works	86
3831.	औद्योगिक फर्मों को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने के बारे में आवेदन पत्र / Applications for Shifting of Industrial Units outside West Bengal	87—88
3832.	रेलवे मंत्रालय के 11 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों द्वारा टिप्पणी / Comments by M. Ps. on Railway Minister's 11-Point Programme	88—89
3833.	गोल्डन टोबेको कम्पनी के मालिकों द्वारा विनियोजित धन-राशि और उनकी आस्तियां / Investment and Assets of Proprietors of Golden Tabacco Company	89
3834.	गोल्डन टोबेको कम्पनी द्वारा एक वितरण एजेन्सी की स्थापना / Setting up of Distribution Agency by Golden Tobacco Company	89—90
3835.	गोल्डन टोबेको कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेना / Taking over of Golden Tobacco Company	90—91
3836.	अलीपुरद्वार (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेन्डेन्ट और ए०एम०ओ० की गतिविधियों के विरुद्ध कर्मचारियों का प्रदर्शन / Demonstration by Employees against Activities of Divisional Commercial Superintendent and A. M. O. Alipur Duar (Northeast Frontier Rly.)	91
3837.	डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेन्डेन्ट, अलीपुरद्वार (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के निवास स्थान से समाज विरोधी व्यक्ति की गिरफ्तारी / Arrest of Anti Social Element from Residence of Divisional Commercial Superintendent, Alipurduar (N. E. F. Rly.)	91—92

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3838. रेलवे विभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारी	Class III and Class IV Harijan Employees on Railways	92
3839. उच्च न्यायालयों में न्यायाधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली फीस	Fee Charged by Advocates in High Courts	92
3840. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के लिये निकल इस्पात का आयात	Import of Nickel Steel for Diesel Locomotive Works, Varanasi	92—93
3841. बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी	Extra Force to Check Ticketless Travelling	94
3842. इस्पात कारखाने में कच्चे माल की खपत	Consumption of Raw Materials in Steel Plants	94—96
3843. औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for Issue of Industrial Licences	96—97
3844. पश्चिम बगाल के उद्योगों में धन का नियोजन	Investment in West Bengal Industries	98
3845. तटीय बिलेट कारखाना स्थापित करना	Setting up of Coastal Billet Plant	98—99
3846. हिसार (हरयाणा) में कार कारखाने की स्थापना	Setting up of Car Plant in Hissar (Haryana)	99
3847. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के उग्रवादी विचार	Extremist Views of Employees on North East Frontier, Eastern and South Eastern Railways	99—100
3848. उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों का चयन	Selection of Stenographers on Northern Railways	100
3849. रेलवे के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees on Railways	100—101
3851. राजस्थान में नई रेलवे लाइनों का बिछाया जाना तथा गंगापुर सिटी धोलपुर योजना में हुई प्रगति	Laying of New Railway Lines in Rajasthan and Progress made Re. Gangapur City Dhaulpur Scheme	102

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3852. सवाई माधोपुर लोहारू (बरास्ता जयपुर) यात्री गाड़ी में स्लीपर डिब्बा	Sleeper Coach for Sawai Madhopur Loharu (Via Jaipur) Passenger Train	102
3853. जनता एक्सप्रैस देहरादून एक्सप्रैस तथा फ्रांटियर मेल में गंगापुर शहर (पश्चिम रेलवे) से प्रथम श्रेणी के स्लीपर डिब्बों में सीटों (बर्थस) के आरक्षण के स्थायी कोटे	Allotment of Permanent Quota for Reservation of Berths in Sleeper Ist Class in Janta Express, Dehra Dun Express, and Frontier Mail from Gangapur City (Western Railway)	102—103
3854. लघु उद्योगों की सूची	List of Small Scale Industries	103
3855. ब्लाक इन्सपैक्टरों और सिगनल इन्सपैक्टरों के संवर्गों का एकीकरण	Amalgamation of Cadres of Block Inspectors and Signal Inspectors	103
3856. इलाहाबाद में स्वदेशी पम्प तथा कम्प्रेशर कारखाना स्थापित करना	Setting up of Indigenous Pump and Compesser Plant at Allahabad	103—104
3857. रुपसा से तालबन्डी तक बड़ी लाइन और उसका विस्तार	Broad Gauge Line from Rupsa to Talbandi and its Extension	104
3858. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी (रेलवे) का सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ विलय	Merger of TELCO with Central Bank of India	104 – 105
3859. गैर सरकारी कम्पनियों को लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences to Private Companies	105
3860. बड़ौदा हाऊस (उत्तर रेलवे) में कम्प्यूटरों का विभागीय चुनाव	Departmental Selection of Computer in Baroda House (Northern Railway)	105—106
3861. अधिकारियों की भर्ती और उनका स्थायीकरण	Recruitment and Confirmation of Officers	106
3862. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और अस्थायी अधिकारियों की सेवा शर्तों में विषमता	Disparity in Service Conditions of Class I and Temporary Officers on Railways	106—107

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3863. एम०ई०एस० के लिये विकल्प देने वाले अधिकारियों को अस्थायी रूप से प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाना	Temporary Class I Status for Officers who Opted for M. E. S.	107
3864. रेलवे डाक्टरों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा रेलवे प्रतिमान (पैटर्न)	C. H. S. and Railway Patterns for Railway Doctors	107—108
3865. रेलवे डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये दी गई अनुमति का रद्द किया जाना	Withdrawal of Permission to Railway Doctors for Private Practice	108—109
3866. भूमिहीन आदिम जातियों के व्यक्तियों के पुनर्वास का व्यय	Expenditure to Rehabitation of Landless Tribals	109
3867. भिंड और इटावा और चन्द्रपुर फोर्ट और बाबूपेठ के बीच रेल सम्पर्क	Rail Links between Bhind and Etwah and Chandrapur Fort and Babupeth	109—110
3868. बस्तर जिले में दिल्ली राजहरा तथा दांतेवारा के बीच रेल लाइन	Rail Links between Delhi Rajahar and Dantewara in Baster District	110
3869. सिग्नल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Staff in Signal and Telecommunication Department	110
3870. रेलवे में विषमताओं के दूर करने के लिये पदनामों और कार्यों का मानकीकरण	Standardisation of Designation and Jobs to End Disparities on Railways	111
3871. झांसी में गाड़ियों का मेल	Connection of Trains at Jhansi	111—112
3872. इगतीपुरी से आगे दिल्ली की ओर (मध्य रेलवे पर) रेलवे लाइन पर बिजली लगाना	Electrification of Railway Track beyond Igatipuri towards New Delhi (Central Railway)	112

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3873. भिलाई इस्पात कारखाने के लिये आवश्यक सामग्री की सप्लाई अस्त व्यस्त हो जाना	Disruption of Supplies of Essential Materials Required in Bhilai Steel Plant	112—113
3774. मेरठ स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन	Embezzlement of Government Cash by Parcel Staff of Meerut City Station (Northern Rly.)	113
3875. डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में सब हैड के रूप में पदोन्नतियां	Promotion of Sub Heads in Divisional Accounts Office, New Delhi (Northern Rly.)	113—114
3876. छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क स्थानों, बेलाडिल्ला और डाल्स राजहरा लोह अयस्क खानों के बीच रेलवे लाइनों का निर्माण	Construction of Railway Lines between Iron Ore Sites at Bailadilla and Dalls Rajahara, Iron Ore Mines in Chattisgarh	114
3877. लोको शेड, भोपाल में कोयले की चोरी	Pilferage of Coal from Loco Shed, Bhopal	114—115
3878. इस्पात के मूल्य	Prices of Steel	115
3879. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को हानि	Loss Incurred by Minning and Allied Machinery Corporation, Durgapur	115—117
3881. लघु उद्योग आयोग	Small Scale Industries Commission	117
3882. औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति	Public Men Employed on Top Posts in Public Undertakings under Ministry of Industrial Development and Internal Trade	117—118
3883. नार्थ बिहार एक्सप्रैस में सीटों का आरक्षण	Reservation of Berths in North Bihar Express	118
3884. मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Railway Lines into Broad Gauge	118—119
3885. भिलाई इस्पात कारखाने में बिलेटों का उत्पादन	Production of Billets in Bhilai Steel Plant	119—120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3886. उड़ीसा में इस्पात कारखाना स्थापित करने के संबंध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन	Preparation of Feasibility Report on Setting up of Steel Plant in Orissa	120
3887. कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने	Cement Plants in Deficit Areas	121—122
3888. रूरकेला इस्पात संयंत्र का कार्य	Performance of Rourkela Steel Plant	122
3889. राढ़धना और सोनीपत (उत्तर रेलवे) के बीच नया रेलवे स्टेशन	New Railway Station between Rath Dhana and Sonepat (Northern Railway)	122—123
3890. भारतीय सिगरेट निर्माताओं द्वारा विदेशियों के नियंत्रणाधीन सिगरेट कम्पनियों का विरोध	Opposition by Indian Cigarette Manufacturers to Foreign Controlled Cigarette Companies	123
3891. न्यायालय द्वारा विमुक्त किये गये एक गार्ड को सेवा से निकाला जाना	Removal from Service of a Guard Acquitted by Court	124
3892. कोरापुर (उड़ीसा) में रेयन ग्रेड-वुड-पल्प कारखानों की स्थापना	Setting up of a Rayon Grade Wood Pulp Factory in Korapur (Orissa)	124—125
3893. उड़ीसा में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Paper Plant in Orissa	125
3894. नक्सलवादियों की गतिविधियों से रेलवे को हुई हानि	Loss of Railways due to Activities of Naxalites	125—126
3895. दिल्ली में अनुसूचित समुदायों के औद्योगिक एककों को सहायता देने की योजना	Scheme to Help the Industrial Units of Denotified Communities in Delhi	126
3896. चनखा-वानी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Chanakha Wani Railway Line	126
3897. नागपुर में आदिवासी विद्यार्थियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Adivasi Student in Nagpur	126—127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3898. गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के साथ पत्र-व्यवहार संबंधी नीति	Policy Re: Correspondence with Unrecognised Railway Unions	127
3899. भारतीय रेलों में वेतनमानों में अन्तर	Variation in Scales of Pay of Indian Railways	127—128
3900. गोरखपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक युवा महिला के साथ बलात्कार	Rape of a Young Woman at Gorakhpur Railway Station (North Eastern Rly.)	128
3901. चौरी चोरा (पूर्वोत्तर रेलवे) में एक माल गाड़ी के 9 माल डिब्बों की मुहरें तोड़ा जाना	Breaking of Seal of Nine Wagons of a Goods Train at Chauri Chaura (North Eastern Rly.)	128
3902. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों के रेलवे कर्मचारियों के लिये आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता	Essay Competition for Railways Employees on Non Hindi Speaking States Organised by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	128—129
3903. सियालदाह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के बालीगंज स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Overbridge at Level Crossing near Ballygunge Station, Sealdah Division (Eastern Rly.)	129
3904. हावड़ा स्टेशन रेलवे यार्ड में सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements at Howrah Station Railway Yard	130
3905. दक्षिण पूर्व रेलवे पर झाड़ग्राम रेलवे स्टेशन पर टाटा हावड़ा एक्सप्रैस का रुकना	Stoppage of Tata Howrah Express at Jhargram (S. E. Rly.)	130
3906. गारंटी अवधि में खरीदी गई नई कारों के खराब पुर्जों की बदली के लिये मोटर गाड़ियों के व्यापारियों द्वारा प्राप्त किया गया अग्रिम धन	Deposits taken by Automobile Dealers for Replacement of Defective Parts of Newly Purchased Cars within Warrant Period	130—131

तारां० प्र० संख्या U S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3907. पूर्वी रेलवे के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई हिन्दी विरोधी नीति पर क्षोभ	Indignation over Anti Hindi Policy Adopted by Authorities of Eastern Railway	131
3908. अलाभप्रद शाखा लाइनों सम्बन्धी समिति द्वारा उनके सुधार के लिये दिये गये सुझावों का क्रियान्वयन	Implementation of Suggestion, made by Committee on Uneconomic Branch Lines	131—132
3909. मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों की कमी को दूर करने के लिये योजना	Scheme to remove Shortage of Railway Lines in Madhya Pradesh	132
3910. भारतीय नागरिकता प्राप्त किये बिना मतदाता के रूप में पंजीकृत नेपाली	Nepalies Registered at Voters without having Acquired Indian Citizens	132
3911. भारत में उत्तराधिकार, विभाजन तथा आय से सम्बद्ध कानून	Law to govern Succession, Partition and Income in India	132—133
3912. सैनिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर रहे रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण	Assault on Striking Railway Employees by Army Personnel	133—134
3913. विदेशी एकाधिकारवादियों द्वारा नियंत्रित सिगरेट उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Natinalisation of Cigarette Industries Controlled by Foreign Monopolists	134
3914. दिल्ली समाज कल्याण सहाकार बोर्ड के कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले लाभ	Benefits available to Workers of Delhi Social Welfare Advisory Board	134—135
3915. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन तथा दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का कार्य-करण	Reorganisation of Central Social Welfare Board and Functioning of Delhi Social Welfare Advisory Board	135
3916. सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना	Small Car Projects in Public Sector	135—136

तारा० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3917. रेलवे कर्मचारियों द्वारा हिंसात्मक हड़तालें	Wild Cat Strikes by Railway Employees	136
3918. अलाभप्रद शाखा लाइनों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों का स्वीकार किया जाना	Acceptance of Recommendations of Committee on Uneconomic Branch Lines	136—137
3919. हिन्दू धार्मिक धर्मदाय विधेयक के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन	Report of Law Commission on Hindu Religious Endowments Bill	137
3920. मैसर्ज नार्दर्न डेरीज द्वारा ब्रिटिश सहयोग से सपरेटा दूध चूर्ण का उत्पादन	Production of Skimmed Milk Powder by M/s Northern Dairies with British Collaboration	137
3921. गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी हुए रेलवे सामान का बरामद किया जाना	Recovery of Stolen Railway Goods by Kotwali Police Gorakhpur (U. P.)	138
3922. पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनों में विभाजन के कारण फालतू कर्मचारियों को जोनवार रेलवे में लिया जाना	Absorption of Surplus Staff on Zonal Railways due to Divisionalisation on North Eastern Railway	138
3923. लुमडिंग तथा अलीपुर द्वार डिवीजनों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के वाणिज्यिक लिपिकों को स्थायी करना	Confirmation of Commercial Clerks of Lunding and Alipur Duar Division (North East Frontier Rly.)	138—139
3924. उत्तर रेलवे के डोढ़ स्टेशन पर आक्रमण तथा हताहत लोगों को मुआवजा	Attack on Dodh Station (N. Rly.) and Compensation to Victims	139
3925. रेलवे के, विशेष रूप से दावा अनुभाग की कार्य-प्रणाली सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Enquiry Committee on Working of Railways especially claims Section	140

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3926. पठानकोट और वैजनाथ पपरोला (उत्तर रेलवे) के बीच पूरे डिब्बों वाली गाडियों का चलाया जाना	Running of Trains with Full Rakes from Pathankot to Baijnath Paprola (Northern Railway)	141
3927. कांगड़ा घाटी रेलवे की गति को तेज किया जाना	Accleration in Speed of Kangra Valley Railway	141—I42
3928. लुंडा मरमागाव में रेलवे द्वारा अयस्क की ढुलाई	Transportation of ore by Railways in Lunda Mormugao	142—143
3929. झांसी डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पदों पर हरिजनों और आदिवासियों की भर्ती	Recruitment of Harijans and Adivasis to Class IV Posts in Jhansi Division against Reserve Quota	143—I44
3930. झांसी से मानिकपुर होती हुई वाराणसी जाने वाली एक्सप्रैस गाड़ी	Express Train from Jhansi to Varanasi *via* Manikpur	144
3931. बबीना (मध्य रेलवे) के समीप एक माल गाड़ी के इंजन का पटरी से उतर जाना	Derailment of an Engine of a Goods Train near Babira (Central Railway)	144
3932. झांसी डिवीजन (मध्य रेलवे) के कुछ स्टेशनों में तारों के काटने की घटनायें	Incidents of Wire cutting in Certain Section of Jhansi Division (Central Railway)	145
3933. पानी की नियमित सप्लाई के लिये झांसी में रेलवे के बांध का सुरक्षण	Protection to Railway Dam in Jhansi for Regular Supply of Water	145
3934. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नये आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of a New Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	145—146
3935. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी जातियों के मैट्रिक के बाद विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Amount for Ward of post Matric Scholarships for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes	146

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3936. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल फैक्टरी, नैनी में कार्मिक संघ की मान्यता	Recognition of Trade Union in Treveni Structurals Factory Naini	146—147
3937. नदियों पर नये रेल पुलों का निर्माण	Construction of New Railways Bridges over the Rivers	147
3938. बम्बई में सान्ताक्रुज हवाई अड्डा रेस्तरां में कोका कोला का विक्रय मूल्य	Sale Price of Soft Coca Cola at Santa Cruz Airport Resturant, Bombay	147
3939. यवतमा, मुरताजापुर अचलपुर को छोटी रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियों का समय पर आना जाना बनाये रखने के लिये पुराने इंजनों को बदलना	Replacement of Old Engines on Narrow Gauge Line for Yeotmal Murtazapur Achalpur to Maintain Regularity	147
3940. ओलावाककोट (दक्षिण रेलवे) के क्रिओं छंटाई कारखाने का विस्तार	Expansion of Creosoting Plant Olavakkot (Southern Railway)	148
3941. ट्रैक्टर बनाने वाली कम्पनियां	Tractor Manufacturing Companies	148—149
3942. उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के क्षेत्रों का अध्ययन	Study of Areas for Setting up Steel Plant in Orissa	149—150
3943. उड़ीसा में धमन भट्टी समूहों के लिये मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा संभावयता रिपोर्ट तैयार करना	Preparation of feasibility Reports by M/s Dustur and Co. for Blast Furnace Complexes in Orissa	150
944. उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का अभ्यावेदन	Representation from Orissa Government Re : Setting up of Steel Plant in Orissa	150—151
3945. गुजरात के उद्योगपतियों को आशय पत्र जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent to Gujarat Industrialists	151
3946. इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी	Imperial Tobacco Company	151—152

3947. रेलवे में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को वेतन निश्चित करने में सेवा अवधि का लाभ देना — Weightage of Service in the Fixation of Pay to Serving Stenographers on Railways — 152

3948. गोआ में इस्पात का कारखाना — Steel Plant in Goa — 152—153

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance — 153—156

अपर गंगानहर में रेत भर जाना — Silting up of Upper Ganges Canal — 153

श्री यशपाल सिंह — Shri Yashpal Singh — 153

डा० कु० ल० राव — Dr. K. L. Rao — 153

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न) — Re. Motion for Adjournment (Query) — 153

सदस्यों की गिरफ्तारी — Arrest of Members — 156

(श्री अर्जुन सिंह भदौरिया और श्री शिव चन्द्र झा) — (Shri Arjun Singh Bhadoria and Shri Shiva Chandra Jha) — 156—157

पश्चिम बंगाल बजट, 1970-71 अनुदानों की मांगें, और पश्चिम बंगाल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प — West Bengal Budget, 1970-71/Demands for Grants and Statutory Resolution Re. Proclamation in relation to West Bengal — 157—194

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी — Shri Krishna Kumar Chatterji — 157—159

श्री इन्द्रजीत गुप्त — Shri Indrajit Gupta — 159—160

श्री देवेन सेन — Shri Deven Sen — 161—162

श्रीमती उमा राय — Shrimati Uma Roy — 163

श्री पी० राममूर्ति — Shri P. Ramamurti — 164—166

श्री चन्द्रिका प्रसाद — Shri Chandrika Prasad — 166

श्री सरदार अमजद अली — Shri Sardar Amjad Ali — 167—168

श्री एस० आर० दामानी — Shri S. R. Damani — 168—169

श्री समर गुह — Shri Samar Guha — 169—171

डा० मैत्रेयी बसु — Dr. Maitreyee Basu — 171—172

श्री प्रकाशवीर शास्त्री — Shri Prakash Vir Shastri — 172—173

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	173—174
श्री बे० कु० दासचौधरी	Shri B. K. Daschoudhary	175—178
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	178
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	178—182
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	182—194
पश्चिम बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970-पुरःस्थापित	West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1970—*Introduced*	194
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	194
खंड 2,3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	194—196
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	196
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	196
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	196

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 अगस्त, 1970/3 भाद्र, 1892 (शक)
Tuesday, August 25, 1970/Bhadra 3, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विविधीकरण कार्यक्रम

*571. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के संवर्द्धन तथा विविधीकरण कार्यक्रम के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्यक्रम पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में एक नई फैक्टरी लगाकर तथा बंगलौर स्थित अपनी वर्तमान फैक्टरी का विस्तार करके एवम् दिन/तिथि दिखाने वाली स्वचालित घड़ियों का निर्माण प्रारंभ करके घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी एक योजना का, जो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, सरकार ने अनुमोदन कर दिया है । घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने एवं नई प्रकार की घड़ियों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए जापान के मैसर्स सिटिजन वॉच कम्पनी के साथ

प्रस्तावित सहयोग की शर्तें भी सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र एवं मशीनरी को बाहर से मंगवाने के लिए कम्पनी द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। कश्मीर वाच फैक्टरी के लिए लगभग 425 लाख रुपये तथा बंगलौर की वर्तमान फैक्टरी के विस्तार के लिए लगभग 366 लाख रुपये लगेंगे।

उत्पादन में विविधता लाने के अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में कम्पनी ने बिना किसी अतिरिक्त निवेष के निम्नलिखित नये उत्पादों का उत्पदान प्रारम्भ किया है :—

जी० 9, जी० टी० 20, मिनी चकर, हैवी ड्यूटी लैट्स, रैम टाइप मिलिंग मशीनें, एल० टी० 20, मल्टी स्पिडंल आटोमैटिक्स, सिंगल स्पिडंल आटोमैटिक्स, सिलिंड्रोकल ग्राइंडिग मशीनें, सरफेस ग्राइन्डर्स, गियर हॉबर्स, ब्रोचिंग मशीनें, ऑपिंग लेट्स हॉरीजेंटल बोरिंग मशीनें तथा फे आटोमेटिक्स आदि। कृषि ट्रैक्टर, छापाखाना मशीनें, हैवी ड्यूटी प्रेस, डाई कास्टिंग मशीनें तथा प्लास्टिक इंजैक्शन मौल्डिग मशीनें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उत्पादन के लिए प्रस्तावित वे अन्य नए उत्पादन हैं जिनके लिए अतिरिक्त पूंजी लगाई जानी है। इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

कृषि ट्रैक्टर :

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित एकक में लगभग 5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करने के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और चेकोस्लाविया के मैसर्स मोटोकोव के मध्य सहयोग की शर्तें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। मैसर्स मोटोकोव के साथ जल्द ही कम्पनी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। इसके पश्चात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

छापाखाना मशीनें :

इटली के मैसर्स सोसाइटी नेबिओलो के सहयोग से ओटोमैटिक लैटर प्रेस कागज काटने की मशीनें तथा ऑफसेट प्रेस जैसी छापाखाना मशीनों का निर्माण प्रारंभ करने का कम्पनी का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित तकनीकी आधार सामग्री एकत्रित करने के लिए कारवाई कम्पनी ने प्रारम्भ की है। इस परियोजना में लगभग 300 लाख रुपये की पूंजी लगाई जानी है।

हैवी ड्यूटी प्रेस :

अमरीका के मैसर्स वेरसन आल स्टील प्रेस कम्पनी के सहयोग से हैवी ड्यूटी प्रेसों का निर्माण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सहयोग की शर्तें सरकार ने अनुमोदित कर दी हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है इस समय सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच, सुरक्षा सेवाओं की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कंपनी ने अपने हैदराबाद एकक में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके तदर्थ आधार पर प्रेसों का संयोजन प्रारंभ किया है। इस परियोजना पर 300 लाल रुपये की पूंजी लगेगी।

डाई कास्टिंग मशीनें तथा प्लास्टिक इन्जेक्शन मशीनें :

स्विटजरलैंड के मैसर्स इन्टरफोंडा के सहयोग से डाई कास्टिंग मशीनों तथा प्लास्टिक इन्जेक्शन मशीनों का उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सहयोग की शर्तें सरकार ने अनुमोदित कर दी हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी कार्रवाई कर रही है। इस परियोजना में लगाई जाने वाली पूंजी का अनुमान लगाया जा रहा है। जब कि हैवी ड्यूटी प्रेसों संबंधी परियोजना पर लगभग 8 लाख रुपये का खर्चा किया गया है, अन्य उपरोक्त परियोजनाओं पर अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया।

श्री वासुदेवन नायर : इस विवरण में मैं देखता हूँ कि उत्पादन में भी भिन्नता लाने का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का प्रभावशाली कार्यक्रम है परन्तु काश्मीर में घड़ियों की फैक्टरी की स्थापना के लिए एवं बंगलौर में घड़ियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई समयासीमा नियत नहीं की गई है। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ? इन संयंत्रों में से कम से कम कुछ में वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा ? चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में क्या ये कारखाने स्थापित हो जाएंगे ?

श्री मं० र० कृष्ण : उत्पादन में विविधता लाने के बहुत से कार्यक्रमों के संबंध में बातचीत चल रही है और परियोजना प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है। काश्मीर में घड़ियों की फैक्टरी तथा बंगलौर में विस्तार कार्यक्रम के संबंध में निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं। कश्मीर में तीन लाख घड़ियां बनाई जाएंगी और उत्पादन 1972-73 से आरम्भ होगा।

श्री वासुदेवन नायर : कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन औद्योगिक विकास मन्त्री द्वारा हमें यह आश्वासन दिया गया था कि केरल राज्य में कलमसेरी एकक में छपाई की मशीनों का निर्माण होगा। इस विवरण में हमें यह बताया गया है कि सहयोग के लिए इटली की एक फर्म के साथ बातचीत चल रही है। परन्तु यह नहीं बताया गया है कि इसे कहां स्थापित किया जायेगा। क्या सरकार इसे कलमसेरी में स्थापित करना चाहती है या हमें दिये गए आश्वासन को पूरा नहीं किया जायेगा ?

श्री मं० र० कृष्ण : भूतपूर्व मन्त्री इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं थे कि इसे केरल में ही स्थापित किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रख कर कि उत्पादन में क्या विविधता लाई जा सकती है हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वर्तमान फैक्टरियों का परीक्षण करता रहा है। संभवतया छपाई मशीने बनाने के कारखाने की स्थापना केरल में ही की जाए।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : उत्पादन विविधता की योजना के अन्तर्गत आयोजित उत्पादन के लिए उत्पादों की सूची देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि विभिन्न एककों में फालतू तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी और इन फालतू कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को इस उत्पादन विविधता की योजना के अन्तर्गत काम पर लगाये जाने की आशा है और कितनों को काम पर नहीं लगाया जा सकेगा तथा उत्पादन विविधता के द्वारा वार्षिक उत्पादन रुपयों में, कितना बढ़ जाने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही विस्तृत प्रश्न है । यदि पूर्व सूचना दी गई होती तो यथोचित रूप से इसका उत्तर दिया जा सकता था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह उत्पादन विविधता से उत्पन्न होता है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : हिन्दुस्तान टूल्स की फैक्टरियों में कुछ फालतू क्षमता थी । उत्पादन विविधता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों की खपत तथा मशीनों का उपयोग संभव हो सकेगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उत्पादन में, रुपयों में, कितनी वार्षिक वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : परियोजना रिपोर्टें पूरी होते ही इस का निर्धारण किया जा सकेगा ।

श्री लीलाधर कटकी : जहां तक मोटोकोव के सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए ट्रैक्टरों के निर्माण का प्रश्न है, उत्पादित किये जाने वाले ट्रैक्टरों की शक्ति क्या है, उनकी संख्या क्या है और उनका मूल्य क्या होगा ? ये ट्रैक्टर कितने प्रतिशत मांग की पूर्ति करेंगे ।

श्री मं० र० कृष्ण : विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की मांग कृषि मन्त्रालय के अनुसार 90,000 है और वास्तविक उत्पादन 30,000 से काफी कम है । आवश्यकताओं के अधिकतर भाग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है । पिंजौर में निर्मित किया जाने वाला यह ट्रैक्टर 20 अश्वशक्ति का होगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Most of the components of the machinery, which is manufactured in HMT, have to be imported. Keeping this is view, would the Government tell us the time by which it would stop importing such components and be in a position to manufacture its own components ? Is it also a fact that some personos have asked for permission to manufacture certain machines. If so what action has been taken by Government in this regard as they would not only meet the country's require ments but would export also and earn foreign exchange ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इस प्रकार के ऐसे मशीनी औजारों का उत्पादन कर रहा है जोकि जटिल तथा बहुत मूल्यवान हैं । इस देश के मशीनी औजार बनाने वालों को भी इसके लिए लाइसेंस मिलता है यदि वे एक करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक की क्षमता के साथ मशीनी औजार बनाएं । परन्तु हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बनाए गए मशीनी औजार, जो कि मूल्यवान हैं, सम्पूर्ण संसार में मंदी के कारण विदेशी बाजारों में नहीं बेचे जा रहे है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Reply to my question has not come. Some people from here have applied for licences and they have not been given licences. They are prepared to manufacture these componens. We are importing most of these from Russia. We are tied to it. Is the Government prepared to grant licences to local peopole ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चेकोस्लोवेकिया के सहयोग से कृषि उद्देश्यों के लिये ट्रैक्टरों का उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि दुर्गापुर स्थित केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान में तैयार किए गये स्वदेशी-नमूने के ट्रैक्टर को, जिसे विशेषज्ञों द्वारा हमारे उपयोग के लिए बहुत सन्तोषजनक बताया गया था, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विकसित करने

की संभावना की क्या सरकार ने जांच की थी ? यदि हाँ, तो विदेशी सहयोग प्राप्त करने के स्थान पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उस स्वदेशी-नमूने के उस टैक्टर का क्यों निर्माण नहीं किया गया ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जब अधिकतर कृषि विश्वविद्यालयों आदि के द्वारा दुर्गापुर में उत्पादित ट्रैक्टरों को परखने के लिये चलाया गया तो उनका कार्य ठीक नहीं पाया गया और उन कमियों को ठीक करने में कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा। अतः उस समय तक देश की मांग की पूर्ति के लिए हमें ट्रैक्टरों का उत्पादन करना होगा और इसी कारण चेकोस्लोवेकिया के साथ यह समझौता है। (**व्यवधान**)।

श्री एस० आर० दामानी : घड़ियों की फैक्टरी के विस्तार के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह विस्तार पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि...

अध्यक्ष महोदय : आपके विचार की बात नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : मांग बढ़ रही है और काश्मीर में संयन्त्र की स्थापना के संबंध में हम काफी समय से केवल सुनते ही रहे हैं। देश में घड़ियां सैकड़ों हजारों की संख्या में चोरी-छुपे लाई जा रही हैं और मैं समझता हूं कि देश में ही हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में संयन्त्र तथा मशीनरी का उत्पादन किया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि अधिक घड़ियों के उत्पादन के लिये सरकार भारतीयों को काम पर लगाने के बारे में सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : कार्रवाई के लिए यह एक सुझाव है। यह प्रश्न बिल्कुल नहीं है।

श्री हिम्मतसिंहका : ट्रैक्टरों तथा छपाई की मशीनों के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार कब तक वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा करती है, क्योंकि इस समय उनका बहुत बड़ी संख्या में आयात किया जा रहा है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जैसाकि मैंने पहले कहा था सहयोग सम्बन्धी समझौते की जांच की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी, उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

राजस्थान में स्कूटर बनाने के कारखानें की स्थापना

*576. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार राज्य में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या राज्य में उक्त कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने के कारखाने स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्कूटरों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य के औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम से एक एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) अन्य राज्यों के उपक्रमों के साथ-साथ गैर सरकारी पार्टियों से प्राप्त इसी प्रकार के आवेदनों पर विचार करते समय निगम के आवेदन पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) उन राज्यों के नाम जिन्होंने स्कूटर बनाने वाले कारखाने की स्थापना सरकारी क्षेत्र में करने के लिए सरकार से कहा है वे ये हैं :

(i) राजस्थान (ii) गुजरात (iii) आन्ध्र प्रदेश (iv) पंजाब

श्री रा० कृ० बिड़ला : इस तथ्य को देखते हुए कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने 15 अगस्त को कुछ नई रियायत देने की घोषणा की है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उन अतिरिक्त रियायतों का लाभ उठाने के लिए राजस्थान में स्कूटर कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है अथवा करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : अन्य राज्यों की मांगों के साथ-साथ राजस्थान की माँग पर विचार किया जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वे तथाकथित संयुक्त क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने को इच्छुक है ताकि देश में उपलब्ध दक्षता और तकनीकी जानकारी का पूर्ण उपयोग किया जा सके और हमें 5 से 6 वर्ष तक प्रतीक्षा न करनी पड़े जैसा कि मन्त्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा था ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने किसी अवधि तक प्रतीक्षा करने की बात नहीं कही है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने 5 से 6 वर्ष तक प्रतीक्षा करने की अपनी सूचना कहां से एकत्रित की है। जहां तक राजस्थान सरकार के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : स्कूटरों की अत्यधिक कमी तथा आवेदनकर्त्ताओं की लम्बी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए राज्यों द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस मांगने के लिये आवेदन पत्र देने तथा कारखानों को चलने में वास्तव में कितना समय लगेगा ?

श्री दिनेश सिंह : ये बातें आवेदन-पत्रों पर निर्भर करती हैं जोकि इस पर आधारित हैं कि उनको किस हद तक पूरा किया गया है और क्या कुछ और अधिक सूचना मांगी गयी है। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष आवेदन पत्र है तो मैं उसका पता लगाऊंगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने जिन्होंने अपने राज्यों में स्कूटरों का निर्माण करने के लिये आवेदन पत्र दिये थे, क्षमता तथा इसमें लगने वाली पूंजी का ब्यौरा दिया है और यदि हां, तो यह क्षमता कितनी है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, उन्होंने काफी सीमा तक इस बारे में सभी ब्यौरे दिए हैं। परंतु यदि माननीय सदस्य इन ब्यौरा को जानना चाहते हैं तो मैं उनको यह भेज दूंगा क्योंकि विभिन्न आवेदन पत्रों में विभिन्न क्षमताएं दी हुई हैं और वे इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र के साथ-साथ अन्य आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस सम्बन्ध में लाइसेंस देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये हैं। केरल में अत्यधिक बेरोजगारी को देखते हुए क्या केरल के आवेदन पत्र पर यथोकित और विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह: मैंने कहा है कि हम केरल सहित सभी राज्यों और पक्षों के आवेदनपत्रों पर विचार करेंगे, जहां तक मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रश्न है, मैंने सभा को पहले ही सूचित कर दिया है कि यदि स्वदेशी डिजाइन और जानकारी से विदेशी मुद्रा के बिना स्कूटरों का निर्माण करने के लिये कोई आवेदन पत्र आयेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री सु० कृ० तापड़िया : कुछ समय पूर्व मन्त्री महोदय ने यह कहा बताते हैं कि लाइसेसों के लिये सभी आवेदन पत्रों का निपटान तीन महीने में ही कर दिया जायेगा। चूंकि राजस्थान सरकार का स्कूटरों का निर्माण करने के लिये आवेदन पत्र दो वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़ा है तो क्या में जान सकता हूँ कि राजस्थान सरकार के इस विशेष आवेदन पत्र में क्या कमियां हैं ; उन्होंने और क्या स्पष्टीकरण मांगें हैं और किन आपत्तियों के कारण इस लाइसेंस का निपटान किसी न किसी भांति नहीं किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने मुझे तीन महीने का समय दिया है और इन तीन महीनों को पूरा होने में अभी समय है। हमारे पास बहुत से आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं। मुख्य बात यह है कि हम सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण करने के बारे में निर्णय लेने को रुके हुए थे। उस निर्णय को ले लेने के उपरान्त हमें आशा है कि अब इन आवेदन पत्रों का निपटान किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री उमानाथ

Shri Onkar Lal Berwa: We may be allowed to ask questions. It pertains to Rajasthan. It is matter of great injustice that I stood ten times and you have seen me but still you have not given me chance. It we do not ask questions about Rajasthan then who will put it ? It is very bad.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति केवल राजस्थान ही नहीं अपितु अन्य राज्य भी हैं।

प्रबन्धक गृहों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त करने का प्रभाव

*577. **श्री उमानाथ** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रन्बधक एजेंसी प्रणाली समाप्त करने से प्रबन्धक गृहों में इस समय कार्य करने वाले कर्मचारियों की यथापूर्व स्थिति, सेवा की शर्तों और कार्य करने के स्थान पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त करने के परिणामस्वरूप प्रबन्धक गृहों के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान से उनकी रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली अन्तिम रूप से 3 अप्रैल 1970 को कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। उस तिथि से पूर्व कई प्रबन्धक एजेंसियां सामान्य रूप से समाप्त हो गई थी।

सरकार को हाल ही में तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो प्रबन्धक गृहों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में हैं। यह मामला विचाराधीन है।

श्री उमानाथ : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो प्रबन्धक एजेंसी के उन्मूलन के उपरान्त उनको सेवा शर्तों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हैं। कर्मचारियों ने किन मुख्य बातों को उनमें उठाया है जिनके लिए वे सरकार से समाधान चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमें तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक अभ्यावेदन माननीय सदस्य श्री मुहम्मद स्माइल का है जो कि इस सभा के सदस्य हैं दूसरा, बर्ड एंड हेलजर्स एम्प्लाइज यूनियन के अवैतनिक महा सचिव का है और तीसरा अभ्यावेदन बम्बई के श्री जे० एम० यूले का है। इस अभ्यावेदनों का सार यह है कि प्रबन्धक एजेंसी गृहों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अहित में बदला जा रहा है। इस मामले को हाल ही में हमारे प्लान में लाया गया था और यद्यपि कम्पनी आधीनपत्र के ढांचे के अन्तर्गत यह विभाग अधिक कुछ नहीं कर सकता है, मैंने श्रम मन्त्री को इस मामले पर विचार करने को कहा है। मैं इस मामले पर विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है।

श्री उमानाथ : सरकार का कम्पनी अधिनियम के संशोधन विधेयक को कब लाने का विचार है ताकि प्रबन्धक एजेंसियों के उन्मूलन को कार्यरूप दिया जा सके। क्या सरकार का संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रस्ताव सम्मिलित करने का विचार है जिससे तत्कालीन प्रबन्धक एंजेसी गृहों के इन कर्मचारियों को मूल कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर गये हुए कर्मचारी माना जाय और उस विधेयक में उनके कार्य की सुरक्षा तथा अन्य सेवा शर्तों की संरक्षण की व्यवस्था की जाये यदि नहीं तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस तथ्य को देखते हुए कि प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त कर दी गई है कम्पनी अधिनियम के ढाँचे के अन्तर्गत कुछ आनुठांगित बातों को सम्बोधन द्वारा लाना आवश्यक है। सरकार कुछ समय के लिए केवल उस दिशा में विचार कर रही है, यद्यपि उनके संसोधन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यद्यपि यह प्रश्न तो माननीय सदस्य श्री उमानाथ ने उठाया है, प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली से तथा वहां कार्य कर रहे संबधित व्यक्तियों की सेवा शर्तों से सम्बधित है, मुझे भय है कि यह कम्पनी अधिनियम

के ढांचे के अन्तर्गत नहीं आता है ; फिर भी मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और पता लगाऊंगा कि किस प्रकार इस पर विचार किया जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य : अगला प्रश्न ।

श्री नाथ पाई : यहां असंगत बात न की जाये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उसका नाम दिया जाना चाहिए ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि देश के उन विभिन्न भागों में स्थापित कुछ प्रबंधक गृह तथा प्रबंधक कम्पनियों में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं जहां कम्पनियों ने स्वयं पहले ही प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त कर दी है और उनका यह कहना है कि वे कर्मचारियों के लिए अब और अधिक उत्तरदायी नहीं हैं और यदि हां, तो क्या समवायकार्य मन्त्री और श्रम मन्त्री ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया है ताकि कर्मचारियों की समस्या का शीघ्र ही संतोषप्रद समाधान निकाला जाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने मुझे प्रबन्धक गृह के कर्मचारियों की कुछ कठिनाइयों के बारे में बताया है । मैंने पहले ही श्रम मन्त्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है । हम भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है । परन्तु मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि यह समस्या मुख्यतः मालिक और कर्मचारी के सम्बन्ध के बारे में है । मालिक और कर्मचारी के संबन्ध के बारे में कई विधान हैं । अतएव, इन सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा ।

श्री नाथ पाई : डा० देशमुख के समय प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया था तथा यह बताया गया था कि इसमें सामाजिक तथा आर्थिक विचार निहित है और उद्योगों के वे प्रतिभाशाली कार्य इन प्रबन्धक एजेंसी गृहों में चले जाते हैं जिनका कार्य उनको मिलने वाले धन की तुलना में अच्छा नहीं होता है । यह सच है कि जहां तकनीकी तौर पर, प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त कर दी गई है, वहां के प्रतिभाशाली व्यक्ति उन्हीं उद्योग-समूह में जाते हैं जो उन्हें अन्य साधनों से ले रहे हैं ?

श्री पीलू मोदी : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री नाथ पाई : क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे पास यहां कितने अध्यक्ष हैं ? मैं देख रहा हूँ कि कुछ माननीय सदस्य आपके कार्य को करने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी सबेरे से ऐसा कर रहे हैं...(**व्यवधान**)

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के पश्चात कुछ माननीय सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि ये प्रबन्धक गृह, यद्यपि कम्पनियों का प्रबन्धक के साथ सम्पर्क टूट गया है, अभी भी सलाहकार एजेंसियों आदि के रूप में आने का प्रयास कर रही है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए, जैसा कि मैंने

पहले कहा है, सरकार विभिन्न संशोधनों की जांच कर रही है कि इन कमियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

श्री नाथ पाई : आप यह स्वीकार करते हैं कि मुख्य उद्देश्य असफल हो गया है ?

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशकों आदि द्वारा ली जाने वाली परिलब्धियों की अधिकतम राशि निर्धारित करना

*578. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशकों, पूर्णकालिक तथा अंशकालिक निदेशकों और प्रबन्धकों की परिलब्धियों तथा सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि निर्धारित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में वस्तुतः क्या निर्णय लिया गया है और नये निर्णय से सम्बन्धित नियम में क्या विशिष्ट परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) यह निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार ने प्रबन्ध निर्देशकों, पूर्णकालिक तथा अंशकालिक निर्देशकों एवम् प्रबन्धकों की परिलब्धियों और सुविधाओं पर कोई नई प्रशासनिक सीमा तो निर्धारित नहीं की किन्तु नवम्बर, 1969 में परिलब्धियों सम्बन्धी घोषित प्रबंधकीय परिश्रमिक के अनुवर्तन में स्पष्टीकरण करने वाला परिपत्र अवश्य जारी किया गया है।

(ख) जारी किये गये स्पष्टीकरण करने वाले परिपत्र की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ग) परिपत्र यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है कि कम्पनियां, कम्पनी ला बोर्ड की स्वीकृति के लिये भेजे जाने से पहले अपनी योजनायें इस प्रकार से बनायें कि वे अधिक स्पष्ट तथा एकसम हों ताकि अनावश्यक पत्रव्यवहार न हो।

विवरण

मार्गदर्शन सिद्धान्त/परिलब्धियों पर सीमाबन्दी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, तथा अंशकालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों के लिए स्वीकार्य

उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत परिलब्धियों और सुविधाओं के मामले में समवाय विधि बोर्ड सामान्यतः प्रशासनिक सीमाबन्दी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम का पालन करेगा तथा वे क्रमवार निम्नलिखित सीमा तक परिलब्धियों के आर्थिक मूल्य के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकतम सीमा में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(एक) **भविष्य निधि के लिए कम्पनी का अंशदान :**

जब तक यह वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि आयकर नियम, 1962 में दिया गया है।

(दो) **पेन्शन अधिवार्षिक निधि के लिए कम्पनी का अंशदान :**

जब तक ऐसा अंशदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान मिलाकर कर्मचारी के वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि आयकर नियम, 1962 में दिया गया है ।

(तीन) **उपदान :**

अनुमोदित निधि के अनुसार देय तथा जो प्रत्येक एक साल की सेवा अवधि समाप्त होने पर आधे महीने के वेतन से अधिक न हो, जबकि अधिकतम राशि 24,000 रुपये अथवा 15 महीने का वेतन हो, जो भी कम हो, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10) में दिया गया है ।

(चार) **कर्मचारी तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधायें :**

वास्तविक रूप से व्यय किए गये कुल धन में से कम्पनी वर्ष में एक मास के वेतन से अधिक राशि वापस नहीं देगी, तथा प्रतिवर्ष यह राशि अधिक से अधिक 5000 रुपया अथवा तीन महीने का वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा सेवा के तीन वर्षों की अवधि में 15,000 रुपये होगी ।

(पांच) **यात्रा सुविधायें :**

निदेशकों को स्वयं के लिये तथा परिवार के लिए विदेश जाने हेतु, उचित अवधि के पश्चात यात्रा सुविधायें दी जायेंगी परन्तु किफायती श्रेणी में वर्ष में एक बार से अधिक अथवा प्रथम श्रेणी में दो वर्ष में एक बार से अधिक जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(छः) **छुट्टी लेकर यात्रा करने सम्बन्धी रियायत :**

होटल व्यय आदि को छोड़कर भारतीय प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबन्धकों, उनकी पत्नियों और छोटे बच्चों के लिए वर्ष में एक बार अथवा भारत से भारत भारत में किसी अन्य स्थान पर जाने अथवा किसी स्थान से भारत आने पर केवल वास्कविक किराया ही दिया जायेगा ।

(सात) **छुट्टी :**

कम्पनी के छुट्टी सम्बन्धी नियमों की शर्तों के अनुसार कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली दर पर पूरे वेतन और भत्तों पर, 11 महीने की प्रत्येक सेवा अवधि में एक महीने से अधिक की छुट्टी नहीं दी जाएगी । फिर भी विदेशी निदेशकों के मामले में कम्पनी के छुट्टी नियमों का पालन करते हुए एक महीने की अवधि डेढ़ अथवा दो महीने तक बढ़ाई जा सकती है । छुट्टी न लिये जाने पर संचित छुट्टी की अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा ।

(आठ) उपर्युक्त परिलब्धियों पर अधिक व्यय जो उपर्युक्त सीमाओं से बाहर है तथा शेष परिलब्धियों की सभी प्रकार की अधिकतम सीमा वेतन/उपलब्धियों का 1/3 भाग होगी जिसका कुल योग एक वर्ष में 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। इन परिलब्धियों में साथ साथ निम्नलिखित परिलब्धियां भी सम्मिलित हैं :—

(क) साज सामान युक्त/रहित निवास स्थान। परिलब्धि का आर्थिक मूल्यांकन आयकर नियम 1962 के नियम 3 (क) के अनुसार किया जाएगा। इस परिलब्धि के बदले में धनराशि नहीं दी जायेगी।

(ख) **कार का मुफ्त उपयोग** : परिलब्धि का आर्थिक मूल्यांकन नियम 1962 के नियम 3 (क) के अनुसार किया जायेगा।

(ग) **वैयक्तिक दुर्घटना बीमा** : उतनी राशि जिसका वार्षिक प्रीमियम 1000 रुपये से अधिक नहीं होता।

(घ) निवास स्थान आदि पर मुफ्त टेलीफोन आदि की सुविधा।

2. अधिनियम की धारा 198 के उद्देश्यों के लिए कम्पनी के कार्य हेतु वास्तविक तथा उचित रूप से किए गये सभी मनोरंजन और अन्य व्ययों की वापसी को पारिश्रमिक की मद नहीं माना जायेगा। फिर भी आशा की जाती है कि कम्पनियां अपने आकार, व्यापार आदि का ध्यान रखते हुए एक ऊंची अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगी जिनके अन्तर्गत इस प्रकार का व्यय किया जायेगा।

3. कम्पनी के कार्यकारी निदेशकों से आशा की जाती है कि वे निदेशक मडल और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेंगे तथा इसे अपने सामान्य कर्त्तव्य ही मानेंगे, जिनके लिये उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता है। अतः इन कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को स्वीकार करते समय समवाय विधि बोर्ड सामान्यतः उन्हें बैठक फीस की अदायगी की अनुमति नहीं देगा।

श्री हिम्मतसिंहका : परिलब्धियां निश्चित करने के लिए विवरण में अनुसरण हेतु कई मानक भी प्रस्तुत किये गये हैं। प्रायः परिलब्धियाँ आदि पर जो व्यय किया जाता है उनका उद्देश्य सार्वजनिक कम्पनियों के उच्चतम प्रबन्धकों में कार्यकुशलता और पहल की भावना को बनाये रखना ही होता है। यदि यह ठीक है तो क्या सरकार यह बतायेगी कि जो कार्यवाही की जा रही है उससे इस उद्देश्य के पूरे होने की कितनी संभावना है और यह निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इसका पहल की भावना आदि पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार का यह दृष्टिकोण है कि यदि अन्तिम पत्र के निर्देश के अनुसार परिलब्धियों का नियमन कर दिया जाये तो प्रबन्धक व्यक्तियों की कार्यकुशलता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु इससे प्रबन्धक व्यक्तियों की कार्य कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा और इसके फलस्वरूप परस्पर स्पर्धा और अच्छे आर्थिक जीवन की भावना उत्पन्न होगी।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या सरकारी कम्पनियों की परिलब्धियों पर होने वाले व्यय पर सरकार ने कोई रोक लगाने की व्यवस्था की है और यदि हां तो प्रबन्धक व्यक्तियों के वेतनों के साथ उसकी औसत प्रतिशतता क्या है और वह सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कितनी अधिक है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकारी कम्पनी तथा निजी कम्पनी के वेतनों में किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती । जो प्रशासनिक सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है उसके अनुसार तो निजी क्षेत्र के समवायों में किसी व्यक्ति का अधिकतम वेतन 7500 रुपये हो सकता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के समवायों में यह 3500 या 4000 रुपये होता है । इसीलिए इन दोनों संस्थानों की तुलना करने से कोई विशेष लाभ नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने कहा है कि पहले वाले परिपत्र के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीयकरण पहले ही जारी किया जा चुका है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस समस्या पर भी विचार किया है कि प्रबन्धक व्यक्तियों की जो वर्तमान परिलब्धियां हैं वह उपर्युक्त नहीं हैं और सार्वजनिक प्रबन्धक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये उनका पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ? क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जो प्रश्न पूछा गया वह यह है कि क्या कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों के वेतनों का पुनरीक्षण किया जायेगा ? मेरी प्रार्थना यह है कि मैंने अभी सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य हाथ में लिया है । माननीय सदस्य ने जिस मामले से सम्बद्ध प्रश्न पूछा है, उसका अभी मैंने अध्ययन करना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विवरण के आधार पर जिसमें परिलब्धियों के सम्बन्ध में मार्गनिर्देशन और प्रशासनिक बातें बताई गई हैं, यद्यपि इसमें विभिन्न मदों के लिये कुछ प्रतिमान बताये गये हैं, लेकिन जब कम्पनी के व्यापार के लिये किये गए सभी मनोरंजक और अन्य खर्चों को वापिस दिलाने का प्रश्न उठता है, तो सरकार का यह कहना है कि इसकी धारा 198 के अन्तर्गत उपलब्धि नहीं माना जायेगा और यह कम्पनियों पर ही पूर्णतया निर्भर होगा कि वे इस प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में स्वयं अधिकतम सीमा निर्धारित करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि मनोरंजन और अन्य व्यय शीर्षक के अंतर्गत बहुत अधिक राशि रखी जाती है और खर्च की जाती है और इस प्रकार यह भ्रष्टाचार और अनुचित दबाव का एक साधन बन गया है और जबकि सरकार ने इस बारे में कुछ भी निर्धारित करने से इंकार कर दिया है तो कितनी और कितने प्रतिशत कम्पनियों ने सरकार को यह जानकारी दी है कि उन्होंने मनोरंजन व्यय के सम्बन्ध में मोटे तौर पर एक सीमा निर्धारित कर दी है और वह सीमा क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जो अन्तिम राष्ट्रीयकरण जारी किया गया है वह निम्नलिखित है :—

> "वास्तव में और उचित ढंग से किए गए मनोरंजन और अन्य सभी खर्चों की वापसी धारा 198 के उद्देश्य की पूर्ति के लिये परिश्रमिक नहीं माना जायेगा ।"

प्रश्न यह है कि : क्या यह विशिष्ट खर्च प्रबन्धक व्यक्तियों के पारिश्रमिक का ही अंग माना जाएगा । जब कोई व्यक्ति इसे कम्पनी के नाम पर भेजेगा तो इसे पारिश्रमिक का अंग नहीं माना जाएगा। परन्तु जहां तक माननीय सदस्य के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि इसके लिए क्या सीमा निर्धारित की जा सकती है और क्या इसके लिये भी कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है कि मनोरंजन के लिए किए जाने वाले व्यय की क्या सीमा हो। इस प्रश्न ने निश्चय ही सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इसका उचित अध्ययन किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है ऐसी कम्पनियों की प्रतिशतता क्या है जिन्होंने सरकार को यह सूचित किया है कि उन्होंने स्वयं ही कोई सीमा निर्धारित कर दी है या नहीं की ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास इस समय इसका कोई विवरण नहीं है मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में बाद में पत्र लिख दूंगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि आयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी संस्थान है, इसके प्रबन्ध निदेशक को 8,000 रुपये वेतन और 1200 रुपया मंहगाई भत्ता प्रति माह मिलता है । इसके साथ ही उसे एक निशुल्क कार, 20 गैलन पैट्रोल प्रतिदिन तथा हवाई जहाज द्वारा निशुल्क सफर करने की सुविधा भी प्राप्त है। यह सभी बातें क्या सरकार के नोटिस में लाई गई थीं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का जो प्रतिनिधि वहां होता है क्या उसने सरकार को इस स्थिति से अवगत करवाया । और यदि हां, तो सरकार ने उन्हें जो मार्ग-निदेश दिए हैं वे क्या हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह इसे एक अलग प्रश्न के रूप में पूछें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आप इसे एक अलग प्रश्न ही मान लीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका कोई ऐसा भौतिक जांच कक्ष बनाने का विचार है जिससे निजी कम्पनियों के क्षेत्र में मनोरंजन के नाम पर तथा अन्य अनाचारों के रूप में जो अधिकतम सीमा का उल्लंघन हो रहा है, उसका पता लगाया जा सके ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस प्रकार के मामले निरीक्षण निदेशालय को सौंप दिये जाते हैं। अगर कोई शिकायत आती है और यदि आवश्यकता हो तो तुरन्त ही बही-खाते का निरीक्षण किया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कोई उल्लंघन किया गया है ? क्या इस बात की भौतिक जांच करने के लिए किसी कक्ष की स्थापना करने का आपका कोई विचार नहीं है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह सुझाव कार्यवाही के लिए है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : प्रबन्धक एजेंसी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद जो सम्बद्ध व्यक्ति प्रबन्धक निदेशक, बाजार निदेशक तथा क्रय निदेशक आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं वे अब प्रबन्धक एजेंसी व्यवस्था की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन कम्पनियों के वास्तविक लाभ की कुछ प्रतिशतता इन निदेशकों के लिए निर्धारित कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने जो भी प्रश्न उठाये हैं उन सभी पर कम्पनी कानून बोर्ड में उस समय विचार किया जाएगा जब कि इसके लिए कोई आवेदन पत्र दिया जाएगा यदि सदस्य महोदय मुझे इस सरकार की कोई जानकारी दे सकते हों, तो मैं निश्चय ही उसका पता लाऊंगा।

निर्वाचन विधि में संशोधन

*580. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन विधि में संशोधन करने वाले विधेयक का प्रारूप तैयार है ;

(ख) क्या इसे संसद के चालू सत्र में पुरः स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) सशोधन सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) दो विवरण जिनमें निर्वाचन विधि का संशोधन करने के लिये निर्वाचन आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें थीं, तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर में 24 फरवरी, 1970 को सदन के पटल पर रखे गये थे। इन सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है

श्री श्रीचन्द गोयल : यह हम कई बार सुन चुके हैं कि उन की परीक्षा की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने ये सिफारिशें कब की थीं ? क्या यह सच नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने स्वयं ही निर्वाचन कानून में संशोधन करने के लिये आपको मसौदा भेजा है ? निर्वाचन आयोग ने मसौदा 1967 के आम चुनावों और 1968 और 1969 में हुए मध्यावधि चुनावों के अनुभवों की सिफारिशों के आधार पर ही यह मसौदा तैयार किया है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस मसौदे पर विचार किया है, क्या आप यही विचार कर रहे हैं कि इसे स्वीकार करना ही आवश्यक है या आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इतने लम्बे समय में भी इस संशोधित मसौदे पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हनुमन्तय्या : आपने ठीक ही कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं और उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है। उन्हें एक कानून के रूप में सभा में प्रस्तुत करने का विचार है। ऐसा करने में समय लगेगा।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री लोबो प्रभु : अगले चुनावों में पहले या नहीं ?

श्री हनुमन्तय्या : निश्चय ही चुनावों से पहले । अगर इस अधिवेशन में नहीं ; तो अगले अधिवेशन में हम विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

श्री श्रीचन्द गोयल : श्री मान जी, सभा के समक्ष दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आई थीं । एक यह थी कि मतदाताओं को समाज के शक्तिशाली और समृद्ध लोगों ने मतदान करने से रोका और सरकार ने कहा कि इसके लिए चल-मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे ताकि इस प्रकार के अभित्रास की गतिविधियों को रोका जा सके । इस लिये, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है । और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि :

श्री हनुमन्तय्या : कृपया एक एक करके पूछिये । मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो दे लूं ।

वह बड़ी अच्छी सिफारिश है । मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा । हम इसे सदन के समक्ष रखेंगे ।

श्री श्रीचन्द गोयल : निर्वाचन के अधिक खर्चीले होने का प्रश्न काफी समय से सभी माननीय सदस्यों के विचार का विषय रहा है...

एक माननीय सदस्य : यह तीसरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके दल का नेता भी कुछ प्रश्न पूछने वाला है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : वह कई प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरे साथ तो यही कठिनाई हुई कि मंत्री महोदय ने मुझे प्रश्न पूरा करने से रोक दिया । इसलिये मैं केवल वह प्रश्न पूरा कर रहा हूँ ।

ये निर्वाचन बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं तथा एक सिफारिश यह थी कि किसी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन से पहले तथा बाद में जितना भी व्यय किया जाता है उसका हिसाब रखा जाना चाहिये तथा राजनीतिक दलों द्वारा जो व्यय किया जाता है उस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिये तथा निर्वाचन व्यय के गलत लेखे दिए जायें तो उसे भ्रष्टाचार तथा अपराध माना जाना चाहिए । इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हनुमन्तय्या : मेरे विचार से हम अधिक से अधिक सिफारिशों को स्वीकार कर लेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, Late Shri Govind Menon once assured the House that an All-Party Conference, on the pattern of United Kingdom, would be called under the chairmanship of Mr. Speaker to consider amending the election law. May I know whether the Government do not intend to fulfil their own assurance or whether they have got no trust in Mr. Speaker ?

श्री हनुमन्तय्या : सरकार का अध्यक्ष महोदय में विश्वास नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें अध्यक्ष महोदय के निर्णय तथा निष्पक्षता में पूर्ण विश्वास है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि आप इस प्रकार की बैठक की अध्यक्षता करें और यदि आप समय निकाल लें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रश्न यह नहीं है। भूतपूर्व विधि-मंत्री द्वारा एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु उसे कभी नहीं बुलाया गया। उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री हेम बरुआ : महोदय अब गेंद आप के खेल के मैदान में है।

श्री हनुमन्तय्या : मैं अध्यक्ष महोदय को विवश नहीं कर सकता हूं...

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मन्त्री महोदय ने उन्हे पत्र लिखा है ?

श्री हनुमन्तय्या : मैं इस सुझाव के पूर्णतया पक्ष में हूं। इस विषय पर मुझ में तथा माननीय सदस्यों में कोई भेद नहीं है। केवल एक ही बात है कि हमें अध्यक्ष महोदय की इच्छाओं तथा सुविधाओं को सुनिश्चित करना है.....

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय ने उन्हें पत्र लिखा है ?

श्री हनुमन्तय्या : हम उन्हें उनके सामने कह रहे हैं तो यह तो पत्र लिखने जैसी ही बात है।

श्री नाथपाई : महोदय, अब आप क्या करते हैं ?

श्री कंवरलाल गुप्त : महोदय, आपको निर्णय करना है तथा जितनी जल्दी बैठक बुलाई जा सके उतनी जल्दी बैठक बुलानी है।

श्री हेम बरुआ : महोदय, अब गेंद आपके खेल के मैदान में डाल दी गयी है।

श्री नाथपाई : हम जानना चाहेंगे कि आप इस के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।

श्री कंवरलाल गुप्त : महोदय, अब प्रश्न आपको सम्बोधित करके किया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक यह बात मुझ तक नहीं आई है। परन्तु यदि सदन की ऐसी ही इच्छा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। ऐसा ही होगा।

Shri Molahu Prashad : Mr. Speaker, Sir, may I know from the hon. Minister of Law through you that while amending the election law would he consider the verdict given by the Andhra High Court in the case of Shri M. Chenna Reddi in which it is said that the ministers should resign six months before the elections because in the capacity of Ministers they can put under pressure on the electorate and the candidates who oppose them in the elections ?

श्री हनुमन्तय्या : यदि मैं आपकी हिन्दी ठीक ढंग से समझता.....

एक माननीय सदस्य : इसका अंग्रेजी अनुवाद पड़ा हुआ है ।

श्री हनुमन्तय्या : मुझे अंग्रेजी अनुवाद नहीं मिल सका ।

यदि मंत्रियों को निर्वाचन से छह: महीने पूर्व त्याग-पत्र देना पड़े.....

श्री नाथपाई : मंत्री अथवा सरकार को त्याग-पत्र देना चाहिए ।

श्री हनुमन्तय्या : कुछ व्यक्तियों द्वारा यदा कदा वह विचार व्यक्त किया जाता है । किसी प्रजातन्त्र में ऐसा सम्भव नहीं है अत: मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस विचार से सहमत हूँगा ।

Shri Molahu Prashad : If the remark made by the Andhra Pradesh High Court ..

श्री हनुमन्तय्या : जहां तक आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की टिप्पणी का सम्बन्ध है, यह तो एक प्रासंगिक विचार है और इसमें किसी न्यायिक उद्घोषणा का प्रभाव नहीं है ।

डा० रामसुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि विधेयक के प्रारूप के एक खंड के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के दौरों में सरकारी वायुयान अथवा गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता है ?

श्री हनुमन्तय्या : मेरे विचार से ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, एक दशाब्दि पूर्व नियम बनाये गये थे । यह केवल प्रधान मन्त्री तथा उप-प्रधान मन्त्री पर लागू था.....

श्री कंवरलाल गुप्त : प्रधान मन्त्री के लिये 34 लाख रुपये व्यय किये गये ।

श्री हनुमन्तय्या : इसलिए कोई असाधारण बात नहीं की जा रही है । इसलिए उस की पुनरावृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Some time back a similar case has taken place in Rajasthan. In the case of Shri Nathuram Mirdha filed in the Rajasthan High Court and the Supreme Court it was raised that the Returning Officer sealed the ballot-box second time and made efforts to declare leading candidate defeated and defeating candidate won and the High Court made many strictures against the guilty persons. The Government are going to amend the election law. May I know whether they have any such point for consideration by which the votes can be counted at the very polling station immediately after the polling is over and the result thereof can be reported to the Officer concerned so that these votes can neither be replaced nor any change in them can be done ?

श्री हनुमन्तय्या : ये अच्छे सुझाव हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये तथा विधेयक में शामिल किये जाने चाहिये ।

श्री नाथपाई : अच्छे निर्वाचन का अर्थ है कि जितने भी दल चुनाव लड़ रहे हैं वे सभी निर्वाचकों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त कर सकें। इसमें दो बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं—पहली जन-संचार सम्बन्धी है तथा दूसरी परिवहन के साधनों की है। हमारे देश में ऐसा कई बार होता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें इन दोनों ही साधनों पर एकाधिकार कर लेती हैं, जो साधन जनता तक पहुंचने के प्रमुख साधन हैं। निर्वाचन के समय सरकारी प्रचार के लिये रेडियो तथा परिवहन एवं संचार पर एकाधिकार कर लिया जाता है तथा उनका प्रयोग किया है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि 1972 का निर्वाचन जब हो, यदि उससे पूर्व कोई दूसरा निर्वाचन नहीं हो, और वह दोषरहित हो तो जिस प्रकार किसी एक विशेष दल के नेता को वायुयान दिया जाता है तो क्या दूसरे दलों को भी वह सुविधा दी जायेगी और राष्ट्रीय दलों के नेताओं को आकाशवाणी पर विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया जाता है क्या अन्य दलों को भी वैसा ही समान अवसर प्रदान किया जायेगा तभी अच्छा निर्वाचन होगा ? क्या मन्त्री महोदय इस दिशा में प्रयास करने की पहल करेंगे ?

श्री हनुमन्तय्या : प्रचार के मामले में जहां तक समान अवसर का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि यह सही रवैया है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ।

प्रधान मंत्री जैसे किसी एक व्यक्ति को वायुयान दिये जाने की सुविधा के बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि बहुत समय पहले ये नियम बनाये गये थे। आकाशवाणी तथा परिवहन की सुविधाओं का मामला मेरे अधिकार-क्षेत्र में नहीं है।

श्री नाथपाई : यह आवश्यक प्रश्न है। यह किसी अन्य मन्त्री का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि निर्वाचन के समय जो सुविधायें सत्तारूढ़ दल को दी जाती हैं, उनके ही समान क्या अन्य राजनीतिक दलों को भी अवसर प्रदान किया जायेगा। मन्त्री महोदय तो सद्भावना पूर्ण व्यवहार करते हैं परन्तु उनका उत्तर बड़ी चतुराई से प्रश्न को टालने वाला है। निर्वाचन के समय मुख्यमन्त्रिगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हेलीकोप्टर में बैठकर जाते रहते हैं। निर्वाचन कानून में संशोधन का प्रश्न मन्त्री महोदय से सम्बन्ध रखता है, यह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और असैनिक उड्डयन मन्त्रालय से सम्बन्ध नहीं रखता है। क्या मन्त्री महोदय हमें जरा ठीक से बतायेंगे कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं ?

श्री हनुमन्तय्या : मैंने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। प्रधान मन्त्री तथा उपप्रधान मन्त्री जिनके लिये काफी समय पहले कुछ नियम बने थे, के अतिरिक्त सभी लोगों पर जिनमें मन्त्री भी शामिल हैं, समान सुविधायें लागू हैं।

श्री नाथपाई : ये पुराने नियम हैं।

Shri Randhir Singh : Millions and millions of people in our country are deprived of casting votes and they are maior because their age is 18 years. The age of 21 years fixed for casting votes must be reduced to 18 years so that all the students and youth can caste vote.

In order to lessen the corruption and to reduce the expenditure incurred in elections, will this period of two months for procedural work which is fixed after notification be reduced to 15 days as it is done in other country like U. K. so that even the poor can contest the elections ?

श्री हनुमन्तय्या : ये तो वे सुझाव हैं जो सभा पटल पर रखी गई टिप्पणी में दिये गये हैं और हम माननीय सदस्यों के इन सुझावों पर विचार करेंगे ।

श्री लोबो प्रभु : मैंने निर्वाचन आयुक्त के सुझावों को पढ़ा है तथा मंत्री महोदय को यह कहते हुये भी सुना है कि शीघ्र ही विधेयक लाया जायेगा । सुझावों की संख्या तथा जटिलता को देखते हुये, इस बात को देखते हुये कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास जा सकता है और इस बात पर विचार करते हुए कि संसद द्वारा इस विधेयक को पारित करने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवारों तथा सरकार के लिये विभिन्न व्यवस्था आवश्यक होगी, क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या वह यह आश्वासन देंगे कि आगामी सत्र में इस विधेयक को लाया जायेगा ?

श्री हनुमन्तय्या : मैं समझता हूँ कि मैं विधेयक पेश कर सकूंगा ।

Shri Ram Charan : Due to backwardness in India there are such ten or fifteen percent people whose names have not been included in the voters' list and the some number of persons suffer from the bogus entries regarding the names of father etc. May I know whether there would be such provision by which the name of the real voter could not be omitted and if any officer omits his name then the action may be taken against him ?

श्री हनुमन्तय्या : पुराने बने हुए कानूनों तथा नियमों में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अनुसार नाम हटाये जा सकते हैं अथवा उन्हें दूसरी तरह से लिखा जा सकता है परन्तु इस मामले में हम कड़ा रुख अपनायेंगे तथा यह देखेंगे कि मतदाता-सूचियां मानवीय दृष्टिकोण से जितनी सही बनानी सम्भव होती है उतनी सही बनी हुई हैं अथवा नहीं है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के हड़ताली कर्मचारियों की अनुपस्थिति को क्षमा करने के निर्णय के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र देने की धमकी

*583. **श्री राम अवतार शर्मा :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकारियों ने इस निर्णय के विरोध में त्यागपत्र देने की धमकी दी है कि हाल की हिंसात्मक हड़ताल में भाग लेने वाले उक्त रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

Shri Ram Avtar Sharma : The hon. Minister has devied everything. As far as my information goes, there had been a strike and also the violent activities. An agreement was made with them and they were excused. I want to know whether all these things are incorrect ?

Shri M. Yunus Salim : There was a strike and it was withdrawn after the intervention by the Minister of Railways. The agreement reached was that since the strike was illegal, those who participated in it would not be created on duty, but also that no other punishment would be given to them. And since action was taken accordingly that is why the question has been replied to in this manner and it is correct.

Shri Ram Avtar Sharma : I want to know as to what has been the loss due to this strike ? How far is it justified that those people have been pardoned despite their involvement in violent activities ? What are those parties which had a hand behind this strike and also the reasons for which those people have been excused ? Since they have been excused, is it not the reason for the discontent of the officers ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : It is wrong to assume that they have not been punished. Their wage have been deducted for the period they stayed away from work. Those who took part in the strike have not been paid their salary for 11 days. They have been punished.

Shri Ram Avtar Sharma : They did not work for 11 days and the Government did not pay then for that period. How did then the Government punish them ?

Shri Nanda : The strike was spreading at that time and contacts with Assam remained suspended for 11 days. Thousands of passengers were strayed and the Goods were not moving. I said that if they returned to work by that time, there would be no case for victimisation. Thus, action has been taken as usual. No special concession has been given.

श्री विश्वनारायण शास्त्री : उत्तर सीमावर्ती रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की जबकि दूसरे लोग नियमित रूप से काम पर आते रहे। हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध अधिकारियों ने कड़ा रवैया अपनाया तथा यहा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों तथा रेलवे मंत्री को उसकी सूचना दी और रेलवे मंत्री हड़तालियों के प्रति अधिकारियों की इस कार्यवाही से नाराज हो गये।

Shri Nanda : At that time, I had made it quite clear that in case some one indulged in indiscipline, offence or assault, we would not intervene into the police action. Therefore, who so ever indulged in such activities, we did not try to either grant excuse or anything else.

Shri Ram Avtar Shastri : The hon. Minister has just now said that except for deducting their salaries, no other punishment has been given to them. Is it a fact that 19 workers are facing trials in the court and 40 others are still under supersion in connection with the strike in the North-East Frontier Railway, besides deduction from their salaries ? Is it also a fact that despite normaley, Territorial Army has been posted there and the workers are being harrassed in accordance with the Essential Services (Maintenance) Act ? If so, whether the hon. Minister, as per his promise, would withdraw all such actions against them so as to eliminate their difficulties and discontent which have once again created the situation for strike ?

Shri Nanda : No Sir, Nothing will be withdrawn, because I have conveyed that none will be victimised for the mere act of participation in the strike ; but those who have indulged in other activities will be surely punished...(*Interruption*).

Shri Ramavtar Shastri : It would be wrong...(*Interruption*). The agreement had been different to what he is acting...(*Interruptions*).

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न पर विचार करने को कहा है।

श्री हेम बरुआ : इस आदमी की हत्या हड़ताल के बाद के परिणामों के कारण की गई और क्योंकि इस हड़ताल से हमारा असम राज्य प्रभावित हुआ है इसलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। इसके अतिरिक्त अलीपुर द्वार स्थित मजदूर संघ के संयुक्त सचिव, श्री दत्त की हत्या की गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता था कि क्या उस मामले के बारे में कोई जांच की गई है तथा क्या अपराधी को दण्ड दिया गया है।

श्री मु० यूनुस सलीम : अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री स० कुण्डू : श्रीमन हम उत्तर को सुन नहीं पाये।

श्री मु० यूनुस सलीम : जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

Shri Ramavtar Shastri : Now there is no disturbance there .. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Why the hon. Members are disturbed like this ?

श्री स० कुण्डू : श्रीमन, एक महत्वपूर्ण मजदूर संघ के नेता की हत्या कर दी गई है तथा मंत्री महोदय इस संबंध में अल्प सूचना प्रश्न को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस क्षेत्र के नक्सल-पंथी तत्वों ने...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये।

श्री हेम बरुआ : अलीपुर द्वार के मजदूर संघ के संयुक्त सचिव श्री दत्त की हत्या की गई थी। वह एक अनुभवी मजदूर नेता थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि श्री दत्त की हत्या के लिये जो व्यक्ति उत्तरदायी था क्या उसको दण्ड दिया गया है।

श्री नन्दा : जी हां। इस कार्यवाही की इससे अधिक क्या निन्दा की जा सकती है। हमें इस का बेहद दुःख है। हत्या के मामले में जो कार्यवाही की जा सकती है, की जा रही है। इस बारे में रेलवे विभाग क्या कर सकता है ? रेलवे विभाग तो पुलिस तथा इस मामले से संबंधित अधिकारियों की सहायता कर सकता है ताकि जांच तथा मामला चलाये जाने का कार्य समुचित रूप से हो सके।

श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे विभाग ने भी उन लोगों के विरुद्ध कोई मामला चलाया है।

श्री नन्दा : ऐसा किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is a fact that the railway workers did not strike for their grievance against Railways but as a protest against the arrests made by the police of those railway workers who executed murder outside, and as a result thereof, the whole Assam was disconnected with the best of the country ? Later on the Government sent a dismissed Railway employee from here to hold talks with there strikers. Is it also a fact that the Government had ordered an enquiry into this matter, but when the officers through India threatened of consequences. The Government withdrew the order ? May I know whether the officers gave threat or not ?

Shri Nanda : It is a wrong suggestion. They did not give any threat of resignation. We had not said anything about the inquiry earlier ; so that was no question of withdrawing we stuck to what we had said earlier.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister does not want to reply to what I have asked.

गुड़ का वायदा व्यापार

*587. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़ के वायदे व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है और मान्यता देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो संगठनों को मान्यता देने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) गुड़ का वायदा व्यापार चलाने के लिए अनेक संगठनों को पहले ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I want to know from the hon. Minister the number Associations from whom applications for recognition have been received, how many of them were interviewed and to how many the recognition has been granted and from which date ?

श्री मं० र० कृष्ण : 36 संगठनों ने आवेदन किया था तथा 36 में से प्राय: 10 संगठनों को मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा अनेक संगठनों के आवेदन अभी विचाराधीन हैं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I had asked the date which he has not stated.

My second question is that since the Government had lifted the ban on the forward trading of Gur on account of heavy crops of Gur this year and also the recession, is it not a fact that the delay in this regard has defeated the very purpose of lifting. This ban and the farmers did not get the desired benefit. Are the Government not responsible for it ?

श्री मं० र० कृष्ण : यह तो केवल दुरुपयोग करने तथा अधिक लाभ कमाने को रोकने के लिये किया गया है । जैसा कि मैंने कहा 36 संगठनों ने आवेदन किया था तथा 10 को मान्यता प्रदान की जा चुकी है । हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि वे इसका दुरुपयोग न कर सकें ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : He has not followed my question. I had said that since the Government had lifted the ban in March, the Gur, in the meantime, has reached the hands of the traders. This delay, therefore, resulted in loss to the farmers. I had not said of the misuse, I am asking the reasons for the delay in this matter.

श्री मं० रं० कृष्ण : हम एकदम ही तो मान्यता प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि हमें आवेदन पत्रों की जांच करनी होती है । इस व्यापार से सम्बन्धित अनेक संगठन ईमानदारी से काय नहीं कर रहे हैं । इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि पहले की गई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने का प्रबन्धक गृहों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर प्रभाव

*572. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धक गृहों में प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने के फलस्वरूप तत्कालीन कर्मचारियों और प्रबन्धक गृहों के प्रबन्धकों के बीच 31 मार्च, 1970 के बाद सेवा की शर्तों के बारे में हुए द्विपक्षीय समझौतों पर प्रभाव पड़ेगा ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच तय हुई सेवा की शर्तों के बारे में हुये द्विपक्षीय समझौतों की भावना को बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). प्रबन्ध अभिकरण की प्रणाली, अन्तिम रूप से, कानून द्वारा 3 अप्रैल, 1970 से समाप्त हो गई । इस तिथि से पहले, एक संख्या में प्रबन्ध अभिकरण, सामान्य रूप से समाप्त हो गये थे ।

सरकार को, हाल ही में प्रबन्ध गृहों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यह विषय अभी परीक्षान्तर्गत है ।

जाली रसीदों के आधार पर रेलवे माल डिब्बों से माल उतारना

*573. **श्री प्रेमचंद वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाली रसीदों के आधार पर रेलवे माल डिब्बों से माल उतारने की धोखेबाजी का एक मामला हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई है ;

(ग) धोखेबाजी की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या गत तीन वर्षों में रेलवे के साथ धोखेबाजी के ऐसे मामले हुए हैं और यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । रेलों पर इस तरह के कुछ मामले हुए हैं जिनमें माल डिब्बा भार परेषणों की सुपुर्दगी जाली रेलवे रसीदों पर हो गई । एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें इस तरह के उन मामलों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जो 1967, 1968, 1969 और 1970 (जुलाई तक) की अवधि में हुए ।

(ख) 1967 से 1970 (जुलाई तक) की अवधि में लगभग 21 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) एक दूसरा विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4042/70] जिसमें इस प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

(घ) सभा-पटल पर जो विवरण रखे गये हैं, उनमें पिछले तीन वर्षों में घटित इस तरह के मामलों और ऐसे मामलों के परिहार के लिए की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

मध्य, पश्चिम उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में पंजीकृत सामान्य कार्मिक संघों की सदस्य संख्या

*574. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य, पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में कार्य कर रहे पंजीकृत सामान्य कार्मिक संघों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उक्त संघों ने अपनी सदस्य संख्या क्या बताई है और उनकी वास्तव में सदस्य संख्या क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेल प्रशासनों के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी ट्रेड यूनियनों की सूची लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण के भाग-1 में दी गई है।

(ख) मान्यता प्राप्त यूनियनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना, जो उपलब्ध है, सभा-पटल पर रखे गये विवरण के भाग-2 में दी गयी है।

विवरण

भाग-1

मध्य, पश्चिम, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों में सम्बन्धित रेल प्रशासनों के पास उपलब्ध पंजीकृत संयुक्त यूनियनों के नाम।

रेलवे	यूनियनों के नाम
मध्य रेलवे	1. नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन
	2. सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ
	3. मध्य रेलवे मजदूर संघ
पश्चिम रेलवे	1. वेस्टर्न रेलवे इम्प्लाइज यूनियन
	2. वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ
	3. पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद्
	4. वेस्टर्न रेलवे लेबर यूनियन

उत्तर रेलवे	1. नार्दन रेलवेमेन्स यूनियन 2. उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन 3. उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ 4. नार्दन रेलवे वर्कर्स यूनियन
पूर्वोत्तर रेलवे	1. नार्थ-स्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन 2. पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ 3. श्री पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ 4. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा

भाग-2

मध्य, पश्चिम, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों में मान्यता प्राप्त यूनियनों की सदस्य संख्या का उपलब्ध विवरण ।

रेलवे	यूनियनों के नाम	सदस्य संख्या
मध्य रेलवे	1. नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन	68,024
	2. सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ	66,435
पश्चिम रेलवे	1. पश्चिम रेलवे मजदूर संघ	55,321
	2. पश्चिम रेलवे इम्प्लाइज यूनियन	64.124
उत्तर रेलवे	1. नार्दन रेलवेमेन्स यूनियन	60,825
	2. उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन	33,500
पूर्वोत्तर रेलवे	1. नार्थ इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन	19,534
	2. पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ	34,332

बनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयां

*575. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए वृहत क्षेत्र है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी योजना के अन्तर्गत ऐसे कारखानों की स्थापना के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). देश में बनों पर आधारित औद्योगिक एकक स्थापित करने की बड़ी गुंजाइश है। सरकार ने लधु उद्योग क्षेत्र में चलाने के लिए वनों पर आधारित सात औद्योगिक योजनायें तैयार भी की हैं।

उड़ीसा में कागज के कारखाने की स्थापना

*579. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह वर्तमान कागज मिलों से इस बात पर विचार विमर्श करे कि वे देश में कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए कागज का उत्पादन बढ़ाने के बारे में अपने द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से केन्द्रीय क्षेत्र में एक कागज कारखाना खोलने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केन्द्रीय सरकार ऐसा करने में असमर्थ है क्या उड़ीसा सरकार ने यह सिफारिश की है कि इस कार्य को एक गैर-सरकारी पार्टी को सौंप दिया जाये तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में गैर सरकारी क्षेत्र की एक पार्टी के प्रतिवर्ष 60,000 मी० टन कागज बनाने की क्षमता वाले एक कागज कारखाना खोलने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

हरिदास मूंदड़ा के नियंत्रणाधीन कम्पनियां

*581. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हरिदास मूंदड़ा के नियंत्रणाधीन इस समय कौन-कौन सी कम्पनियाँ हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कम्पनियों के अधिकांश शेयरों को सरकार ने कुर्क कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों में निदेशक मंडल में कोई अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). उन कम्पनियों की बाबत, जिनमें श्री हरिदास मूंदड़ा के भागीदार होने का विश्वास है, सूचना देता हुआ एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) और (घ). कुछ कम्पनियों में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रश्न पहले ही कम्पनी विधि बोर्ड, के विचारान्तर्गत है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	सीमा, जहां तक आयकर विभाग ने हिस्से कुर्क किये।
1.	अल्काक एस्डान कं० लि०	ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इसमें मूदड़ा के हिस्से हैं।
2.	एजेलो ब्रादर्श लि०	कुछ नहीं
3.	ग्राहम्स ट्रेडिया कं० (इन्डिया) लि०	कुछ नहीं
4.	लोडना कालरीज (1920) लि०	11,900 हिस्से कुर्क किये
5.	शालीमार टार प्रोडक्ट्स (1935) लि०	कुछ नहीं
6.	शालीमार वर्क्स लि०	कुछ नहीं
7.	विद स्ट्रेन स्ट्रीट एण्ड कं० लि०	कुछ नहीं, हिस्सेधारी नहीं
8.	अर्नर मारिसन एण्ड कं० लि०	2,005 हिस्से कुर्क किये
9.	वर्दवान कालरीज लि०	50,000 हिस्से कुर्क करने की कार्यवाही की गई है।
10.	एस० बी० एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कं० लि०	यह कम्पनी 1952 से कार्य नहीं कर रही है।
11.	एस० बी० कन्स्ट्रक्शन कं० (प्रा०) लि०	कुछ नहीं
12.	ओस्लर प्रोपर्टीज लि०	कोई हिस्से कुर्क नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इसमें श्री मूंदड़ा के हिस्से हैं।
13.	कैमर भागास्वे एण्ड कं० (प्रा०) लि०	कुछ नहीं
14.	शाकलेट्स टी कं० लि०	कुछ नहीं
15.	एस० बी० हाउस एण्ड लैंड प्रा० लि०	कुछ नहीं
16.	कामर्शियल कम्बाइन्स लि०	कुर्क किये।

1	2
17. समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर कं० लि०	यह पता नहीं है, कि करदाता केकुछ हिस्से हैं।
18 डागा प्रापर्टीज लि०	" "
19. एस० बी० इम्पैरियम लि०	" "
20. केस्टल स्केल आइस एण्ड कोल्ड प्रा० लि०	अभिलेख में ब्यौरे उपलब्ध नहीं
21. राजकाण प्रा० लि०	कुछ नहीं
22. एस० बी० इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	कुछ नहीं
23. मन मोदन कारपोरेशन इंडिया लि०	(नहीं, परन्तु हिस्सेधारण करने वाली कं० के हिस्से कुर्क कर लिए गये।)
24. आटोमैटिक प्रिन्टिग कं० लि०	कुछ नहीं
25. एस० बी० इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट कं० लि०	हां, 250 हिस्से कुर्क किये।
26. एफ० एण्ड सी० ओस्लर (इंडिया) लि० (परिसमापन में)	सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि संबंधित अभिलेख पुलिस अधिकारियों के अधिकार में है। परन्तु 69,400 हिस्से कुर्क किये
27. ओस्लर इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० (परिसमापन में)	50,000 हिस्से कुर्क किये
28. एस० बी० ट्रेडिंग कं० प्रा० लि० (परिसमापन में)	कुर्क किये।
29. ब्रह्मपुत्र टी कं० इंडिया लि० (परिसमापन में)	20,8500 हिस्से कुर्क किये
30. फीमालाबन एग्रीकल्चर एण्ड टी प्रोपर्टीज प्रा० लि०	ब्यौरे मालूम नहीं है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि श्री मूंदड़ा के इस कम्पनी में हिस्से हैं।
31. भूरी टामले कालरीज लि० (परिसमापन में)	" "
32. पैक्टीपिक ट्रेडिंग कं० लि० (परिसमापन में)	10-12-62 को परिसमापन कार्यवाही बन्द हो गई अतः हिस्सों की कुर्की का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।
33. आन्डल लैंड एण्ड कालरीज लि० (परिसमापन में)	कुर्क नहीं किये।

1	2
34. कुरसन प्रोपर्टीज लि० (परिसमापन में)	यह पता नहीं कि कर दाता के, कुर्क करने को कुछ हिस्से हैं।
35. ब्रह्मपुत्र टी कं० लि० (विदेशी कंपनी)	10,000 हिस्से कुर्क किये।
36. रिचार्डसन एण्ड क्रूडास (प्रोपर्टीज) लि०	हिस्से कुर्क किये।
37. डन्कन स्ट्रेटन एण्ड कं० लि०	बैनामी नामों के हिस्से कुर्क कर लिये (36,593 साधारण हिस्से/36,400 अदिमान हिस्से)

हिसार (हरियाणा) में कार बनाने का कारखाना स्थापित करना

*582. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार हरियाणा में चार सीटों वाली कार बनाने वाले एक कारखाने की स्थापना की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना करने वाली फर्म का नाम क्या है ;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). श्री पी० सी० अग्रवाल का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जो हरियाणा के फरीदाबाद अथवा हिसार में 4 सीट वाली कार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास के महा-निदेशालय में अपनी योजना के पंजीकरण करने के बारे में है।

(ग) हरियाणा सरकार ने इस पार्टी के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(घ) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कोयला उद्योग का कम सहयोग प्राप्त होना

*584. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग का कम सहयोग मिलने के कारण रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बाधा पड़ेगी ;

(ख) क्या कोयला उद्योग इस पर थोड़ी सी आपत्ति कर रहा है कि रेलवे विभाग विद्युत्तीकरण के स्थान पर डीजल-प्रणाली को क्यों प्राथमिकता दे रहा है ; और

(ग) क्या इस विषय में कोई अध्ययन किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). चाहे कोयला उद्योग ने इस प्रकार की कोई समस्या खड़ी की थी या नहीं, लेकिन रेल प्रशासनों को विद्युतीकरण और डीजलीकरण के तुलनात्मक लाभों के सम्बन्ध में विचार करना ही होता है । समय-समय पर अध्ययन किये जाते रहे हैं । एक खंड से दूसरे खंड के परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि बहुत सी बातों, जैसे यातायात का घनत्व उन खंडों के साथ संलग्नता जिनका विद्युतीकरण हो चुका है, विद्युतीकरण के लिए शुरू में अपेक्षित भारी मात्रा में पूंजीगत खर्च आदि का ध्यान रखा जाता है ।

रेलवे प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

*585. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिए जाने को सुनिश्चित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेल कर्मचारी रेलवे की कुछ गतिविधियों में पहले से भाग ले रहे हैं । इन क्षेत्रों का विस्तार करने के उद्देश्य से कुछ और उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है और मान्यता प्राप्त संघों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विमर्श किया जा रहा है ।

Ban on Recruitment in Railways

*586. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a ban so far on the recruitment in the Railways and, if so, the nature thereof and the reasons therefor ; and

(b) whether it is also a fact that about 500 new Railway Stations have been set up during the last ten years, which are under-staffed and, if so, the time by which adequate number of employees would be appointed at those Railway Stations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Sir, a Statement is attached.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

In order to bring about reduction in expenditure on administration, a ban on recruitment of staff on the Railways was placed for the first time in February 1960. Relaxations have been made from time to time and the ban on recruitment is now applicable only in respect of categories of clerks, stenographers, record sorters, daftries, peons and farashes in offices. A further relaxation has been recently made in respect of clerical staff enabling the railways to fill vacancies to the extent of 50% arising during the year and in special cases, the General Managers have been authorised to make recruitment upto a further 10% where absolutely necessary.

In respect of other categories of class III staff, the Railways are required to obtain Board's prior approval for the additional posts before they place indents on the Service

Commissions or advertise directly for posts. This was done to ensure absorption of surplus staff before recruitment from the open market was resorted to. Even in this regard, a further relaxation has been made and the Railways have been permitted to go in for direct recruitment without obtaining Board's prior approval, in respect of the following categories :

(1) Ticket Collectors.

(2) Commercial Clerks/Coaching Clerks/Goods Clerks.

(3) Signallers.

(4) Trains Clerks.

(5) Assistant Station Masters and Traffic Signallers.

(6) Guards.

ट्रैक्टर बनाने के लिए किलोस्कर बन्धुओं को लाइसेंस देना

*588. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए किर्लोस्कर बन्धुओं को कोई औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या यह दत्त समिति की सिफारिशों के विरुद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में एकाधिकार के प्रश्न की उपेक्षा क्यों की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा ढोल निर्माण कारखानों को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे ले जाना

*589. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा ढोल निर्माण कारखाने को सेवरी से हटाकर ट्राम्बे ले जाने के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखेगी जिनके आधार पर वे यह उत्तर दे रहे हैं कि मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई ने अपने तेल के ढोल निर्माण करने वाले कारखाने को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे ले जाने तथा इसे मैसर्स स्टैंडर्ड बैकम रिफाइनरी कम्पनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिटुमन ढोल का निर्माण करने पर तेल के ढोलों के लिए नई क्षमता निर्धारित नहीं की है ; और

(ख) क्या सरकार को इस बीच मैसर्स स्टैंडर्ड बैकम रिफाइनरी कम्पनी और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के बीच हुए पत्र-व्यवहार के बारे में पूरी सूचना प्राप्त हो गई है ?

औद्योगिक, विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) 20 फरवरी, 1968 को पूछे गए प्रश्न संख्या 1271 के उत्तर में सरकार ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर चुकी है।

(ख) 18 अगस्त, 1970 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3068 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Difficulties in Reservation of Berths at Delhi, Bombay, Madras and Calcutta Railway Stations

*590. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the difficulties that the passengers have to face for the reservation of berths in Railway trains at cities like Delhi, Bombay, Madras and Calcutta :

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far in this direction, the outcome thereof and further steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The difficulties experienced by passengers are as follows :—

(i) The supply of berths and seats being short of demand during periods of rush those seeking reservations have to come to the reservation office hours ahead of the time of starting reservations, to be able to secure as forward a position in the queue as possible, with the result that there is a long wait in the queue.

(ii) Those who are not able to secure a sufficiently forward position in the queue having to leave disappointed after a fruitless wait in the queue.

(iii) Unsocial elements cornering reservations in fictitious names and then exploiting genuine passengers by transferring these reservations to them for a consideration.

(c) The following measures have been taken to remove the difficulties experienced by passengers in securing reservation of accommodation on trains :—

(i) Opening of additional booking and reservation counter and extending the hours of their working.

(ii) Tightening up of supervision on booking and reservation offices and frequent surprise checks on allotment and utilisation of reserved accommodation on important trains.

(iii) Introduction of a system of tokens, to persons waiting in queues for reservation on busy counters with a view to reducing the time of waiting to the minimum, maintaining the integrity of the queue and regulating the queue to ensure that a passenger either secures confirmed reservation or the inclusion of his name on the waiting list.

(iv) Launching of special drives at regular intervals to ensure proper functioning of the system of reservations and issue of tickets.

(v) Exhibition of notice boards at reservation offices indicating the latest position of availability of reservation on important trains.

2. As a result of the measures enumerated above, the period of waiting in queues by intending passengers has been reduced to the minimum and the scope for irregular practices by unsocial elements in the matter of reservations has been considerably reduced. The steps taken by Railways during the last Summer rush resulted in appreciable improvements and were highly appreciated by the public.

3. A part from pursuing these measures vigorously, efforts will be made to overcome the difficulties by augmenting accommodation on important trunk routes by introduction of additional trains, subject to availability of resources, attaching additional coaches on existing trains whenever feasible and running special trains during periods of rush. For this purpose, the position is reviewed from time to time and plans drawn up well in time be ore the rush of traffic starts.

तिलहन में वायदे के सौदे

*591. **श्री धीरेश्वर कलिता:** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन व्यापार में सट्टेबाजी को खत्म करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) फारवर्ड कान्ट्रैक्ट (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन सरकार ने तिलहन तथा तेलों के हानिप्रद सट्टों पर पहले ही रोक लगा रही है। इन वस्तुओं पर मिलने वाला अग्रिम बैंक ऋण भी प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इस दिशा में कोई अतिरिक्त प्रस्ताव इस समय सरकार के समक्ष नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध कार्य में भाग लेने के विषय पर उनके संघों से विचार विमर्श

*592. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन तथा फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन के प्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों द्वारा रेलवे के प्रबन्ध कार्य में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) रेल कर्मचारी रेलवे की कुछ गतिविधियों में पहले से भाग ले रहे हैं। किन अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है उनका ब्यौरा अभी मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के परामर्श से निर्धारित किया जाना है।

रबड़ टायरों के मूल्यों में वृद्धि

*593. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ टायरों के मूल्यों में गत पांच वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार रबड़ टायर उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने तथा सुनिश्चित करने का है कि उचित मूल्य ही लिए जायें ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। अप्रैल, 1965 से मूल्यों में हुई वृद्धि नीचे दिखाई गई है :—

तिथि	मूल्य वृद्धि
	(प्रतिस्थापन बिक्री)
1-4-65	6 प्रतिशत
1-10-65	5 प्रतिशत
4-2-66	5 प्रतिशत
1-4-66	7.5 प्रतिशत
10-11-68	6.51 प्रतिशत

(ख) प्रशुल्क (टैरिफ) आयोग ने प्राकृतिक रबड़ के घटने बढ़ने वाले मूल्य तथा रेयन टायर जो कि रबड़ टायर उद्योग के 2 प्रमुख कच्चे माल है के उचित मूल्य ढांचे की जांच की थी और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि सरकार के विचाराधीन है। इस समय समूचे रबड़ टायर उद्योग के मूल्य ढांचे की जांच का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेलवे के कोयले की चोरी करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए बनाया गया विशेष विभाग

*594. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कोयले आदि की चोरी करने वाले अपराधियों के साथ निपटने के लिए हाल ही में बनाये गये विशेष विभाग ने कोई छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा), अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन रेल सुरक्षा दल द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं और उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण

(ख) जो छापे मारे गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) **दिल्ली जंक्शन** : 3-7-1970 को छापामार पार्टी ने 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन में 4 रेल कर्मचारी थे और लगभग 20 रुपये मूल्य का 400 कि० ग्राम कोयला बरामद किया। रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध) अधिनियम की धारा 3 के अधीन मामले दर्ज कर लिये गये हैं।

(ii) **दिल्ली जंक्शन-लाल किले के समीप** : 11-7-70 को रेल मंत्री के विशेष स्कंध से सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली मंडल के रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा छापा मारा गया और 8 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गैर-कानूनी कब्जे में जो गैर कानूनी रूप से लगभग 1100 रुपये की कीमत का 8500 कि० ग्राम स्टीम कोयला रखे हुए थे। कोयला डिपो के मालिक श्री चन्दगी राम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया गया है जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(iii) **मोहिउद्दीनपुर** : 9-7-1970 को उत्तर रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और पी० आई० सेल के एक अधिकारी के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा मोहिउद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर छापा मारा गया और 10 रेल कर्मचारियों के गैर कानूनी कब्जे से 5 क्विंटल कोयला, लकड़ी के 43 स्लीपर बरामद किये गये जिनका मूल्य 133 रुपये था। रेलवे सुरक्षा दल की चौकी मेरेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अधीन 9-7-70 की डी० डी० क्रम सं० 55 पर एक मामला दर्ज कर लिया है जिसकी जांच की जा रही है।

गोल्डन तम्बाकू कम्पनी में लगी पूंजी

*595. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन तम्बाकू कम्पनी के मालिकों की आरम्भिक पूंजी 5 लाख रुपये थी और 1955-56 में उन्होंने बोनस शेयर जारी करके इसे 17 लाख रुपये तक बढ़ा दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी की शेयर तथा आरक्षित पूंजी जून, 1968 के अन्त में 3.88 करोड़ रुपये थी ;

(ग) क्या 1955-56 और 1967-68 के 12 वर्षों की अवधि में इसमें 3.65 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि गोल्डन तम्बाकू कम्पनी के मालिकों द्वारा यह धन किस प्रकार प्राप्त किया गया था ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) सरकार को, कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच का अवसर प्राप्त नहीं हुआ ।

हल्दीबाड़ी और जलपाईगुड़ी तथा दोमोहिनी चन्गरबन्धा (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइनों का पुनः निर्माण

*596. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 की भीषण बाढ़ के बाद रेलवे की तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन के अनुसार हल्दीबाड़ी-जलपाईगुड़ी और दोमोहिनी चन्गर बन्धा के बीच रेलवे लाइनों के पुनः निर्माण के लिये सरकार को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से कोई विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तकनीकी समिति के प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यात्रियों के यातायात के लिए लाइनों को कितनी जल्दी पुनः चालू कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जहां तक तकनीकी समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, इन दो शाखा लाइनों पर प्रभाव डालने वाला प्रश्न है जलपाईगुड़ी के निकट तिस्ता नदी से निकलने वाले जल की मात्रा। अनुमान लगाया गया है कि 50 वर्षों की आवृत्ति में जल निकलने की अधिकतम मात्रा 7 लाख क्युसैक्स होगी । तदनुसार रेल प्रशासन से कहा गया है कि इन दो शाखा लाइनों के स्थायित्व पर 7 लाख क्युसैक्स से अधिक जल-निकास के पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये उपयुक्त सर्वेक्षण किया जाए और इन लाइनों को फिर से चालू करने के वित्तीय फलितार्थों का पता लगाया जाये ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से उपर्युक्त सर्वेक्षण का परिणाम मिल जाने के बाद ही इन शाखा लाइनों को फिर से चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

Nationalisation of Legal Profession

*597. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to nationalise the legal profession ; and

(b) whether Government have any other alternative measure in view to end the corruption prevailing in the said profession ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

जाखूपुरा से डुबरी (दक्षिण-पूर्व रेलवे) तक नई रेलवे लाइन के निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम धन का प्रस्ताव

*598. **श्री गु० च० नायक :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में जाखूपुरा से डुबरी रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये उड़ीसा खनन निगम रेलवे को 67 लाख रुपये देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) तथा (ख). यद्यपि उड़ीसा खनन निगम को जाखूपुरा-डुबरी साइडिंग (निजी एवं इमदादी) की गलत में उसके हिस्से के बारे में जून, 1969 में सूचित किया गया था, परन्तु निगम ने अभी अक्तूबर, 1969 में अपने हिस्से का खर्च अर्थात् 66 लाख रुपये वहन करने की सहमति दी, और वह भी चार वार्षिक बराबर किस्तों में, और रेलवे बोर्ड ने, विशेष मामले के रूप में, भुगतान के इस तरीके को मान लिया। पूरी वार्षिक किस्त जमा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद 1969-70 की 16.7 लाख रुपये की पहली देय किस्त में से, उड़ीसा खनन निगम ने अभी तक केवल 7.5 लाख रुपये जमा किये हैं और भी दो किस्तों में। इस साइडिंग के निर्माण के लिए उड़ीसा खनन निगम द्वारा नियमित अभ्यावेदन अभी दिया जाना है और दक्षिण पूर्व रेलवे इस मामले में उड़ीसा खनन निगम के साथ तत्परता के साथ लिखी-पढ़ी कर रही है। साइडिंग के निर्माण के लिये उड़ीसा खनन निगम से नियमित अभ्यावेदन मिलने और काफी रकम जमा कराने के बाद ही साइडिंग का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। फिर भी, साइडिंग का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और खाके तथा अनुमान दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे को मीटर लाइन के सैक्शनों को मिलाना

*599. **श्री न० कु० सांघी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के मीटर गेज लाइन सैक्शनों को मिलाने के लिए कुछ समय पूर्व एक निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या उस समय के रेलवे मंत्री, श्री एस० के० पाटिल ने जब दक्षिण मध्य रेलवे का उदघाटन किया था तब इस बारे में कोई घोषणा की गई थी ; और

(ग) यदि इन दो सैक्शनों को मिलाकर एक अलग जोन बना दिया गया तो, इसमें अनुमानतः उन पर कितना अतिरिक्त खर्च आ जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्रीय मुख्यालय कहां स्थित होगा। फिर भी, मोटे तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपया के वार्षिक आवर्ती खर्च के अलावा लगभग 5 करोड़ रु० अनावर्ती खर्च का अनुमान है।

स्टेनलैस स्टील बर्तन उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

*620. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलेस स्टील बर्तन उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनयरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह सच है कि स्टेनलेस स्टील बर्तन उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना है।

(ख) दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र ने स्टेनलैस स्टील की चादरें बनाना आरम्भ कर दिया है और उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के निर्यातकर्ताओं को, पंजीकृत निर्यातकर्ता पुनः पूर्ति योजना, के अन्तर्गत स्टेनलैस स्टील की चादरों के आयात की भी अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम को भी वस्तु विनिमय के आधार पर 2000 टन स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा निवृत्ति के बाद श्री जी० डी० खंडेलवाल की एक बिड़ला फर्म में प्रबन्ध सलाहकार के पद पर नियुक्ति

3749. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जी० डी० खंडेलवाल ने, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, फरवरी/मार्च, 1970 को नयी दिल्ली स्थित बिड़ला की एक फर्म में प्रबन्ध सलाहकार का पद धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को वे सरकारी सेवा से निवृत्त हुए और बिड़ला फर्म में किस तारीख को नया पद धारण किया ;

(ग) क्या इसके लिये उनके मंत्रालय की अनुमति ले ली गयी थी ;

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने सेवा निवृत्ति के तुरन्त बाद उन्हें नया पद धारण करने की अनुमति क्यों दी जबकि यह सर्वविदित तथ्य था कि उनका रेलवे बोर्ड के उच्चतम अधिकारी की हैसियत से बिड़ला फर्मों के साथ सम्पर्क था और सम्बद्ध नियम के अन्तर्गत कोई भी ऐसे अधिकारी सेवा निवृत्ति के बाद कम से कम दो वर्षों तक ऐसा पद धारण नहीं कर सकते ; और

(ङ) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल 7-1-1970 के पूर्वान्ह से सेवा निवृत्ति के बाद 120 दिन की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले गये । वह भारतीय रेलों की यातायात सेवा से सम्बन्धित थे और पेंशनेतर अधिकारी थे । ऐसे अधिकारी के लिये, व्यापारिक नियुक्ति स्वीकार करने के वास्ते सरकार की पूर्व अनुमति लेना केवल तभी अपेक्षित होता है जब ऐसी नियुक्ति अस्वीकृत सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी की अवधि के दौरान स्वीकार की जाये । 19-2-1970 को श्री खंडेलवाल ने सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान अपनी निजी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर, एक परामर्श सेवा स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी 30-3-1970 को जबकि सरकार द्वारा उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा था, उन्होंने सरकार को सूचित किया कि 1-4-1970 से वह अपनी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी छोड़ रहे हैं ताकि वह अपने और अपने परिवार के लिए रोजी की व्यवस्था करने के लिए स्वाधीन हो जायें ।

सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्री खंडेलवाल ने बिड़ला या किसी और प्रतिष्ठान के पास नौकरी कर ली है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, 31-3-1970 के बाद, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त हो गयी, जहां तक श्री खंडेलवाल का सम्बन्ध है, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ऐसी कोई नौकरी स्वीकार करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का उत्पादन

3750. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने गत दो वर्षों में कुल कितने तथा कितने मूल्य का चलचित्र के साइन फिल्म्स पाजिटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट), एक्सरे फिल्म, रोल और ग्राफिक फिल्म, फोटो पेपर तथा ब्रोमाइड पेपर जैसे फोटो सम्बन्धी वस्तुओं का निर्माण किया है ;

(ख) भारतीय फिल्म्स उद्योग ने इस अवधि में कुल कितनी मात्रा में तथा मूल्य का सामान खरीदा ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि इस कारखाने को 87.1 लाख वर्ग मीटर प्रति वर्ष क्षमता का लाइसेंस दिया गया है तथापित इसकी अधिष्ठाता क्षमता 61.5 लाख वर्ग मीटर प्रति वर्ष की है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग कब किया जायेगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस बारे में कोई नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सप्लाई की गई वस्तुएं घटिया किस्म की है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) विगत दो वर्षों (1968-69 तथा 1969-70 में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० द्वारा बनाये गये फोटोग्राफिक सामान की कुल मात्रा तथा कीमत क्रमश: 33.8 लाख वर्ग मीटर तथा 565.66 लाख रुपये है ।

(ख) इस अवधि में भारतीय फिल्म उद्योग को बेची गई साइन फिल्म की कुल मात्रा तथा कीमत क्रमश: 27.87 लाख वर्ग मीटर तथा 361.45 लाख रु० है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) आशा की जाती है कि 1972-73 तक अधिष्ठापित क्षमता पूर्णत: प्राप्त कर ली जायेगी ।

(ङ) सरकार की निगाह में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि० का उत्पादन

3751. **श्री बाबूराम पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि० की जादवपुर शाखा द्वारा जितने माल का उत्पादन किया गया और जिसकी बिक्री की गई, उसकी कीमत और कुल मात्रा क्या है ;

(ख) कतिपय परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन और उनकी बिक्री में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अभी हाल में तकनीकी दल द्वारा जो सिफारिशें की गई, उनका ब्यौरा क्या है और वे कब कार्यान्वित की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 4043/70]

(ख) उत्पादन में गिरावट के कुछ कारण ये हैं :

(1) इंजीनियरी उद्योग में सामान्य मंदी ।

(2) विगत वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभाग अपनी मांग की वस्तुएं इस कारखाने से लेते थे इस प्रकार के अनुदेश का अब वह संरक्षण वापस ले लिया गया है ।

(3) उपर्युक्त मद 2 में उल्लिखित संरक्षण को वापस ले लेने से गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थित पैदा हो गई है ।

(4) पुरानी मशीनें तथा उपकरण ।

(5) संयंत्र में श्रमिक अशान्ति होना ।

(ग) तकनीकी दल द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ तो प्रबन्धकीय तथा प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित हैं तथा कुछ का सम्बन्ध तकनीकी मामलों से हैं उसमें विविधीकरण के कार्यक्रम को स्वीकृत देने के माध्यम द्वारा संयंत्र की आर्थिक जीव्यता में सुधार करना भी सम्मिलित है । संयंत्र की उत्पादिता तथा लाभदायकता में सुधार करने के लिए प्रबन्धक समिति विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के बारे में अब उपयुक्त कार्रवाई की है। किन्तु संयंत्र में विद्यमान बाधित औद्योगिक संबंधों के बने रहने के कारण उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ।

भारतीय रेलमार्गों पर मालगाड़ी, यात्री गाड़ी और विद्युत चालित मालगाड़ियों का लूटा जाना

3752. **श्री बाबूराम पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1969 से जुलाई, 1970 की अवधि में नौ रेल क्षेत्रों में चोरों के गिरोहों द्वारा कितनी बार मालगाड़ियों, यात्री गाड़ियों और विद्युत चालित मालगाड़ियों लूटा गया और किन स्टेशनों पर लूट की घटनायें हुई तथा जिस सामान को लूटा गया, उसकी मात्रा और कीमत क्या है ;

(ख) इस बारे में गिरफ्तार किये गये अथवा पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या क्या हैं ;

(ग) चलती हुए रेलगाड़ियों पर काम करने वाले रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तथा रेलगाड़ियों को लूटने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इक्ट्ठी की जा रहा है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Incidents of Loot, Murder and Dacoities of North Eastern Railway

3753. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1259 on the 3rd March, 1970 regarding incidents of Loot, murder and dacoities on the North Eastern Railway and state :

(a) whether the requisite information has since been collected by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay and the time by which the requisite information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). No undertaking was given for laying the information with regard to parts (c), (d) and (e) of Unstarred Question No. 1256 answerd on 3-3-1970. Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha immediately on receipt.

महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिये समिति

*3754. **बाबूराव पटेल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 में संशोधन तथा रूपभेद करने के बारे में सुझाव देने के लिए, सरकार ने अध्ययन समिति की नियुक्ति कब की थी ।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) समिति द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) उन्हें कब और किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) अध्ययन समिति 29. 3. 1968 को नियुक्त की गई थी ।

(ख) सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति उप विधायी परामर्शदाता, विधि मन्त्रालय ।
2. डा० (श्रीमती) ज्योत्सना एच० शाह, निदेशक केन्द्रीय सुधार (व्योरेक्शनल) सेवा ब्यूरो ।
3. श्री एम० के० झा, सहायक निदेशक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ।
4. श्रीमती शकुन्तला लाल,महासचिव, भारत में नैतिक तथा सामाजिक स्वच्छता संघ
5. श्री जे० एस० त्यागी, अवर सचिव, सामाज कल्याण विभाग ।

बाद में श्री एम० के० झा के स्थान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सहायक निदेशक, श्री पी० डी० मालवीय नियुक्त हुए और श्री जे० एस० त्यागी के स्थान पर श्री जी० एन० बोस और बाद में समाज कल्याण विभाग में परामर्श-दाता श्री एम० सी० नानावती नियुक्त हुए ।

(ग) से (ङ). अस्थायी निर्णय किये गये हैं और प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Criteria Adopted for Determining the Terms 'Executive' and 'Non-Executive' for the Purpose of Allotment of Scooters

3755. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6239 on the 14th April, 1970 and state :

(a) the definition of the terms 'Executive' and 'Non-Executive' and the criteria adopted for determining whether a particular officer is an executive officer or a non-executive officer ;

(b) the present number of applicants of each of the seven categories mentioned in the question referred to above, who are on the waiting list for both types of scooters, separately and the priority-date of the first applicant of each category on both the waiting lists, separately ; and

(c) whether any Government employee/officer belonging to any of the categories referred to above has been allotted scooter out of turn and, if so, the details thereof and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Devleopment and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Officers engaged predominently on field duties are considered as "Executive" officers. An officer is placed in the 'Executive' Category on the basis of a certificate issued by his Department in this regard.

(b) The required information is as under :—

Category	No. of applications in the waiting list, received till the end of 1969.		Priority date of the first applicant on the waiting list.	
	Vespa	Lambretta	Vespa	Lambretta
1	2	3	4	5
I. Officers drawing salary of Rs. 900/- and above.	458	Nil	30-1-69	All applications received during 1969 have been covered.
II. Executive Officers drawing salary between Rs. 500/- and 899/-.	952	Nil	29-2-68	—do—
III. Non-executive drawing salary between Rs. 500/- and Rs. 899/-.	4039	672	7-3-67	30-1-69
IV. Executive Officers drawing salary between Rs. 300/- and Rs. 499/-.	3951	426	14-2 68	1-3-69

1	2	3	4	5
V. PA'S personal staff attached to officers of the Status of Joint Secretary and above.	128	Nil	22-2-69	All applications received during 1969 have been covered.
VI. Medical Officers.	53	Nil	1-3-69	All applications received during 1969 have been covered.
VII. Non-Executive Officers drawing salary between Rs. 350/- and Rs. 499/-.	16,522	3,555	25-2-67	1-1-68

In addition to the above, about 19,000 applications have been received during the months of January and February this year which are still to be sorted out in different categories.

(c) Allotment of scooter out of the Central Government quota is made *inter alia* to the employees of the Central Government. Departments/public Sector Undertakings, strictly on the basis of their applications arranged in chronological order in different categories However, in exceptional cases, out of turn allotment of a scooter is made on the recommendations of the concerned Ministry/Department, taking into consideration the merit of each case. The number of such allotments made during the last two quarters is as under :—

	Vespa	Lambretta	Total
(i) March-May 1970	12	Nil	12
(ii) June-August 1970	14	Nil	14

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के वेतन-मान

3756. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रभागीय अधीक्षक, उप-प्रभागीय अधीक्षक, प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक नई दिल्ली स्थित रेलवे के प्रभागीय कार्यालय में दिल्ली क्षेत्र के अधीक्षक के वेतन-मान क्या है ;

(ख) इनमें से कितने राजपत्रित हैं और कितने अराजपत्रित हैं ; और

(ग) दिल्ली क्षेत्र के प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक और अधीक्षक के कर्त्तव्य क्या-क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क)

कोटि	वेतन-मान
मन्डल अधीक्षक (मध्यवर्ती प्रशासनिक)	1600-100-1800 रु०
उप मन्डल अधीक्षक	1300-60-1600 रु०
मन्डल वाणिज्य अधीक्षक	700-40-1100-50/2-1250 रु०
उत्तर रेलवे में मण्डल कार्यालय, नयी दिल्ली में अधीक्षक, दिल्ली क्षेत्र	700-40-1100-50/2-1250 रु०

(ख) ये सब राजपत्रित पद हैं।

(ग) अनुबन्ध "क" और "ख" (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-4044/70)

उत्तर रलवे के अन्तर्गत निर्माता-लेखाकारों के पदों का प्रशासनिक विभाग को सौंपा जाना

3757. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में निर्माण-लेखाकारों के पदों का जिन परिस्थितियों में इंजीनियरिंग संहिता (पैराग्राफ 1904) उल्लंघन करते हुए और विशेष रूप से जबकि अनेकों योग्य व्यक्ति उपलब्ध थे ; लेखा-बिभाग से हटाकर प्रशासनिक विभाग को स्थानांतर किया गया था ;

(ख) क्या इस प्रकार की व्यवस्था अन्य रेलवे कार्यालयों में भी है और यदि नहीं तो इस प्रकार के भेदभाव के क्यां कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में उनके मन्त्रालय को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) मण्डल कार्यालयों में लेखा और इंजीनियरी शाखाओं के बीच समन्वय और कार्य-कुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से 1941 में यह विनिश्चय किया गया है कि निर्माण लेखापालों को मन्डल कार्यकारी इंजीनियर के अधीन काम करना चाहिए। जो परिपाटी उत्तर रेलवे पर अपनायी जा रही है उससे संहिता के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता।

(ख) अन्य रेलों पर उपर्युक्त कार्यविधि नहीं अपनाई जा रही क्योंकि उनका संगठनात्मक स्वरूप भिन्न है।

(ग) जी हां। यद्यपि इस स्थिति में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि मान्यता प्राप्त यूनियन में भी वर्तमान परिपाटी की समर्थक हैं, फिर भी उत्तर रेलवे से कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से वर्तमान परिपाटी की समीक्षा की जाये।

Vazir Sultan Tabacco Company

3758. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any foreign company has bought the Vazir Sultan Tobacco Company ;

(b) whether this foreign company has been fully permitted to buy other foreign companies in India ;

(c) what is the percentage of monopoly the foreign company, which has bought the Vazir Sultan Tobacco Company, has on the entire tobacco export industry in the country ;

(d) whether the Vazir Sultan Tobacco Company has sought permission for doubling its production capacity and whether the same has been granted to it ; and

(e) the likely effect of granting such permission on the cigarette industry in India and the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

(d) and (e). The company has made an application for effecting substantial expansion for an additional annual capacity of 7,200 million pieces of cigarettes. The matter is under the consideration of the Government.

युद्ध के दौरान खण्डित हुई गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन का पुनः चालू किया जाना

3759. **श्री शशि भूषण :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध के दौरान खण्डित हुई गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त लाइन कब तक फिर से चालू हो जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जो रेल लाइनें युद्ध के दौरान खण्डित हो गई थी और जिन्हें अभी तक फिर से चालू नहीं किया गया है ; उनके नाम, संख्या और उनकी कुल दूरी क्या है तथा उन्हें फिर से चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). उखाड़ी गई गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण, जिसकी मन्जूरी 30-5-1970 को दी गई थी, अभी किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसके परिणाम मालूम होने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ी गई उन लाइनों का उल्लेख किया गया है जिसको फिर चालू करने का काम अभी हाथ में नहीं लिया गया है और इन लाइनों को फिर चालू न करने के कारण बताये गये हैं।

पिछले विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ी गई रेलवे लाइनें जिन्हें फिर से चालू करने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	लाइन का नाम	आमान	लम्बाई (मील में)
1.	बहरामघाट-बुढ़वल	बड़ी लाइन	5.00
2.	बुढ़वल-बाराबंकी	बड़ी लाइन	8.00
3.	सिन्नाधारा-सीताबार	मीटर लाइन	7-50
4.	गोसाईगांव-कोकिलामुखघाट	मीटर लाइन	55.00
5.	कोकानाड़ा-कोटीपल्ली	बड़ी लाइन	27.00
6.	मोरप्पूर-होसुर	छोटी लाइन	73.00
7.	त्तिरुपत्तूर-कृष्णागिरि	छोटी लाइन	25.00
8.	रायपुरफारेस्ट-ट्रामवे	छोटी लाइन	69.00
9.	बढ़वा-पुसाद	छोटी लाइन	44.00
10.	माघोगंज-ग्रौहदपुर	बड़ी लाइन	17.00
11.	डालमऊ-दरियापुर	बड़ी लाइन	16.00
12.	गोहना-पानीपत-(रोहतक-गोहना-पानीपत लाइन का शेष भाग)	बड़ी लाइन	24.00
		जोड़	370.50

उपर्युक्त लाइनों को फिर से चालू न करने के कारण

जिन क्षेत्रों में इन लाइनों को उखाड़ा गया था, उनमें से अधिकांश क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक साधन अपना लिए गये हैं और इस कारण, हाल में यातायात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जब-जब जांच हड़ताल की गयी, उससे यही मालूम हुआ है कि इन लाइनों से बहुत कम आमदनी होगी और वित्तीय दृष्टि से इन्हें फिर चालू करने का पर्याप्त औचित्य नहीं है। इन क्षेत्रों के सुसंगठित सड़क परिवहन को तथा वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जब इन लाइनों को फिर से चालू करने के प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं है, इससे रेलों को प्रत्यक्ष हानि होगी।

उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद टूण्डला सैक्शन पर काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों का अवशोषण

3760. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधिपति के हाल ही के निर्णयों के विरुद्ध दर्ज करवाई गई अपील याचिका में यह घोषणा की गई है कि कानपुर-टूण्डला रेलवे विद्युतीकरण परियोजना पूरी हो गई थी और इसके रोजमर्रा के कार्य के लिए 1 अप्रैल, 1968 को उत्तरी रेलवे को सौंप दिया गया था ;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के उन सभी कर्मचारियों को जिनको 31 मार्च, 1968 तक नैमित्तिक कर्मचारी समझा जाता था अब भी जबकि यह एक परियोजना नहीं रही बल्कि 1 अप्रैल, 1968 से उत्तरी रेलवे का एक डिवीजन बन गई है, नैमित्तिक कर्मचारी ही समझा जा रहा है ;

(ग) क्या इन सैकड़ों नैमित्तिक कर्मचारियों ने उस परियोजना में निरन्तर पांच से पन्द्रह वर्ष तक की सेवा की है ;

(घ) क्या भारतीय रेलवे संस्थापन नियमावली (अध्याय 25) के अनुसार छह महीने की सेवा पूरी कर लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को नैमित्तिक कर्मचारी नहीं समझा जा सकता ; और

(ङ) यदि हां, तो इलाहाबाद टूण्डला सैक्शन के इन सैकड़ों कर्मचारियों को अभी तक नैमित्तिक कर्मचारी किन नियमों के अन्तर्गत माना जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मानवीय न्यायाधीश माथुर के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गयी अपील के आधारों में ऐसा गलती से कहा गया था। अपील के आधारों में संशोधन करने और उनकी अनुपूर्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है और उपर्युक्त स्थिति को ठीक किया जा रहा है ।

(ख) निर्णय बिजली परियोजना में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में नहीं, बल्कि रेल बिजली परियोजना के तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के प्रवरण की कार्याविधि के सम्बन्ध में था । तिस पर भी, निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी गयी है ।

(ग) केवल लगभग 250 नैमित्तिक श्रमिक थे, जिन्होंने रेल बिजली परियोजना में 5 से 15 वर्षों तक काम किया । अलग-अलग परियोजनाओं के पूरी हो जाने के फलस्वरूप इनकी सेवा भंग हो गयी । इन्होंने उक्त अवधि में निरन्तर काम नहीं किया ।

(घ) और (ङ). स्थापना नियमावली के पैरा 2501 (ख) के अनुसार अन्य अस्थायी या स्थायी नियोजन से स्थानान्तरित होने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को छोड़ कर परियोजनाओं में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को, 6 महीने का निरन्तर नियोजन पूरा हो जाने के बाद अस्थायी नहीं माना जाता चाहे उनका नियोजन-काल कितना भी हो ।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी

3761. **श्री मु० अ० खां :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 जुलाई, 1970 को उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये सरकारी कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) उनकी प्रतिनियुक्ति कितनी अवधि के लिए है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 24 जुलाई, 1970 को इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 465 सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर थे। इनमें 118 अधिकारी 400-950 रुपये और इससे अधिक के वेतनमान में थे। इनमें इंडस्ट्रियल मैनेजमैंट पूल के 32 अधिकारी भी शामिल हैं। शेष कर्मचारी निम्न ग्रेड़ों के थे।

(ख) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि अलग अलग है और प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए यह जानकारी प्राप्त करने में जितना समय और धन लगेगा उतना लाभ नहीं होगा।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी

3762. **श्री मु० अ० खां :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 जुलाई, 1970 को उनके यंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये सरकारी कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है ; और

(ख) उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण): (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	पद श्रेणी	प्रतिनियुक्ति की अवधि
	औद्योगिक विकास विभाग	
1.	विशेष कार्य अधिकारी	1-8-69 से अगले आदेश पर्यन्त
2.	—वही—	14-4-69 से 2-12-70 तक (प्रतिनियुक्ति) की शर्तें अभी निश्चित की जानी हैं।
3.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड 1	6-1-68 से 5-1-71 तक

1	2
4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी	20-8-69 से 19-8-70 तक
5. —वही—	1-6-70 से 31-5-72 तक
6. व्यक्तिक सहायक	31-3-70 से 31-3-72 तक
7. आशुलिपिक ग्रेड 3	3-2-68 से 31-12-70 तक
8. सहायक	5-7-68 से 31-12-70 तक
9. सहायक	20-7-70 से 20-7-71 तक
10. सहायक	—वही—
11. निम्न श्रेणी लिपिक	—वही—
12. —वही—	31-7-67 से 31-7-70 तक
13. चतुर्थ श्रेणी	1-8-68 (दो वर्षों के लिये)
ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री बम्बई	
1. श्रेणी 2 (अराजपत्रित) (एक)	25-3-68 से 31-12-70 तक
आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	
1. कनिष्ठ अन्वेषक (एक)	6-7-70 से (दो वर्षों के लिये)
तकनीकी विकास का महानिदेशालय	
1. विकास अधिकारी श्रेणी 1 (एक)	4-3-65 से 6 वर्षों के लिये
2. व्यक्तिगत सहायक (आशुलिपिक ग्रेड-2) (एक)	1-7-70 से 2 वर्षों के लिये
3. आशुलिपिक ग्रेड-3 (एक)	25-2-70 से 1 वर्ष के लिए
4. निम्न श्रेणी लिपिक (एक)	5-3-68 से 3 वर्षों के लिये
नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर	
1. श्रेणी 2 (अराजपत्रित) (1)	1-12-69 से
2. श्रेणी 3 (अराजपत्रित) (1)	5-5-65 से
1	20-10-65 से
1	1-1-59 से
1	19-8-65 से
1	1-4-65 से
3. चतुर्थ श्रेणी 16	1-1-59 से

कतरनों का निर्यात

3763. **श्री काम्बले :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में और 1970 के प्रथम तीन महीनों में निम्नलिखित भट्टियों ने खुले बाजार से तथा धातु कतरन व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से अलग-अलग कितनी-कितनी कतरनों की खरीद की :

(1) मैसर्स वी० आर० हरमन एण्ड मोहाटा (आई) प्राइवेट लिमिटेड, (2) मैसर्स महेन्द्र युगाइन स्टील कम्पनी लिमिटेड, (3) मैसर्स मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, (4) मैसर्स गेस्ट, कीन, विलियम्स लिमिटेड, (5) मैसर्स इंडोजापान स्टील लिमिटेड, (6) मैसर्स भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील कम्पनी लिमिटेड, (7) मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, (8) मैसर्स हिन्दुस्तान आयरन स्टील कम्पनी, (9) मैसर्स टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, (10) मैसर्स मोदी स्टील्स, (11) मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, (12) मैसर्स जे० के० आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (13) मैसर्स एम० पी० शूगर मिल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, (14) मैसर्स कुमार धुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, (15) मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (16) मैसर्स हावड़ा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और (17) मैसर्स हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ;

(ख) क्या यह सच है कि कई भट्टियों, जिनका नाम ऊपर सूची में दिया गया है, खुले बाजार से कतरनों की खरीद को छोड़ कर धातु कतरन व्यापार निगम लिमिटेड से कतरनें खरीदना चाहती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा सरकार पर जोर डालने के उद्देश्य से किया गया है कि वह कतरनों के निर्यात पर रोक लगाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो कतरनों की सप्लाई सामान्य स्रोत से न प्राप्त करने के अन्य कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आयरन एण्ड स्टील स्क्रेप एसोसियशन आफ इन्डिया और स्टील फरनेस एसोसियेशन आफ इण्डिया (इन दोनों के प्रतिनिधि धातु कतरन व्यापार निगम में है) में पारस्परिक समझौते के अनुसार विद्युत भट्टियों के मालिक धातु कतरन व्यापार निगम के माध्यम से कतरनें खरीदते रहे हैं। इस समझौते के अनुसार समझौते के अन्तर्गत सप्लाई के बारे में निगम को दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। अतः भट्टियों के मालिकों द्वारा खुले बाजार से खरीदी गई कतरनों के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती।

(ख) और (घ). 1969 के उत्तरार्द्ध और 1970 के पूर्वार्द्ध में अधिक भट्टियां धातुकतर न व्यापार निगम के माध्यम से चादरों की कतरनों और साधारण इस्पात की टर्निंग और बोरिंग की सप्लाई करना चाहती थी। सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने खुले बाजार से माल लेना बन्द कर दिया है और इसके क्या कारण हैं।

(ग) विद्युत भट्टियों के मालिकों ने स्क्रैप की कमी के बारे में शिकायतें की हैं। कुछ प्रकार के स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगा दी गई है जिससे इन भट्टियों के मालिकों को स्क्रैप मिल सके।

कतरनों का निर्यात

3764. **श्री हेमराज :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित किस्मों की कतरनों को पिघलाने वाली देशी भट्टियों के नाम क्या हैं :

(1) ढलवा लोहा बोरिंग कतरनें

(2) रस्टी और ऑक्सिडाइज्ड स्टील टर्निंग और बोरिंग कतरनें

(3) डिटिन्ड चादर तथा पंच कतरनें

(4) सिलिकोन चादर तथा पंच कतरनें

(5) नम्बर 2 चादर तथा पंच कतरनें

(6) नम्बर 2 ए चादर तथा पंच कतरनें

(7) नम्बर 3 चादर तथा पंच कतरनें

(8) मिल स्केल कतरनें ;

(ख) अप्रैल, 1970 में इन किस्मों के निर्यात को समाप्त करने के क्या कारण हैं जबकि इन किस्मों के निर्यात मूल्य बहुत ऊंचे थे ; और

(ग) ऊंचे मूल्यों पर इन का निर्यात अचानक बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप देश को कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चूंकि फरवरी, 1970 में नई नीति लागू किये जाने से पहले विद्युत भट्टियों के मालिकों के लिए लाइसेंस लेना अथवा अपने आपको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं था, नई नीति के अन्तर्गत उन सभी उद्योगों को जिनकी परिसम्पत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक है लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है और चूंकि विद्युत भट्टियों के मालिकों को प्रयुक्त किये गये स्क्रैप के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है अतः पूछी गई जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 31 मार्च, 1970 तक (1) रस्टी और ऑक्सीडाइज्ड स्टील टर्निंग और बोरिंग कतरनों और (2) सिलीकोन चादर तथा पंच कतरनों को छोड़कर ऊपर प्रश्न के भाग (क) में

उल्लिखित सभी प्रकार के स्क्रैप के निर्यात करने की खुली छूट थी । 1 अप्रैल, 1970 से यह निश्चत किया गया कि नम्बर (1) और नम्बर (2) चादर तथा पच कतरनों और साधारण इस्पात के टरनिंग और बोरिंग कतरनों के निर्यात के लिए कोई नये वायदे न किये जाएं । फिर भी 31 मार्च अथवा उससे पहले इन श्रेणियों के निर्यात के लिए जो पक्के वायदे/करार किये गये थे उनको पूरा करने की छूट दी गई है । यह रोक इसलिए लगानी पड़ी कि विद्युत भट्टियों की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्णतः पूर्ति की जा सके ।

(ग) इस रोक के कारण हुई विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है परन्तु ऐसी हानि के मुकाबलों में देश में इस्पात के अधिक उत्पादन से होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

Setting up of Wine Distillery in Andhra Pradesh with Foreign Collaboration

3765. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trades** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inspite of the availability of indigenous technical know-how, his Ministry has given permission for the setting up of wine distillery with foreign collaboration in Andhra Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that as for the agreement signed in this respect, foreign exchange worth about Rs. 7.50 lakhs in the form of technical know-how and foreign exchange worth Rs. 2.50 lakhs as royalty will have to be incurred every year ;

(c) if so, the reasons for giving this permission ;

(d) whether similar other proposals are under consideration of Government ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) A letter of Intent has been issued for the setting up of a distillery in Andhra Pradesh. But the party has not submitted any application for foreign collaboration so far.

Although indigenous technical know-how exists in this field, in order to improve the quality and exportability of products manufactured in the country, Government do consider foreign collaboration proposals with suitable export obligations.

(b) and (c). The party has not yet submitted any proposal for foreign collaboration.

(d) and (e). Yes, Sir. One more application for a licence involving foreign collaboration has been received and is under examination.

पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रधान मंत्री का समय से पहले होने वाले साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में संकेत देना

3766. **श्री लतीफ अली खां :**

श्री स०चं० सामन्त :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1970 के नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित इस

आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री ने पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह संकेत दिया था कि साधारण निर्वाचन समय से पूर्व हो सकते हैं ;और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार बिल्कुल सही है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

कर्मचारियों के लिये शीतक वर्दी

3767. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जापानी अनुसंधानकर्ताओं ने उन कर्मचारियों को शीतल रखने के लिए एक नई वर्दी बनाई है जिनकी कार्यक्षमता कतिपय कारखानों में उच्च तापक्रम के कारण बहुत कम हो जाती है ;

(ख) क्या इस वर्दी के निर्माण उचित उपयोगिता तथा उपलब्धता के बारे में कोई जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) नैशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद्) द्वारा प्रकाशित अगस्त के प्रोडक्टिविटी न्यूज अंक में जापान में कुछ कारखानों में अधिक तापमान में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार की गई वातानुकूलित वर्दी की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है ।

(ख) और (ग). यह नयी पोशाक वाइनिल क्लोराइड रेशों से एक जाल के रूप में ढीली बुनी हुई आसानी से पहने जानी वाली बनियान जैसी बताई गई है । इसमें सामने के भाग तथा पीछे के भाग में जेबें बनी हुई होती हैं जिनमें जमी हुई बर्फ की सिल्लियां करने के लिए इन्सुलेटिड सामग्री लगी हुई है । पिघलते समय यह बर्फ गर्मी सोख लेती है और कर्मचारियों द्वारा जिस ऊपरी पोशाक के नीचे यह पोशाक पहनी जाती है वह उसमें से शीतल वायु बाहर नहीं निकलने देती । यह पोशाक हाल ही में बनाई गई है और इस पर परीक्षण किये जा रहे हैं ।

निगमित क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा के लिए समिति

3768. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निगमित क्षेत्र के कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा करते रहने के लिए एक विशेष समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और निदेश पद क्या हैं ;

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) शायद यह संदर्भ अनुसंधान कार्यक्रम समिति के गठन के बारे में है। इस समिति का गठन 8 जून 1970 को औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य के संयुक्त मंत्रालय द्वारा किया गया था जिसमें समवायकार्य विभाग के सचिव को सभापति बनाया गया।

(ख) इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं :

1. श्री आर० प्रसाद, सचिव, सभवाय-कार्य विभाग तथा अध्यक्ष, समवाय सचिवालय संस्थान (सभापति)
2. श्री बी० डी० पाण्डे, सचिव, भारी उद्योग, औ० वि० विभाग।
3. प्रो० ए० दास गुप्ता, विभागाध्यक्ष, व्यापार प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन विभाग दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स।
4. डा० एस० के० गोयल, रीडर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
5. डा० जी० एस० भल्ला, रीडर, पंजाब, विश्वविद्यालय।
6. डा० डी० डी० नरूला, रीडर, राजस्थान विश्वविद्यालय।
7. डा० के० पी० एन० नैयर, निदेशक, सांरिकी भारत रिजर्व बैंक।
8. श्री डी० एल० मजूमदार, समवाय कार्य विभाग के भूतपूर्व सचिव।
9. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट आफ कास्टएण्ड वर्क्स एकाउनटैंटस, आफ़ इंडिया।
10. अध्यक्ष, इंस्टीटयूट आफ चार्टस एकाउनटेंट्स आफ इण्डिया।
11. प्रो० अजित विश्वास, दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स।
12. डा० आबद अहमद रीडर, व्यापार प्रबन्धक विभाग दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स।
13. निदेशक अनुसंधान तथा सांख्यिकी समवाय-कार्य विभाग, सदस्य सचिव।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य के तत्कालीन संयुक्त मंत्रालय को औद्योगिक विकास पर प्रभाव डालने वाली आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने की दृष्टि से तथा विशेषकर देश में निगमित क्षेत्र के संचालन के संदर्भ में इस समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य समवाय-कार्य विभाग में उपयुक्त अनुसंधान अध्ययन कराने में भी सहायता देना था तथा यदि आवश्यक हुआ तो साथ ही ऐसे अनुसंधान अध्ययनों को तैयार करने में भी सहयोग करना था जो समवाय-कार्य विभाग में अथवा स्वयं सदस्यों द्वारा किये जायेंगे औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय से समवाय-कार्य विभाग के आउट हो जाने के कारण इस समिति के निदश पदों तथा गठन के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में एक परिवहन संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव

3769. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में किसी स्थान पर भारत के प्रथम परिवहन संग्रहालय की स्थापना करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए इस बीच स्थान का चयन कर लिया गया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस परियोजना से अन्य कितने मंत्रालय सम्बद्ध होंगे ; और

(घ) संग्रहालय के कब तक स्थापित होने की संभावना है और इस पर अनुमानतः कितना धन खर्च होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दिल्ली में परिवहन सम्बन्धी अजायबघर की स्थापना करने की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) परिवहन और जहाजरानी, पर्यटन और सिविल विभाजन और सचार मंत्रालय।

(घ) अभी तक इस मामले में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

प्रबन्ध-निदेशकों आदि के पारिश्रमिक/उपलब्धिया/परिलब्धियां नियत करने के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त

3770. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमित क्षेत्र में मैनेजिंग एजेण्टों, सचिवों और खजांचियों की समाप्ति के बारे में सभी औपचारिकतायें अब पूरी हो चुकी हैं ;

(ख) जिन मामलों में मैनेजिंग एजेन्सियों को समाप्त किया गया है वहां नई प्रबंध व्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति क्या रही है ;

(ग) इस प्रकार की कम्पनियों के प्रबन्ध-निदेशकों, अध्यक्षों, महा-प्रबन्धकों आदि के पारिश्रमिक, उपलब्धियों और परिलब्धियों के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि कम्पनी ला बोर्ड' इस प्रकार के मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त होने के बावजूद भी, प्रस्तावित परिलब्धियों को कम करता रहा है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) प्रबन्ध अभिकरणों तथा सचिव व कोषाध्यक्षों के सभी शेष पद, कानून के उपबन्ध के अन्तर्गत 3 अप्रैल, 1970 से समाप्त हो गये हैं।

(ख) चूंकि कंपनियों के एक बड़े भाग ने, प्रबन्ध निदेशक आदि के नियुक्ति के लिये अभी तक प्रार्थना-पत्र नहीं दिये हैं, अतः ऐसी संभावना है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, निदेशक मंडल द्वारा प्रबन्ध अपना लिया है, जिसके लिये किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। शेष में से, बहुतों को प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्रबन्ध का रूप कुछ सीमा तथा अत्यधिक हितकारी प्रतीत हुआ है, जबकि एक छोटी संख्या ने, पूर्ण-कालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक रखे हुये हैं।

(ग) यह मार्गदर्शक नियम, तारांकित प्रश्न संख्या 360 का उत्तर देते समय, 2 दिसम्बर, 1969 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये थे। इस विषय में, अनुमोदन को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, परिलब्धियों की संगणना एवं प्रबन्धकीय व्यक्तियों के लिए अन्य लाभों की बाबत एक अन्य स्पष्टीकरण युक्त परिचालन-पत्र, जो हाल ही में प्रेषित हुआ है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4045/70**]

(घ) यह मार्गदर्शक नियम केवल प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक अथवा अंशकालिक निदेशकों/प्रबंधकों के पारिश्रमिक पर प्रशासनिक अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं। कम्पनी विधि बोर्ड, सभी सम्बन्धित कारकों जैसे प्रभावी पूंजी, व्यापारावर्त, कम्पनी का भूतकाल का तथा पूर्वविधारित युद्ध लाभ, प्रस्तावित प्रबन्धकीय व्यक्तियों की योग्यतायें आदि को दृष्टिगत रखते हुये, मार्गदर्शक नियमों में दी गई अधिकतम प्रशासनिक सीमाओं के अन्तर्गत, पारिश्रमिक निर्धारित करता है।

विशेष इस्पात के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिये भारतीय शिष्टमण्डल की विदेश यात्रा

3771. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के कारखानों में अब तैयार हो रहे विशेष किस्मों के इस्पात के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाया है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई शिष्टमंडल विदेश भेजे गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). देश में विशेष किस्मों के इस्पात की बहुत मांग है। देशीय मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान उत्पादन पर्याप्त नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस समय इन किस्मों के इस्पात के लिये विदेशों में मण्डियां खोजने अथवा इस काम के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों तथा कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

3772. **श्री द० रा० परमार** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों तथा कार्यालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग पर विचार करने के लिए 17 जुलाई, 1970 को भोपाल में कुछ राज्यों के शिक्षा तथा विधि मन्त्रियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या थीं और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के न्यायालयों तथा कार्यालयों की राजभाषा क्या होगी ; और

(ग) इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 17 और 18 जुलाई, 1970 को भोपाल में हिन्दी-भाषी राज्यों के विधि एवं भाषी मंत्रियों का एक सम्मेलन निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए हुआ था :—

(i) हिन्दी भाषी राज्यों के लिए समान हिन्दी विधि-शब्दावली ;

(ii) हिन्दी में मूल विधायी प्रारूपण ;

(iii) सभी हिन्दी भाषी राज्यों के उपयोग के लिए हिन्दी में एक साधारण खंड अधिनियम तैयार करना।

न्यायालयों और कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग पर सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(ख) सम्मेलन की कार्यवाहियों और उसके द्वारा की गई सिफारिशों की प्रति मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसने सम्मेलन का आयोजन किया था। अहिन्दी भाषी राज्यों में न्यायालयों और कार्यालयों की राजभाषा के प्रश्न पर सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(ग) ऊपर वाले भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

घरेलू उद्योगों के लिए इस्पात की कमी

3773. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की कमी से घरेलू उद्योगों के लिग आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी के कारण आयात प्रतिस्थापन पर किस सीमा तक असर पड़ा है ;

(ग) इस कमी के कारण विदेशी मुद्रा की आय में कितनी घटोतरी हुई है ; और

(घ) कमी की स्थिति से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) बढ़ती हुई मांग का सापेक्षता में इस्पात की उपलब्धि की कमी से देश के उद्योग के कई क्षेत्र कुछ सीमा तक प्रभावित हुए हैं।

(ख) तथा (ग). चूंकि इस्पात की कमी से उद्योगों का विस्तृत क्षेत्र प्रभावित हुआ है अतः आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को मानना कठिन है ।

(घ) इस्पात के उत्पादन और विशेषकर दुर्लभ कोटियों के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों के अतिरिक्त 1970-71 की अवधि की आयात नीति में इसके आयात को, इंजीनियरी उद्योगों में उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए, अधिक उदार बनाया गया है ।

Import of Pulp for Production of Newsprint at Nepa Nagar, M. P.

3775. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of pulp imported for the production of newsprint at the Nepa Nagar (Madhya Pradesh) and whether the entire quantity of pulp utilised therein is imported ;

(b) if not, the quantity of imported and indigenous pulp utilised therein annually; and

(c) the quantity of imported and indigenous pulp utilised therein during 1969-70 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) 1. The following quantity of pulp was imported by Nepa Mills :

Year	Mechanical (tonnes)	Chemical (tonnes)
1965-66	Nil	401.00
1966-67	Nil	949.00
1967-68	Nil	Nil
1968-69	1374.8	3043.00
1969-70	3500.0	1882.69

2. This forms a small portion of the total pulp utilised in the mills.

(b) and (c). The quantity of imported and indigenous pulp utilised in the Mills during the period 1965-66 to 1969-70 is given below :—

	Imported pulp used.		Indigenous pulp used.
	Chemical	Mehanical	
			(in tonnes)
1965-66	375.0	Nil	32,029.12
1966-67	557.0	Nil	31,020.10
1967-68	356.0	Nil	31,224.00
1968-69	338.0	160.0	30,882.00
1969-70	4046.0	4043.0	38,725.00

Loan to Madhya Pradesh for Setting up Tractor Factory

3776. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have decided to set up a tractor factory in the State by taking loan from the Central Government ; and

(b) if so, the amount of loan proposed to be given to the Madhya Pradesh Government and the time by which the said factory is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Government have so far not received any proposal from the Madhya Pradesh Government to set up a tractor factory in the State by taking loan from the Central Government.

(b) Does not arise.

Setting up of Super Bazars in Rural Areas of Madhya Pradesh

3777. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether any Super Bazars are to be opened in rural areas of Madhya Pradesh under the Centrally sponsored Scheme of opening 200 small Super Bazars in rural areas ; and

(b) if so, the number and location thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) At present there is no centrally sponsored scheme for opening Bazars in rural areas.

(b) Does not arise.

चण्डीगढ़ में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उपाय

3778. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा कुछ कारगर उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने के विचार है ; और

(ख) क्या औद्योगिक विकास समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) अन्य सभी प्रशासनों तथा राज्य सरकारों की भांति चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भी अपने प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनेक अभ्युपाय कर रहा है ।

(ख) औद्योगिक विकास समिति द्वारा की गई किसी सिफारिश के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

63-क्रैंक माल गाड़ी में आग

3779. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झाझिया से चलने वाली 63 क्रैंक मालगाड़ी के तेल से भरे छः टैंकरों में 25 जुलाई, 1970 को सिमुलताला पर आग लग गई जिसके फलस्वरूप पूर्वी रेलवे की बड़ी लाइन पर अप तथा डाउन रेलगाड़ियों के आने जाने में बाधा पड़ गई थी ;

(ख) क्या सरकार को सन्देह है कि इसमें किसी राष्ट्र विरोधी तत्व का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 25-7-1970 को लगभग 9.50 बजे जब डाउन अतिरिक्त झाझा क्रैंक मालगाड़ी सिमुलतला स्टेशन के डाउन लूप लाइन में प्रवेश कर रही थी, नैफ्था लदे एक टंकी माल डिब्बे में आग लग गई जो दूसरे टंकी माल डिब्बे तक फैल गई । इस दुर्घटना के फलस्वरूप गाड़ियों का आवागमन 4 घण्टे 7 मिनट तक स्थगित रहा ।

(ख) और (ग). अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे इस दुर्घटना के पीछे तोड़-फोड़ का संदेह हो, लेकिन अन्तिम निष्कर्ष केवल जांच-पड़ताल पूरी होने पर ही निकाला जा सकता है । जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

Up-to-date List of Voters

*3780. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission has got completed the work of deleting the names of dead persons from the electrol rolls and including the names of new adult voters into the said rolls ; and

(b) if so, the total number of voters likely to exercise their franchise in the next General Elections, Statewise ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes, Sir. The electoral rolls throughout the country were revised by conducting house to house verification during the period November-January last, with reference to 1.1.1970 at the qualifying date and the revised electoral rolls were finally published in all the States and Union Territories on 15.1.1970.

(b) A statement showing the number of electors, Statewise, as on 1st January, 1970, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4046/70]. The number of voters who are likely to exercise their franchise in the next General Elections will be known only after the electoral rolls are revised again in 1971 so as to include all eligible persons who will attain the age of 21 years on 1.1.1971.

पारादीप (उड़ीसा) में टायर और ट्यूब का कारखाना

3781. **श्री रवि राय** :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम का

आवेदन पत्र, जो उड़ीसा के पारादीप में टायर और ट्यूब का कारखाना स्थापित करने के बारे में है ; भारत सरकार के पास भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

Scheme for Manufacture of Methoksiclore by a Kanpur Firm

3782. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10283 on the 19th May, 1970 regarding schemes for the manufacture of Methocksiclore by a Kanpur firm and state :

(a) whether it is a fact that the quantity of alcohol sanctioned by the Director of M/s. Chemicals Products of India for the Mathoksiclore scheme far exceeded that recommended by the Junior Field Officer (chemicals) at the time of the technical scrutiny of the scheme ;

(b) whether it is also a fact that all the formalities such as conducting thorough scrutiny of the scheme and according sanction therefor were completed just on the same day (8th July, 1969) on which the said scheme was received by the Director ; and

(c) the details of the findings of the enquiry conducting into this matter, the names of the persons found guilty and the action taken in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir. The Director, Small Industries Service Institute is not empowered to sanction raw materials to Small Scale Industries. What he did was to examine the technical feasibility of the scheme and its viability.

(b) Yes, Sir.

(c) The result of the enquiry has not yet been finalised.

Fixation of Seniority of Clerks of Cash and Pay Office, South Central and Southern Railways

3783. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision was taken by the Railway Board vide their letter of 16th September, 1964 to the effect that the seniority of all the Clerks of Cash and Pay Office of the South Central Railway would be fixed on the basis of the dates of their appointments ;

(b) whether it is also a fact that nearly four years thereafter, the General Managers of the South Central Railway and of the Southern Railway were again asked by the Railway Board vide their letter of 22nd February, 1969 to implement the said decision ; and

(c) whether the decision has since been implemented and, if not, the reasons for this inordinate delay and the time by which it is likely to be implemented ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) These orders were issued in Board's letter dated 16 12.1964 (and not 16.9.64) addressed to the Southern Railway. The South Central Railway had not been formed at that time.

(b) Yes. Necessary clarifications were also issued in Board's letter dated 22.2.1969.

(c) The implementation of the said orders was held up as the applicability of these orders to the staff of certain regions of the Railway was in doubt. However, the Southern Railway have been instructed to implement the orders.

पूर्वोत्तर सीमान्त तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में हड़ताल

3784. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्रीमती सुचेता कृपलानी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोतर सीमान्त तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में हड़ताल है ; यदि हां, तो कितने तथा किन श्रेणियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं तथा कब से हैं ;

(ख) इस हड़ताल के कारण रेलवे को प्रतिदिन कितनी अनुमानित हानि हो रही है ; और

(ग) क्या अन्य रेलवे के उनके समकक्ष कर्मचारियों में यह हड़ताल फैलने से रोकने के लिए कार्यवाही की गई है ।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). हाल में इन रेलों पर हड़तालें हुई थीं । यह सूचना इकट्ठी की जा रही है कि कितने और किस-किस कोटि के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया और इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई ; यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सवाल नही उठता क्योंकि दोनों रेलों पर हड़ताल समाप्त हो चुकी है ।

विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा प्राप्त और उसके द्वारा निबटाये गये आवेदन-पत्र

3785. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी निवेश बोर्ड को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) दिसम्बर, 1968 में विदेशी निवेश बोर्ड के गठन के बाद 597 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) इसमें से 403 आवेदन पत्रों पर विदेशी निवेश बोर्ड अथवा इसकी उप समितियों द्वारा विचार करने के बाद निर्णय ले लिया गया है ।

Reimbursement of Tuition Fee to Railway Employees under Divisional Superintendent, Allahabad

3786. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8577 on the 5th may, 1970 regarding the reimbursement of tuition fees to the Railway employees of offices under the Divisional Superintendent, Allahabad and state :

(a) whether the tution fee of the children of 23 employees concerned for the period from July, 1967 to 1st September, 1967 has since been reimbursed ; and

(b) if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be reimbursed ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Non-Payment of Arrears to Employees of Divisional Superintendent's Office, Allahabad

3787. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8576 on the 5th May, 1970 regarding the non-payment of arrears to employees of the Office of the Divisional Superintendent, Allahabad (Northern Railway) and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the Divisional Superintendent, Allahabad ; and

(b) if not, the time by which it would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). There is no such employee in the Office of the Divisional Superintendent, Allahabad. An Assistant Goods Clerk, however, had claimed arrears for the period from 1.1.47 to 23.3.47 which is the period referred to in Unstarred Question No. 8576. It was found that arrears were not due in his case.

भारतीय रेलवे में कार्मिक संघ को मान्यता देने का मापदण्ड

3788. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में कार्मिक संघ को मान्यता देने का मापदण्ड क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : भारत की किसी भी रेलवे की ट्रेड यूनियन को मान्यता, महाप्रबन्धक द्वारा, विशेष रूप से ऐसी मान्यता की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रख कर, दी जाती है । इसके अलावा उसे निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना होता है :—

(i) यूनियन, रेल कर्मचारियों के किसी विशिष्ट वर्ग की होनी चाहिये, किसी जाति, वर्ण अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के आधार पर या ऐसी जाति वर्ण अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के किसी समूह के आधार पर गठित न होनी चाहिए ।

(ii) उस श्रेणी के सभी रेल कर्मचारी उसकी सदस्यता के पात्र हों

(iii) भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक है ;

(iv) इसकी सदस्यता सम्बन्धित रेलवे के कुल अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या के 15 प्रतिशत से कम न हों ;

(v) यह सैक्शनल नहीं होनी चाहिए, एक वर्ग अथवा कार्मिकों के किसी सीमित वर्ग द्वारा गठित यूनियनों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए ; और

(vi) रेल प्रशासन की राय में, यूनियन के तोड़-फोड़ की गतिविधियों में भाग लेने की संभावना न हो ।

Introduction of Special Train between Delhi and Moradabad

3790. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no train from Delhi to Moradabad between 10.45 A.M. and 05.10 P.M. on the Delhi-Moradabad Section ;

(b) whether any suggestions have been received by him from daily passengers in this regard ; and

(c) if so, his reaction in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Introduction of a mid-day service from Delhi to Moradabad has not been found justified having regard to adequacy of the available train services for the present level of traffic in this section.

Terminal Facilities at Hapur

3791. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any provision has been made in the Railway Budget for making terminal facilities available at Hapur Junction ;

(b) if so, the time by which such facilities would be provided there ;

(c) whether Government have under consideration any proposal to run a shuttle daily from Hapur to Delhi after providing the said facilities there ; and

(d) if so, the time by which the said Shuttle is likely to be introduced ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) By the end of 1971 approximately.

(c) Yes, Sir.

(d) As and when the terminal facilities at Hapur become available.

स्टेनलेस स्टील की चादरों और बर्तनों के मूल्यों में गिरावट

3792. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जुलाई के महीने में स्टेनलेस स्टील की चादरों के मूल्यों में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी कमी हुई है ;

(ग) क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मूल्यों में कोई कमी आई है और यदि हां तो कितनी ; और

(घ) स्टेनलेस स्टील की चादरों के मूल्यों में कमी होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क)और (ख). दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने ने, जो इस समय बेदाग इस्पात की चादरों का एक मात्र उत्पादक है मूल्य कम नहीं किये हैं । खुले बाजार में भी मूल्य एक से नहीं हैं यद्यपि मद्रास में चादरों के मूल्य में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है ।

(ग) बर्तनों के मूल्य में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

ओल्वाकोड डिविजन (दक्षिण रेलवे) के भारतीय रेलवे के गार्डों द्वारा ज्ञापन

3793. **श्री पी० पी० एस्थोस :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओल्वाकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के भारतीय रेलवे के गार्डों द्वारा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मांगे निहित हैं ;

(ग) क्या सरकार उन मांगों पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता देना

3794. **श्री मयावन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के औद्योगिक वित्त निगम की पिछड़े राज्यों में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस बारे में प्रस्तावित रियायतों की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). इस योजना की विशेषताओं और पिछड़े राज्यों में छोटे व मझौले औद्योगिक उपक्रमों की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता देने की शर्तों की भी रूपरेखा भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हाल ही में निकाली गई प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। इस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4047/70]

कम्पनी के निदेशकों द्वारा बोर्डों की बैठकों में शामिल होने के लिए परिलब्धियां तथा अन्य लाभ देना

3795. **श्री मयाबन** : क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी ला बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कम्पनियों के निदेशक उन बोर्डों की जिन के वे सदस्य हैं ; बैठकों में भाग लेने के लिए अब शुल्क लेने के अधिकारी नहीं होंगे ;

(ख) क्या कम्पनी ला बोर्ड ने यह भी निर्णय किया है कि निदेशकों के मनोरंजन तथा अन्य कार्यों पर हुए व्यय का धन उन्हें वापिस न लौटाया जाए ;

(ग) क्या कम्पनी ला बोर्ड ने कम्पनी निदेशकों की परिलब्धियों तथा लाभ की अब परिभाषा दी है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या निदेशकों नें कम्पनी विधि बोर्डों की कार्यवाही का विरोध किया है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड ने ऐसा नियम सामान्यत: नहीं बनाया है कि सभी निदेशक बैठक शुल्क के हकदार नहीं होंगे, परन्तु यह निर्णय किया है, कि कार्यकारी निदेशकों, जैसे प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक/अंश-कालिक वैतनिक निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति आदि की शर्तों का अनुमोदन करते समय, अनुमोदन के पत्र पर साधारणत: यह शर्त आरोपित कर देंगे कि उन्हें निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की उपस्थिति, अपनी सेवाओं के लिये, पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले निदेशकों के लिये, उनके कार्य का अंश है ; तथापि वह कार्यकारी निदेशक, जिनकी नियुक्ति अथवा पारिश्रमिक की शर्तें भूतकाल में अनुमोदित हो चुकी हैं, उस समय तक अपना बैठक शुल्क प्राप्त करते रहेंगे, जब तक कि उनका मामला, पुनर्नियुक्ति के लिए अथवा पारिश्रमिक की शर्तों में परिवर्तन के लिए, जैसा भी विषय हो, नहीं आता है।

(ख) नहीं, श्रीमान्। निदेशकों द्वारा वास्तविक एवं समुचित रूप से कम्पनी के व्यापार के लिये, किये गए मनोरंजन तथा अन्य खर्चे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के उद्देश्य के लिये, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के रूप में नहीं समझे जाते हैं।

(ग) और (घ). कम्पनी विधि बोर्ड ने हाल ही में, परिलब्धियों पर प्रशासनिक अधिकतम सीमा की संगणना के विषय में एक स्पष्टीकरण युक्त परिचालन पत्र प्रेषित कर दिया है। परिचालन-पत्र की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4048/70]

(ङ) कुछ थोड़े से विषयों के सिवाय, जहां कम्पनियों ने बैठक शुल्क के लिये बल दिया है इस विषय में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा संधारित सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई गम्भीर विरोध नहीं हुआ है।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये रेलवे द्वारा उपाय

3796. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 27 जून, 1970 को त्रिदिवसीय मासिक आपरेशन बरौनी में टिकट रहित यात्रा के लिए 8000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े पैमाने पर टिकट रहित यात्रा करने तथा उसके परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व में घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार टिकट रहित यात्रा को रोकने के लिए दीर्घ अवधि के तथा अल्प अवधि के कुछ प्रभावकारी उपाय करने का है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) टिकट रहित यात्रा को रोकने के उपाय निकालने के लिए क्या विशेषज्ञों की कोई समिति नियुक्त की गई है अथवा की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) उक्त जांच में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 1,565 थी। इसके अलावा बुक किए गए समान के 221 और बिना जुर्माने वाले 6,495 मामले, जिनमें अनियमित यात्रा संनिहित नहीं थी, भी इस जांच में निपटाये गए।

(ख) बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए कारगर उपाय पहले से किये जा रहे हैं। अनियमित यात्रा के लिए जुर्माना बढ़ाने के अलावा, बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए निम्न-लिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) टिकट जांचने के परम्परागत तरीकों के अलावा बड़े पैमाने पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था की जाती है जिसमें बड़ी संख्या में टिकट जाँचने वाले कर्मचारी और उनकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और रेलवे मजिस्ट्रेट भी उनके साथ भेजे जाते हैं जो मौके पर मामलों की सुनवाई करते हैं।

(ii) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान में विद्यार्थियों, गांव के बड़े बूढ़ों और समाज सेवी संगठनों की सहायता ली जाती है ।

(iii) सार्वजनिक प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

कागज उत्पादन की क्षमता में विस्तार करने के लिये प्रस्ताव

3798. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज निर्माताओं से देश से कागज की कमी को दूर करने के लिये अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के हेतु प्रस्ताव देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार अलग-अलग कुल कितनी अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देने का विचार है ; और

(ग) इस दिशा में कागज निर्माताओं को क्या विशिष्ट प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं तथा कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि खर्च की जानी है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). "क्रैश प्रोग्राम" के अधीन अतिरिक्त उत्पादन और कागज उद्योग को दी जाने वाली सुविधायें, यदि कोई हुई तो, इस प्रयोजन के लिये गठित की गई विशेष समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा सरकार द्वारा उस पर विचार कर लिए जाने के बाद उसके ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

इस्पात उद्योग में कच्चे माल की कमी

3799. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की भारी कमी के कारण देश में विद्युत सम्बन्धी इस्पात के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में कमी उत्पन्न हुई है तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 तक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का उत्पादन देश में इतना होता रहा

जिससे इलेक्ट्रिक स्टील का उत्पादन करने वाले उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकतायें पूरी होती रहीं। तथापि, जबसे यह उद्योग मंदी के काल से उभरने लगा तब से इलेक्ट्रिक स्टील का उत्पादन करने वाले उद्योग में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप इस उद्योग में इन इलेक्ट्रोडों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए इनकी कमी बराबर बढ़ती जा रही है। दुर्गापुर में स्थित संयंत्र की तालाबंदी से स्थिति और भी बिगड़ गई थी क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक स्टील उत्पादकों को ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों की सप्लाई रुक गई।

सरकार ने इस स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों के वर्तमान उत्पादकों को अपनी अधिकाधिक उत्पादन क्षमता के आधार पर अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के अलावा उन्हें वर्ष 1972 तक की प्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थापना हेतु अपने कारखानों का पर्याप्त विस्तार करने की भी मंजूरी दी गई है। अन्य उद्यमियों को भी देश में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों की उत्पादन-क्षमता स्थापित करने के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अन्तरिम काल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों के उत्पादन की कमी को दूर करने के लिये चालू वर्ष से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों के आयात के लिये भी अनुमति दी गई है।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्राथमिक स्कूल खोलना तथा चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुधार

3800. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की जोनल समिति की गत बैठक में उन्होंने यह कहा था कि रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के बच्चों के लिये सरकार एक प्राथमिक स्कूल खोलने वाली थी ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन को सुधारने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दो वचनों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 8-5-1970 को उत्तर रेलवे की अनौपचारिक परामर्श समिति की जो बैठक हुई थी, उसके रिकार्ड में ऐसी कोई घोषणा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). चण्डीगढ़ में स्टेशन की इमारत बनाने का काम रेलों के 1970-71 के चल स्टाक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसमें टिकट घर, पुरुष और महिलाओं के लिए साफ सुथरे शौचालयों सहित ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय, तीसरे दर्जे का बड़ा प्रतीक्षालय, चाय की दुकान, साफ-सुथरी टट्टियां और स्नान-घरों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था है।

बेबी स्कूटर कारखाना

3801. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन वर्ष 1970-71 में देश में एक बेबी स्कूटर कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना भारतीय तकनीकी जानकारी से स्थापित किया जाएगा अथवा किस विदेशी सहयोग से स्थापित किया जाएगा ;

(ग) प्रस्ताव का तथा इस कारखाने की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) यह कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जाएगा ; और

(ङ) इस कारखाने पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ङ). यह स्पष्ट नहीं है "बेबी" स्कूटर से क्या तात्पर्य है। सरकार ने परीक्षित विदेशी डिजाइन के स्कूटर के नमूने के आधार पर प्रति वर्ष 100,000 स्कूटर बनाने की क्षमता वाला सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है। परियोजना की लागत आदि के बारे में अभी ब्यौरा तैयार किया जाना है। अभी तक कारखाने के लिये स्थान का चुनाव भी नहीं किया गया है।

सीमेंट के मूल्यों में कमी

3802. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रण हटाने के बाद से, जो कि इस आश्वासन तथा वचन के आधार पर हटाया गया था कि नियंत्रण हटाने के पश्चात् मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी ; मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह निश्चित करने का है कि सीमेंट के मूल्यों को अनियंत्रण-पूर्व की स्थिति तक कम कर दिया जाये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) 1.1.68 से सीमेंट के मूल्यों तथा वितरण पर लगाये गए नियंत्रण को अभी हटाया नहीं गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट उद्योगों के कार्य-परिणाम

3803. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सीमेंट उद्योगों में उत्पादन के आरम्भ होने के समय कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी और तब से उन उद्योगों से कुल कितना लाभ, लाभांश आदि प्राप्त हुआ है और इस समय उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) सीमेंट के विनियंत्रण के समय से अब तक उपभोक्ताओं ने एजेन्टी, व्यापारी अथवा सीमेंट उद्योगों में कुल कितना धन जमा कराया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) दिनांक 31-12-69 के संस्करण में "दि फाइनैन्शियल एक्सप्रेस" द्वारा किए गये अध्ययन से पता चलता है कि सीमेंट उद्योग में 1968 की अवधि में किया गया कुल विनियोजन 201.34 करोड़ रु० रहा। इस वर्ष में हुए लाभ और दिये गए लाभांशों की राशि क्रमशः 9.95 करोड़ तथा 5.40 करोड़ रुपये रही।

उत्पादन प्रारम्भ होने के समय की कुल विनियोजित पंजी के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण उठाया नहीं गया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्वाचन याचिका सम्बन्धी निर्णय में पुलिस प्रशासन की आलोचना

3804. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मध्य प्रदेश के नीमच तथा गरोठ के विधान सभा के क्रमशः निर्वाचन-क्षेत्र संख्या 295 तथा 291 सम्बन्धी निर्वाचन याचिका (1957 में प्रस्तुत की गई तथा 1968 और 1969 में निपटाई गई) पर फैसले में पुलिस द्वारा न्यायालय में वे साक्ष्य, जो उनके पास थे, प्रस्तुत न किये जाने के बारे में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों तथा आलोचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां। प्रश्न गत निर्वाचन-अर्जियां 1967 में दाखिल की गई थीं और उन पर निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 25 नवम्बर, 1968 और 16 दिसम्बर, 1968 को दिये गए थे।

(ख) आयोग ने, उपर्युक्त मामलों में से प्रत्येक पर निर्णय की एक प्रति मध्य प्रदेश

सरकार को भेजी है । जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 106 द्वारा अपेक्षित है । इस मामले में कार्रवाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं की जा सकती है । समुचित कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है ।

New Companies in Madhya Pradesh

3805. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of new companies established in Madhya Pradesh during the year 1969-70 ;

(b) the number of companies functioning in Madhya Pradesh at present ;

(c) the number of companies declared insolvent in Madhya Pradesh during the last three years ; and

(d) the total amount of capital invested by all the above companies ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) During the year 1969-70, sixteen companies, limited by shares, were registered under the Companies Act in Madhya Pradesh.

(b) Three hundred and ninety-four companies limited by shares and registered under the Companies Act, were at work in the state of Madhya Pradesh as on 31st March, 1970.

(c) Twelve companies were reported during the last three years viz., 1967-68, 1968-69 and 1969-70 to have ceased functioning in the State.

(d) The total assets of companies at work as on 31st March, 1969 in the State of Madhya Pradesh are estimated at Rs. 273.6 crores.

The Authorised Capital of the companies registered in 1969-70 amounted to Rs. 1.18 crores.

The Paid-up Capital of companies which ceased to function during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 amounted to Rs. 13.15 lakhs.

औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की लागत का सर्वेक्षण

3806. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागत की जांच करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य सम्बन्धी ब्यूरो ने सर्वेक्षण में किन-किन वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) ब्यूरो इतनी जल्दी कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता ।

विवरण

औद्योगिक लागत और मूल्य सम्बन्धी ब्यूरो ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्यों व लागतों को अध्ययन के लिए लिया है :—

1. साइट्रिक एसिड
2. जिलेटीन कैपसूल
3. ड्राई बैटरी सेल
4. रेजर ब्लेड
5. फार्मलडिहाइड
6. मेथानोल
7. सोडियम हाइड्रो सल्फाइट

2. इसके अलावा ब्यूरो का सभापति अल्यूमिनियम के मूल्य व लागत का अध्ययन करने के लिये तदर्थ दल के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था दल का कार्य लगभग समाप्ति पर है।

मुगल सराय में गैंगमैनों तथा रेलवे सुरक्षा दल में मुठभेड़

3807. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा दल तथा गैंगमैनों में मुठभेड़ होने के बाद मुगलसराय में 28 जुलाई, 1970 को रेल यातायात तीन घण्टे के लिए रुक गया था ;

(ख) यदि हां, तो विवाद का क्या कारण था ; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) इस घटना का कारण यह था कि मुगलसराय स्टेशन के डाउन निन्यास यार्ड में खड़े एक माल डिब्बे से साबुन की पेटियां चुराये जाने के अभियोग में दो गैंगमैनों को ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक ने पकड़ लिया था।

(ग) मुगलसराय की रेलवे पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं। रेलवे सुरक्षा दल द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर, एक गैंगमैन द्वारा की गयी सूचना के आधार पर दूसरा, इन मामलों की छान-बीन की जा रही है।

20 बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियों में वृद्धि

3808. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग के अनुसंधान तथा सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा किए गए

सर्वेक्षण के अनुसार 1964 और 1968 के बीच 20 बड़े उद्योग समूहों की परिसम्पत्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) गत छः महीनों में इन बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एकाधिकार आयोग से इस मामले की जांच करवाने का है कि इन बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस क्यों दिये गये ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1963-64 में, 20 वृहदतर औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियां 1779.8 करोड़ रुपयों की राशि की थी। दत्तसमिति द्वारा निर्धारित औद्योगिक गृहों की संरचना के आधार पर, विभाग के अन्वेष्ण एवं सांख्यिकीय प्रभाग में किये गये अध्ययन से प्रदर्शित होता हैं कि इन गृहों की परिसम्पतियां, 1967-68 में, 54.6 प्रतिशत बढ़कर 2752.1 करोड़ रु० की हो गई।

(ख) और (ग). औद्योगिक विकास की दर संधारित करने तथा उसको गति वृद्धि करने की दृष्टि से, संबन्धित समय में, अपनाई गई नीति के अनुसरण में, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, के अन्तर्गत, औद्योगिक लाइसेंसों के लिये, प्रार्थनापत्र दिये गए थे। चूंकि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1 जून, 1970 से लागू हुआ, अतः इस तिथि से पहले आयोग को निर्देश सहित, किसी प्रार्थना-पत्र पर, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, विचार नहीं किया जा सका। जहाँ एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के लागू होने के पहले, अत्यधिक विस्तार नहीं किया गया हो अथवा नवीन उपक्रमों की स्थापना नहीं की गई हो, वहां इन विषयों में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का पहला अनुमोदन यह देखते हुए प्राप्त करना होगा, कि क्या इस उद्देश्य के लिये, 1 जून, 1970 से पहले लाइसेंस/अभिप्राय पत्र प्रेषित किया गया था। इन विषयों पर विचार करते समय, इस विषय को भी ध्यान में रखना होगा कि, 1 जून, 1970 से पहले के अभिप्राय-पत्र/लाइसेंस पर प्रभावी पग उठाये गये थे अथवा नहीं। किसी भी संभव संदेह को दूर करने की दृष्टि से, जो किसी भी उपक्रमों के मस्तिष्क में हो सकता हो, औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय ने, दिनांक 6 अगस्त, 1970 के एक परिचालन ज्ञापन में, भविष्य में प्रेषित होने वाले सभी अभिप्राय पत्र/लाइसेंसों में एक स्तरीय शर्त लगाते हुए तथा यह कहते हुये, प्रशासनिक मन्त्रालयों से प्रार्थना की कि, अभिप्राय पत्र/लाइसेंस, किसी भी प्रकार से, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अन्तर्गत प्राधिकरण गठन न करे तथा कि जहां लागू हो, वहां अभिप्राय पत्र अथवा लाइसेंस को लागू करने के प्रभावी पग उठाने से पहले, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त कर ले। 1 जून 1970 को, अथवा इसके पश्चात प्रेषित किये गये अभिप्राय पत्र/लाइसेंसों के लिये, प्रशासनिक मंत्रालयों को, उपरोक्त शर्त लगाते हुए, सम्बन्धित व्यक्तियों या उपक्रमों को, अनुपूरक पत्र भेजने का परामर्श दिया गया है।

Harassment to the Agent of Sarvodaya Sahitya Bhandar at Delhi Main Railway Station

3809. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether he has received any complaint from any source regarding harassment to the agent of the Sarvodaya Sahitya Bhandar at Delhi Main Railway Station ; and

(b) if so, the action taken against the persons who harassed the said agent ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The matter is under investigation.

सिगरेट उद्योग की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी

3810. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार देश के सिगरेट उद्योग की कुल अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी है तथा विदेशी और स्वदेशी पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुवीर रेड्डी) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Percentage of Leave Reserve in the Posts of Station Masters, Asstt. Station Masters and Cabin Asstt. Station Masters in Allahabad Division

3811. **Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that keeping in view the safety of trains, the Railway Board had communicated its decision in its circular dated the 25th November, 1968, that the percentage of 'leave reserve' in the posts of Station Masters, Assistant Station Masters and Cabin Assistant Station Masters should at least be fixed as 16.2/3 ;

(b) whether it is also a fact that the said decision has not so far been implemented in the Allahabad Division ; and

(c) if so, the reasons for such an inordinate delay and the time by which the said decision is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Survey for Branch Line from Hajipur Station (N. E. Rly.)

3812. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the reasons for which even a survey for opening a branch line from Hajipur Railway Station of the North-Eastern Railway via Lalganj, Sahibganj, Kessaria and Govindganj is not being conducted ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : Due to lack of prima facie traffic and financial justification and the present difficult financial position, the proposal for the construction of the suggested branch line is not being considered at present. Hence no surveys for this line are proposed to be carried out at present.

Commissioning of Direct Rail Link between Gorakhpur and Narkatiaganj

3813 : **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in commissioning the direct Rail link between Gorakhpur and Narkatiaganj after reconstruction of the damaged bridge over Narayani river near Bagaha beyond Narkatiaganj Junction on the North Eastern Railway ;

(b) whether Government propose to take some steps in this regard in the near future ;

(c) if so, by what time ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). The proposal involves restoration of the old bridge across the river Gandak between Bagaha and Chitaunighat which was washed away in 1924 when the river was in spate. Even now the river in these reaches has an unstable regime and changes its course quite often. It is felt that with the existing conditions it may not be a feasible proposition to bridge the river near the old site, to connect Gorakhpur and Narkatiaganj, via the old Chitaunighat station. The proposal can be considered after the river in these reaches establishes a stable regime and also if it is justified on traffic and financial considerations.

दिल्ली और मद्रास तथा दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां चलाना

3814. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-मद्रास तथा दिल्ली बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस जैसी अधिक रेलगाड़ियां चलाये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच प्रति घंटा 120 कि० मी० की अधिकतम अनुमेय रफ्तार पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है जिसके लिये जांच पड़ताल और परीक्षण का काम जारी है। अभी तक दिल्ली और मद्रास के बीच इस तरह की गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में लोहे के स्लीपरों तथा लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंकरीट के स्लीपरों का प्रयोग

3815. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज चलने वाली रेलगाड़ियों के हित में लोहे के स्लीपरों या लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंकरीट के स्लीपर लगाने के ठोस कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यातायात के बढ़ते हुये घनत्व और तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय रेलों द्वारा बड़ी लाइन के महत्वपूर्ण मार्गों पर क्रमशः कंकरीट के स्लीपर लगाने के लिये कार्रवाई की जा रही है। ये स्लीपर तकनीकी उपयुक्ता और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रिंटिंग मशीन का निर्माण

3816. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स रोटरी प्रिंटिंग मशीन के किसी विदेशी निर्माता के साथ सहयोग करार करने की मांग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या श्री गुरदयाल हांडा ने, जिसने भारत में सर्वप्रथम रोटरी प्रेस बनाया है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को अपनी तकनीकी जानकारी तथा अन्य सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का आगामी चार-पांच वर्षों में रोटरी प्रिंटिंग मशीनों के उत्पादन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा रोटरी के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करने की रुचि दिखाने के बावजूद वे इस समय इस प्रयोजन के लिए विदेशी सहयोग प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ). श्री गुरदयाल हांडा ने अपने द्वारा विकसित रोटरी मशीनों के निर्माण की तकनीकी जानकारी प्रदान करने की पेशकश की है क्योंकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की आगामी कुछ वर्षों में रोटरी के निर्माण की कोई योजना नहीं है अतः विकास आयुक्त, लघु उद्योग को परामर्श दिया गया है कि वह श्री हांडा द्वारा विकसित रोटरी मशीनों के उनके द्वारा या किसी अन्य आयुक्त अभिकरण द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक सहायता की जांच करें ।

पश्चिम रेलवे में फालतु सहायक निर्माण परीक्षकों की वरिष्ठता सूची

3817. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मन्त्री पश्चिम रेलवे में सहायक निर्माण परीक्षकों की सेवायें समाप्त किये जाने के बारे में 20 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न 4020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के कुछ वरिष्ठ सहायक निर्माण परीक्षकों की सेवायें छंटनी के समय उन्हें वैकल्पिक नौकरी दिये बिना ही समाप्त करने के क्या कारण हैं जिससे कि उनकी सेवाओं में व्यवधान हो गया था ;

(ख) उसके क्या कारण हैं और छंटनी के समय उनको वैकल्पिक नौकरी देने का प्रस्ताव क्यों नहीं किया गया था ; और

(ग) पश्चिम रेलवे के फालतू सहायक निर्माण परीक्षकों की वरिष्ठता सूची पर जिसमें

नियुक्ति की तिथि, छंटनी की तिथि, वैकल्पिक नियुक्ति की पेशकश की तिथि और यदि कोई छटनी प्रतिकर दिया गया हो तो उसके भुगतान की तिथि का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Recruitment of Works Mistries in Engineering Department by Railway Administration Instead of by Railway Service Commission

3818. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1350 on the 25th November, 1969 regarding the recruitment of Works Mistries in the Engineering Department by the Railway Administration instead of by the Railway Service Commission and state :

(a) whether the requisite information has since been collected by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay and the time by which the requisite information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The required information is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4049/70].

(c) Does not arise.

Stoppage of Utkal Express at Morena (Madhya Pradesh)

3819. **Shri Atam Das :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to make arrangements for the stoppage of the Utkal Express at Morena Station in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is a fact that people of this area have been facing a lot of difficulties in the absence of stoppage of this train in both directions ; and

(c) whether Government have also received some complaints in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). No. 77/78 Puri-New Delhi bi-weekly Utkal Express train has already been provided stoppage at Morena station with effect from 1st April, 1970.

Overbridge at Morena Railway Station

3820. **Shri Atam Dass :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the people of District Morena in Madhya Pradesh and various political parties have been making a demand for the construction of an over-bridge at Morena Railway Station for the last several years ;

(b) if so, the steps taken so far by Government in this direction ; and

(c) if no steps have so far been taken, the reasons therefor and the time by which the said over-bridge is likely to be constructed ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). In 1965-66 a proposal to construct a road over-bridge in replacement of the existing level crossing No. 450 near Morena Railway Station was mooted by the Railway, but the State Government desired that the level crossing should be retained and a new road over-bridge should be built at a suitable place. Accordingly an estimate was sent to the State Government for their accep-

tance for the road over-bridge, treating it as a 'Deposit Work', but the State Government in July, 1968, advised that the proposal may be dropped for the present. There has been no further development in the matter since then.

Closure of Small Scale Industries in Bihar

3821. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2382 small scale industries have been closed down in Bihar ;

(b) if so, the number of persons employed as also the amount of capital invested in those industries and the reasons for their closure ;

(c) whether the Government of Bihar have formulated any plan to restart those industries and, if so, the details thereof ;

(d) whether the Government of Bihar have also asked for any type of assistance in this regard and, if so, the details thereof ; and

(e) the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

एपेन्डिक्स IIए परीक्षा का जोनल रेलवे के एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० द्वारा लिया जाना

3822. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले भारतीय रेलों के खाता विभाग के एपेन्डिक्स दो-ए० की परीक्षा रेलवे बोर्ड द्वारा ली जाती थी और रेलवे ज़ोनों के एफ० ए० और सी० ओ० नहीं लिया करते थे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षा को रेलवे जोनों के स्तर पर विकेन्द्रित करने के क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं। शुरू में कई वर्षों तक परिशिष्ट II-ए की परीक्षा सम्बन्धित रेलवे के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा ली जाती रही। लेकिन 1955 से 1965 तक की अवधि में कुछ प्रशासनिक कार्य, अर्थात् परीक्षा आयोजित करने के लिए तारीखें निश्चित करने और सभी रेलों/उत्पादन यूनिटों में उसका परिणाम एक साथ घोषित करने और साथ ही प्रश्न-पत्र बनाने और उनके वितरण का काम रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया। ऐसा सभी रेलों/उत्पादन यूनिटों में एक-समान मानक रखने के उद्देश्य से किया गया था। 1966 में इस प्रश्न पर फिर विचार किया गया और चूंकि तब तक प्रत्येक विषय पर प्रश्न-पत्रों की शृंखला से एक स्वरूप निश्चित हो गया था, जिसके अनुसार रेलें/यूनिट एक-सा मानक रख सकती थी, इसलिये उपर्युक्त अन्तरिम अवधि में रेलवे बोर्ड ने प्रशासनिक सम्बन्धी जो कुछ काम अपने हाथ में ले लिया था, उसे वापस रेलों को सौंप दिया गया।

पूर्व रेलवे के एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० द्वारा ली गई एपेंडिक्स IIए० का परीक्षाफल

3823. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे कलकत्ता के एफ० ए० तथा सी० ए० ओ० द्वारा ली गई एपेंडिक्स IIए० परीक्षा *1970 का परीक्षाफल एक बार 19 मई, 1970 को घोषित किया गया था तथा दूसरी बार 23 जून, 1970 को ;

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिक परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करने के लिये उत्तर की कापियों की फिर से जांच की गई थी ; और यदि हाँ, तो फिर से जांचने का क्या आधार था और क्या परीक्षार्थियों को कुछ अंक समान दर-पर दिये गये थे और यदि हां, तो प्रथम परीक्षाफल के साथ प्रशासन के उन परीक्षार्थियों के नाम न घोषित करने के क्या कारण हैं जिनके मामले विचाराधीन थे ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रथम परीक्षा-फल के साथ क्रास लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई थी यद्यपि परीक्षाफल के साथ अथवा परीक्षाफल के तुरन्त पश्चात क्रास लिस्ट भेजने का पूर्व उदाहरण है और जैसा कि दूसरे परीक्षाफल के समय किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) 19-5-1970 घोदित परीक्षाफल में 725 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया तथा 23-6-1970 को घोषित अनुपूरक परीक्षा-फल में 80 और उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया ।

(ग) जी हां । चूंकि यातायात लेखा कोचिंग के पर्चों का मूल्यांकन दूसरे विशेष पर्चों के मूल्यांकन की अपेक्षा काफी कड़ा पाया गया, इसलिए इन पर्चों की सामान्य समीक्षा की गयी ।

(घ) जी नहीं, सवाल नहीं उठता ।

(ङ) जी हां । जब 'क्रास लिस्ट' संकलित की जा रही थी तभी परीक्षाफल की समीक्षा करने का निश्चय किया गया था । अतः 'क्रास लिस्ट' सफल उम्मीदवारों की अनुपूरक सूची के साथ प्रकाशित की गयी ।

Arrest and Release of Striking Employees of South Eastern and Northeast Frontier Railways

3824. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some of the employees and members of their families were arrested when the employees of the South Eastern Railway and Northeast Frontier Railway went on strike in the month of July last ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the cases filed against the arrested persons have since been withdrawn and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में यात्री पथ प्रदशकों का चयन तथा पदोन्नति

3825. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या रेलवे मन्त्री दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) पर यात्री पथप्रदशकों की हैड टिकट कलक्टरों/सीनियर ग्रुप इन्स्पेक्टरों के रूप में पदोन्नति के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा दिल्ली डिवीजन में चयन सम्बन्धी लम्बित मामलों में आगे कार्यवाही करने के आदेशों को अभी तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) आदेशों को अविलम्ब लागू कराने और इस गलती के लिए उत्तर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर यात्री पथ प्रदर्शक

3826. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या रेलवे मन्त्री दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री पथ प्रदशकों के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन स्टेशन पर मुख्य पूछताछ तथा आरक्षण पर्यवेक्षक यात्री पथ प्रदशकों को कार्य सौंप कर उन्हें छुट्टी देकर, उनकी डायरियों की जांच पड़ताल आदि करके और बिना प्राधिकार के उन्हें हिदायतें देकर उनका पर्यवेक्षण कर रहा है जबकि यह कहा गया है कि यात्री पथप्रदशकों को मुख्य जाँच तथा आरक्षण पर्यवेक्षक कार्यालय में केवल उपस्थिति लगानी होती है ;

(ख) पथप्रदर्शकों के कार्य तथा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा को ध्यान में रखते हुए गत बीस वर्षों से दिल्ली स्टेशन पर वे सीधे स्टेशन मास्टर और स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट के नियंत्रणाधीन रहे थे जोकि उनके कार्य की देखभाल डायरियों आदि की जांच पड़ताल करते रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन

3827. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों से रूरकेला इस्पात कारखाने में लोहे कथा इस्पात का प्रति मास कितना उत्पादन हो रहा है ;

(ख) प्रति मास कितने प्रतिशत कमी हुई है ;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस्पात कारखाने के पूरी क्षमता से उत्पादन करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). अप्रैल से जुलाई, 1970 की अवधि में गर्म धातु और इस्पात पिण्ड का मासिक उत्पादन और प्रति मास के लिए आयोजित उत्पादन की तुलना में हुई कमी की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित है :—

मास	गर्म धातु		इस्पात पिण्ड	
अप्रैल, 1970	उत्पादन	प्रतिशत कमी	उत्पादन	प्रतिशत कमी
अप्रैल, 1970	90,795	(—) 28.3	84,447	(—) 30.1
मई, 1970	92,202	(—) 27.2	86,596	(—) 28.3
जून, 1970	72,627	(—) 42.7	59,555	(—) 50.7
जुलाई, 1970	86,735	(—) 31.7	80,253	(—) 33.6

(ग) कम उत्पादन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) पुनर्वेलन मिलों, फाउन्ड्री, बिजली घर और यातायात विभाग में श्रमिकों की अशांति । यातायात विभाग में 2-6-70 से 14-6-70 तक हड़ताल रही । और फाउन्ड्री में 9-6-70 से 24-6-70 तक हड़ताल रही । इसके अतिरिक्त 27-7-70 को 'उड़ीसा' बन्द था । धमन भट्टी सख्या 2, 30 मई, 1970 से 4 जून, 1970 तक बन्द रही और खुले मुंह की भट्टियों को 30 मई, 1970 से 17 जून, 1970 तक कोई काम नहीं था ।

(2) 17 मई, 1970 को स्ट्रिपर यार्ड की तीन क्रेनों में से एक का खराब हो जाना ।

(3) जुलाई, 1970 में दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा 4 दिन की आकस्मिक हड़ताल और ;

(4) जुलाई, 1970 के प्रथम सप्ताह में हिराकुड ग्रिड से प्राप्त विद्युत प्रदाय में भारी कटौती ।

(घ) तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने और औद्योगिक संबन्ध में सुधार लाने के के लिए कदम उठाये गये हैं। पिछली बात में श्रमिकों की न्याय संगत शिकायतों को दूर करने के लिए उनके साथ सतत वार्ता जारी रखना और प्रोत्साहन योजना लागू करना आदि शामिल है।

रबड़ टायरों की किस्म

3828. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि मोटर कारों के रबड़ के टायरों की किस्म में बहुत गिरावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो रबड़ के टायरों की किस्म को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) रबड़ के टायरों की किस्म को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार एक निरीक्षण विभाग स्थापित करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). विगत कुछ समय में रबड़ टायरों के विषय में कोई शिकायत नहीं मिली है।

इस्पात उद्योग में अनुसंधान तथा विकास कार्य

3829. **श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग में अनुसन्धान तथा विकास कार्य करने संबन्धी उपायों पर विचार करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों, अनुसन्धान संगठनों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधिकारियों की हाल में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ;

(ग) देश में इस्पात क्षमता को दुगुनी करने के बारे में किन उपायों का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) इन सुझावों की कितनी जांच की गई है तथा इन को क्रियान्वित करने के लिए कितना उचित पाया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि लोहा तथा इस्पात के अत्याधिक विकास के लिए वर्त्तमान विभिन्न अनुसंधान और विकास एककों तथा भविष्य में स्थापित किये

जाने वाले ऐसे एककों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करना परम आवश्यक है यह बोर्ड तकनीकी जानकारी के और अधिक विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जिससे चौथी और उससे बाद की योजनाधियों में लोहे और इस्पात का कार्यक्रम पूरा किया जा सके तथा उत्पादिता को बढ़ाने और नए इस्पात कारखानों के निर्माण सम्बन्धी खर्च तथा इस्पात कारखानों के परिचालन और साधारण खर्चों में कमी करने के लिए उपाय सुझायेगा। इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की गई कि इस बोर्ड में एक केन्द्रीय प्रलेखन और तकनीकी सूचना केन्द्र होना चाहिए जिसका काम तकनीकी जानकारी प्राप्त करना और उसका प्रसार करना होना चाहिए। इस बोर्ड की रुप-रेखा तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई गई है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन

*3830. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के मासिक उत्पादन में बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जुलाई, 1970 तक विभिन्न प्रकार के इन्जनों का प्रतिमास कितना-कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, उत्पादन योजना अनुसार हुआ है।

(ख) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जनवरी से जुलाई 1970 तक विभिन्न प्रकार के इन्जनों का मास-वार उत्पादन इस प्रकार है :

विवरण

	भाप के इन्जन	बिजली से चलने वाले इन्जन	डीजल के इन्जन	कुल जोड़
जनवरी '70	4	3	1	8
फरवरी '70	3	5	4	12
मार्च '70	4	10	5	19
अप्रैल '70	3	1	2	6
मई '70	3	4	3	10
जून '70	2	5	3	10
जुलाई '70	3	5	3	11

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक फर्मों को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने के बारे में आवेदन पत्र

3831. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री औद्योगिक फर्मों को कलकत्ता से अन्य राज्यों में ले जाने के बारे में 28 जुलाई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में फर्मों के नाम सहित उन 53 आवेदकों का विवरण क्या है जिन्होंने औद्योगिक फर्मों को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने के बारे में कहा है और इनमें से कितने आवेदन पत्रों का अनुमोदन किया गया है ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जो अपना प्रधान कार्यालय अथवा रजिस्टर्ड कार्यालय राज्य से बाहर फैक्टरी पारिसर में ले गये हैं ;

(ग) राज्य में नये पूंजी निवेश में कमी और 1969 में एक करोड़ जन-दिन हानि के कारण वित्तीय हानि के उत्पादन हानि होने के रूप में क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य में पूंजी निवेश की स्थिति में सुधार करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) प्राप्त हुए 53 आवेदनों में से 3 मामलों में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं था तथा आवेदकों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है तथा 5 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं। शेष 50 आवेदनों में से दो मामलों में "आशय पत्र" जारी किये गये हैं। इन सात आवेदनों का विवरण संलग्न है शेष आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 17 के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार मैं० इन्वेन्टर्स इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्रा० लि०, मैं० इण्डियन एलैक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चर्स एशोसियेशन और मैं० शाहू मिनरल्स प्रापरटीज लि० तीन कम्पनियों ने जनवरी से जुलाई 1970 की अवधि में अपने पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में स्थानान्तिरित कर लिए हैं। उक्त धारा के अधीन पंजीकृत कार्यालय के अलावा प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण करने के लिए स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता तथा इस विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). राज्य में उद्योग में चल रही सामान्य स्थिति कच्चे माल की कमी श्रमिक संघर्षक तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन कम होने तथा नये विनियोजन में अपेक्षाकृत शिथिलता के लिए जिम्मेदार हैं राज्य सरकार नये विनियोजन खासतौर पर लघु और औसत दर्जे के उद्योगों में विनियोजन को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है तथा इस दिशा में कई प्रकार की रियायतों की घोषणा की है। कानून और व्यवस्था की और भी राज्य सरकार तुरन्त ध्यान दे रही है। जहां तक उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस देने के प्रश्न का संबंध है राज्य में औद्योगिक प्रगति को तेज करने की आवश्यकता पर पूरा बल दिया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	राज्य जिसमें एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव था	उद्योग	निर्णय
1.	आर०सी० तिवारी, कलकत्ता-29	उत्तर प्रदेश	पौलीथीलीन, पोलीरोफीलीन फिल्म, आदि ।	आशय पत्र जारी किया गया
2.	शालीमार इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, कलकत्ता-13	राजस्थान	आटोमेटिक काटन-लूम शटल के लिये जाज ।	अस्वीकृत
3.	—वही—	राजस्थान	आटोमेटिक काटन शटल के लिए आहूज ।	—वही—
4.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, कलकत्ता-1	राजस्थान	टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स ।	—वही—
5.	मै० सीमेंस इंडिया लि०, बंबई-18	महाराष्ट्र	दांत के एक्स-रे के उपकरण ।	आयश पत्र जारी किया गया ।
6.	डी० के० चौधरी, सेक्रेटरी, कोल्स क्रैन आफ इंडिया लि० कलकत्ता-58	हरियाणा	ट्रक माउंटेड क्रैन ।	अस्वीकृत
7.	कृष्ण मोहन गोयल, कलकत्ता-1	गुजरात	सिगरेट	—वही—

रेलवे मंत्रालय के II-सूची कार्यक्रम के सम्बंध में संसद सदस्यों द्वारा टिप्पणी

3832. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कार्य को सुचारू रूप से चलाने सम्बन्धी II-सूची कार्यक्रम, जिसको उन्होंने नये प्रदाय के रूप में आरम्भ किया है पर टिप्पणी करने के लिए संसद सदस्यों से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). II-सूची कार्यक्रम की घोषणा संसद में की गयी थी । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए संसद सदस्यों का सहयोग मांगा गया है ।

संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है और यथासम्भव उनका लाभ उठाया जा रहा है।

गोल्डन टोबेको कम्पनी के मालिकों द्वारा विनियोजित धन राशि और उनकी आस्तियां

3833. **श्री सीताराम केसरी :** क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्डन टोबेको कम्पनी के मालिकों के नाम क्या है और उनके कितने-कितने शेयर हैं ;

(ख) आरम्भ में इन मालिकों ने कितनी राशि लगायी थी ; और

(ग) इस समय कम्पनी में इन मालिकों को आस्तियों का कुल मूल्य कितना है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी के हिस्सेधारियों के नाम तथा 30-6-1968 तक उनकी हिस्सेधारिता संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये है।

(ख) कम्पनी की 1957-58 के वर्ष में, जिसके लिए सबसे पहले का तुलन-पत्र उपलब्ध है, प्रदत्त पूंजी, 10 लाख रुपये थी।

(ग) कम्पनी की, 30-6-1968 के वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्र के अनुसार, परिसम्पतियों का मूल्य 12.04 करोड़ रुपये था।

विवरण

गोल्डन टोबेको कम्पनी प्रा० लि० 30-6-1968 तक हिस्सेधारियों की सूची

क्रम सं०	हिस्सेधारियों के नाम	धारित हिस्सों की संख्या			
		क वर्ग इक्विटी हिस्से, 100 रु०	ख वर्ग इक्विटी हिस्से 10 रु०	असंचयी भाग परिवर्तन अधिमान 100 रु०	ग्राही योग्य हिस्से
	1	2	3	4	
1.	श्री चतुर्भुज नरसी	3,069	7833	6421	
2.	श्री प्रताप नरसी	2,970	7333	6172	
3.	श्री धरमसी नरसी	3,420	5,834	6672	
4.	बाई जमना बाई नरसी	1,303	6,000	3,005	
5.	श्रीमती केसरन बैन चतुर्भुज	2,997	—	4995	
6.	श्रीमती अन्जलो बैन प्रताप	2,994	—	4990	
7.	श्रीमती कमला बैन धरमसी	47	—	3495	

1		2	3	4
8.	श्रीमती चतुर्भुज तथा श्रीमती केसर बैन चतुर्भुज	6350	2000	10,500
9.	श्री प्रताप नरसी तथा श्रीमती अंजली बैन प्रताप	11,500	5,000	19,500
10.	श्री धरमसी नरसी तथा श्रीमती कमला बैन धरमसी	5750	500	9,500
11.	श्रीमती चतुर्भुज नरसी श्री प्रताप नरसी तथा श्री धरमसी नरसी	8,350	17000	16,750
12.	श्रीमती मंजुला बैन प्रताप	700	2000	1500
13.	कुमारी आशा बैन चतुर्भुज	3050	1500	5000
14.	यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया	2000	—	1500
	योग	54,500	55,000	1,00,000

गोल्डन टोबेको कम्पनी द्वारा एक वितरण एजेन्सी की स्थापना

3834. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन टोबेको कम्पनी ने वित्तीय हेर फेर करने के लिए अपनी एक समकक्ष वितरण एजेन्सी स्थापित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्व की हानि का पता चलाने तथा कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गोल्डन तम्बाकू कम्पनी को अपने नियन्त्रण में लेना

3835. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन तम्बाकू कम्पनी के मालिकों द्वारा आरम्भ में किये गये पूंजी निवेश की तुलना में अनुमति से अधिक आस्तियों का संचय कर लिया है ;

(ख) इसे प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बने रहने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है ; जिससे कि केवल मालिकों को लाभ होता है ; और

(ग) क्या फर्म के विरूद्ध शिकायत को ध्यान में रखते हुए सरकार इस फर्म को अपने नियन्त्रण में ले लेगी ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अलीपुर द्वार (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के डिवीजनल कर्मशियल सुपरिंटेंडेंट और ए० एम० ओ० की गतिविधियों के विरुद्ध कर्मचारियों का प्रदर्शन

3856. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुर द्वार जंक्शन के ए० एम० ओ० और डिवीजनल कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट का माल डिब्बे तोड़कर माल निकालने वालों तथा समाज विरोधी तत्वों के साथ सम्बन्ध है और वे इन व्यक्तियों के द्वारा इस क्षेत्र में रेलवे के सामान्य प्रशासन में गड़बड़ कर रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त अधिकारियों की इन गतिविधियों के विरुद्ध रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि उक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

डिवीजन कर्मशियल सुपरिंटेंडेंट, अलीपुर द्वार (पूर्वोत्तर रेलवे) के निवास स्थान से समाज विरोधी व्यक्ति की गिरफ्तारी

3837. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1970 को एक समाज विरोधी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारण्ट आदेश निलम्बित पड़ा था, डिवीजनल कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट, अलीपुर द्वार जंक्शन, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के, बंगले के भीतर एक अलमारी से गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या इस गिरफ्तारी के समय डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट तथा डिवीजनल इन्जीनियर उपस्थित थे ;

(ग) क्या इस गिरफ्तारी के पश्चात, उक्त स्टेशन के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट तथा डिवीजनल इन्जीनियर को डी० सी० एस० तथा ए० एम० ओ० के कहने पर समाज विरोधी तत्वों के एक ग्रुप द्वारा उसी रात को बड़ी निर्दयता से पीटा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उन दो अधिकारियों को निलम्बित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, 11-7-70 को न कि 10-7-70 को।

(ख) जी हां।

(ग) मंडल अधीक्षक पर प्रहार नहीं किया गया, लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति के साथ पुलिस के चले जाने के तुरन्त बाद सुबह मंडल इन्जीनियर के साथ हाथापाई की गयी। अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि इस मामले में मंडल वाणिज्य अधीक्षक और सहायक चिकित्सा अधिकारी का हाथ है।

(घ) मंडल वाणिज्य अधीक्षक को 5-8-1970 से निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि सम्बन्धित समाज-विरोधी व्यक्ति को आश्रय देने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सहायक चिकित्सा अधिकारी को उस स्टेशन से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

Class III and IV Harijan Employees on Railways

3838. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Harijan employees particularly Class III and IV employees working on the Railways at present ;

(b) whether there has been any increase or decrease in the said number from the time Shri Jagjiwan Ram was Railway Minister ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4050/70].

(c) The increase is due to the various steps taken by the Government.

Fee Charged by Advocates in High Courts

3839. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether he is aware that the rates of fees charged by Advocates vary in the various High Courts in the country and, therefore. it is not possible to bring about uniformity in the rates in this regard ; and

(b) whether Government would introduce uniform rates of fees in the entire country ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) Government is aware that there is a lack of uniformity in the rates of fees charged by Advocates in the various High Courts.

(b) No proposal to introduce uniform rates of fees in the entire country is under the consideration of Government.

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के लिए निकल इस्पात का आयात

3840. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, में उत्पादन में रुकावट पैदा करने वाला एक बड़ा कारण निकल इस्पात जैसा प्रमुख कच्चा माल प्राप्त करने में विलम्ब है ;

(ख) यदि हां, तो बिना कठिनाई के निकल इस्पात का आयात करने के बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ;

(ग) वाराणसी में कारखाने की वार्षिक निर्धारित क्षमता कितनी है ; और

(घ) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में डीजल रेल इन्जनों का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) मिश्र इस्पात की छड़ों, जिनमें निकेल मिश्र धातु और मिश्र धातु के ढले हुए सामान जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई में विलम्ब के कारण वाराणसी डीजल रेल इन्जन कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) मिश्र इस्पात के ढले हुए सामान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है :—

(i) डीजल रेल इन्जन कारखाने को मिश्र धातु के ढले हुए सामान का अधिकांश भाग सप्लाई करने वाले लोह ढलाई कारखानों को रेलवे का रद्दी लोहा बेचा गया है, जिसमें निकेल भी शामिल है ।

(ii) सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए समय-समय पर धातु के ढले हुए सामान और पुर्जों का आयात किया जाता है ।

(iii) ऐसे ढले हुए लोहे की सप्लाई के लिये आदेश क्रियान्वित करने में बैन्डरों द्वारा उपयोग के लिये निकेल और अन्य मिश्र धातुओं का सीधे आयात करने के प्रस्ताव पर डीजल रेल इन्जन कारखाने में जांच की जा रही है ।

(iv) मिश्र धातु के सामान के आयात के लिये आयात लाइसेंस आदि बनवाने में डीजल रेल इन्जन कारखाना विक्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता दे रहा है ।

(v) इस तरह के ऐसे ढले हुए सामान की सप्लाई के लिये वैकल्पिक देशी स्रोतों का पता लगाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) चौथी योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष 150 मुख्य लाइन डीजल बिजली रेल इन्जनों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डीजल रेल इन्जन कारखाने की क्षमता में उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है ।

(घ) 1968-69 और 1969-70 में वाराणसी डीजल रेल इन्जन कारखाने में डीजल रेल इन्जनों का कुल उत्पादन इस प्रकार था :—

	1968-69	1969-70
बड़ी लाइन	60	58
मीटर लाइन	10	24

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी

3841. **श्री जे० एच० पटेल : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों पर कुल कितना धन खर्च होगा ;

(ग) क्या बिना टिकट यात्रा को रोकने में अतिरिक्त कर्मचारियों के लगाने से सफलता मिलेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). यदाकदा बड़े पैमाने पर की जाने वाली जांचों और आकस्मिक छापों के लिये कम महत्वपूर्ण ड्यूटियों से अस्थायी तौर पर कुछ कर्मचारियों को हटाकर रेल सुरक्षा दल और रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की नियमित संख्या बढ़ा दी जाती है। ऐसे कर्मचारी सामान्यत: थोड़े दिनों के लिए वर्तमान संख्या में से लिये जाते हैं। अत: बिना टिकट यात्रा की जांच करने के लिए कोई अतिरिक्त दल काम नहीं करता और न उसके अनुरक्षण पर कोई खर्च होता है।

(ग) और (घ). भाग (क) और (ख) के उत्तर में जो स्थिति बतायी गयी है, उसे देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात कारखाने में कच्चे माल की खपत

3842. **श्री गु० च० नायक : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक इस्पात कारखाने में (एक) लोह अयस्क (दो) मैंगनीज अयस्क (तीन) चूने के पत्थर (चार) डोलो माइट तथा (पांच) कोयले की प्रतिशतता सहित कितनी मात्रा की खपत हुई है ;

(ख) इस्पात कारखानों को इन कच्चे मालों की सप्लाई करने वाले खानों की दूरी कितनी है (सड़क और रेल द्वारा पृथक-पृथक) ; और

(ग) परिवहन तथा उत्पादन लागत पृथक-पृथक कितनी है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात कारखानों में 1969-70 में लौह खनिज मैंगनीज खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयले की खपत की मात्रा अनुलग्नक में दी गई है। [**अनुलग्नक ग्रन्थालय में दिए गये। देखिये** संख्या एल० टी०—4051/70]

(ख) इन कारखानों को इन कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली खानों/स्रोतों की दूरी अनुलग्नक II में दी गई है। [**अनुलग्नक ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—4051/70]

(ग) रक्षित खानों से इन कारखानों तक के भाडे नीचे दिये गये हैं :—

	कारखाने तक भाड़ा प्रति टन (रुपये)
भिलाई इस्पात कारखाना	
कच्चा लोहा (राजहारा की लोहे की खानें	8.39
चूना पत्थर (नन्दिनी चूना पत्थर खदान)	4.92
डोलोमाइट (हिरी डोलोमाइट खदान)	11.47
रूरकेला इस्पात कारखाना	
कच्चा लोहा (बरसुआ की लोहे की खानें)	7.86
चूना पत्थर (पूर्णपनापानी)	7.35

कोयले के अलावा खुले बाजार से खरीदे जाने वाले कच्चे माल का भाड़ा इस प्रकार है :

	भिलाई इस्पात कारखाना	रूरकेला इस्पात कारखाना	दुर्गापुर इस्पात कारखाना
	रु०	रु०	रु०
लोह अयस्क	36.50	15.30	19.65
मैंगनीज अयस्क	—	15.30	22.05
चूना पत्थर (ध० म० श्रेणी) बिसरा	—	7.10	20.96
चूना पत्थर (इस्पात पिंघलाने के कारखाने के लिये)	—	—	36.11
डोलोमाइट (इस्पात पिंघलाने के कारखाने के लिये)	—	15.70	—

कोयला खानों से हिन्दुस्तान स्टील लि० की कोयला शोधनशालाओं तक औसतन रेल भाड़ा इस प्रकार है :

	रुपये
दुगदा 1 तक	9.96
भोजडीह तक	10.01
पाथरडीह तक	9.73
दुर्गापुर	12.23

5-2-70 को कोयला शोधनशालाओं से कारखानों तक रेल-भाड़ा इस प्रकार था:

से	भिलाई तक	रूरकेला तक
	रुपये	रुपये
भोजडीह	30.83 (एल०डी०सी०सी० खर्च भी शामिल है)	17.32 (एल०डी०सी० सी० खर्च भी शामिल है)
दुगदा (I और II)	31.42 ,,	17.92 ,,
पाथरडीह	31.42/33.44 ,,	17.92/20.32 ,,
करगली	31.72 ,,	18.22

उत्पादन लागत के बारे में सूचना को गोपनीय माना जाता है चूंकि इसे सार्वजनिक तौर पर न बताना आम व्यापारिक प्रथा है ।

औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्र

3843. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मदों के लिए मद-वार औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का नई प्रक्रिया के अन्तर्गत उनके बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 31 दिसम्बर, 1969 तक प्राप्त आवेदनों में से 475 आवेदन निपटान के लिए अनिर्णीत पड़े हैं । अनिर्णीत पड़े आवेदनों का उद्योग-वार वितरण को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

1970 की प्रथम अर्ध-वार्षिकी में प्राप्त 1022 आवेदनों में से, काम को चलाते रहने के आवेदनों को छोड़कर 152 आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया गया है तथा शेष आवेदनों के जांच की जा रही है ।

(ख) क्योंकि प्रत्येक आवेदन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विस्तृत रूप से जांच की जाती है अतः सभी अनिर्णीत पड़े आवेदनों का कितने समय में निपटान कर दिया जायेगा, इसके बारे में कोई सही समय सीमा बता सकना संभव नहीं है । फिर भी, इस बात के लिए हर संभव प्रयत्न किये जायेंगे कि आवेदनों का यथा शीघ्र निपटान कर दिया जाये ।

विवरण

क्रम संख्या	उद्योग	अनिर्णीत पड़े हुए आवेदनों की संख्या
1.	लोहा तथा इस्पात	19
2.	अलोह धातुएं	1
3.	ईंधन	40
4.	प्राइम भूवर्स	3
5.	वैद्युत उपकरण	86
6.	संचार तार	16
7.	परिवहन	52
8.	औद्योगिक मशीनें	12
9.	मशीदी औजार	2
10.	कृषि की मशीनें	5
11.	विविध यांत्रिक तथा इन्जीनियरी उद्योग	8
12.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	4
13.	वैज्ञानिक औजार	1
14.	रसायन	64
15.	डाई स्टफ	3
16.	औषध तथा भेषज	12
17.	वस्त्र	78
18.	चीनी	35
19.	फर्मेंटेशन इण्डस्ट्री	6
20.	खाद्य परिष्करण उद्योग	8
21.	साबुन, अंगराग आदि	1
22.	रबड़ की बनी वस्तुएं	3
23.	चमड़ा तथा चमड़ा की बनी वस्तुयें	7
24.	कांच	6
25.	चीनी मिट्टी की बनी वस्तुयें	2
26.	रक्षा उद्योग	1
		475

पश्चिम बंगाल के उद्योगों में धन का नियोजन

3844. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उद्योगों में गत एक वर्ष में धन का और नियोजन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो धन का निवेश न करने के परिणामस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त स्थिति सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों उद्योगों में है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र की पृथक-पृथक स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). यद्यपि इस तथ्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि गत एक या दो वर्षों में पश्चिम बंगाल में विनियोजन की स्थिति में ह्रास हुआ है फिर भी यह मान लेना कि गत एक वर्ष में राज्य के उद्योगों में नये विनियोजन हुए ही नहीं हैं, सत्य नहीं होगा। इस वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में नये उद्योग शुरू करने के लिये बहुत कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा इन आवेदनों पर किये गये सरकारी निर्णयों के प्रकाश में यह आशा की जाती है कि राज्य में नए एकक स्थापित हो रहे हैं और होंगे। यह कहना भी उचित होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं ने लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को आकृष्ट करने के लिये उदारतापूर्ण तथा रियायती आर्थिक अभ्युपायों के विषय में कुछ घोषणाएं की हैं। तथा इससे पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योगों में विनियोजन को बढ़ावा मिलने की आशा की जाती है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है राज्य में नये विनियोजन हुए हैं और चौथी पंच-वर्षीय योजना में निश्चित की गई चालू योजनाओं के नये विनियोजन कार्यक्रमों के अनुसार किये जायेंगे।

चूंकि विनियोजन स्थिति के ह्रासोन्मुख न होने की हालत में होने वाले विनियोजनों का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता। अतः विनियोजन न होने के कारण कितनी हानि हुई होगी इसका किसी प्रकार अनुमान लगाना व्यावहारिक न होगा।

तटीय बिलेट कारखाना स्थापित करना

3845. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय औद्योगीकरण सम्मेलन की विशेषज्ञ समिति ने इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये भारत में तटीय बिलेट कारखाना स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सुझाव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय किस विशेषज्ञ समिति और सम्मेलन से है।

(ख) और (ग). घरेलू तथा निर्यात दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बिलेट की कमी होने के कारण सरकार भिलाई के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत और हास्पेट तथा विशाखापटनम् के क्षेत्रों में लगाये जाने वाले नये इस्पात कारखानों में बिलेट के उत्पादन की व्यवस्था करने का विचार रखती है।

हिसार (हरियाणा) में कार कारखाने की स्थापना

3846. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी कार का एक कारखाना हिसार (हरियाणा) में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इस कार की लागत क्या होगी ; और इसमें कब उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) फरीदाबाद अथवा हिसार, हरियाणा में 4 सीटों वाली एक छोटी कार के निर्माण की योजना के लिए एक संयंत्र की स्थापना हेतु एक आवेदन श्री पी० सी० अग्रवाल, हिसार से तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयन के लिए आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पार्टी द्वारा कार का मूल्य 9,000 रुपये बताया गया है। पार्टी अभी कार के अपने आद्य रूप में संशोधन कर रही है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि इस कार का व्यावसायिक उत्पादन कब प्रारम्भ होगा।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व तथा दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के उग्रवादी विचार

3847. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में कई कर्मचारी नेता हैं जो उग्रवादी विचारों में योगदान देते हैं और नक्सलवादी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने वाले हैं ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबन्धक ने हाल में इस बारे में एक वक्तव्य दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने प्रशासन से ऐसे तत्वों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) उपलब्ध सूचना से मालूम होता है कि पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण-पूर्व रेलों पर कुछ व्यक्तियों को उग्रवादी तत्वों का प्रश्रय प्राप्त है।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबन्धक ने कलकत्ता में प्रेस प्रतिनिधियों से अपनी मुलाकात में इस ओर संकेत किया था।

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जहां आवश्यक होता है सरकार प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर समुचित कार्रवाई करती है।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों का चयन

3848. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 1965 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार 130-300 रुपये के वेतनमान वाले आशुलिपिकों में से 210-425 रुपये के वेतनमान वाले उन ऊंचे पदों के लिए जिनका दर्जा बढ़ाया गया था, चयन किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस चयन का पूरा परिणाम घोषित नहीं किया गया है तथा 30 से अधिक आशुलिपिकों के परिणाम को रोक लिया गया है ;

(ग) 210-425 रुपये के वेतनमान वाले अनेक पद खाली पड़े हैं जिन पर कुछ समय से 130-300 रुपये के वेतनमान वाले गैर-अर्हता प्राप्त आशुलिपिक कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो 130-200 रुपये के वेतन पाने वाले कितने गैर-अर्हता प्राप्त आशुलिपिक 210-425 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर कार्य कर रहे हैं ; तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां।

(ख) केवल दो स्टेनोग्राफरों के प्रवरण का परिणाम रोक लिया गया है और आशा है यह परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

(ग) और (घ). 210-425 रुपये के वेतनमान में स्टेनोग्राफरों की केवल पांच जगहें स्थानीय रूप से, स्थानापन्न आधार पर, तब तक के लिए भरी गई हैं जब तक प्रवरण को अंतिम रूप से नहीं दे दिया जाता।

रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

3849. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंग्लैंड तथा आस्ट्रेलिया के रेलवे विभागों में वे व्यक्ति जो निम्न स्तर के पदों पर काम करते हैं उन्नति करते हुए प्रथम श्रेणी के पदों तक पहुँच जाते हैं तथा ये रेलवे विभाग विश्व में कार्यकुशल समझे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार भारतीय रेलवे का स्वरूप निर्माण करने में योगदान देने वाले व्यक्तियों की बजाय प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का पक्ष लेती रहेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की रेलों की संगठन-संरचना और कर्मचारी संवर्गों में तथा जिन स्थितियों के अधीन उन देशों में कर्मचारी काम करते हैं, उनमें विभिन्नता अनिवार्य है ।

भारतीय रेलों में, कर्मचारी संवर्गों के संगठन और पद-सोपान समयावधि में भारतीय स्थितियों के उपयुक्त बनाये और विकसित किये गये हैं ; विभिन्न क्षेत्रों में रेलों के कार्य-संचालन की जांच करने वाले एक के बाद दूसरे वेतन आयोगों और अन्य निकायों की सिफारिशों को दृष्टि में रखकर इनकी समय-समय पर समीक्षा की गई है ।

(ख) और (ग). :

(i) भारतीय रेलों में, एक कर्मचारी जो चौथी श्रेणी में सेवा आरम्भ करता है, तृतीय श्रेणी के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत पा सकता है,

(ii) आजकल रेलों के द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) संवर्ग के सभी पद, विशेषज्ञों के कुछ पदों को छोड़कर, रेलों के तृतीय श्रेणी के उपयुक्त कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं । दूसरे शब्दों में, द्वितीय श्रेणी सेवा की सभी खाली जगहों पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी पदोन्नति पा सकते हैं । अन्य केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है जहां द्वितीय श्रेणी की खाली जगहें एक अनुपात में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं ।

(iii) द्वितीय श्रेणी सेवाओं के अधिकारी प्रति वर्ष होने वाली स्थाई खाली जगहों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) सेवाओं में स्थाई पदोन्नति पाने की आशा कर सकते हैं ; विकसित विभाग में यह प्रतिशत 50 है ।

(iv) वर्तमान आदेशों के अधीन, प्रथम श्रेणी में पदोन्नत द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को, वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए, द्वितीय श्रेणी में उन्होंने जितने वर्ष सेवा की हो, उसके आधे वर्ष परन्तु अधिक से अधिक पांच वर्ष का अधिभार दिया जाता है । अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को यह विशेष रियायत उपलब्ध नहीं है ।

(v) जब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते, तो द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को प्रथम श्रेणी (वरिष्ठ वेतनमान) में स्थानापन्न रूप में भी नियुक्त किया जाता है और वरिष्ठ वेतनमान में तीन वर्ष या इससे अधिक समय तक लगातार स्थानापन्न रूप में काम करने पर उन्हें वरिष्ठ वेतनमान से पदावनत होने से सुरक्षा मिल जाती है ।

Laying of New Railway Lines in Rajasthan and Progress made Re. Gangapur City-Dhaulpur Scheme

3851. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the sanctioned schemes for laying new Railway lines in Rajasthan in 1970-71 in respect of which Government have decided to conduct necessary surveys ;

(b) if Government have not decided to conduct any survey the reasons therefor ;

(c) the progress made so far in the sanctioned Gangapur City-Dhaulpur scheme ; and

(d) if no progress has been made so far, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). A final location engineering survey for the Dabla-Singhara M. G. line (32 Kms.), partly falling in Rajasthan has been sanctioned in June, 1970.

(c) and (d). The construction of the Gangapur City-Dholpur new line was not sanctioned at any time in the past. Due to lack of adequate traffic and financial justification, the construction of this line is not being considered at present.

Sleeper Coach for Sawai Madhopur-Loharu (Via Jaipur Passenger Train)

3852. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sawai Madhopur-Loharu Passenger train via Jaipur leaves Sawai Madhopur at night and reaches Jaipur in the morning, but there is no arrangement for any Sleeper Coach therein ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the time by which the arrangement for Sleeper Coach is likely to be made ; and

(d) if no arrangement for the Sleeper Coach is proposed to be made, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. However, 209 Up and 210 Dn. Fast Passenger trains run between Sawai Madhopur and Jaipur involving less than 4 hours of night journey each way which does not justify provision of sleeper coaches.

(b) to (d). Do not arise.

Allotment of Permanent Quota for Reservation of Berths in Sleeper, 1st Class in Janta Express, Dehradun Express, and Frontier-Mail from Gangapur City (Western Railway)

3853. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any permanent quota for reservation of berths in Sleeper/1st Class Coaches in the Janta Express, Dehradun Express and the Frontier Mail from Gangapur City (Western Railway) has been fixed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Quotas for reservation of accommodation on trains are not fixed on a permanent basis but are allotted to various stations having regard to the average demand and the total accommodation available. These quotas are received from time to time and suitable re-adjustments made therein depending upon traffic requirements.

Based on the criterion mentioned above, a quota of two Third Class Sleeper berths on 24 Up Delhi-Bombay Central Janata Express has been allotted to Gangapur City. There is, however, no justification for allotment of Quotas in other trains/classes to Gangapur City.

List of Small Scale Industries

3854. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to revise the list of small scale industries and include new industries in it ; and

(b) whether printing and other similar industries are proposed to be included in the list of small scale industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna): (a) and (b). The Small Scale Industries Development Organisation which is responsible for the development of small scale industries which are eligible for financial assistance under the State Aid to Industries Act and the hire-purchase scheme administered by the National Small Industries Corporation. Printing industry is one of the industries eligible for financial assistance, both from the State Directors of Industries and National Small Industries Corporation.

Amalgamation of Cadres of Block Inspectors and Signal Inspectors

3855. **Shri Meetna Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the cadres of Signal Inspectors and Block Inspectors have been amalgamated into one ;

(b) whether Government have since received any representations from the employees affected by the said amalgamation ; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) On the recommendations of a Committee of Chief Signal and Telecommunication Engineers, it was decided in 1959 that in the Signal and Telecommunications Department there should ultimately be only two categories of Technical Inspectors, viz (i) Signal Inspectors who will look after the Mechanical and Electrical Signalling equipment and (ii) Telecommunication Inspectors, who will look after the Telecommunication and Wireless and Telephone equipment. On the Railways where the category of Block Inspectors existed, the scheme was to be implemented in gradual phases taking into consideration the availability of the dual trained Inspectors.

(b) and (c). Some of the Block Inspectors represented against merging of the cadres and also the fixation of seniority vis-a-vis Signal Inspectors on the Northern Railway where the Scheme had been implemented from 25.2.70. These employees also filed a suit in the High Court. As a result of the judgment of the court the panel of 8 Block Inspectors in grade Rs. 250-380 formed in September, 1969 has been amended and increased to 12 persons. The representationists have been brought on panel and their seniority has been combined in the combined seniority list.

इलाहाबाद में स्वदेशी पम्प तथा कम्प्रेशर कारखाना स्थापित करना

3856. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलाहाबाद में एक स्वदेशी पम्प तथा कम्प्रेशर कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). विशिष्ट प्रकार के पम्प तथा कम्प्रेशर निर्मित करने के लिये नैनी, इलाहाबाद में एक संयंत्र की स्थापना हेतु, 1 जनवरी, 1970 को भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को निगमित किया गया था। संयंत्र के पूर्ण उत्पादन की वार्षिक क्षमता 6,000 मीटरी टन होगी।

रुपसा से तालबन्द तक बड़ी लाइन और उसका विस्तार

3857. **श्री स० कुन्दू** : क्या रेलवे मन्त्री रूपसा से तालबन्द तक बड़ी लाइन और खड़ग पुर और बम्बई के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपसा से तालबन्द तक बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करने और उसका विस्तार करने तथा उसको हाबड़ा-बम्बई लाइन से जोड़ने के बारे में सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) क्या अलाभप्रद शाखा लाइन सम्बन्धी समिति 1969 द्वारा उक्त छोटी लाइन के बारे में दी गई अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). अलाभप्रद ब्रांच लाइन सम्बन्धी समिति 1969 द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष 1970-71 में रुपसा-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सर्वेक्षण कार्य सहित हम अलाभप्रद लाइनों को बदलने उनके विस्तार के लिए यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण आरम्भ किया जा रहा है। रुपसा-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और उसका विस्तार करने का निर्णय सर्वेक्षण पूरा होने और उसके परिणाम ज्ञात होने के पश्चात लिया जायेगा।

(घ) इस छोटी लाइन सम्बन्धी अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर है।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी (रेलवे) का सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के साथ विलय

*3858. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी (टेलको) का सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ विलय होने वाला है ;

(ख) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अधीन इस विलय की अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को देखा है किन्तु इस आशय का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। समवाय अधिनियम की धारा 394 (क) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय से भी आवेदन के लिए कोई नोटिस नहीं मिला और न ही एकाधिकार और निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत सरकार को इस योजना के अनुमोदन के लिए कोई आवेदन मिला है।

(ग) और (घ). अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गैर-सरकारी कम्पनियों के लाइसेन्सों का जारी किया जाना

3859. **श्री शिवचंद्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थव्यवस्था के संयुक्त क्षेत्र के प्रसार के लिये सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों को और अधिक लाइसेन्स जारी करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में इसके क्या कारण हैं ;

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). औद्योगिक लाइसेन्स जांच समिति की सिफारिशों में से एक यह भी थी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी परियोजना में जब भी सरकारी वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रस्तावित हो तो उसे साझे क्षेत्र की परियोजना ही समझा जाये। सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से मान लिया है और भविष्य में साझे क्षेत्र में आने वाली बड़ी परियोजना के प्रबन्ध और विशेषकर नीति निर्धारण में सरकार के भाग का अंश होगा। यह भी अभीष्ट है कि वित्तीय संस्थाओं को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपने ऋण को निर्धारित अवधि में शेयरों में परिवर्तन करने का विकल्प प्राप्त होगा। इस आशय के लिए बैंकिंग विभाग द्वारा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से योजना तैयार की जा रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर इस नीति के प्रकाश में तथा औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

बड़ौदा हाउस (उत्तर रेलवे) में कम्प्यूटरों का विभागीय चुनाव

3860. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मन्त्री बड़ौदा हाउस (उत्तर रेलवे) में कम्प्यूटरों के विभागीय चुनाव के बारे में 12 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9332 क क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों के चुनाव का परिणाम इस बीच घोषित कर दिया गया है हालांकि

उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में जिस जानकारी को देने का वचन दिया गया था, वह अभी तक नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में जिस जानकारी को देने का वचन दिया गया था, वह कब तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). मामले की अभी जांच हो रही है। सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अधिकारियों की भर्ती और उनका स्थायीकरण

3861. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या रेलवे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों के पदों पर अस्थायी भर्ती 1955 में आरम्भ की गई थी और वह अभी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विभाग में 1955 से 1969 तक बैचवार कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई और इसी क्रम में अब तक स्थायी किये गये अधिकारियों की संख्या क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) लोक सेवा आयोग के माध्यम से रेलों पर सहायक अधिकारियों (अवर्गीकृत) की भर्ती 1955 में शुरु हुई थी और 1967 तक जारी रही और इसके बाद इसे बन्द कर दिया गया।

(ख) एक विवरण जिसमें सूचना दी गयी है, सभा पटल पर रखा गया। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०-4052/70]

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और अस्थाई अधिकारियों की सेवा शर्तों में विषमता

3862. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण करने के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थाई अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की अधिकृत रीति के अन्तर्गत नियमित खुले चयन के माध्यम से की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और अस्थाई अधिकारियों की सेवा शर्तों में विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) स्थापित राजपत्रित सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए प्रवरण सामान्यत: खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होता है। यह परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों होती हैं औग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती हैं। अस्थाई सहायक अधिकारी अवर्गित पदों के लिये साक्षात्कार के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये थे। अस्थाई सहायक अधिकारियों (अवर्गित) के चुनाव का ढंग संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निश्चित किया गया था।

(ख) अस्थाई सहायक अधिकारियों की भर्ती का ढंग, वर्गीकरण और शर्तें श्रेणी 1 के अधिकारियों की भर्ती के ढंग, वर्गीकरण और शर्तों से भिन्न होता है ।

(ग) अधिकारियों के दोनों समूह सेवा की विभिन्न शर्तों द्वारा शासित होते हैं और भेद-भाव का कोई प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, रिक्तियों के वार्षिक कोटे में श्रेणी एक में नियुक्ति के लिए अस्थाई सहायक अधिकारियों को पात्र समझा जाता है ।

एम० ई० एस० के लिए विकल्प देने वाले अधिकारियों को अस्थाई रूप से प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाना

3863. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ वर्षों तक संयुक्त चयन बोर्ड के माध्यम से रेलवे, एम० ई० एस०, सीमा सड़क आदि के लिए अस्थाई अधिकारियों की भर्ती की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त नियुक्त किये गये अधिकारियों को, जिन्होंने एम० ई० एस० के लिए विकल्प दिया था प्रथम श्रेणी का अस्थाई दर्जा दिया गया है और उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति सेवावधि पर आधारित है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हों तो केवल रेलवे में अस्थाई अधिकारियों को प्रथम श्रेणी की सेवा में नये नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों से कनिष्ठ रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे डाक्टरों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा रेलवे प्रतिमान (पैटर्न)

3864. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संवर्ग ढांचे के संबंध में रेलवे डाक्टरों को कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार सेवा प्रतिमान दिया गया है और कुछ अन्य मामलों में रेलवे प्रतिमान ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा करते हुये रेलवे डाक्टरों को इन दो प्रतिमानों में जो सब से बुरा है वह दिया गया है और जो अच्छा है वह नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा रेलवे के सम्बद्ध विभागों में अपने समकक्ष डाक्टरों की तुलना में घाटे पर रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). रेलों की संगठनात्मक रचना और वेतन मानों के ढांचे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संगठनात्मक रचना और वेतनमानों के ढांचे से भिन्न भिन्न हैं ।

रेलें मंडलीय ढांचे पर गठित की गयी हैं। मंडलीय अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान (700-1250 रु०) में होते हैं। कनिष्ठ वेतनमान (400-950 रु०) या श्रेणी II (350-900 रु०) के सहायक अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के अधीन काम करते हैं। रेलों पर वेतन रचना के पदसोपान में 1300-1600 रु० के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम और 1600-1800 रु० के मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम और 1800-2000 रु० या 1800-2250 रु० के वरिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में पदों की व्यवस्था है। रेलवे चिकित्सा सेवाओं के लिए भी वेतनमानों का यही ढांचा अपनाया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में विभिन्न वेतनमानों में सामान्य ड्यूटी डाक्टर और विशेषज्ञ हैं। रेलवे में सभी अधिकारियों पर लागू होने वाले वेतनमानों में एकरूपता रखनी होती है। इसलिए, रेलवे चिकित्सा अधिकारियों के लिये अलग से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में दिये जाने वाले वेतनमानों का अपनाया जाना सम्भव नहीं है।

संवर्ग संरचना, कुल कार्यभार के आधार पर सृजित पदों की संख्या और प्रत्येक पद के महत्व के अनुसार बनती है। चिकित्सा विभाग के लिए श्रेणी I में बड़ी संख्या में उच्चतर पदक्रम के पदों का सृजन करना, खासतौर पर रेलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति में, सम्भव नहीं है।

रेलवे डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए दी गयी अनुमति का रद्द किया जाना

3865. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने रेलवे डाक्टरों से प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति रेलवे द्वारा वापिस लिए जाने की स्थिति में, उनके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वेतन ढांचे की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या 1962 में रेलवे ने रेलवे डाक्टरों से प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति वापिस ले ली थी और उनको केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का वेतनमान नहीं दिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा रेलवे में वर्तमान संवर्ग ढांचा समान है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 1962 में सरकार द्वारा यह विनिश्चिय किया गया था कि रेलवे डाक्टरों को जनता में जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति है, उसे रोक दिया जाये, लेकिन उन्हें

(i) 150 रु० प्रति मास और इससे अधिक वेतन पाने वाले रेल कर्मचारियों के परिवारों में, उनके निवास स्थान पर,

(ii) यात्रा के समय बीमार पड़ जाने वाले यात्रियों और

(iii) रेलवे अस्पतालों में अंतरंग रोगियों के रूप में या शल्य चिकित्सा के लिए दाखिल होने वाले बाहरी व्यक्तियों में, प्राइवेट प्रैक्टिस करने दिया जाये।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के वेतनमानों से रेलों के वेतनमानों के संगठनात्मक ढांचा और स्वरूप भिन्न हैं। रेलों का संगठन मंडलीय आधार पर किया जाता है। मंडल अधिकारी वरिष्ठ

वेतनमान (700-1250) के होते हैं और मंडल अधीक्षक के अधीन काम करते हैं। सहायक अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान (400-950) या श्रेणी II (350-900) के होते हैं, जो वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के अधीन काम करते हैं। रेलों के वेतन-ढांचे के पदसोपान में 1300-1600 रु०, 1600-1800 रु० और 1800-2000 रु० 1800-2250 रु० के प्रशासनिक पदों की व्यवस्था है। रेलों के चिकित्सा विभाग में भी वेतन-मानों का यही ढांचा अपनाया गया है सिवाय इसके कि उसमें कोई कनिष्ठ वेतनमान नहीं है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में वेतन के भिन्न ढांचे के अनुसार विभिन्न वेतनमानों में सामान्य ड्यूटी डाक्टर और विशेषज्ञ हैं। रेलों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की आन्तरिक सापेक्षताओं को बनाये रखने की आवश्यकता को देखते हुए रेलवे चिकित्सा विभाग के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के वेतनमान ढांचे को अपनाना व्यावहारिक नहीं है।

भूमिहीन आदिम जातियों के व्यक्तियों के पुनर्वास का व्यय

3866. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा के अमरपुर में जुमिया लोगों के पुनर्वास पर 3,725 रुपये प्रति परिवार खर्च होने की आशा है परन्तु भूमि विहीन आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये इसी प्रकार की बनाई योजना में प्रति परिवार 1,150 रुपये की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). यह सूचना त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा रही है। इसे प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भिंड और इटावा और चंद्रापुर फोर्ट और बाबूपेठ के बीच रेल सम्पर्क

3867. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर भिण्ड और इटावा तथा चन्द्रापुर फोर्ट और बाबूपेठ के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) इस दशा में और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) बोर्ड को (i) ग्वालियर-भिंड छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसे इटावा तक बढ़ाने और (ii) छोटी लाइन को चंद्रापुर फोर्ट से बाबूपेठ या चंद्रपुर तक बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं और बोर्ड द्वारा उनकी यथोचित जांच की गयी है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). आमान परिवर्तन/नयी लाइनों के निर्माण की भारी लागत को देखते हुए केवल उन्हीं लाइनों के चलते रहने की आशा की जा सकती है, जिन्हें ऊंची दर वाला यातायात भारी मात्रा में मिलता रहे । चूंकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोई औद्योगिक या अन्य प्रकार का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि प्रस्तावित रेल सम्पर्क को वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिये पर्याप्त यातायात मिल सकेगा । अतः इस प्रस्ताव को विचारार्थ बेहतर दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । इसके अलावा, हमारी नीति यह है कि अब छोटी लाइनें न बनायी जायें ।

बस्तर जिले में डाल्ली-राजहरा तथा दांतेवारा के बीच रेल लाइन

3868. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर जिले में डाल्ली-राजहरा तथा दांतेवारा के बीच रेल लाइन बनाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है ; और

(ग) इसे कब पूरा किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). 1965-66 में किये गये लागत एवं व्यावहारिकता अध्ययन से पता चला कि वित्तीय दृष्टि से ढल्ली-राजहरा-दांतेवाड़ा रेलवे लाइन बनाने का औचित्य नहीं होगा । इसलिए इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अभी विचार नहीं किया जा रहा है ।

सिग्नल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

3869. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मन्त्री सिगनल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त जानकारी कब तक एकत्र किये जाने और सभा पटल पर रखे जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री श्री (नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे विवरण में दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4053/70]

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे में विषमताओं के दूर करने के लिए पदनामों और कार्यों का मानकीकरण

3870. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मन्त्री रेलवे में विषमताओं को दूर करने के लिए पदनामों और कार्यों का मानकीकरण के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :

नौओं क्षेत्रीय रेलों को मिला कर सिगनल और दूरसंचार के कर्मचारियों के, केवल तीन मामलों के सिवाय, मानक पदनाम अपना लिए गये हैं। एक मामले में मानक पदनाम अपना कर स्थिति ठीक कर ली गयी है और शेष दो मामलों में मानक पदनाम अपनाये जा रहे हैं। विभिन्न पदनामों को अपनाने का आशय कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम वेतन और भत्ते देना नहीं होता, सामान्यतः इसका परिणाम भी ऐसा नहीं होता। यदि कोई ऐसा विशिष्ट मामला नोटिस में लाया जाये, जहां विभिन्न पदनाम के कारण कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो सरकार उस पर सहर्ष विचार करेगी।

झांसी में गाड़ियों का मेल

†3871. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अक्तूबर, 1970 से 21 डाउन एक्सप्रैस झांसी लगभग उसी समय पहुंचेगी जब 57 डाउन एक्सप्रैस उक्त स्टेशन से रवाना होगी ;

(ख) क्या 57 डाउन एक्सप्रैस तथा उससे मेल करने वाली अन्य गाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) 1.10.70 से 21 डाउन एक्सप्रैस की पहले की समय सरिणी के संदर्भ में इस रेल गाड़ी और 57 डाउन एक्सप्रैस के झांसी पहुँचने तथा वहां से चलने की संशोधित समय सारिणी इस प्रकार है :—

रेल गाड़ी	रेल गाड़ियों के झांसी पहुंचने और वहा से छूटने का समय	
	वर्तमान	1-1-70 से
57 डाउन एक्सप्रैस	पहुँचना 21.00	पहुँचना 20.30
	छूटना 21.25	छूटना 20.55
21 डाउन एक्सप्रैस	पहुंचना 23.25	पहुँचना 21.20
	छूटना 23.45	छूटना 21.50

(ख) इटारसी-नई दिल्ली सैक्शन पर 57 डाउन एक्सप्रेस के समय में प्रस्तावित परिवर्तन बहुत मामूली है। अतः इटारसी, बीना, झांसी, आगरा छावनी तथा मथुरा से इससे मेल करने वाली रेल गाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इगतपुरी से आगे दिल्ली की ओर (मध्य रेलवे पर) रेलवे लाइन पर बिजली लगाना

3872. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में इगतपुरी से आगे दिल्ली की ओर रेलवे लाइनों पर बिजली लगाने के कार्य में प्रगति न होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) रुकावटों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). इगतपुरी से भुसावल तक 25 किलोवोल्ट ए० सी० प्रणाली पर रेल-पथ का बिजली करण किया जा चुका है। भुसावल और इटारसी के बीच रेल पथ, जो मध्य रेलवे के भुसावल से नई दिल्ली का मार्ग है, पर और आगे बिजलीकरण के बारे में विचार किया जा रहा है। और यदि वित्तीय एवं परिचालन की दृष्टि से औचित्य हूं और तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया तो पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इसे अन्तरिम कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये आवश्यक सामग्री की सप्लाई अस्तव्यस्त हो जाना

3873. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई कारखाने को लगभग दो सप्ताह से प्रतिदिन आवश्यक सामग्री न सप्लाई किये जाने के कारण जो 750 माल डिब्बों में लाई जाती थी, कारखाने को उत्पादन में भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सप्लाई अस्तव्यस्त हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) सप्लाई अस्तव्यस्त हो जाने के बाद उत्पादन में कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य के रूप में हानि हुई ;

(घ) भिलाई इस्पात कारखाने के लिए प्रति दिन आवश्यक सामग्री को फिर से सामान्य पर सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और क्या आवश्यक सामग्री की सप्लाई सामान्य हो गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसकी सप्लाई कब तक सामान्य हो जाएगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय दक्षिण पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों द्वारा

26 जुलाई से 11 अगस्त, 1970 तक की गई हड़ताल से है। इस हड़ताल से आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति में केवल कुछ हद तक ही बाधा आई क्योंकि रेलवे ने कारखाने से माल ले जाने को उच्च प्राथमिकता दी थी। कारखाने के प्राधिकारियों ने भी उपलब्ध आरक्षित कच्चे माल का इस्तेमाल किया और इस कारण उत्पादन की कोई हानि नहीं हुई।

(ङ) 13 अगस्त, 1970 से सप्लाई धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है।

मेरठ नगर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गठन

3874. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री मेरठ नगर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन करने के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7821 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता निरीक्षक ने सरकारी धन का गबन करने के लिये कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन ने उनको दंड देने के लिये आरोप-पत्र दिये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जांच-पड़ताल से प्रत्यक्षतः दो कर्मचारियों के विरुद्ध मामला बनता है।

(ख) से (घ). कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की बजाये उन्हें भारी दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में सब हैड के रूप में पदोन्नतियां

3875. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली के पेंशन अनुभाग में कार्य करने वाले कुछ लेखा क्लर्क ग्रेड I उसी अनुभाग में सब हैड के पदों पर पदोन्नत किये गए हैं यद्यपि उन्हें मोटर साइकिल की पेशगी राशि का दुरुपयोग करने के लिए दंड मिला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पदोन्नति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) ग्रेड I के केवल एक क्लर्क को 11-2-69 से सब हैड के

पद पर पदोन्नत कि गया था, यद्यपि वह 1-5-68 से 30-4-69 तक वेतन वृद्धि रोक दिये जाने की सजा भुगत रहा था।

(ख) उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सका क्योंकि अनियमित पदोन्नति का पता उस समय चला जब उसकी सजा की अवधि बीत चुकी थी।

(ग) जिस अधिकारी को इसके लिये उत्तरदायी समझा गया था वह पहले ही सेवा निवृत्त हो चुका है, इसलिये उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

छतीसगढ़ में लौह-अयस्क स्थानों बेलाडिल्ला और डाल्ली-राजहरा लौह-अयस्क खानों के बीच रेलवे लाइनों का निर्माण

3876. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से छतीस गढ़ में लौह-अयस्क स्थानों बेलाडिल्ला और डाल्ली राजाहरा लौह-अयस्क खानों के बीच रेलवे लाइन स्थापित करने का अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो सरकार का तत्सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित रेलवे लाइन की लम्बाई लागत और मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). हाल में मध्य प्रदेश सरकार से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन, श्रम, रोजगार और पुनर्वास (पुनर्वास विभाग) मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाने के लिये, डल्ली-राजहरा-दातेवारा रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए हाल ही में एक सुझाव दिया है। 1965-66 में किये गये लागत और व्यवहारिकता अध्ययन से यह मालूम हुआ कि लगभग 218.0 कि० मि० लम्बे रेल सम्पर्क पर लगभग 19.50 करोड़ रु० की लागत आयेगी और वह वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी। इस लिए फिलहाल इस लाइन के निर्माण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

लोको शेड, भोपाल में कोयले की चोरी

3877. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व लोको शेड भोपाल से लगभग 2 लाख रुपये का कोयला गायब हो गया था ;

(ख) क्या इस घटना के बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और यदि हां, तो जिम्मेवार ठहराये गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) लोको शैड भोपाल के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता के कितने मामलों में जांच की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) भोपाल लोको शेड में विभागीय स्टाक स्तयामन फरवरी,

1970 में किया गया था। इसमें 1691 मीटरिक टन कोयले की शुद्ध कमी पायी गई थी जिसका मूल्य लगभग 1,18,370 रुपये था।

(ख) तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है और इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) भोपाल के सहायक लोको फोरमैन के विरुद्ध सतर्कता शाखा ने चार मामलों की जांच की। पहले मामले में पर्याप्त प्रणाम न मिलने के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। दूसरे मामले में उन्हें दो वर्षों के लिए पदोन्नति रोके जाने का दण्ड दिया गया है। तीसरे मामले में भारी दण्ड के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है और चौथे मामले पर जांच के बाद विचार किया जा रहा है।

इस्पात के मूल्य

3818. **श्री दे० आमात** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बड़े इस्पात के मूल्यों का औद्योगिक उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा ;

(ख) मूल्यों की वृद्धि का किन-किन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना और किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्री द्वारा 4 अगस्त, 1970 को इस प्रश्न से बिल्कुल मिलते जुलते अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के उत्तर में दी गई है, जिस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर को हानि

3879. **श्री दे० अमात** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माईनिंग एण्ड एलाइडस मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर को भारी हानि हुई है और उसने अपनी प्रदत्त पूंजी लगभग समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में हुई हानि तथा उसकी कुल प्रदत्त पूँजी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इतनी अधिक हानि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके बचाव के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). वर्तमान प्रदत्त पूंजी 20 करोड़ रुपये है। 31-3-69 को कम्पनी का कुल घाटा 20.16 करोड़ रुपये है। वर्ष 1967-68 और 1968-69 का घाटा निम्न प्रकार है :—

	घाटा (लाख रुपये)
1967-68	685.50
1968-69	638.69

(ग) इस कम्पनी को कई विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जैसे :—

(1) जिस प्रकार की कोयला खनन मशीनों के लिए यह कारखाना लगाया गया था उस प्रकार की मशीनों के लिए पर्याप्त आर्डरों का प्राप्त न होना।

(2) विविधीकरण की समस्यायें।

(3) विविधीकरण के अन्तर्गत भी बैच उत्पादन के लिए पुनरावर्ती आर्डरों की कमी।

(4) कारखाने में कम उत्पादन।

(5) औद्योगिक अशान्ति।

(6) विभिन्न श्रमालयों और अनुभागों के कार्यों में असंतुलन।

(7) कीमती मशीनों और उपकरणों और मूल्य ह्रास का अधिक ऊपरी खर्च।

(8) उत्पादन विभागों की संगठनात्मक समास्यायें।

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) इकाइयों और अनुभागों को पूरा काम देने के विचार से विविधीकरण की विशेष योजना तैयार की गई है।

(2) विविधीकरण से सम्बन्धित प्रारम्भिक समस्यायें—जैसे उत्पादों के नक्शे तैयार करना, औद्योगिकी विकास और यंत्रीकरण आदि-सुलझाई जा रही है। कई मामलों में निर्माण के समय की बचत के लिए नक्शों को कारखानों में तैयार करने के उन्हें उन्हें खरीद लिया जाता है। निर्बाध उत्पादन के लिए इकाइयों में समुचित कार्य वितरण के सम्बन्ध में और विविधीकरण की योजना के लिए तथा उपलब्ध आदेशों के लिए सामान प्राप्त करने के सम्बन्ध में दीर्घकलीन योजना बनाने का काम हाथ में लिया गया है।

(3) बार-बार बनाई जाने वाली वस्तुओं के सामूहिक उत्पादन के लिए आदेश प्राप्त करने के विचार से हैवी डयूटी गियर बाक्स और लदाई-यन्त्रों के निर्माण और इन को रूस को निर्यात के सम्बन्ध में सोवियत एजेन्सियों के साथ वार्ता चल रही है। बार-बार बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए पर्याप्त काम उपलब्ध

कराने के विचार से ढ़ली और गढ़ी वस्तुओं तथा कृषि सम्बन्धी ट्रैक्टरों के पुर्जों के लिए भी आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं।

(4) मार्च, 1970 से एक प्रोत्सासन योजना लागू की गई है। प्रोत्साहन योजना के लागू करने से सम्बन्धित प्रारंभिक कठिनाइयों और झगड़ों को सुलझाने के पश्चात् अधिकांश इकाइयां इस योजना को अपनाने लगी है। सोवियत प्रशिक्षकों की सहायता से कर्मचारियों को कार्य प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता को बढ़ाया जा रहा है। उत्पादन में सहायता देने के लिए पर्यवेक्षण, तथा प्रगति और योजना सम्बन्धी कार्यों में भी सुधार किया जा रहा है।

(5) कुछ समय तक औद्योगिक अशांति रहने के बाद कम्पनी के दो प्रमुख मजदूर संघों के साथ मई, 1970 में समझौते हुए हैं। सभी प्रमुख विवाद सुलझा लिए गए हैं और औद्योगिक वातावरण में सुधार हुआ है।

(6) उत्पादन और योजना संगठन के काम को सुप्रवाही बनाने पर काफी जोर दिया गया है जिससे नियमित रूप में एक इकाई से दूसरी इकाई में माल जा सके।

लघु उद्योग

3881. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग आयोग स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम और कृत्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति

3882. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों (पूर्णकालिक या अंश-कालिक), चेयरमैन-कम-मेनेजिंग डायरेक्टरों तथा जनरल मेनेजरों में से कितने सरकारी कर्मचारी है या रह चुके हैं और कितने सार्वजनिक कार्यकर्ता है ; और

(ख) उपयुक्त भाग (क) में उल्लिखित सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के माप क्या है, उन्हें किस-किस उपक्रम में नियुक्त किया गया और उन्हें क्या-क्या वेतन दिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय के अधीन 17 सरकारी उपक्रमों में से 5 के अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। शेष उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या तो सरकारी अधिकारी हैं अथवा भूतपूर्व सरकारी अधिकारी अथवा कम्पनी के अपने ही अधिकारियों में से हैं। सभी उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक और महा प्रबन्धक या तो सरकारी अधिकारियों में से हैं अथवा कम्पनी के अपने अधिकारियों में से हैं।

(ख) उन पांच सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के नाम उन उपक्रमों के समक्ष नीचे दिये गये हैं जिनके कि वे अध्यक्ष हैं :—

1. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०	श्री एच० सी० कोठारी
2. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	श्री प्राण प्रसाद
3. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	श्री पी० एन० काटजू
4. सिमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	डा० बी० वी० केसकर
5. हिन्दुस्तान केबल्स लि०	श्री के० एन० मुकर्जी

ये सब अंशकालिक अध्यक्ष हैं जो किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते किन्तु कम्पनी के नियमानुसार यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता तथा उपस्थिति शुल्क पाने के हकदार हैं।

नार्थ बिहार एक्सप्रेस में सीटों का आरक्षण

3883. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री नार्थ बिहार एक्सप्रेस में बरौनी के लिए निर्धारित कोटे की सीटों के आरक्षण तथा उसी गाड़ी में समस्तीपुर स्टेशन पर सीटों को आरक्षित न किये जाने से सम्बन्धित 28 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 365 और 366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 जून, 1970 को हावड़ा की ओर जाने वाली नार्थ बिहार एक्सप्रेस में तीन-टायर तथा दो-टायर वाले शयनागार यात्री डिब्बों में बरौनी से किस-किस के लिए किस-किस टिकट संख्या पर तथा किस-किस स्टेशन के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं ; और

(ख) क्या यह सच है कि उस गाड़ी के एक तीन-टायर वाले डिब्बे में एक सीट बरौनी से मधुपुर तक अनारक्षित रही ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि बरौनी से गाड़ी छूटने से पहले और बाद में अन्य लोग सीट-आरक्षण के लिये इच्छुक थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

3884. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मीटर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो कल कितने मील दूरी को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदला जायेगा ;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च किया जायेगा और इसमें कितना समय लगेगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो, उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (घ). अगले कुछ वर्षों में भारतीय रेलों के कुछ मीटर लाइन खंडों पर यातायात का भारी घनत्व होने की सम्भावना है और प्रमुख बंदरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों आदि तक बड़ी लाइन के रास्ते थ्रू परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 175 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की एक संदर्श योजना तैयार की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत देश के कुछ ऐसे भागों में मीटर लाइन के लगभग 3000 किलोमीटर महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है जहां इस समय भी वर्तमान मीटर लाइनों पर यातायात प्रायः चरमसीमा तक पहुंच गया है । धन की उपलब्धता, परियोजनाओं की अर्थ-क्षमता और इन कामों की सापेक्ष अग्रता के आधार पर ही खंडों को आमान परिवर्तन के लिये चुना जायेगा ।

भिलाई इस्पात कारखाने में बिलेटों का उत्पादन

3885. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरम्भ में यह फैसला किया था कि भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन चौथी योजना की अवधि में 25 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 32 लाख मीटरी टन करने के लिये विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 6.8 लाख मीटरी टन तक बिलेटों को अतिरिक्त उत्पादन करने की सुविधाए दी जायेगी ;

(ख) क्या सरकार के वर्तमान विचार के अनुसार बिलेटों की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण पांचवी पंचवर्षीय योजना में होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि पुनः बेलन उद्योग को बिलेटों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जो वास्तव में अपने उद्योग को बनाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ; और

(घ) क्या वह बिलेटों के उत्पादन की क्षमता के उपर्युक्त विस्तार के सम्बन्ध में सही स्थिति को स्पष्ट करेंगे और उक्त योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में ही क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही करेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । इस योजना के अन्तर्गत 5.6 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य था ।

(ख) जी, हां । इस समय भिलाई की क्षमता को 42 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । अब बिलेट का उत्पादन 6.8 लाख टन करने का विचार है । यह उत्पादन पांचवीं योजना-वधि में प्राप्त होने की संभावना हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) संशोधित विस्तार कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है । इस योजना को इस सीमा तक कार्यान्वित करना संभव न होगा जिससे कि वास्तविक उत्पादन चौथी योजना में ही होने लगे ।

उड़ीसा में इस्पात कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन

3886. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में धमन भट्टी समूह स्थापित करने के बारे में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दस्तूर एण्ड कम्पनी को नियुक्त किया था ;

(ख) क्या उड़ीसा में बोनाई तथा नयागढ़ क्षेत्रों की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन 1965 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन केन्द्र ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन रिपोर्ट की प्रति सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था ;

(ग) क्या जब राज्य सरकार ने बोनाई तथा नयागढ़ क्षेत्रों में इस्पात कारखाना स्थापित करने के संबन्ध में अपने खर्चे पर सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दस्तूर एण्ड कम्पनी की नियुक्त करने का प्रयत्न किया था जब उसने इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की कि केन्द्रीय सरकार ने उनको सलाह दी थी कि वे किसी राज्य सरकार की ओर से ऐसे कार्य को स्वीकार न करें ; और

(घ) यदि हां, तो एक ओर तो राज्य सरकार को सम्भाव्यता प्रतिवेदन रिपोर्ट की प्रति सप्लाई न करने तथा दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से इस्पात कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये दस्तूर एण्ड कम्पनी को स्वीकार न करने के अनुदेश देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । सरकार ने 1964 में मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड को 1964 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे लोहे के कारखानों की स्थापना के लिये स्थलों का अध्ययन करने का काम सौंपा था ।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय ऊपर (क) में उल्लिखित स्थल-अध्ययन की रिपोर्ट से है । राज्य सरकार ने जून, 1966 में इस रिपोर्ट की तथा इस विषय पर कुलजियन कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति भेजने के लिये कहा था । चूंकि इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा था इसलिए इन्हें उस समय नहीं भेजा जा सका ।

(ग) और (घ). 1967 में उड़ीसा सरकार ने दस्तूर एंड कम्पनी को बोगाई और नयागढ़ में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा था परन्तु सरकार ने परामर्शदाताओं से कहा था कि ऐसे अध्ययन केवल केन्द्रीय सरकार के कहने पर ही किये जाते है ।

कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने

3887. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश में एक सीमेन्ट का कारखाना चालू किया है और 1974 से पूर्व एक अन्य सीमेन्ट कारखाना मैसूर में लगाने का विचार है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और मैसूर में उत्पादन क्षमता क्रमश: 20 लाख टन और 16.69 लाख टन है जबकि वहां पर सीमेन्ट की खपत क्रमश: 5 लाख टन और 7.50 लाख टन है ;

(ग) क्या पश्चिमी जोन में महाराष्ट्र, दमन और दीव तथा दक्षिणी जोन में केरल और आन्ध्र प्रदेश कमी वाले क्षेत्र हैं, किन्तु वहां नया कारखाना स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो मध्य प्रदेश और मैसूर में नये सीमेंट कारखाने क्यों लगाये जा रहे हैं विशेषकर जबकि सरकार की स्वीकृत नीति यह है कि नये सीमेंट कारखाने कमी वाले क्षेत्रों में स्थापित किये जायें ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० का मध्य प्रदेश में मेन्ढर स्थित कारखाना चालू हो गया है जबकि इसके मैसूर कारखाने में 1971 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

(ख) मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में सीमेन्ट की अधिष्ठाप्ति क्षमता और खपत निम्न प्रकार है :—

	मध्य प्रदेश	मैसूर
	(अंक लाख मी० टनों में सभी किस्मों की)	
अधिष्ठापित क्षमता	27.30	17.03
खपत	5.02	7.50

(ग) पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र, दमन और दीव तथा दक्षिणी भाग में केरल कमी वाले क्षेत्र हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश अधिकता वाला क्षेत्र है । 4 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाला एक कारखाना महाराष्ट्र के चान्दा नामक स्थान में प्रारम्भ किया गया है । दमन दीव और केरल में चूने का इतना पर्याप्त भण्डार नहीं है कि वहां सीमेंट का कारखाना लगाया जा सके ।

(घ) सरकारी क्षेत्र में मेन्ढर (म० प्रदेश) और कुरकुन्टा (मैसूर) में सीमेंट के कारखाने खोलने का सरकारी निर्णय केवल कमी वाले क्षेत्रों में ही भारतीय सीमेंट निगम लि० द्वारा सीमेंट

के कारखाने लगाने सम्बन्धी वर्तमान नीति निर्धारित की जाने के बहुत पहले ही लिया जा चुका था।

रूरकेला इस्पात संयंत्र का कार्य

3888. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 मई, 1970 के "फाइनेनशियल एक्सप्रेस" में "दोषपूर्ण बाजार अध्ययन के कारण रूरकेला के लाभों में कमी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के महाप्रबन्धक ने यह शिकायत की है कि दोषपूर्ण बाजार अध्ययन देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात विपणन कार्यक्रम में मुख्य बाधक रहा है क्योंकि दीर्घकालीन आवश्यकताओं और वार्षिक आवश्यकताओं का समुचित अध्ययन नहीं किया गया था ;

(ग) क्या महाप्रबन्धक ने यह भी बताया है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र ने जो कम लाभ अर्जित किया है उसका एक कारण संयंत्र द्वारा अपने ही उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से बेचने में असमर्थता है क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले तीनों इस्पात संयंत्रों का एक ही विपणन संगठन है ; और

(घ) यदि हां, तो रूरकेला इस्पात संयंत्र के असंतोषजनक कार्य के कारणों के उपरोक्त विश्लेषण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि बम्बई के "फाइनेनशियल एक्सप्रेस" के दिनांक 6 मई, 1970 के संस्करण में इस प्रकार का कोई समाचार नहीं छपा है।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राढ़धना और सोनीपत (उत्तर रेलवे) के बीच नया रेलवे स्टेशन

3889. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राढ़धना और सोनीपत (उत्तर रेलवे) के बीच एक रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कब किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां।

(ख) राढ़धना और सोनीपत स्टेशनों के बीच एक गाड़ी हाल्ट की व्यवस्था करने के

उद्देश्य से निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जा चुका है और इसे यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

(ग) सवाल नहीं उठता।

भारतीय सिगरेट निर्माताओं द्वारा विदेशियों के नियंत्रणाधीन सिगरेट कम्पनियों का विरोध

3890. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सिगरेट निर्माता विदेशियों के नियंत्रणाधीन सिगरेट कम्पनियों के भारत में सिगरेट उत्पादन पर नियंत्रण का विरोध मिलकर, कर रहे हैं ;

(ख) क्या लाभांशों के देने में बहुत अधिक विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) भारतीय सिगरेट निर्माता संघ नई दिल्ली से अन्य वस्तुओं के साथ साथ अधिक विदेशी पूंजी वाली सिगरेट कम्पनियों के उत्पादन स्तर को प्रतिबन्धित करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग). विदेशी स्वामित्व की सिगरेट कम्पनियां अधिक समय से है और लाभ तथा लाभांश के रूप में कुछ विदेशी मुद्रा विदेशों को भेजी जा रही है जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है। विदेशी कम्पनियों (जब भी वे विस्तार के लिए आवेदन करती है) के भारतीय पूंजी को सम्बद्ध करने का आग्रह विदेशी शेयरों के प्रतिशत को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	लाभ तथा लाभांश के रूप में भेजा गया रुपया (रु० लाखों में)		
		1967	1968	1969
1.	इम्पीरियल टोबेको कम्पनी लि० कलकत्ता (जो अब मैसर्स इंडिया टोबेको कम्पनी लि० के नाम से जानी जाती है)	106.52	117.60	138.30
2.	वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लि० हैदराबाद	16.29	25.76	9.85 (31-10-69 तक का अन्तरिम अंश)
3.	गाडफ्रे फिलिप्स (इंडिया) लि० बम्बई	14.66	—	—
	योग	137.47	143.36	148.15

न्यायालय द्वारा विमुक्त किये गये एक गार्ड को सेवा से निकाला जाना

3891. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिरज (दक्षिण मध्य रेलवे) में एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था और न्यायालय ने उसे विमुक्त कर दिया था और 16 दिसम्बर, 1968 को उसे बहाल कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यायालय द्वारा विमुक्त किये जाने और उसे फिर से बहाल किये जाने के बावजूद उसे विभागीय आरोप-पत्र दिया था और उसे 2 मार्च 1970 से सेवा से निकाल दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसे किन नियमों के अन्तर्गत और किन कारणों से सेवा से गलत तरीके से निकाला गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). मिरज, दक्षिण-मध्य रेलवे, के एक गार्ड को 26-6-67 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और नियमानुसार उसी तारीख से उसे निलंबित कर दिया गया। उसके अनुरोध पर न्यायालय का फैसला हो जाने तक, 19-9-67 को उसे ड्यूटी पर वापिस ले लिया गया था। अक्तूबर, 1968 में न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। 26-6-67 को गाड़ी न चलाने के कारण उस गार्ड के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गयी थी और इसका अन्तिम परिणाम यह निकला कि समर्थ अधिकारी द्वारा उसे 2 मार्च, 1970 से नौकरी से निकाल दिया गया। विभागीय कार्रवाई उसी आरोप के सम्बन्ध में नहीं की गयी थी जिस आरोप में उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था।

कोरापुट (उड़ीसा) में रेयन-ग्रेड वुड पल्प कारखानों की स्थापना

3892. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में रेयन-ग्रेड वुड पल्प उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए एक गैर-सरकारी फर्म के मामले की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार कोरापुट जिले में ऐसे एक एकक की स्थापना के लिये लाइसेंस हेतु सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) से (घ). गैर-सरकारी क्षेत्र की एक फर्म ने अभी हाल ही में चार राज्यों अर्थात उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में से किसी एक राज्य में 45,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला एक रेयन ग्रेड लुगदी संयंत्र स्थापित करने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र

दिया था। फर्म ने जम्मू तथा काश्मीर में कारखाना लगाने के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय किया है। जम्मू तथा काश्मीर में संयंत्र स्थापित करने का आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में कागज के कारखाने की स्थापना

3893. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार तथा दण्डकारण्य परियोजना द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भी बसाया जा रहा है ;

(ख) क्या इन लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने की दृष्टि में उड़ीसा सरकार ने वहां एक कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये एक गैर-सरकारी फर्म के मामले की सिफारिश की है क्योंकि इसके लिये राज्य में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए उक्त फर्म को लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 60 हजार मी० टन कागज बनाने के लिए कोरापुट जिले में एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए गैर सरकारी फर्म के आवेदन पत्र पर सिफारिश की है। आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

नक्सलवादियों की गतिविधियों से रेलवे को हुई हानि

3894. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में नक्सलवादियों ने किन-किन रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किया ;

(ख) उसके परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितने मूल्यों की सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ग) यदि किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया और सजायें दी गई तो उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दम-दम कैंट, घकुरिया, हब्रा, उल्टाडांगा, जादवपुर, पार्क सर्कस, कुनूरी, टीटागढ़, लालगोला, शांतिपुर, प्लासी, बोनपास, झापतू झाल, खाना, डानकुनी, खगराघाट, नवद्वीपघाम और हुगलीघाट रेलवे स्टेशन।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) एक मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है।

(घ) इस समय नक्सलवादियों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर हमले की घटनायें पश्चिमी बंगाल राज्य तक सीमित हैं। चूंकि अराजकता की रोकथाम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए नक्सलपंथियों द्वारा रेल परिसरों पर किये जाने वाले हमले की घटनाओं की ओर पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया गया है और इन हमलों को रोकने के लिये आवश्यक उपाय करने का उससे अनुरोध किया गया है।

रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए और राज्य पुलिस प्राधिकारियों की सहायता के लिए, जो रेलों में अपराध और कानून तथा व्यवस्था की देखभाल करते हैं, रेल सुरक्षा दल/रेल सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारी भी अधिकाधिक तैनात किये जा रहे हैं।

दिल्ली में अनुसूचित समुदायों के औद्योगिक एककों को सहायता देने की योजना

3895. **श्री देवराज पाटिल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री दिल्ली में आदिम जातियों के औद्योगिक एककों को सहायता देने की योजना क्रियान्वित करने के बारे में 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में उपर्युक्त योजना क्रियान्वित की गई है ; और

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में भी उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। झिलमिल ताहिरपुर औद्योगिक क्षेत्र शाहदरा में 1/2 एकड़ भूमि खरीदी गई थी। शेडों का निर्माण करने तथा साज सामान की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये गये थे।

(ख) जी हां।

चनखा-वानी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

3896. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चनखा-वानी नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चनखा से वानी तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण सम्बन्धी क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है और इस समय मध्य रेलवे द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी जांच किये जाने के बाद ही सर्वेक्षण के परिणाम की जानकारी हो पायेगी।

नागपुर में आदिवासी विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल

3897. **श्री देवराव पाटिल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के राज्य में आदिवासी विद्यार्थी संघ, नागपुर के छात्रों ने जुलाई, 1970 में भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). नागपुर के जिन 8 छात्रों को राजकीय चोखामेला होस्टल, नागपुर में दाखला नहीं मिल सका था, उन्होंने जुलाई, 1970 में भूख हड़ताल कर दी ।

(ग) दो छात्रों को बाद में विशेष मामले के रूप में होस्टल में दाखिल कर लिया गया था तथा दूसरों को गैर-सरकारी स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाए गए होस्टलों में दाखिल किया गया था । यह हड़ताल 9 अगस्त, 1970 को समाप्त कर दी गई थी ।

गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के साथ पत्र-व्यवहार सम्बंधी नीति

3898. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या रेलवे मंत्री गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे कार्मिक संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के पत्र-व्यवहार पर विचार न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अन्य सरकारी विभागों में भी यही नीति अपनाई जाती है या केवल रेलवे विभाग में ही अपनाई जाती है ; और

(ग) इस नीति को अपनाने से क्या लाभ है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों में अमान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का उत्तर नहीं दिया जाता क्योंकि नियमित पत्र-व्यवहार केवल सम्बंधित प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अमान्यता प्राप्त यूनियनें बहुत सी हैं और उनसे निपटना व्यवहार्य नहीं है ।

भारतीय रेलों में वेतनमानों में अन्तर

3899. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या रेलवे मंत्री भारतीय रेलों में वेतनमानों में अन्तर के बारे में 17 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त जानकारी को प्राप्त करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) अनुबन्ध "क" के रूप में एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई, सभा-पटल पर रखा गया। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4054/70]

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

Rape of a Young Woman at Gorakhpur Railway Station (North Eastern Railway)

3900. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 10 men had raped a young woman of 20 years of age at Gorakhpur Jn. on the North Eastern Railway at mid-night of 22nd and 23rd May, 1970 and the Government Railway Police had conducted an enquiry into the incident ; and

(b) if so, the names and addresses of the men concerned and the action taken so far in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). No such incident took place in the jurisdiction of Government Railway Police, Gorakhpur. However a case of dacoity with rape was registered by the District Police, Gorakhpur. The allegation of rape has been found untrue during investigation.

Two persons have been arrested in this case.

Breaking of Seal of Nine Wagons of a Goods Train at Chauri Chaura (North Eastern Railway)

3901. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that off side seals of nine wagons (wagon Nos. 27622, 30844, 29065, 31829, 14781, 15315, 17105, 27092) of the Goods train standing on line No. 3 at Chauri Chaura Station on the North Eastern Railway were broken at 22.00 hrs. on the 6th March, 1970 resulting in detention of the train and the matter was reported by a R.F.C. constable ;

(b) if so, the action taken in this regard ; and

(c) if no action has been taken in the matter, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. Off side seals of nine wagons of a goods train standing in Chauri Chaura yard were found snatched on the 7th March, 1970 by some unknown persons but the rivets were intact.

(b) Protection seals were applied immediately and the wagons were despatched to the destination station. No shortage was reported from the destination station. It was a case of mischief.

(c) Does not arise.

Essay Competition for Railway Employees of Non Hindi Speaking States Organised by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

3902. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad had organised

an essay and declamation competition for the Railway employees of non-Hindi speaking states at Jabalpur, Central Railway ; and

(b) if so, the names, designations and addresses of the employees awarded prizes in the said competition and the number among them of those who are doing their work in Hindi ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. An Inter-Divisional Hindi Essay and Elocution Competition for Railway employees, whose mother tongue is a language other than Hindi was, however, organised at Jabalpur in June this year by the Central Railway Administration.

(b) The undermentioned employees were awarded prizes at the said competition :

ESSAY COMPETITION :

1. Shri M. S. Deshpande, Senior Clerk, D. S. Office, Jabalpur.
—1st prize—Rs. 100.
2. Shri S. R. Ahirrao, Senior Clerk, G. M. (CO)'s Office, Bombay.
—2nd prize—Rs. 75.
3. Shri S. K. Chomalia, Senior Clerk, D. S. Office, Nagpur.
—3rd prize—Rs. 50.

ELOCUTION COMPETITION :

1. Shri W. M. Deshpande, Senior Clerk, D. S. Office. Bhusawal.
—1st prize—Rs. 100.
2. Shri S. N. Anerao, Clerk, A.E.N.'s Office, Nagpur.—2nd prize—Rs. 75.
3. Shri Maheshkumarnath, Typist, D. S. Office, Jabalpur.
—3rd prize—Rs. 50.

These employees are permitted to do work in Hindi.

सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) बालीगंज स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर उपरी पुल

3903. **श्री भगवान दास** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के अन्तर्गत बालीगंज स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर उपरि पुल बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, क्योंकि कलकत्ता नगर सुधार मंडल की ओर से ऊपरी पुल के निर्माण के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मालूम हुआ है कि उन्होंने इस योजना के लिए केवल एक अस्थाई योजना तैयार की है।

(ख) और (ग). कलकत्ता नगर सुधार मंडल ने अभी तक रेलवे की इस योजना का ब्यौरा नहीं बताया है और इस लिए अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि उस योजना को 'कब' अन्तिम रूप दिया जायेगा और क्रियान्वित किया जायेगा।

हावड़ा स्टेशन रेलवे यार्ड में सुरक्षा व्यवस्था

3904. **श्री भगवान दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा स्टेशन रेलवे-यार्ड में सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण गत कुछ महीनों में वहां कई व्यक्ति हताहत हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर झाड़ग्राम रेलवे स्वेशन पर टाटा-हावड़ा एक्सप्रेस का रुकना

3905. **श्री वि० कु० मोडक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर जो नई टाटा-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई है, वह झाड़ग्राम स्टेशन पर नहीं रुकती है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन पर झाड़ग्राम स्टेशन एक व्यस्त स्टेशन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई अपेक्षित कार्यवाही करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गिधनी, चकुलिया, घाटशिला आदि जैसे अन्य स्टेशन हैं जहां झाड़ग्राम की अपेक्षा अधिक यातायात होता है लेकिन इन स्टेशनों पर भी 301 अप/302 डाउन हावड़ा-टाटानगर एक्सप्रेस गाड़ी को खड़ा नहीं किया जा रहा है। झाड़ग्राम स्टेशन पर तीन जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और दो जोड़ी सवारी गाड़ियां रुकती हैं जो यहां की आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त रूप से करती हैं। हावड़ा और झाड़ग्राम स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्री 83 अप एक्सप्रेस गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं जो हावड़ा से 19-50 बजे चलती है (जबकि 301 अप एक्सप्रेस गाड़ी 17-35 बजे छूटती है) और झाड़ग्राम स्टेशन पर 22-15 बजे पहुंचती है। दूसरी दिशा में यात्रा करने की सुविधा देने के लिए 1-10-1970 से 354 अप सवारी गाड़ी का समय इस प्रकार फिर से निर्धारित किया जा रहा है कि वह खड़गपुर स्टेशन पर 302 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी से कुछ ही समय पहले पहुँचे ताकि गिधनी, झाड़ग्राम, चकुलिया और घाटशिला स्टेशनों से चलने वाले यात्री कलकत्ता जाने के लिए खड़गपुर एक्सप्रेस गाड़ी का लाभ उठा सकें।

गारंटी अवधि में खरीदी गई नई कारों के खराब पुर्जों की बदली के लिए मोटर गाड़ियों के व्यापारियों द्वारा प्राप्त किया गया अग्रिम धन

3906. **श्री तुलशीदास जाधव :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें गारंटी अवधि के दौरान ही नई कारों के कुछ खराब पुर्जों

की बदली हेतु कार-बिक्रेताओं द्वारा अग्रिम धन लेने के सम्बंध में मैसर्स रमेश चन्द्र रणछोड़दास एण्ड कम्पनी, खड़क बाजार, बम्बई से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों की इस अनावश्यक प्रथा को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि गारंटी अवधि के दौरान खराब पुर्जों को बदलने का दायित्व निर्माताओं को ही स्वीकार करना होता है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा 1967 में स्थापित की गई और मोटर कार क्वालिटी जांच समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वह सिफारिश की थी कि गलत ढंग से बनाने या अकुशल कारीगरी के कारण मोटर कारों में जो भी दोष पाए जाएं उन्हें दूर किया जाना चाहिए और गारंटी की अवधि में उत्पादकों को ग्राहक पर कोई भार डाले बिना जिस में आनुषंगिक खर्च भी शामिल है, दोषपूर्ण पुर्जों को बदल देना चाहिए। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और इसे अमल में आने के लिए उत्पादकों को कानूनी निदेश दिये गये थे। उपर्युक्त फर्म की शिकायत मिलने पर इस विषय पर उत्पादकों से बातचीत की गई है। कार उत्पादकों का ध्यान भी इन कानूनी निदेशों की ओर आकर्षित किया गया है और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके बिक्रेता उन हिदायतों का पूरी तरह से पालन करें और यदि गारंटी की अवधि में उनका कोई बिक्रेता ग्राहकों से आनुषंगिक खर्च देने के लिए कहे तो उनसे कहना चाहिए कि वे इस प्रथा को तुरन्त बन्द कर दे।

Indignation over Anti-Hindi Policy Adopted by Authorities of Eastern Railway

3907. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-items published in the Hindi Daily 'Hindustan' dated the 1st August, 1970 under the caption 'Poorvi Railway ke adhikarion ki Hindi-virodhi niti par kshobh' authorities of the Eastern Railway; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The allegations made in the news-item are being examined.

Implementation of suggestions made by Committee on Uneconomic Branch Lines

3908. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Committee on Uneconomic Branch Lines has made certain suggestions to improve the condition of the Gwalior-Bhind, Gwalior-Sheopur and Gwalior-Shivpuri narrow-gauge lines of the Central Railway ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken to implement those suggestions ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Committee have recommended that the track of these narrow-gauge lines be improved and rolling stock replaced.

(c) The recommendations are under consideration and the cost of improving the track condition and also the replacement of existing rolling stock etc. are being assessed to enable a decision being taken.

Scheme to Remove Shortage of Railway Lines in Madhya Pradesh

3909. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of Railway lines in Madhya Pradesh is much less as compared to certain other States and, if so, the details of the scheme to remove this shortage ; and

(b) whether Government propose to extend the Railway lines from Sheopur Kalan to Sawai Madhopur, Datia to Urai via Sowralahar and Bhind to Etawah in order to connect the northern parts of Madhya Pradesh with the neighbouring States by the Railway lines ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The information about the route length of railway lines is not compiled State-wise but only Railway Zone-wise. A State-wise comparison is not, therefore, possible.

(b) No.

भारतीय नागरिकता प्राप्त किये बिना मतदाता के रूप से रजिस्ट्रीकृत नैपाली

3910. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से आकर भारत में (आसाम में) बसे नेपालियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त किये बिना ही मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). आसाम के मुख्य निर्वाचन आफिसर से जानकारी मंगाई जा रही है ।

भारत उत्तराधिकार, विभाजन तथा आय से सम्बद्ध कानून

3911. **श्री लोबो प्रभु** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, सामान्य सिविल विधि को ध्यान में रखते हुए, इस पर सहमत है कि इसका समारम्भ करने के लिए सभी भारतीय परिवारों को चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उत्तराधिकार, विभाजन और आय की बाबत, छूट के अध्यधीन रहते हुए विधि की दृष्टि से सयुक्त समझा जाए ;

(ख) कर से होने वाली आय में जो हानि इस सामान्य विधि के फलस्वरूप होगी वह अनुमानत: कितनी होगी ; और

(ग) क्या यह थोड़ा सा त्याग न केवल विषमता को हटाने के लिए बल्कि सामान्य सिविल विधि का समारम्भ करने के लिए न्यायानुमत न होगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के ध्यान में नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सैनिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर रहे रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण

3912. **श्री भगवान दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जुलाई, 1970 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगूडी जिले के माल बाजार क्षेत्र में 5 डाउन आसाम मेल से यात्रा कर रहे सैनिक कर्मचारियों ने हड़ताल करने वाले रेलवे कर्मचारियों पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सैनिक कर्मचारियों ने रेलवे जलपानगृह तथा परचून की दुकानों को लूटा था ;

(घ) क्या अधिकारियों ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 25 जुलाई, 1970 को न्यू माल जंकशन पर 4 डाउन असम मेल से यात्रा करने वाले सैनिक कर्मचारियों और अन्य यात्रियों द्वारा रेल कर्मचारियों पर हमला किये जाने की एक घटना हुई थी ।

(ख) और (ग). 24-7-1970 को लगभग 6 बजे 4 डाउन असम मेल न्यू माल जंकशन पर पहुंची जहां, 27-7-1970 को 20-00 बजे से सिलीगुड़ी जंकशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण उस गाड़ी को रोक देना पड़ा । रेल प्रशासन ने यह विनिश्चय किया कि 4 डाउन असम मेल को वापस न्यू बंगाईगांव ले जाया जाये, लेकिन गाड़ी में यात्रा करने वाले सैनिक कर्मचारियों और अन्य यात्रियों ने रेल प्रशासन के इस विनिश्चय पर आपत्ति की और गाड़ी को चलने नहीं दिया । 24-7-1970 की 4 डाउन गाड़ी से यात्रा करने वाले जो सैनिक और अन्य यात्री वहां रुक गये थे, वे 25-7-1970 को 7-30 बजे प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गये और उन्होंने हुल्लड़बाजी शुरू कर दी । उन्होंने खोमचे वालों पर हमला किया, मिठाई का टोकरा तोड़ दिया और किताबों की दुकान को लूट लिया वे रेलवे भोजनालय में घुस गये और उन्होंने फर्नीचर और खिड़कियों के शीशों को क्षति पहुँचाई और केंटीन का कुछ सामान लूट लिया । भीड़ ने दो रेल कर्मचारियों पर हमला किया । स्टेशन के कर्मचारी, स्टेशन को बन्द करके भाग गये । तुरन्त मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई । पुलिस और सैनिक प्राधिकारी मौके पर आये और स्थिति को काबू में किया ।

(घ) और (ङ). न्यू माल जंकशन की रेलवे पुलिस ने 25-7-1970 को भारतीय दंड

संहिता की धारा 147/448/380/323/426/337 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 121 के अन्तर्गत एक मामला सं० 3 दर्ज किया है और इसकी छान-बीन कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

Nationalisation of Cigarette Industries Controlled by Foreign Monopolists

3913. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether more than 80 percent of the cigarette industry in India is still controlled by the foreign monopolists ;

(b) whether 200 indigenous companies have been closed down in India during the last 40 years ;

(c) whether the sales and profits of the foreign cigarette companies have gone up 300 times during the last decade whereas they have increased their capital by 6 per cent only ;

(d) whether the country has been deprived of foreign exchange worth about Rs. 3.5 crores as a result thereof ; and

(e) if so, the efforts being made to nationalise the cigarette industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The percentage of the total production of the three majority foreign owned Cigarette Companies to the total production of the industry in the country in the year 1969 is approximately 77.

(b) Only two Indian Cigarette Companies are reported to have been closed down during the last 15 years.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4055/70].

(d) and (e). The foreign owned cigarette companies have been in existence since a long time and a certain amount of foreign exchange is being repatriated on account of profits and dividends. The amount thus remitted by way of profits and dividends during 1969 amounted to Rs. 148.15 lakhs. The foreign owned companies are being persuaded to associate Indian capital with a view to reducing the percentage of foreign holdings (whenever they come up for expansion).

There is no proposal at present for nationalisation of the Cigarette Industry.

Benefits Available to Workers of Delhi Social Welfare Advisory Board

3914. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Social Welfare Advisory Board is under the Delhi Administration but the employees working in this Board do not enjoy the same benefits as are enjoyed by the employees of the Delhi Administration ;

(b) whether it is also a fact that the employees of the said Board neither enjoy the benefit of Provident Fund nor any gratuity is given to them ; and

(c) if so, what are the prospects of the employees working in this Board ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c). The service conditions of the employees of Delhi Social Welfare Advisory Board are generally regulated with reference to the service rules of Delhi Administration. There can, however, be no rigid comparison because the Board is not part of Delhi Administration. The Board's employees are not now entitled to

the benefits of Provident Fund and Gratuity. Extension to them of the Contributory Provident Fund Scheme is under consideration.

Reorganisation of Central Social Welfare Board and Functioning of Delhi Social Welfare Advisory Board

3915. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Social Welfare Board has been converted as a company under the Companies Act ; and

(b) if so, what is the rule under which the Delhi Social Welfare Advisory Board is functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Social Welfare Advisory Board (including the Delhi Social Welfare Advisory Board) are functioning on the basis of conventions agreed to between the Central Social Welfare Board and the State Governments/Union Territories, as provided in Article 9 of the Articles of Association of the Board.

सरकारी क्षेत्र में कार परियोजना

3916. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना जिसमें 49 प्रतिशत अंशदान जनता का होगा, स्थापना सम्बन्धी सरकार के कथित निर्णय के सन्दर्भ में क्या सरकार ने 50,000 कारों के निर्माण के लिए विद्यमान एककों के उसी विनियोजन ढांचे पर विस्तार के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) इस प्रकार के विस्तार तथा प्रस्तावित नये कारखाने में विनियोजन में अनुमानतः कितना अन्तर होगा ;

(ग) यदि ऐसा अनुमान तैयार नहीं किया गया है, तो क्या सरकार का विचार नये कारखाने के बारे में निर्णय लेने से पूर्व ऐसा अनुमान तैयार करने का है ; और

(घ) नये कारखाने में कार की अनुमानित उत्पादन लागत क्या होगी और यह विद्यमान कारखानों की इस समय की उत्पादन लागत तथा उनकी उस समय की उत्पादन लागत से, जबकि 50 हजार कारें बनाने के लिए उनका विस्तार हो जायेगा, कम होगी या अधिक ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) सरकार ने 50,000 कारें प्रतिवर्ष बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के बारे में सिद्धान्त रूप में निर्णय कर लिया है। ऐसा विचार है कि 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर सरकार के होंगे तथा शेष 49 प्रतिशत जनता तथा अन्य पार्टियों के होंगे। इसी तरह के विनियोजन के नमूने पर विद्यमान एककों के विस्तार करने के प्रश्न पर, जिसमें सरकार को 51 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी लगानी है, विचार नहीं किया गया है यद्यपि विद्यमान एककों में से दो एककों द्वारा अपने वर्तमान विनियोजन के नमूने में विस्तार करने के लिऐ प्रस्तुत किये प्रस्तावों पर वर्तमान निर्णय करने से पहले विचार कर लिया गया था ।

(ख) और (घ). चूंकि सरकारी क्षेत्र की परियोजना के लिए अपेक्षित विनियोजन का विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है अतः अनुमानित विनियोजन अथवा अनुमानित उत्पादन लागत कितनी होगी, इस समय ऐसी तुलना करना संभव नहीं है ।

(ग) परियोजना की आर्थिक जीव्यता पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयान हो जाने के बाद तथा विनियोजन पर कोई निर्णय करने से पहले ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा हिंसात्मक हड़तालें

3917. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान रेलवे में कितनी हिंसात्मक हड़तालें हुई ;

(ख) यात्रियों को हुई कठिनाइयों तथा देश को हुई हानि के लिए हड़ताल करने वालों को किस प्रकार से दण्डित किया गया क्योंकि हड़तालें गैर-कानूनी थी ;

(ग) क्या दण्ड न दिये जाने से हड़तालों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तथा रेलवे में यह एक नियमित नहीं बन जायेगी ; और

(घ). इन हड़ताल करने वाले व्यक्तियों के स्थान पर काम करने के लिए रेलवे विभाग अथवा सेना के सम्बन्धित प्रभाग में आरक्षित दल न रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). गैर कानूनी हड़तालों के सभी मामलों का सामान्य परिणाम होता है सेवा में व्यवधान, जिससे पिछली सेवा के लाभ जब्त करने का अधिकार मिल जाता है । प्रत्येक मामले के गुणावगुण के अनुसार दण्ड भी दिया जाता है ।

(घ) प्रादेशिक सेना की इकाइयां पहले से सुलभ हैं, जिनका इन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है और किसी अन्य आरक्षित दल की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

अलाभप्रद शाखा लाइनों सम्बंधी समिति की सिफारिशों का स्वीकार किया जाना

3918. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मंत्री छोटी रेलवे लाइनों में सुधार के बारे में 24 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी लाइनों के सुधार से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) सभी सिफारिशों पर विचार पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) अनुबन्ध "क" के रूप में एक विवरण है जिसमें स्वीकृत सिफारिशों का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि इन सिफारिशों को किस रूप में कार्यान्वित किया गया अथवा

करने का प्रस्ताव है सभा पटल पर रखा गया [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4056/70]

हिंदू धार्मिक धर्मदाय विधेयक के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन

*3919. **श्री हेमराज** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दू धार्मिक धर्मदाय विधेयक के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर रखा जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Production of Skimmed Milk Powder by M/s. Northern Dairies with British Collaboration

3920. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether M/s. Northern Dairies have been permitted to obtain technical collaboration from some British Company to manufacture skimmed milk powder and other milk products ;

(b) whether India possesses the technical know-how to manufacture skimmed milk powder and other milk products ;

(c) if so, the reasons for permitting the above Company to obtain technical collaboration from a foreign company and the amount of foreign exchange that will be given to this company annually as technical fees for this scheme ;

(d) whether M/s. Northern Dairies shall also export milk powder and other milk products to foreign countries ; and

(e) whether the foreign exchange thus earned shall exceed the foreign exchange to be given to this campany as technical fees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) M/s Northern Dairies India Ltd. were allowed to enter into financial arrangements with M/s Northern Dairies Ltd., UK in July 1965 for the manufacture ot skimmed milk powder and other milk products.

(b) Yes, Sir.

(c) These financial arrangements were approved in order to cover the cost of imported capital equipment partly by 25% share contribution of the foreign company in the Indian equity of Rs. 25 lakhs and partly by deferred payment of foreign exchange loan. No technical fees or royalty is payable to the foreign company.

(d) Although no export obligation is stipulated in the licence the party is free to export without restrictions.

(e) Does not arise.

Recovery of Stolen Railway Goods by Kotwali Police, Gorakhpur (U. P.)

3921. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway employees and also involved in the theft case in which Railway goods weighing about three tonnes have been seized by the Kotwali Police, Gorakhpur (U. P.) from the house of a junk dealer ; and

(b) if so, the action being taken against the Railway employees involved in this theft case ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Police investigation which is still in progress has not revealed complicity of any Railway employee in this case so far.

(b) Does not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनों में विभाजन के कारण फालतू कर्मचारियों को जोनदार रेलवे में लिया जाना

3922. **श्री चंद्रिका प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनों में विभाजन के परिणामस्वरूप कुल कितने कार्यालय-कर्मचारी फालतू हो गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि फालतू कर्मचारियों को विभिन्न रेलवे जोनों में और विभिन्न श्रेणियों में स्थानांतरित कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो कर्मचारी इस प्रकार से जबरदस्ती स्थानांतरित कर दिये गये हैं वे अपने-अपने जोनों में वापस जाने की मांग कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके व्यक्तिगत अनुरोधों पर सरकार ने उन्हें उन मूल रेलवे कार्यालयों में भेजने क लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लुमडिंग तथा अलीपुर द्वारा डिविजनों (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) के वाणिज्यिक लिपिकों को स्थाई करना

3923. **श्री चंद्रिका प्रसाद :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग तथा अलीपुर द्वारा डिविजनों के वाणिज्य लिपिकों की वरिष्ठता सूची 1960 के बाद प्रकाशित नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन वाणिज्यिक लिपिकों को 1958 या उससे बाद में नियुक्त किया गया था, उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों को स्थाई बनाने और वरिष्ठता सूची के प्रकाशित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जी हां, इनमें से कुछ वाणिज्यिक क्लर्कों को स्थाई नहीं किया जा सका क्योंकि वे विभागीय परीक्षा अथवा प्रथमोपचार परीक्षा में पास नहीं हो सके और निर्धारित कसौटी पर पूरे नहीं उतरे थे ।

(घ) उन्हें फिर उक्त परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए बुक किया जा रहा है ताकि वे उपलब्ध स्थायी रिक्तियों पर स्थाई किये जाने के पात्र हो जायें ।

उत्तर रेलवे के डोढ स्टेशन पर आक्रमण तथा हताहत लोगों को मुआवजा

3924. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 में कुछ गैर-कानूनी व्यक्तियों ने उत्तर रेलवे के एक झण्डी स्टेशन डोढ पर आक्रमण किया तथा कार्यरत एक बुकिंग क्लर्क को हताहत करके मार डाला था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) हताहत कर्मचारियों को कितना कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) रेलवे ने ऐसे स्टेशनों पर कर्मचारियों तथा रेलवे सम्पत्ति की समुचित सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). 24-5-1970 को लगभग 20-15 बजे, नं० 8 एफ एफ सवारी गाड़ी निकल जाने के बाद दो बाहरी आदमी डोढ स्टेशन के टिकट बाबू के पास आये और उनसे कुछ रुपया और शराब की मांग की । इन्कार करने पर उन्होंने किसी तेज हथियार से टिकट बाबू पर आक्रमण कर दिया और उनकी कलाई घड़ी और 26.0 रुपये नकद लेकर चम्पत हो गये । स्टेशन का घंटा सुनकर डोढ गांव के निवासी टिकट बाबू को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल फिरोज पुर भेज दिया । स्टेशन से रेलवे की नकदी और टिकटों को कोई हानि नहीं हुई । टिकट बाबू खतरे से बाहर हैं और बताया जाता है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है । रेलवे पुलिस, फिरोजपुर ने इस सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 382, 325 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच कर रही है । अपराधियों में से एक गिरफ्तार किया जा चुका है और कलाई घड़ी उससे बरामद हुई है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस से निकट सम्पर्क रखा जाता है । रेलवे पुलिस रेल कर्मचारियों का मनोबल बनाये रखने के लिए इस खण्ड में गश्त लगा रही है ।

रेलवे के विशेष रूप से दावा अनुभाग की कार्यप्रणाली सम्बंधी जाँच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

3925. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मन्त्री रेलवे के विशेष रूप से दावा अनुभाग की कार्य प्रणाली सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों के बारे में 28 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 324 सिफारिशों के बारे में अब तक किये गये विचार तथा निर्णयों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) शेष सिफारिशों के बारे में भी अन्तिम रूप से निर्णय करने में कितना समय लगाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रशासन ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में आनाकानी कर रहा है जिनसे कर्मचारियों को कुछ लाभ मिल सकता है या जिनसे उनकी कार्य सम्बन्धी कठिनाइयां कम हो सकती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रिपोर्ट के सारांश के निम्नलिखित 324 पैराग्राफों में दिये हुए विचारों और सिफारिशों को 28-7-1970 तक अन्तिम रूप दिया जा चुका था :

1 से 65, 68 से 71, 74 से 95, 97 से 99, 102 103, 105 से 107, 109, 115 से 117, 119 से 151, 154, 155, 158 से 160, 167, 182, 186, 187, 189, 196, 197, 206 से 213, 215 से 218, 222, 224, 225, 227 से 232, 234, 252 से 254, 330 से 333, 344 से 354, 366, 367, 369, 370, 382 से 385, 389, 390, 393 से 401, 403 से 409, 411 से 426, 435 से 449, 498 से 508, 519 से 531, 536 से 548, 565 से 573, 612, 613 और 615 ।

(ख) जहां कहीं आवश्यक था, क्षेत्रीय रेलों को हिदायत दे दी गई है कि सुधारक कर्रवाई के लिए विचारों को नोट करें और स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये । क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से यह भी कहा गया है कि सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए उपयुक्त संगठन स्थापित किया जाये ।

(ग) अब तक कुल मिलाकर 457 विचारों और सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है शेष 161 विचार और सिफारिश विचाराधीन हैं और जैसे ही संभव होगा उनको शीघ्र की अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(घ) जी नहीं ।

(घ) कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों को सरकार की स्वीकृति और साधनों के भीतर दूर करने के लिए हमेशा प्रयास किये जाते हैं ।

पठानकोट और बैजनाथ पपरोला (उत्तर रेलवे) के बीच पूरे डिब्बों वाली गाड़ियों का चलाया जाना

3926. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन पर एक गाड़ी के लिए 9 यात्री डिब्बे स्वीकृत हैं ;

(ख) क्या 29 जून, को 5 पी० बी० गाड़ी में केवल 5 यात्री डिब्बे थे और एक माल डिब्बा था ;

(ग) क्या पठानकोट से बैजनाथ पपरोले तक प्रतिदिन गाड़ियों में यात्री डिब्बों की संख्या स्वीकृत संख्या से कम होती है तथा वहां पर भीड़ इतनी अधिक होती है कि लोगों को पायदानों पर खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये और उपर्युक्त स्टेशनों के बीच 9 यात्री डिब्बों वाली गाड़ियां चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) इस रेलवे में विभिन्न गाड़ियों की रचना सवारी डिब्बों की किस्म (हल्के अथवा भारी) और यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार एक खण्ड से दूसरे खण्ड पर भिन्न होती है जैसा कि नीचे बताया गया है :—

गाड़ी नं०	खण्ड	रचना
1 पी बी/4 पी बी	पठानकोट-बैजनाथ पपरोला	7 सवारी डिब्बे
2 पी बी/3 पी बी	,, ,,	8 सवारी डिब्बे
1 पी बी जे/2 पी बी जे)	बैजनाथ पपरोला-जोगिन्दरनगर	9 सवारी डिब्बे
3 पी बी जे/4 पी बी जे)		5 सवारी डिब्बे

(ख) 5पी बी नम्बर की कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन 29-6-70 को सभी गाड़ियां पूरे सवारी डिब्बों के साथ चली सिवाय 1 पी बी जे के जिसमें केवल 7 सवारी डिब्बे चले क्योंकि उस गाड़ी में भारी किस्म के नये सवारी डिब्बे लगाये गये थे, गाड़ियों का भार सवारी डिब्बों की संख्या से नहीं, बल्कि कुल मीटरिक टन भार से शासित होती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

कांगड़ा घाटी रेलवे की गति को तेज किया जाना

3927. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे की धीमी गति के कारण पठानकोट से जोगिन्द्रनगर तक रेल द्वारा यात्रा करने में 12 से 14 घण्टे लगते हैं जबकि बस द्वारा 6-7 घण्टे में ही पूरी हो

जाती है और इसी कारण से अधिकतर लोग यात्रा करने अथवा माल भेजने के लिए रेल की बजाय मोटर परिवहन का उपयोग करते हैं ; और

(ख) क्या गाड़ी की गति को तेज करने के उद्देश्य से कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). पठानकोट-जोगिन्द्रनगर पहाड़ी खण्ड छोटी लाइन की शाखा लाइन है जहां भाप के छोटे-छोटे रेल इन्जन चलते हैं। तेज घुमावों और खड़े चढ़ाव-उतार के कारण इस खण्ड पर गाड़ियों की अनुमेय रफ्तार अपेक्षाकृत कम है। पठानकोट और जोगिन्द्रनगर के बीच की 164 कि० मी० दूरी सवारी गाड़ियां इस समय लगभग 11 घण्टों में तय करती हैं, जो रेल पथ और कर्षण की वर्तमान अवस्था को देखते हुए न्यूनतम अपेक्षित समय है।

लोंडा-मरमागांव में रेलवे द्वारा अयस्क की ढुलाई

3928. **श्री शिंकरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः गोआ संघ राज्य क्षेत्र के तथा गोआ के बाहर के स्टेशनों से बुक किया गया कुल कितना अयस्क वर्ष 1967, 1968 और 1969 में रेलवे द्वारा लोंडा-मरमागांव क्षेत्र में ढोया गया ;

(ख) मरमागाव तक अयस्क की उक्त ढुलाई से रेलवे को कुल कितनी आय हुई ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में रेलवे द्वारा उसी क्षेत्र में कितने टन अन्य माल ढोया गया और उससे रेलवे को कितना लाभ हुआ ; और

(घ) उपर्युक्त क्षेत्र के उद्योगपतियों ने माल डिब्बों के लिए जो मांग की क्या रेलवे प्रशासन उसे तत्काल पूरा करने में समर्थ रहा ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) गोआ के संघ शासित क्षेत्र में और गोआ के बाहर स्थित स्टेशनों से क्रमशः 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में बुक किये गये और रेलवे द्वारा लोंडा-मार्मुगोवा सेक्टर में ढोये गये कुल अयस्क की मात्रा नीचे दिखायी गयी है।

स्टेशनों से ढोया गया अयस्क

वर्ष	गोआ के संघ शासित क्षेत्र में	गोआ क्षेत्र के बाहर
		(आंकड़े मीटरिक टनों में)
1967-68	83885	814813
1968-69	115318	670741
1969-70 (अप्रैल से सितम्बर तक)	66654	206807

(ख) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 (अप्रैल से सितम्बर तक) में मार्मुगोवा बन्दरगाह तक अयस्क की ढुलाई से रेलों को क्रमश: 1.66, 1.46 और 0.48 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

(ग) इसी सेक्टर में 1967-68, 1968-69 और 1969-70 (अप्रैल से सितम्बर) के वर्षों में रेलों द्वारा ढोये गये अन्य माल की ढुलाई और उससे आमदनी नीचे दिखायी गयी है :

वर्ष	अन्य ढोये गये माल की मात्रा (मीटरिक टनों में)	आमदनी (करोड़ रुपयों में)
1967-68	213183	0.67
1968-69	175574	0.52
1969-70	29695	0.09

(घ) जी हां। उपर्युक्त क्षेत्र में माल डिब्बों की मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में सामान्यत: कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

Recruitment of Harijans and Advasis to Class IV Posts in Jhansi Division against Reserved Quota

3929. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any recruitment to Class IV posts was made in the Jhansi Division during the last three years ;

(b) if so, the number of persons recruited department-wise ;

(c) the total number of Harijans and Adivasis among them separately ; and

(d) whether the quota reserved for the Harijans and Adivasis has been fulfilled and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) and (c).

Department	No. of persons recruited.	No. of Harijans and Adivasis among them.	
		S. C.	S. T.
Medical	21	17	Nil
Mechanical	135	30	Nil
Electrical	8	2	Nil
Signal and Telecom-munication	27	3	Nil
Engineering	73	15	1
Commercial	1	Nil	Nil

(d) The recruitment of Class IV staff is designed mostly to attract local people. The quota reserved for Scheduled Castes has been fulfilled but the reserved quota could not be fulfilled in the case of Scheduled Tribe due to paucity of candidates within Jhansi area.

Express Train from Jhansi to Varanasi via Manikpur

3930. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a long standing demand for introducing an Express train from Jhansi to Varanasi via Manikpur ;

(b) whether there being no direct Express train between Allahabad and Varanasi, all the passengers of this area have to travel via Kanpur as a result of which they have to spend more time and money as fare ; and

(c) whether Govenment propose to take early steps to introduce an Express train from Jhansi to Varanasi or Allahabad in order to give facilities to the public of this backward area ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) No direct train runs between Jhansi and Varanasi but convenient connected services are available via Manikpur-Allahabad which route is only 16 Kms. shorter than the route via Kanpur. However, one IIIrd Class through coach runs between Jhansi and Varanasi via Manikpur by 523 Dn Passenger/27 Dn Express and 28 Up Express/522 Up Passenger. For the convenience of the public, it is proposed to replace this through coach by 2-tier sleeper coach from 1-10-1970.

(c) The present offering of traffic on this route does not justify the introduction of proposed train. Besides, running of this train is also operationally not feasible at present for want of line/terminal capacity.

बेबीना (मध्य रेलवे) के समीप एक माल गाड़ी के इंजन का पटरी से उतर जाना

3931. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून, 1970 के रात्रि 11-30 बजे, झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेबीना के समीप माल गाड़ी का इन्जन कुछ डिब्बों सहित पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो जिस दोहरी लाईन पर यह गाड़ी पटरी से उतरी थी उसका निर्माण किसी ठेकेदार ने किया था या रेलवे विभाग ने और इस पर कितनी लागत आई थी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और यदि हां, तो इसके लिये उत्तर उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां, इस दुर्घटना में माल गाड़ी नं० टी-10 अप का इन्जन और गाड़ी के इन्जन से लगा पहला डिब्बा पटरी से उतर गये थे ।

(ख) और (ग). जी नहीं । दुर्घटना बम्बई से 1101/11-13 किलोमीटर की दूरी पर बबीना और वरहपुरा के बीच हुई थी न कि बम्बई से 1110-35 कि० मी० और 1102-37 कि० मी० के बीच बिछायी गयी नयी रेलवे लाइन पर खजराहा और बबीना के बीच/यह दुर्घटना गाड़ी के इंजन में यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण हुई थी जिसके लिये कोई रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है ।

Incidents of Wire Cutting in Certain Sections of Jhansi Division (Central Railway)

3932. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there have been frequent incidents of wire-cutting since long on the Jhansi-Kanpur, Jhansi-Agra and Jhansi-Manikpur sections of the Jhansi-Division ;

(b) if so, the number of persons arrested or prosecuted in this regard ; and

(c) whether any investigation has been conducted by the Railway Vigilance Department and, if so, the names of persons or parties found involved in these incidents of wire-cutting and the action taken against them ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Only Jhansi-Agra Section reported frequent wire thefts belonging to Post and Telegraph Department.

(b) 10 persons were arrested in 1969 and 10 persons in 1970 (upto June). All the accussed persons were prosecuted and the cases are *sub-judice*.

(c) No.

Protection to Railway Dam in Jhansi for Regular Supply of Water

3933. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) wh ther electric wires were cut on the 29th June, 1970 in Jhansi Railway area, as a result of which crisis developed in the whole area due to non-availability of water ; and

(b) whether the Railway authorities had made arrangements for the security of the Railway dam so that regular water supply could be made cvailable to the people in the Railway area ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The copper jumper on the high tension electric supply lines was cut by some unknown persons on 28-6-70 at about 22.30 Hrs. (and not on 29-6-70). There was, however, no interruption to water supply.

(b) Railway Protection Force sainiks have been posted at Guddia Dam for guarding the same. Pipe line running between Guddia Dam to Jhansi is inspected daily by watchmen and the overhead lines are patrolled by the district police during the night.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त की नियुक्ति

3934. **श्री सिद्दय्या :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वर्तमान आयुक्त को उनके कार्य भार से मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या उनके स्थान पर नये आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वर्तमान आयुक्त ने 30 जून,

1970 के अपराह्न से पद भार त्याग दिया और 1 जुलाई, 1970 से 83 दिनों की छुट्टी पर चले गये।

(ग) नहीं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी जातियों के मैट्रिक के बाद विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

3935. **श्री सिद्दय्या :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के अलग-अलग मैट्रिक के बाद के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए 1968-69 और 1969-70 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) कुल धनराशि में से शैक्षिक संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों के रूप में काट ली गई और विद्यार्थियों को वास्तव में कितनी धन राशि प्राप्त हुई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रखे विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4057/70]

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मैट्रिक-उपरान्त छात्र-वृत्तियों की योजना के अधीन छात्रवृत्ति की रकम में भरण-पोषण खर्च, फीसें, अनुमोदित अध्ययन दौरों पर हुआ खर्च तथा थीसिस की टाईपिंग/मुद्रण शामिल हैं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भरण-पोषण, फीसों इत्यादि पर किये गए कुल खर्च का अलग अलग बटवारा सुलभ नहीं है।

Recognition of Trade Union in Triveni Structurals Factory, Naini

3936. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the name of the trade union in the Triveni Structurals Factory, Naini which has been given recognition ;

(b) the number of members of the aforesaid Union ;

(c) whether any other Union, which represents a large number of workers, has applied for recognition ;

(d) if so, the reason for not giving recognition to the said union ; and

(e) if the recognition is proposed to be given, from what date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Triveni Structurals Limited Mazdoor Union Naini, Allahabad.

(b) This information is not available with the Company.

(c) Triveni Structurals Shramik Sangh, Naini, Allahabad and Triveni Structurals Ltd. Karamchari Sangh, Naini, Aliahabad have applied to Labour Department of Uttar Pradesh Government for recognition. The strength of workers represented by them is not known.

(d) and (e). The matter is under the consideration of Labour Department of Uttar Pradesh Government.

Construction of New Railways Bridges over the Rivers

3937. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Railways be pleased eo state :

(a) the number of Railway Bridges built over the rivers which have outlived their normal life ; and

(b) the number of new bridges proposed to be constructed by Government in place of those bridges ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Rebuilding of Railway bridges is taken up as required on condition basis whenever they show signs of distress and not merely on the basis of their age.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

बम्बई में सांताक्रुज हवाई अड्डा रेस्तरां में कोका कोला का विक्रय मूल्य

3938. **डा० कर्णी सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा ठंडे पेयों की कीमतें घटाने के निर्णय के बावजूद भी बम्बई (सान्ताक्रुज) हवाई अड्डे के रेस्तरां में कोका कोला अभी एक रुपया दस पैसे प्रति बोतल के भाव से बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). कोका-कोला के मूल्य पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । सरकार के कहने पर शीतल पेय के संयंत्रों ने मूल्यों को कम किया है किन्तु खुदरा विक्रेताओं के मूल्य उनकी व्यवस्था तथा सेवा शुल्क (सर्विस चार्जेज) के अनुसार अलग-अलग होते हैं ।

Replacement of Old Engines on Narrow-Gauge Line of Yeotmal-Murtazapur-Achalpur to maintain Regularity

3939. **Shri Deo Rao Patil** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway engines operating on the narrow-gauge line of Yeotmal-Murtazpur-Achalpur and Pulgaon-Arvi are not in working order as a result of which trains are not running regularly on these lines ;

(b) whether the private company is not prepared to get the said engines repaired or buy new ones ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Most of the locomotives working on this section are overage, but they are being kept in working order by giving them more frequent attention.

(b) and (c). This section is owned by the Central Provinces Railway Company Limited but is worked by the Central Railway under an Agreement. Repairs to locomotives are undertaken at Parel Workshops of the Central Railway. The Company is not in a position to incur capital expenditure on new locomotives.

ग्रौलावाककोट (दक्षिण रेलवे) के क्रिग्रों छंटाई कारखाने का विस्तार

3940. **श्री ई० के० नायनार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि क्रिओं (केरल राज्य) छंटाई कारखाने का उत्पादन घटता जा रहा है ;

(ख) क्या कारखाने में कम काम होने के कारण 50 से भी अधिक मजदूरों की नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने में कार्य बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कच्चे स्लीपरों की, प्राप्ति में कमी और लोबान सप्लाई की स्थिति असंतोषजनक होने के कारण इस कारखाने के काम को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ट्रैक्टर बनाने वाली कम्पनियां

3941. **श्री रामावतार शर्मा**: क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्र** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में स्थापित की गई ट्रैक्टर बनाने वाली कम्पनियों तथा जिन स्थानों पर वे स्थापित की गई उनके नाम क्या हैं ;

(ख) 1970-71 में स्थापित की जाने वाली ट्रैक्टर कम्पनियों के नाम तथा जिन स्थानों पर उन्हें स्थापित किया जाना है उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके सहयोग से यह कारखाने लगाये जायेंगे ; और

(घ) इन कारखानों के चालू होने के बाद ट्रैक्टरों का वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 की अवधि में किसी कम्पनी ने ट्रैक्टर बनाने का कोई नया कारखाना स्थापित नहीं किया है ।

(ख) से (घ). ट्रैक्टर का निर्माण करने हेतु कारखाना स्थापित करने के बारे में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । निम्नलिखित योजनाओं को या तो लाइसेंस दे दिया गया है या उन्हें सिद्धान्त रूप में स्वीकृत दे दी गई है और आगामी कुछ वर्षों में उनके कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ।

भारतीय कम्पनी तथा ट्रैक्टर के मेक का नाम	फैक्टरी का स्थान	विदेशी सहयोग कर्ता के देश का नाम	अनुमानित वार्षिक क्षमता
1	2	3	4
1. मैं० एस्कार्ट ट्रैक्टर लि० फरीदाबाद (फोर्ड-3000) (46 अ०श०)	फरीदाबाद हरियाणा	अमरीका	6,000 संख्या
2. मे० किर्लोस्कर ट्रैक्टर लि० पूना (डयट्ज 4 मेक 27.75 अ० श०)	नासिक महाराष्ट्र	पश्चिमी जर्मनी	10,000 संख्या
3. मे० गाजियाबाद इन्जीनियरिंग कं प्रा० लि० नई दिल्ली (डीटी-14बी (14 अ० श०)	लोनी (उत्तर प्रदेश)	रूस	10,000 सं०
4. मैं० स्टेयर इण्डिया लि० बम्बई 'स्टेयर' (44 अ० श०)	बंगलौर	आस्ट्रिया	12,000 सं०
5. मे० कमल ट्रैक्टर इंजोनियरिंग एण्ड प्राइजेज हैदराबाद, 'गल्डनर' 4 मेक 15,25,35 तथा 45 अं० शं०	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	पश्चिमी जर्मनी	10,000 सं०
6. हिन्दुस्थान मशीन टूल्स लि० पिंजौर जीटर 2011-2511 (20 अ० श०)	पिंजौर (हरियाणा)	चैकोस्लोवाकिया	12,000 सं०
		योग	60,000 सं०

उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के लिए क्षेत्रों का अध्ययन

3942. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1964 में उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल डा० खोसला का ज्ञापन मिलने पर उन्हें सूचित किया था कि इस कार्य के लिए देश के आठ क्षेत्रों में अध्ययन कार्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह आठ क्षेत्र कौन से थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप- मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ ।

(ख) कच्चे लोहे के कारखाने लगाने के लिए जिन आठ क्षेत्रों पर विचार किया गया था उनके नाम थे : (1) सिन्द्री-बर्मो-रामगढ़ क्षेत्र (2) बाराजमदा-बाराकोट-बेनाईगढ़-हीराकुड-तलचर क्षेत्र (3) पाराद्वीप (4) काकिनाडा (5) राउघाट (6) नागपुर-चन्दा-पंच घाटी क्षेत्र (7) झिलीमिली क्षेत्र और (8) हल्दिया ।

उड़ीसा में धमन भट्टी समूहों के लिए मैसर्स दस्तूर एंड कंपनी द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना

3943. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में धमन भट्टी समूहों की स्थापना के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 1964 के अन्त में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को नियुक्त किया था ।

(ख) क्या इस कंपनी ने इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा के क्षेत्र में कभी सम्भाव्यता अध्ययन किया था ।

(ग) क्या सरकार को मैसर्स दस्तूर एंड कंपनी से और मैसर्स कुलजियन कारपोरेशन से इस बारे में 1966 में रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं ;

(घ) क्या उन रिपोर्टों पर विचार और निर्णय कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये और कब ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग). देश में धमन भट्टियां लगाने के लिये उपयुक्त स्थल ढूंढ़ने हेतु सरकार ने दस्तूर एंड कम्पनी और कुलजियन कारपोरेशन दोनों को स्थल निर्धारण अध्ययन करने का काम सौंपा था। दोनों परामर्शदाताओं ने ये अध्ययन किये और 1966 में अपनी रिपोर्टें दीं ।

(घ) और (ङ). इन रिपोर्टों पर विचार किया गया लेकिन कच्चे लोहे की अनुमानित मांग में कमी होने के कारण जो आर्थिक मंदी के फलस्वरूप और भी कम हो गई थी और साधनों पर बहुत दबाव होने के कारण धमन भट्टियां स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया था ।

उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के संबंध में उड़ीसा सरकार का अभ्यावेदन

3944. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रवि राय:

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से 1967,1-68 और 1969 में कोई

अभ्यावेदन या ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें चौथी योजना काल में उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने के लिए कहा गया हो ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य की चौथी योजना के मसौदे में इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत किया था ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। कथित वर्षों में कोई नहीं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए उड़ीसा सरकार के प्रस्तावों में किसी इस्पात कारखाने का जिक्र नहीं था।

गुजरात के उद्योगपतियों को आशय-पत्र जारी किया जाना

3945. **श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दो उद्योगपतियों को जारी किए गए आशय-पत्र हाल ही में रद्द कर दिए गए हैं ;

(ख) भारत सरकार ने किस आधार पर इस प्रकार की कार्यवाही को करना उपयुक्त समझा है ;

(ग) क्या लाइसेंस और आशय पत्र धारियों के लिए कोई विशेष नियमावली है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में लाइसेंस और ऐसे आशय पत्रों की कुल संख्या कितनी है जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि वे दो वर्षों से अधिक समय से भी पूर्व जारी किए गए थे ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). 1 जनवरी, से 30 जून, 1970 की अवधि में गुजरात के तीन आशय पत्रों को पार्टियों द्वारा आशय पत्रों में आवद्ध शर्तें पूरी न कर सकने के फलस्वरूप रद्द कर दिये गये।

(ग) और (घ). लाइसेंसों के कार्यान्वयन की राज्यवार समेकित जानकारी नहीं रखी जाती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा ऐसे मामलों में जिसमें लाइसेंसधारी नियत अवधि (अथवा संगत कारणों से लाइसेंस वैधता की बढ़ाई गई अवधि के भीतर "प्रभावी कदम" उठाने अथवा लाइसेंस का कार्यान्वयन करने में सफल नहीं हो पाते हैं उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लाइसेंस का प्रतिसंहार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक किसी "आशय-पत्र" का संबंध है यह निर्धारित अवधि (अथवा "आशय-पत्र" की सरकार द्वारा उचित आधार पर बढ़ाई गई वैधता की अवधि)में इसमें "आवद्ध शर्तों" के पूरा न करने पर स्वतः व्यपगत हो जाता है

इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी

3946. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी के स्वामित्व में विदेशी हिस्से कितने हैं ;

(ख) इस कम्पनी की क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या इसकी क्षमता में गत तीन वर्षों में कोई वृद्धि हुई है या अब इसमें वृद्धि की मंजूरी दिये जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) लगभग 68 प्रतिशत ।

(ख) दो पारी के आधार पर 2,42, 00 लाख टन प्रति वर्ष ।

(ग) विगत तीन वर्षों में उनके उत्पादन में बढोतरी हुई है । क्षमता में बढ़ोतरी की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

रेलवे में कार्य करने वाले स्टेनोग्राफरों को वेतन निश्चित करने में सेवा अवधि का लाभ देना

3947. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1964 को या इसके बाद रेलवे में भर्ती किये गये स्टेनोग्राफरों को, रेलवे बोर्ड के 1964 के आदेशों के अनुसार 130-300 रुपये के वेतनमान में आरम्भ में 150 रुपये का अधिक वेतन दिया गया था ;

(ख) क्या चार वर्षों से कम सेवा वाले स्टेनोग्राफरों का वेतन भी बढ़ाया गया था और 130-300 रुपये के वेतनमान में 150 रुपये निश्चित किया गया था ;

(ग) क्या नये स्टेनोग्राफरों और चार वर्ष से कम सेवा वाले स्टेनोग्राफरों को अधिक वेतन देने के कारण चार वर्ष या इससे अधिक सेवा वाले स्टेनोग्राफरों के वेतन निश्चित करने के मामले में सेवा का लाभ देने से इंकार कर दिया गया था ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या यह कार्यवाही भेदभावपूर्ण नहीं है क्योंकि चार वर्ष और इससे अधिक अवधि तक सेवा करने वाले कर्मचारी को कोई लाभ नहीं दिया गया है ; और

(ङ) इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग), (घ) और (ङ). वेतनमान का पुनरीक्षण नहीं किया गया है और इसलिए सेवारत स्टेनोग्राफरों को उनके वेतन के निर्धारण में सेवा का लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता । कोई भेद-भाव नहीं बरता गया है क्योंकि सेवारत स्टेनोग्राफरों का वेतन बढ़ाकर गति के सम्बन्ध में समान अर्हताओं वाले नये रंगरुटों के वेतन के स्तर के अनुरूप कर दिया गया है ।

गोवा में इस्पात का कारखाना

3948. **श्री शिकरे** : **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के लोगों की इच्छाओं और दावों की ओर ध्यान न देकर हासपेट, सेलम

और विशाखापटनम में इस्पात के कारखाने स्थापित करने के बारे में गोआ के समाचार-पत्रों में की जा रही सरकार की तीव्र आलोचना की ओर सरकार ने ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार को गोआ के लोगों और सरकार की इन भावनाओं की जानकारी है कि उक्त कारखानों का नियतन केन्द्रीय सरकार ने गुणावगुणों के आधार पर नहीं अपितु राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर और दबाव में आकर किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों तथा स्थानीय सरकार में फैले असंतोष को दूर करने और निकट भविष्य में वहां पर सरकारी क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना स्थापित करने का है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). उस क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में गोआ का दबाव सरकार के ध्यान में है ।

(ग) प्रधान मन्त्री द्वारा 17 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । जैसा कि प्रधान मन्त्री ने बताया था देश में कई उपयुक्त स्थान है । अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ इस्पात की मांग बढ़ेगी और नये इस्पात कारखाने लगाने पड़ेंगे । उस समय इन सभी स्थानों पर विचार किया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अपर (उत्तरी) गंगा नहर में रेत का जमा होना

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported damage caused to crops and closure of power houses due to siltation of sand in the upper (Northern) Ganges Canal at Hardwar."

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : गंगा के वाह क्षेत्र में 20 जुलाई को भारी वर्षा हुई जिससे बहुत ही संख्या में पहाड़ियों का स्खलन हुआ तथा नदी के तटों का गंभीर रूप से अपरदन हुआ । परन्तु, चूंकि यह वर्षा एक दिन के पश्चात बन्द हो गई, इसलिए गंगा में बाढ़ केवल थोड़े से समय तक रही इसके बाद पानी बह कर नीचे चले आया । पानी की इस कमी से नदी के पानी में निलंबित गाद और गाढ़ा हो गया और यह गाढ़ापन 3.6 प्रतिशत तक पहुँच गया जबकि वर्ष के तदनुरूप समय में सामान्य गाढ़ापन 0.3 प्रतिशत होता है । खरीफ की फसलों को पानी की सप्लाई करने के लिये गंगा में 10500 क्यूसेक का पूर्ण जल निःसार प्रवाहित हो रहा था और भारी मात्रा में गाद से भरा वह पानी जो गंगा में 21 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रवाहित हो रहा था, नहर में प्रवाहित होता रहा । परिणामस्वरूप नहर के तल में मायापुर के हैडरेगुलेटर की अनुप्रवाह दिशा में प्रथम 7 मिलों में 5 फुट से 8 फुट की गहराई तक गाद भर गया ।

गाद को निकाल फेंकने के प्रयास सफल न हुए और नहर 13 अगस्त को बन्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर तक गाद को निकाल कर रबी की फसलों को पानी देने के लिये 15 अक्टूबर तक नहर में पानी छोड़ देने के प्रबन्ध कर लिये हैं।

ऊपर की दुर्घटना से जो सीधी हानि हुई है वह लगभग 2 करोड़ रुपये की होगी जिसमें रेत को निकालने की लागत और विद्युत तथा सिचाई से आने वाले राजस्व को हानि शामिल है। फसलों को पहुंची क्षति का मूल्यांकन केवल अक्टूबर के पश्चात् किया जा सकता है।

मैंने नहर का निरीक्षण किया और वे उपाय सुझाये जिन्हें भविष्य में इस प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए अपनाया जाना है। मैंने गाद को निकालने के काम में तेजी लाने के लिये ब्यास परियोजना से कुछ मशीनरी देने का प्रस्ताव भी किया है।

गंगा के पानी के लिए भारी मात्रा में गाद का वहन करना असाधारण सी बात है। यदि नहर को समय पर बन्द कर दिया जाता तो गंगा नहर में गाद की भराई काफी हद तक कम हो सकती थी।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that this canal is the first canal of India and sentiments of crores of people have been attached to it ? It was a horrible sight from 20th July to 13 August 1970 but no one is prepared to shoulder the responsibility. The level of water has risen by 12 ft. and in the bad there is sand upto 12 ft. in the said canal and crops worth 8 crores of rupees have already been damaged but no one has suggested any measures to check the same. No action is being taken against the engineers who released the water. Instead 2 crores of rupees have been damanded for removing the silt, May I know who is responsible for this tragedy ?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि गंगा नहर देश की अत्यन्त महत्वपूर्ण नहरों में से एक है। नहर के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्ण है। वास्तव में पानी में गाद बहुत जमा हो गया था जो एक बिल्कुल असामान्य बात थी। गाद इतना था कि अनगिनत मछलियां मर गई और हरिद्वार की नगरपालिका ने विशेष कर्मचारी नियुक्त कर के उन्हें निकाला था। इंजीनियरों ने इस समस्या की ओर समय पर ध्यान नहीं दिया था।

दुर्भाग्य से गाद के बारे में कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं। अतः गाद अधिक मात्रा में जमा होता रहा और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। परन्तु वहां के इंजीनियर गाद का अनुमान नहीं लगा सके और गेट को समय पर बन्द नहीं किया गया था।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The aforesaid canal irrigates about 10 lakh acres of land and the power houses generate about 50 lakh kwt. of electricity. I think there will be a loss of about 12 to 15 crores of rupees so far as crops are concerned. The silt started pouring in from 21st July and I want to know whether the Engineer, Assistant Engineer or Executive Engineer of Mayapur Headworks had informed the Suprintending Engineer or Chief Engineer about it or not, and in case necessary information was given to them whether it is also a fact that the Superintending Engineer and the Chief Engineer reached there on 26th July and on 5th August respectively but the order for the closure of canal was issued on 13th August, 1970. It means silt was continued to accumulate there for 15 days and Rs 2 crores will have to be spent to remove the same. May I know whether Government have found out the persons responsible for it and have taken any action against them. Secondly the surface of the Ganga has also become higher because of accumulation of earth which can cause floods in entire Uttar Pradesh. May I know

whether any estimate has been prepared for the expenditure likely to be incurred to lower the surface of the Ganga ? Thirdly may I know whether Government of Uttar Pradesh has also sent some suggestions to tackle this problem and if so, the details thereof ? In the end may I know whether the work of removal of earth will be entrusted to military authoritles so that the canal could be cleared in time and fields could be irrigated ?

डा० कु० ल० राव : इस नहर से 10 लाख एकड़ की नहीं बल्कि 17 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। बिजली की अपेक्षा सिंचाई की दृष्टि से इस नहर का महत्व अधिक है। अतः हम चाहते हैं कि रबी की फसल तक इस नहर से पानी सप्लाई किया जा सके। जहां तक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर को सूचना दिये जाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य द्वारा बताई गई तिथियां ठीक हैं। परन्तु कार्यभारी इंजीनियर ने गाद के बारे में सोचा तक नहीं था और इस सम्बन्ध में कोई विनियम भी नहीं थे। अब मैं सम्बन्धित राज्यों से कहूँगा कि वे बाढ़ और वर्षा ऋतु में गाद का ध्यान रखें और जब गाद निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी करें। कोई अनुदेश न होने के कारण उत्तरदायित्व निश्चित करना कठिन है। यह ठीक है कि यदि कार्यभारी इंजीनियर को इस बात का पहले पता चल जाता और वह गेट बन्द कर देते तो इतना अधिक गाद जमा नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

जहां तक नदी के धरातल का सम्बन्ध है, मैंने कुछ भागों का निरीक्षण किया है और मेरे विचार में किसी विशेष खतरे की बात नहीं है, वर्षा ऋतु के बाद जो सर्वेक्षण किया जायेगा उससे हमें स्थिति का सही ज्ञान होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सैनिक अधिकारियों से बातचीत की थी परन्तु सीमा सड़क संगठन का कहना है कि उसके पास हरिद्वार-ऋषिकेश से जोशीमठ तक सड़क की मरम्मत का काफी काम है। इस काम के लिए मैं व्यास परियोजना से कुछ सामान भेजने का प्रयत्न कर रहा हूं।

Shri Prakash Vir Shastri : The silt started accumulating due to continuous accurence of hillslides on 21st July but the order of closure was issued on 13th August. The Chief Engineer reached there on 5th August but the order was given on 13th August. It is quite clear who is guilty. The hon'ble Minister should not try to conceed this fact. The canal should be closed for minimum period in the interest of farmers and the earth should be removed quickly. In view of the fact that Military can do this job easily why Government is trying to give the contract for removal of earth to private people ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : The Assistant Engineer had sent a telegram. The hon'ble Minister should refer to that also. Responsibility is fixed on lower ranks and the big officials are set free.

डा० कु० ल० राव : चीफ इंजीनियर ने सोचा था कि पानी छोड़ने से गाद बह जायेगा। इसलिए वह पानी छोड़ते रहे। परन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी। यदि वह हमारे साथ परामर्श करते तो हम उसको ऐसा न करने की सलाह देते क्योंकि नहर में गाद इतना अधिक जमा हो गया था कि इतने पानी से उसका बह जाना सम्भव नहीं था।

जहां तक सैनिक अधिकारियों को यह काम सौंपने की बात है, सीमा सड़क संगठन

जिनके पास इस कार्य के लिये उपयोगी उपकरण अधिक सख्या में हैं, इस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया है मैं इस कार्य को प्रति सप्ताह देखता रहूँगा और यदि हमें पता चला कि ठेकेदार कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम अन्य परियोजनाओं से उपकरण मंगवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मैंने यूरोप में कान्वेंट्स को केरल की लड़कियों की बिक्री के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले को उठाने की मुझे अनुमति दी जाये।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह एक गम्भीर मामला है। इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : लन्दन से प्रकाशित होने वाले "सन्डे टाइम्स" में इन लड़कियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में छपा है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is the question of dignity of our country. They are exploiting the poverty of our people. This adjournment motion should be accepted C. B. I. should be asked to enquire into this mischief of foreign missionaries. This motion should be admitted.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सदस्य मिले थे। मैं ध्यान आकर्षक प्रस्ताव स्वीकार करने पर सहमत हूं। परन्तु कुछ और तथ्य प्राप्त होने पर इस विषय पर वाद-विवाद के लिये तिथि निर्धारित की जा सकती है।

सदस्यों की गिरफ्तारियां
ARREST OF MEMBERS
(सर्वश्री अर्जुन सिंह भदौरिया और शिवचन्द्र झा)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यायालय, नई दिल्ली से मुझे दिनांक 23 अगस्त, 1970 को एक पत्र मिला था जिससे यह बताया गया कि सर्वश्री अर्जुन सिंह भदौरिया और शिवचन्द्र झा, संसद सदस्य, लोक-सभा को अवैध जन संग्रह में भाग लेने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें 23 अगस्त, 1970 को 1.30 बजे म० प० पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। जमानत पर रिहाई के लिए सदस्यों द्वारा एक-एक हजार रुपये का जाती मुचलका देने से इन्कार किये जाने पर उनको 5 दिसम्बर, 1970 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है तथा उन्हें सेंट्रल जेल, तिहाड़, दिल्ली में भेज दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कानपुर में संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों तथा विधायकों पर बुरी तरह से लाठी प्रहार किया गया है उत्तर प्रदेश में

तानाशाही चल रही है इस मामले की जांच कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक आयोग नियुक्त करना चाहिए (व्यवधान)।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : I want to submit that the question of Harijans should be taken up after the discussion on the West Bengal Budget is our.

पश्चिम बंगाल बजट और पश्चिम बंगाल के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

WEST BENGAL BUDGET AND STATUTORY RESOLUTION RE : WEST BENGAL—(*CONTD.*)

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यह राज्य उत्तर में शत्रु देशों से घिरा हुआ है। यह ठीक है कि इस राज्य की कुछ ऐसी भी समस्यायें हैं जो अन्य राज्यों में भी हैं परन्तु इस राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान तत्काल करना चाहिये। यदि कानून और व्यवस्था की समस्या हल नहीं होती तो विकास का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिये हमें युद्ध स्तर पर उपाय करने होंगे। जनता को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि उसके साथ न्याय होगा। जहां तक साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का सम्बन्ध है वे जनता के दुःखों पर पनपते हैं। जब तक असंतोष की भावना नहीं फैलती तब तक उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकती। अतः इस दल को छोड़ कर मैं अन्य दलों के प्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि कानून और व्यवस्था के अभाव में कोई विकास कार्य सम्भव नहीं है।

हम यह आशा बेकार ही करते रहे कि संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में शान्ति स्थापित हो जायेगी परन्तु राजनीतिक स्थिति ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार के 14 दलों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया था। वहां पर मानवीय दृष्टि से भी कानून और व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। रोजगार दफ्तरों में 15 लाख शिक्षित युवकों तथा तकनीकी व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं जो बेरोजगार हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग अर्धशिक्षित हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। देहाती क्षेत्रों में भी भूमि हीन किसानों के पास रोजगार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इस प्रयोजन के लिए वहां पर 300-400 करोड़ रुपये लगाये जाने चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल के वर्तमान परामर्शदाता ने गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को कुछ प्रोत्साहन दिये हैं। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इन प्रोत्साहनों के साथ बड़ी कठोर शर्तें रखी गई हैं। अतः ये प्रोत्साहन अधिक आकर्षक भी नहीं हैं। यदि हम आर्थिक स्थिरता का ढांचा बनाना चाहते हैं तो हमें पर्याप्त प्रोत्साहन देने चाहिए और शान्ति का वातावरण बनाना चाहिये जिससे राज्य का विकास हो सके। वहां पर हड़तालों आदि के कारण कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। जब तक हम सामाजिक अन्याय दूर नहीं करते, देश में शान्ति की स्थिति

उत्पन्न नहीं हो सकती। परन्तु जो दल संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में है, उन्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिये जिस से गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं को कारगर ढंग से निपटाया जा सके। इस वर्ष जुलाई तक लगभग 1,50,000 लोग सीमा पर दयनीय अवस्था में प्रतिक्षा कर रहे थे। परन्तु जब तक देश में सभी दल सहयोग न दें तब तक लाखों शरणार्थियों के आगमन से पैदा हुई व्यवस्था का समाधान नहीं हो सकता जिन को जीवन सभी की सुविधायें उपलब्ध की जाती है।

अब कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार की स्थापना की गई है। इस वर्ष 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। 6 महीने बीत चुके हैं। परन्तु इस समस्या की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे पता चला है कि योजना आयोग से अनुमति न मिलने के कारण इस परियोजना को शीघ्र आरम्भ नहीं किया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। हावड़ा में विकास का कार्य कलकत्ता विकास अधिकार की ओर से हावड़ा के नगर सुधार विभाग (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) को सौंपा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि नगर सुधार बिभाग लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं कर सकेगा। हावड़ा में नमर सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब है। इस लिए वहां के लोग इस काम को नगर सुधार विभाग को सौंपना उचित नहीं समझते। इसके साथ वहां पर यातायात रुक जाने की समस्या है। एक दूसरा हावड़ा पुल बनाने की बात सुन रहे थे। परन्तु उसके लिए स्थान ढूंढने और डिजायन तैयार करने में बहुत अधिक समय लगा दिया है और अब भी हमारे सामने एक अस्पष्ट-सा डिजायन है। क्या इस तरीके से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है ?

हमें इस बात को भी स्मरण रखना है कि आय-कर, उत्पादन शुल्क की विभाज्य निधि तथा अन्य वित्तीय संसाधनों के बटवारे के मामले में भी पश्चिम बंगाल के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया गया है। पांचवे वित्त आयोग ने भी राज्य के साथ न्याय नहीं किया है। मुझे पता है कि प्रधान मंत्री इस बात को जानती है कि पश्चिम बंगाल के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है परन्तु अधिकारी वर्ग जनता में यह विश्वास पैदा नहीं कर सका है कि निकट भविष्य में इस अन्याय को दूर कर दिया जायेगा और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकेगा।

राज्यपाल के सलाहकारों ने 57 करोड़ रुपये की मांग की थी जिससे राज्य में सुधार किया जा सके और बेरोजगारी और निरक्षरता को दूर किया जा सके, गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके और परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जा सके जिससे ग्रामवासी अपने उत्पादों को शहरी क्षेत्रों में ला सके। लेकिन योजना आयोग ने चौथी योजना के प्रथम वर्ष के लिए केवल 51.36 करोड़ रुपये नियत किये हैं जबकि मांग 57 करोड़ रुपये की थी। योजना आयोग को पश्चिम बंगाल को और अधिक धनराशि देनी चाहिए जिससे वह बेरोजगारी और गरीबी को दूर कर सके (अन्तर्बाधाएं)

यदि पश्चिम बंगाल को इस तरह समाप्त होते रहने दिया गया तो भारत कभी जिन्दा नहीं रहा सकता। अतः इस बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में युद्ध स्तर पर कार्य करे ताकि पश्चिम बंगाल को बचाया जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : श्री रामनिवास मिर्धा के संकल्प पर चर्चा करना उचित नहीं है क्योंकि यह उसी रूप में हमारे सामने नहीं आया है जिस रूप में यह 19 मार्च, 1970 को सदन के सम्मुख रखा गया था तथा सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था ।

राज्यपाल ने 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल की विधान सभा को, जिसको 19 मार्च की उद्घोषणा के अनुसार केवल स्थगित किया गया था विघटित कर दिया ।

प्रश्न यह नहीं है कि क्या राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत विधान सभा को विघटित करने का अधिकार है अथवा नहीं । लेकिन प्रश्न यह है कि आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाना चाहिये था और यह आदेश उन्होंने राष्ट्रपति के नाम से दिया है । राष्ट्रपति का शासन लागू होने पर वे इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे । उक्त आदेश के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है । ऐसा आज तक नहीं किया गया हैं । यह बहुत गम्भीर मामला है और सरकार को इसे टालना नहीं चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने यह तर्क किया है कि जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए । राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर ही कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य की जा सकती है । लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि गत पांच या छः महीनों में राष्ट्रपति के शासन के दौरान कानून और व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है । वास्तव में स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है ।

जनता का इस नौकरशाही प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है । संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में सरकार तथा मंत्रियों के दरवाजे जनता के लिए पूरी तरह खुले नहीं थे । लेकिन कम से कम वे यह अनुभव करते थे कि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये । लेकिन आज सामान्य जनता के लिये प्रशासन के दरवाजे पूर्णतया बन्द हैं । जब राज्यपाल और उनके सलाहकारों पर से ही जनता का विश्वास उठ जाये तब इस बात की आशा करना कि डण्डे के जोर से और पुलिस की गोलियों के बल पर कानून और व्यवस्था में सुधार हो सकेगा, व्यर्थ है । मुझे भय है कि इससे पश्चिम बंगाल की स्थिति और खराब हो जायेगी ।

संस्कृति की रक्षा पुलिस के डंडे द्वारा की जा सकती । ये कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के दावेदार संस्कृति की कभी भी रक्षा नहीं कर सकते ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के उन कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है जिन्हें पश्चिम बंगाल के स्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । इसके परिणाम स्वरूप यदि कोई उन पर बम अथवा अन्य किसी हथियार से हमला करता है तो जो व्यक्ति भी उनके सामने आता है वे उसे बुरी तरह पीटना आरम्भ कर देते हैं । इससे स्थिति और खराब होगी और क्योंकि अब लोग लाठी और गोली से डरने वाले नहीं । विशेषकर युवक वर्ग तो मरने से भी नहीं डरता । अतः ऐसा करने से सामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं होगी ।

सभी वर्गों के लोगों में कुछ न कुछ शिकायत और असन्तोष है । यद्यपि औद्योगिक कर्मचारियों को हाल ही में कुछ राहतें दी गई हैं फिर भी उनके वेतन अभी भी बहुत कम हैं ।

हम समस्या को केवल सरसरी दृष्टिकोण से देखकर कैसे कह सकते हैं कि यह सब नक्सल वादियों की करतूत है ? अतः इस प्रश्न पर बुद्धिमानी से विचार किया जाना चाहिये । चुनावों के स्थगन से समस्या हल नहीं होगी । चुनाव अवश्य कराये जाने चाहिये । चाहें इसका कुछ भी परिणाम निकले ।

संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा परसन व्यापार के सभी पहलुओं अर्थात् कच्चे माल के संबंध में विचार करने हेतु नियुक्त किये गये पटसन जांच आयोग के कार्य के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । बजट में स्पष्ट रूप से इस आयोग के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे यह आयोग अपना कार्य कर सके । और अपने महत्वपूर्ण अध्ययन को पूरा कर सके क्योंकि भारतीय पटसन संघ इस आयोग के कार्य को समाप्त करने पर दबाव डाल रहा है ।

कलकत्ता से चाम नीलात केन्द्रों को हटाने के सरकार के निर्णय से एक लाख लोग, जो चाय व्यापार में लगे हैं, बेरोजगार हो जायेंगे और बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जायेगी ।

तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने के कारण उत्तर बंगाल तबाह हो गया है फिर भी सरकार ने तीस्ता परियोजना को केन्द्रीय योजना के रूप में स्वीकार नहीं किया है ।

राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों के लिये इस बजट में 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यह धनराशि नहीं के बराबर है । यदि सरकार यह कहती है कि घाटा इतना अधिक है कि वह 9 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं दे सकती तो इससे यह विदित होता है कि वर्तमान व्यवस्था और पद्धति के अन्तर्गत संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे सामान्य श्रमिकों की इस प्रकार की माँगों को पूरा किया जा सके ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने के लिये भी कुछ कार्य नहीं किया गया है । पुरूलिया और बंकुरा जिले में लगभग 100 व्यक्ति भुखमरी से मरे हैं । अगली फसल अक्तूबर में उपलब्ध होगी, किन्तु सरकार ने निःशुल्क सहायता और परीक्षण सहायता की मात्रा में कमी कर दी है ।

पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को इस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता ।

Shri Deven Sen (Asansol) : There are two main problems before West Bengal. Firstly, how to improve the economic condition there and secondly, how to maintain law and order there. Both these problems are correlated.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल सरकार ने मजूरी बोर्ड पंजाट को क्रियान्वित कराने के लिए शान्तिपूर्ण हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को धमकी दी है। सेना को बुलाकर सरकार ने उनको धमकाने का तरीका अपनाया है। क्या सरकार इस बारे में कोई वक्तव्य देगी ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चडीगढ़)। सरकार ने ब्रिटिश ब्राडकास्टिग कारपोरेशन के कार्यालय को यहां बन्द करने का निर्णय किन परिस्थितियों में किया।

एक बड़े गिरोह द्वारा शराब का तस्कर व्यापार किये जाने के समाचार प्राप्त हुआ है।

यह भी कहा गया है कि इस कार्य में कुछ दूतावासों का भी हाथ है। खाली बोतलों को भर कर पांच-पांच रुपये में बेचा जा रहा है।

वित्त मन्त्री महोदय इस गम्भीर मामले पर अवश्य वक्तव्य दें।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : I request the hon. Minister that he should make a statement on the drought situation prevailing in Bihar.

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : महोदय ! इंडियन एयर लाइंस के इंजीनियरों ने 5 या 6 दिन से धीरे काम करो की प्रक्रिया अपनाई हुई है जिससे यातायात में भारी असुविधा उत्पन्न हो रही हैं। माननीय मंत्री कृपया इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, it is matter of indignity that the girls of our country are being sold in the foreign countries for performing the duty of sum there. The hon. Minister should be asked to make a statement on that issue.

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, I change the Government that in compansions to the rest of the states the economic condition of West Bengal is wrost. If we study the figures relating to the economic condition of West Bengal given in the First Five Year Plan we will come to know that the economic problem statement there much earlier and the united front Government can not be held wholly responsible for it. The percentage of factories has been reduced from 29 to 15 and the percentage of employment opportunities has also been reduced from 33 6 to 21.7 in West Bengal as compared to the All India percentage. Therefore, I want to submit that total growth of economy in West Bengal has gone down as compared to the rest of the states. It can be observed from the figures which are as follow :

Bihar 37.4, Gujarat 40 5, Madras 45.2, Madhya Pradesh 16.3, Maharashtra 78.7, Punjab 46 6 and West Bengal only 30.9.

It has been observed that during First Five Year Plan period the growth rate of total economy in West Bengal was 5.47 per cent but it decreased to 2.96 in the Third Five Year Plan. May I know the reasons for the same ?

I would also like to know the reasons for the low figures of Rs. 365 relating to the value added by the manufactures while the All India figures are Rs. 783. Is it due to the low productivity in Bengal or it can be attributed fact that factories are having obsolete machinary. So far as the *per capita* income is concerned, I would like to furnish figures of the various states. The *per capita* income of West Bengal is Rs. 380 while the *per capita* income of

Maharashtra, Punjab, Madras, Gujarat and Rajasthan is Rs. 524. Rs. 586, Rs. 435, Rs. 425 and Rs. 394 respectively It shows that it is less than that of Rajasthan been. It is also a matter of concern that even the highly educated people of West Bengal are not provided with employment opportunities. Those who are interested in starting any business are not given any financial existance. In there circumstances the young generation of West Bengal does not find any way out to progress. I do not agree with those persons who put the entire because for this situation on the United Front Government. This situation can be attributed to discrimination in distributing resources, partial attitude in issuing becames, and the concentration of the factories in the private sector during the pre-independence period the entire capital was in the hands of Britishers. After that, from 1959 to 1966 nearly 290 crorer of rupees have been inverted in West Bengal but the same has gone in the hands of the immigrants. Out of the total investment made in West Bengal, the people belonging to Bengal command only 4.83 per cent investment while domiciled foreigners and immigrants command 2.76 per cent and 64.48 per cent respectively.

I want to point out that Rs. 322 crores was allotted in the Budget for plan purposes but in the Third Plan this amount was reduced to Rs. 302 crores. Although the prices have gone high yet the amount of investment is being reduced in West Bengal. I want to know the clear answer from Government in this regard. The United Front Government is accured of allowing capital fight from West Bengal. But my submission is that this flight was started actually in 1959. However, before stating the reasons for the capital flight from West Bengal I would like to give certain figures relating to the licencing policy of the Government. The value of the licences issued by the Government during the period from 1959 to 1966 is in Maharashtra Rs. 171 crores, in Madras Rs. 128 crores, in Bihar Rs. 117 crores, in Madhya Pradesh Rs. 116 crores and in Bengal only Rs. 100 crores. It is said that all kind of factories exist in West Bengal and if it true the production should be more. But I am sorry to say that due to the discrimininating attitude towards West Bengal this state could not progress. I am also sorry to state that out of the total business carried out in West Bengal nearly 60 percent is dealt with by the immigrants.

It should also be pointed out by me that a sum of Rs. 20 crores has been allocated for the development programme of calcutta while Rs. 400 crores are needed for this purpose. Several hon. Members belonging to the Jan Sangh and Swatantra parties have also stated that West Bengal has been negelected. May I know from the hon. Minister the reasons for this ? I have no doubt in it that the present perspective of the planning can not ameliorate the economic condition of West Bengal. If a niggardly sum of Rs. 20 crores is allotted for the development of Calcutta, projects like the construction of circular Railway and the second Howrah Bridge can never be made *fait accompli* and the student's unrest can also be not expected to be removed.

Now I come to the growth of electricity. The number of villages electrified so far is 9800 in Uttar Pradesh, 7400, in Madras, 5800 in Maharashtra, 4400 in Andhra Pradesh while 1000 in West Bengal. It is sheer injustice being done to the people of West Bengal. Due to all these things law and order problem has been created in West Bengal.

Who are the Nexalites ? All the best boys of the Presidency College and the whole of West Bengal are Nexalites because of the fact that they have got no employment opportunities and their future is gloomy. If the Government are not able to deal with this situation they should hold elections in West Bengal and let the popular Government solve all there problems.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मेरा एक निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने कल से हड़ताल करने का निश्चय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में व्यवधान न डालें।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय ! मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहा जाये ।

श्रीमती उमाराय (माल्दा) : सदन में प्रस्तुत पश्चिम बंगाल सरकार के वर्ष 1970-71 के लिए पुनरीक्षित बजट का मैं समर्थन करती हूं क्योंकि इसमें घाटे की व्यवस्था को घटाया गया है । राज्य की वार्षिक योजना के लिए बजट में 51.36 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से 13 करोड़ रुपये कलकत्ता महानगर क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिये निर्धारित किये गये हैं । अतः राज्य में अन्य विकास कार्यों के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये शेष रह जायेंगे जबकि वर्ष 1966-67 में 53 करोड़ रुपये ; 1967-68 में 51 करोड़ रुपये और 1968-69 में 57 करोड़ रुपये राज्य की वार्षिक योजना पर वास्तव में व्यय किए गए थे । राज्य की बढ़ती हुई समस्याओं का बड़े पैमाने पर समाधान करना चाहिए । परन्तु वर्ष 1970-71 के लिए राज्य की योजना के लिये निर्धारित यह धन राशि बहुत कम है और इससे राज्य की समस्याओं को निपटाया नहीं जा सकता । इसलिए वित्त मन्त्री महोदय को चाहिए कि वह राज्य को बचाने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता दें ।

जहां तक राज्य के विकास का प्रश्न है उत्तरी बंगाल के 5 जिले जो अपने आप में एक आर्थिक एकक के रूप में है, को तो बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है । गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इन पांच जिलों में निवेश तो बहुत ही कम है । पहाड़ी क्षेत्रों और तराई वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सारा क्षेत्र कृषि प्रधान है । परन्तु तीस्ता नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में बाढ़ का पानी भर जाता है और करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो जाती हैं । इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने से वहां के लोग बहुत भयभीत हैं । अतः तीस्ता और इसकी सहायक नदियों को नियंत्रण में लाने के लिये नदी घाटी परियोजना के निर्माण के द्वारा इस समस्या को सुलझाना चाहिये । राज्य सरकार के संसाधन अपर्याप्त होने के कारण, इतनी बड़ी परियोजना का कार्य केन्द्र को अपने हाथों में लेना चाहिए ।

इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था भी अपर्याप्त है और सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ संचार की व्यवस्था न होने के कारण वहां कानून और व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता, और इस बजट में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इस समस्या पर भी केन्द्र को ध्यान देना चाहिए ।

कलकत्ता तथा महानगरीय क्षेत्र में आने-जाने पर रोक लगाने, विस्थापितों का पुनर्वास करने आदि जैसी राज्य की अनेक समस्यायें इस क्षेत्र के समन्वित विकास से बहुत सीमा तक हल हो जायेंगी । इस प्रकार के समन्वित विकास के लिए, संचार व्यवस्था विद्युत आदि के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आवश्यक है । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि ये सुविधायें बिल्कुल नहीं दी गई हैं और ऐसी सुविधाएं देने के लिए अतीत में ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया था । इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि की व्यापक सम्भावनाओं के होने पर भी इसका विकास नहीं हो सका है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने चाहिए और वित्त मन्त्री को उत्तरी बंगाल के लिए एक विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को निदेश देना चाहिए जो उत्तरी बंगाल की विकास आवश्यकताओं पर ध्यान देने के और विकास की इन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सके ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : भारत सरकार ने इस बजट को यहां विशेष प्रयोजन से प्रस्तुत किया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में निकट भविष्य में चुनाव हों। यदि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों को अपने मामलों का स्वयं निपटारा करने की छूट दी होती और उनकी ओर ध्यान दिया होता तो इस बजट को यहां प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण वहां चुनाव नहीं कराये जा सकते। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू हुए चार महीने हो गये हैं परन्तु कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरने के बजाये और अधिक बिगड़ी है। यह वास्तविकता है कि जब तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं आयेगा। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार ने तीन महीने के शासन में निर्धनों के लिये जो कार्य किया है वह कांग्रेस सरकार 25 वर्ष के अपने शासन में नहीं कर सकती। इसलिए वहां के लोग अब चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार के इन कामों को समाप्त करने मिल मालिकों, जमीनदारों और बड़े-बड़े जोतेदारों को सहायता करने और वहां के आम लोगों पर अत्याचार करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, और विशेष सशस्त्र पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल एवं पूर्वी राइफल्स को वहां भेजा गया है। इतने पर भी सरकार दम भरती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम रखी जायेगी। परन्तु ऐसा अत्याचार सहन नहीं किया जायेगा और इन अत्याचारों का सामना करने लिए लोग पूरी तरह तैयार हैं।

दूसरी बात, नक्सलवादियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु सौभाग्य की बात है कि नक्सलवादियों का खतरा अब पहले जितना नहीं रहा है क्योंकि इनके विरुद्ध सुव्यवस्थित सैद्धान्तिक प्रचार किया गया है। परन्तु आज जब नक्सलवादी समाप्त होते जा रहे हैं और समाज-विरोधी तत्व पैदा हो रहे, तब कांग्रेस और कुछ दूसरे दल इन नक्सलवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और उनका मुख्य लक्ष्य मार्क्सवादी साम्यवादी दल ही है। क्योंकि कांग्रेस और अन्य दल तथा नक्सलवादियों ने मिलकर मार्क्सवादी साम्यवादी दल के अनेक लोगों की हत्या की है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो भी जाती है कि उस दिन एक कांग्रेस नेता डा० सुनील बोस के घर से आंध्र प्रदेश के उच्च नक्सलवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य कांग्रेसी नेता श्री नेपाल राय ने उन नक्सलवादियों को जमानत पर रिहा कराने का भरसक प्रयत्न किया। इससे बिल्कुल साफ-साफ पता लगता है कि कांग्रेस नक्सलवादियों मार्क्सवादी साम्यवादी दल के लोगों की हत्या करने के लिए ही उनका भरण-पोषण कर रही है।

केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को थोप दिया है जिससे संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान लोगों को जो सुविधाएं दी गई थीं इनको समाप्त की जा सके। इसी आधार पर सरकार नक्सलवादी खतरे के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रही है जबकि वास्तविकता यह है कि नक्सलवादियों का खतरा समाप्त होता जा रहा है। कानून और व्यवस्था के नाम पर सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को वहां पर अपनी सरकार चुनने का अधिकार देना नहीं चाहती।

इस बारे में केन्द्रीय सरकार का कहना है कि चुनावों में लोगों को डराया धमकाया जायेगा और लोगों को गलत तौर पर प्रभावित किया जायेगा। परन्तु यह बात बिल्कुल निराधार है। किस को डराया धमकाया जायेगा? क्योंकि बैरकपुर नगर निगम के चुनाव को अभी एक ही महीना हुआ है और वहां कानून और व्यवस्था कि स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। 80 प्रतिशत व्यक्तियों ने मतदान में भाग लिया था। सब दलों के लोगों ने इस चुनाव में हमारे विरुद्ध भाग लिया परन्तु वे सब बुरी तरह पराजित हुए। यही स्थिति कांग्रेस को वहां भयभीत किए हुए है।

दुर्गापुर में जो घटना घटी उसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम इस संसद् में पारित हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में उस अधिनियम को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और आदेश जारी करने पर रोक लगा दी गई। 2 अगस्त को अचानक केन्द्रीय सुरक्षा बल के 15000 पुलिस वालों ने दुर्गापुर पर चढ़ाई कर दी, जब कि वहाँ किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी और इसके विपरीत प्रबन्धकों और श्रमिकों के सम्बन्ध बहुत अधिक सुधर गये थे। जून तथा जुलाई में उत्पादन में भी अत्याधिक वृद्धि हुई थी। फिर भी उस दिन 5 बजे समस्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कारखाने के पिछले दरवाजे से अन्दर घुस आया और कर्मचारियों से वहां चले जाने को कहा कि वे सब पदच्युत किए गए हैं और उनके स्थान पर हमको नियुक्त किया गया है। लोगों को जबरन काम से बर्खास्त किया गया है और उनके स्थान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को नियुक्त किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को बुरी तरह भयभीत करना चाहती है और जिससे बाद में चुनाव कराये जायें। परन्तु ऐसा कभी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के लोग पुलिस की गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। गत चुनावों के परिणामों को देखते हुए सरकार को वहां अब चुनाव कराने का साहस ही नहीं होता। इसीलिए केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को अपना एक उपनिवेश बनाना चाहती है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्य के लोगों पर कितना अत्याचार क्यों न करले पर उनको रोकने का किसी को साहस नहीं होता। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के गृह-सचिव को भी यह साहस नहीं होता कि वह उनके बारे में जांच कराये। उनके लिए कोई कानून और व्यवस्था लागू नहीं होती। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के व्यक्ति लोगों के घरों में घुसकर उनको मारते हैं, स्त्रियों पर बलात्कार करते हैं पर उनको कोई रोकने वाला नहीं।

सरकार समझती है कि हमारे नेताओं को समाप्त करने से पश्चिम बंगाल के लोगों का नैतिक पतन हो जायेगा और तब वहां चुनाव किये जा सकेंगे। परन्तु आप कितने ही प्रयास क्यों न करलें वहां के लोग इस प्रकार के दबाव में झुकने वाले नहीं। सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति के नाम पर चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि उन्हें वहां के लोगों की लोकप्रिय भावनाओं को सरकार अच्छी तरह जानती है और इसी लिए भयभीत भी है। सरकार को वहां विधान सभा समाप्त करनी पड़ी थी। उस समय कानून और व्यवस्था का वहां कोई प्रश्न नहीं था। परन्तु जब चुनाव कराने का प्रश्न उठता है तो कह दिया जाता है कि अभी परिस्थितियां

अनुकूल नहीं हैं। क्योंकि सरकार को पता है कि उसको वहां से लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। इसलिए वहां चुनावों को टाला जा रहा है।

इस बजट में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह यह है कि पुलिस के खर्चे को लगभग 3 करोड़ रुपये और बढ़ा दिया गया है। परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास रुपया नहीं है, यहां तक कि सरकार वेतन आयोग द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई सिफारिशों के एक भाग को मानने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन जब पुलिस का प्रश्न आता है तो यह खर्चा 4 से 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हर प्रकार के आतंक और त्रास के बल पर बंगाल में शासन करना चाहती हैं। यहां तक कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में सेना तैनात करने का निश्चय किया है जबकि देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए सेना नहीं है। सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को अपना शत्रु समझती है। अतः यह भय और त्रास समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इससे मार्क्सवादी साम्यवादी दल समाप्त नहीं हो सकता और पश्चिम बंगाल के लोग इन धमकियों और भय के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इससे लोगों को स्पष्ट हो गया है कि आप संसदीय लोकतंत्र की दुहाई एक धोखा मात्र है। पुलिस और सेना बल के बावजूद भी लोग अपना मार्ग ढूंढ निकालेंगे और इस तरह से अपमानित नहीं होंगे।

अतः मैं इस बजट का विरोध करता हूं और पश्चिम बंगाल में तुरन्त चुनाव कराये जाने की मांग करता हूँ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : While supporting this Bill I want to say that it should have been prepared after taking into account the law and order situation, the problems of poverty, unemployment and hunger prevailing in West Bengal. Bengal has always been in forefront in the struggle for independence but today the law and order situation, yelling pro-mao slogans in the state are all clear signs of anarchy in whole of the state. Unless these disruptive and subversive forces are crushed, there can not be any progress in West Bengal.

It has been stated here that descrimination has been done to the state. But I can say that it is incorrect to say so. West Bengal is an integrated part of the country and progress of the country depends upon the progress of West Bengal. But the present conditions of unemployment, hunger and poverty can not be removed unless we work hard. The main difficulty is that we are not working hard for solving these problems but we are fighting for power. We should bear in mind that the acts of sabotage, explosions of bombs at various places in the state and other subversive acts can not lead us to our real aim. We shall have to make sacrifices and work hard for bringing about socialism and achieving the desired aim of progress.

The United Front Government have discriminated against the Hindi Schools in West Bengal They neither gave any grant to them nor have recognised them. They have also not made any land reforms. No arrangements have been made for supply of water to Calcutta city. No development work was started during this period. They have worked only for increasing the strength of their party. Moreover they have got recruited their party men in police force and thus have created discontentment amongst the people I would not say that there people may be shunted out but I would request that the loyal people should be recruited to the police.

We can not hold fair elections in West Bengal keeping in view the present situation there.

Another bridge should be constructed over Hugli and arrangements should be made for inland water. Hindi teaching schools should be given due recognition.

श्री सरदार अमजद अली (बसिरहाट) : ऐसा लगता है कि मेरे माननीय साम्यवादी मित्र राज्य में तुरन्त चुनाव कराने में रुचिकर हैं। हम भी वहां पर चुनाव कराने के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु हम चाहते हैं कि वहाँ पर पहले उचित तथा शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित हो जाये। साम्यवादी सदा इस बात का दावा करते हैं कि वे वहां के लोगों की भलाई करना चाहते हैं तथा वहां पर शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहते हैं परन्तु वास्तव में वे वहां क्रान्ति, गड़बड़ी तथा बर्बादी ही ला रहे हैं।

1 मार्च 1970 को मेरे चुनाव क्षेत्र में होने वाले उप-चुनाव के दौरान उन्होंने दो केन्द्रों पर एक भी व्यक्ति को मत नहीं डालने दिया। राज्य की वर्तमान स्थिति का यही कारण है। चुनाव कराये जाने से पूर्व वहां पर विधि व्यवस्था की स्थिति स्थापित करना आवश्यक है।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह पुलिस के लिए अधिक धनराशि रख रही है। परन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि स्वयं संयुक्त मोर्चा सरकार ने पुलिस के लिए अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी।

वे सदा किसानों का पक्ष लेने का दावा करते हैं। परन्तु यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखा जाये तो पता लगेगा कि इस दल की गतिविधियों से उन लोगों को कितनी हानि हुई है। माननीय मित्र ने यह भी शिकायत की है दुर्गापुर में पुलिसमैनों ने महिलाओं से बलात्कार किया है। निश्चय ही यह ऐसी बात है जिसकी निन्दा की जानी चाहिए। परन्तु माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके दल के व्यक्तियों द्वारा मादह जिले में तीन युवितयों से बलात्कार किया गया था। इन लोगों द्वारा अब भी ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं।

राज्य के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। चूंकि वहां पर इस समय राष्ट्रपति का शासन है भारत सरकार का यह दायित्व है कि वे उन समस्याओं पर विचार करे तथा उनको हल करने के तरीके ढूंढ़ें। लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें इस राज्य की समस्याओं को हल करना होगा। उस राज्य के विकास की ओर अनेक दलों के सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उसपर कार्य करना उचित नहीं समझा। मेरे विचार में लघु उद्योगों के विकास द्वारा राज्य की बढ़ती हुई रोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। अनेक लघु उद्योग कच्चे माल के अभाव के कारण बन्द हो गये हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इस मामले की जांच करे तथा उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई का प्रबन्ध करे।

राज्य को कुल भूमि के 83.8 प्रतिशत भाग पर खेती होती है और 458 लाख लोग खेती पर निर्भर हैं। परन्तु वहां पर सिंचाई की भीषण समस्या है। यदि सरकार वहां पर वास्तव में कृषि का विकास करना चाहती है तो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाता चाहिए।

सब से दुखदायी समस्या वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना है। ये लोग इस समय बसिरहाट तथा हसनबाद में रह रहे हैं। इन लोगों के आने से वहां पर पहले से रहने

वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहां पर सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस मामले में मैं स्वयं प्रधान मंत्री से मिलना चाहता था। मुझे प्रधान मंत्री के कार्यालय से पता लगा था कि आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं परन्तु वहां से मालूम हुआ है कि यह सब झूठ है। वहां पर तैनात पुलिस स्थिति को संभालने में असफल रही है। यह सच है कि स्वयं प्रधान मंत्री ने वहां का दौरा किया है परन्तु उनका मिशन भी एक प्रकार से असफल ही रहा है। प्रधान मंत्री ने उन लोगों के संतोष के लिए एक भी शब्द वहां पर नहीं कहा। उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि इन लोगों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

बजट को देखने से मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि इस व्यापक को हल करने के लिए केवल दो करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। यह राशि बहुत कम है और मेरा निवेदन है कि उन लोगों की समस्याओं को हल करना सरकार के अपने हित में है।

बजट में पश्चिम बंगाल के लोगों पर और अधिक कर भी लगाये जा रहे हैं। 1967 में श्री धर्मवीर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में पहले ही भारी कराधान है। भूमि के अतिरिक्त वहां पर अन्य और कोई वस्तु नहीं है। जिसपर कर लगाये जा सकें। अतः मेरा निवेदन है कि उनपर और कर नहीं लगाये जाने चाहिए।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं पश्चिम बंगाल राज्य के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं वहां की वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी चिन्ता भी व्यक्त करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल राज्य को दो बार लोकतंत्रात्मक ढंग से सरकार चलाने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु वह ऐसा करने में असफल रहा और मुझे खेद है कि हमें वहां का बजट पास करना पड़ रहा है। वहां पर अनेक दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी परन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक दूसरे पर आक्षेप करना आरम्भ कर दिया था।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान कलकत्ता जैसे औद्योगिक नगर समृद्ध हो रहे थे। नये नये उद्योग लग रहे थे तथा लोगों को रोजगार मिल रहा था। 1967 के चुनाव के पश्चात वहां पर संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और उन्होंने मजदूरों को उकसाना आरम्भ कर दिया। उन्होंने वहां पर पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों का घेराव आरंभ कर दिया जिससे मजदूरों में अनुशासन-हीनता बढ़ गई। इसके फलस्वरूप वहां पर विद्यमान लघु तथा माध्यम श्रेणी के उद्योगों का विस्तार नहीं हो सका और न ही नये उद्योग स्थापित हो सके। इसके फलस्वरूप उत्पादन रुक गया। अतः श्री मूर्ति को यह जान लेना चाहिये कि उनके दल ने सत्तारूढ़ होने के पश्चात वहाँ के लोगों को कितनी क्षति पहुँचाई है। छोटे छोटे अनेक एकक जिनमें 15 से 20 तक लोग काम करते थे, बन्द हो गये हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में भारी कमी हुई। ऐसा केवल संयुक्त मोर्चा सरकार की नीतियों के कारण ही हुआ है। वहां पर विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने तथा नागरिकों के जीवन की रक्षा करने का दायित्व सरकार पर है। वहां पर संयुक्त मोर्चा सरकार ने गड़बड़ी फैलाई तथा वर्तमान स्थिति के लिये वही जिम्मेदार है।

जैसा मैंने पहले कहा केन्द्रीय सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ की सरकार को पर्याप्त अवसर दिया था। परन्तु जब स्थिति अधिक बिगड़नी आरंभ हो गई तो केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लोगों के जान व माल की सुरक्षा के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक था। अतः मेरे विचार में वहां पर राष्ट्रपति शासन ठीक समय पर ही लागू किया गया था।

कलकत्ता हमारी पुरानी बन्दरगाहों में से एक है। बंगाल में अनेक उद्योग हैं। चाय, पटसन तथा इन्जीनियरिंग वस्तुओं के कारखाने वहां पर स्थापित हैं। पत्तन में तथा परिवहन को हड़ताल के कारण पटसन के निर्यात में गत दो वर्षों से निरन्तर कमी हुई है। चाय के निर्यात में भी इसी कारण कमी हुई है। अतः इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की कमाई में भी कमी हुई है। इससे न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि समूचे देश पर प्रभाव पड़ा है।

देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और निर्यात को बनाए रखने तथा अधिक उत्पादन और रोजगार के साधनों के निर्माण के लिए कलकत्ता और राज्य में दृढ़ता से सामान्य स्थिति पैदा करनी होगी। इसके अभाव में देश और जनता दोनों को हानि होगी।

यह कहा जा रहा है कि वर्तमान राज्यपाल यद्यपि बहुत योग्य व्यक्ति है पर वे इस स्थिति को संभालने के योग्य नहीं है। यदि ऐसा है तो किसी अन्य योग्य व्यक्ति को यह भार सौंपना चाहिए जो इस स्थिति को दृढ़ता से हल कर सकें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे मित्र श्री पी० रामामूर्ति ने इस बजट का विरोध किया है, पर हमें आश्चर्य होता है कि वे उसी बात का विरोध कर रहे हैं जो उनकी अपनी ही कृति है। वे उसकी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। इन्हीं लोगों ने दुर्गापुर में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कराई, उन्होंने 28 तारीख को बंगाल बन्द की धमकी दी और उन्होंने न केवल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कराने की बल्कि "राइटर्स बिल्डिंग" के 5-6 लाख लोगों द्वारा घेराव कराने की भी धमकी दी। उनका मुख्य उद्देश्य सरकार को मध्यावधि चुनावों के लिए तिथियां निश्चित करने के लिए विवश करना था। वे शक्ति परीक्षा की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोकतांत्रिक प्रशासन को नष्ट भ्रष्ट किया और वहां के लोगों के लिये रक्तपात और दुखद स्थिति पैदा करने की कोशिश की।

पश्चिम बंगाल में इन हिंसक गुटों के विरोध में दृढ़ वातावरण बन रहा है। अब लोग उनकी बात नहीं मानते, जो कि बंगाल बन्द, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की घोषणा तथा शिक्षकों की हड़ताल की घोषणा के विरोध होने से स्पष्ट है।

पश्चिम बंगाल में आजकल लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों और सामग्रवादी आतंकवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों का संघर्ष है। समग्रवादी आतंकवादी वाली शक्तियां प्रशासनीय व्यवस्था का लाभ उठाते हुए विद्रोह और गृह युद्ध के साधनों के द्वारा सत्ता को हथियाने की स्थिति पैदा करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की गम्भीर स्थिति से निपटनें के लिये इसके मूल को समझना आवश्यक है।

नक्सलवादी आतंक से न केवल पश्चिमी बंगाल को बल्कि समस्त भारत के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलवादी कार्यवाहियां बचकाना दुस्साहस का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये शक्तियां, यदि इनका संपर्क किसी बाहरी वृहद योजना से न हो तो शीघ्र ही अपने आप नष्ट हो जायेंगी। जनता का समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं है। लेकिन ऐसी शक्तियां जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है, जो तबाही कर सकती है, एक के बाद एक संयुक्त मोर्चे का लाभ उठाते हुए पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयत्न कर रही हैं। अतः सरकार को इन आतंकवादी शक्तियों से समुचित रूप से दृढ़तापूर्वक निपटना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के संकट का निपटारा तीन मोर्चों पर किया जाना चाहिये। प्रथम तो वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कम से कम बल का प्रयोग किया जाये। यह बल उपयोग केवल उसी सीमा तक किया जाये जिस सीमा तक कि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि लोग स्वयं ही आगे आकर लोकतांत्रिक आन्दोलनों को चालू करने की शुरूआत करें और लोकतंत्र में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। दूसरे पश्चिम बंगाल को एक बिशेष राज्य बना दिया जाना चाहिये, जहां लोकतंत्रीय सस्थाओं और लोकतंत्रीय शक्तियों को विद्रोही, राष्ट्र बिरोधी और विनाशात्मक शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए मिल जाना चाहिए।

इस स्थिति के पैदा होने का मुख्य कारण है, पिछले 23 सालों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की उपेक्षा करना। औद्योगिक पिछड़ापन, शरणार्थी पुनर्वास और कलकत्ता नगर विकास की योजनाओं की ओर सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल को इन समस्याओं के हल के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की समस्या को केवल पश्चिम बंगाल को ही हल नहीं करना है इसका हल तो भारत भर को करना होगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान व्यापक तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना कर ही किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल का प्रशासन पक्षपातपूर्ण बन गया है और पूर्णतया अस्त-व्यस्त तथा ठप्प हो गया है। इसलिए वहां के प्रशासन से पक्षपातपूर्ण तत्वों को पूर्णतः निकाल दिया जाना चाहिए तथा ठप्प हो गये प्रशासन को पुनः शक्तिशाली ढंग से चलाने के लिये तुरन्त उच्च अधिकारियों के एक दल की नियुक्ति की जानी चाहिए।

यदि स्कूल और कालेज के अध्यापकों को समय पर वेतन मिले तो छात्रों में फैली यह अनुशासनहीनता समाप्त की जा सकती है।

जहां तक श्रम समस्या है उसके लिए उद्योगपति उत्तरदायी हैं। कारखानों में तालाबन्दी की 135 घटनायें हुई। इसके लिए अधिकांशतः उद्योगपति ही जिम्मेदार हैं। कई मामलों में वे श्रम न्यायाधिकरण के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर केन्द्रीय सरकार सचमुच पश्चिम बंगाल की श्रम समस्या को हल करना चाहती है, तो ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे साश विवाद मध्यस्थ निर्णय द्वारा हल किया जा सके। यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि मालिक और मजदूर मध्यस्थ निर्णय का पालन करे।

मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि बड़ी संख्या में श्रम न्यायाधिकरण को संगठित किया जाना चाहिए। अब श्रम विवाद के 4000 मामले ऐसे हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाया है। कई मामले ऐसे हैं जो तीन-तीन, चार चार महीनों से अनिर्णीत पड़े हैं। अतः कानून में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि श्रम विवाद का निपटारा तीन महीनों के अन्दर हो जाये। वैसे ही प्रधान मंत्री को महीने में एक बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर वहां के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट बनाना चाहिए।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की हड़ताल के बारे में उसने दृढ़ रवैया अपनाया। इसके परिणामस्वरूप मार्क्सवादी दल ने 29 को होने वाले बंगाल बन्द को वापिस ले लिया। वहां के कर्मचारों ने भी पहली बार यह सिद्ध कर दिया कि वे मार्क्सवादियों के पंजे में नहीं हैं। उन्होंने देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जुलाई के पहले सप्ताह में अलीपुर में हुई घटना के बारे में एक वक्तव्य दें। वहां बाबू नन्दी नामक एक अपराधी व्यक्ति को रेलवे के एक अधिकारी के घर के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अधिकारी, जिनका नाम है ए० के० सरकार, ने इस व्यक्ति को आश्रय दिया जिसने बंगाल में कई हत्यायें की थीं। इस आदमी पर 14 अपराधों का आरोप है और पुलिस बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी। उक्त अधिकारी उत्तरी रेलवे के जिला वाणिज्यिक अधीक्षक थे। इन्होंने इस आदमी को अपने घर के अन्दर एक अलमारी में बन्द रखा और पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया। मगर उस अधिकारी को भी वहीं पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? उस समय उन्हें थाना नहीं ले जाया गया था उनसे जवाब-तलब नहीं की गई। बाद में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस अधिकारी को जमानत पर रिहा किये जाने के कारण क्या हैं ? इन्हें पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? लोगों के मन में तरह-तरह की शंकायें उठ रही हैं। मार्क्सवादी इस बहाने से काम कर रहे हैं कि केवल वे ही देश के रक्षक हैं। जब बंगाल आजादी के लिए लड़ रहा था। तो श्री राममूर्ति का जन्म भी नहीं हुआ था। वे यह कहते फिरते हैं कि सारा बंगाल उनकी जेब में है। अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ए० के० सरकार कौन हैं और यह बाबू नन्दी कौन हैं ? मार्क्सवादी दल ने उनको संरक्षण क्यों दिया ?

कई बार कहा जा चुका है कि बंगाल में ऐसे कई मुक्त अंचल हैं जहां मार्क्सवादियों का तानाशाही शासन चलता है। सरकार ने इससे इनकार किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में कई मुक्त अंचल हैं जहां मार्क्सवादियों का शासन चलता है। नगरकाटा पुलिस थाना उनके अधीन में है। वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। श्रीमती पुराबी मुखर्जी जब प्रचार कार्य के लिए वहां गईं, तो इन लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें अपने कब्जे में रखा। एक साल तक उन्हें कोई वहां से छुड़ा न सका। यह थाना भूटान के ढलान पर है।

पहली संयुक्त मोर्चा सरकार के समय इन लोगों ने छः जोड़े बैल और भैंसों को मारा और उनका मांस बाजार में बेच दिया। जब मैंने गृह मंत्रालय में शिकायत की तो कहा गया कि उन्हें

इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं। मगर मैंने अपनी डायरी की संख्या दिखाते हुए फिर से पत्र लिखा। तब मंत्री महोदय ने जबाब दिया कि मेरी जानकारी सही थी। यह काम मुसलमान भाइयों ने नहीं किया और यह किया है मार्क्सवादियों ने। इस मामले में दो महत्वपूर्ण एवं गंभीर बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि यह अत्याचार दिन दहाड़े किया गया। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री महोदय को किसी भी स्रोत से इसकी जानकारी नहीं मिली। क्या गृह मंत्री महोदय की हिम्मत है यह कहने की कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार मुक्त अंचल नहीं है? मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि वे यह सिद्ध करें कि मेरा कहना गलत है।

दूसरी समस्या बाढ़ की है। उत्तरी बंगाल की बाढ़ के बारे में हमने कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किये थे। मगर उसे अनुमति नहीं मिली। हम वहां बाढ़ को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। अब गार्ड दीवारों के बारे में कहा जा रहा है। ये दीवारें बहुत बड़ी लागत से बनाई गई थीं। मगर पहली बाढ़ में टूट-फूट गई। सिंचाई मंत्री के सामने एक सुझाव रखा गया था कि नदी से मिट्टी निकाल दी जानी चाहिए। मगर उसका कोई उचित जवाब नहीं मिला। अब नदी बहुत छिछाली हो गई है। हम इस प्रकार कब तक चलेंगे? इस प्रसंग में मैं एक और बात की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गोरखा रेजीमेंट हमारे देश की रक्षा कर रहा हैं। वे नेपाली भाषी हैं। मैंने बार-बार सरकार से निवेदन किया है कि नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय। असल में ये लोग खतरे के समय हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं। अतः यह बहुत अनिवार्य बात है। आशा है कि सरकार इन बातों की ओर ध्यान देगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, Sir, it is a matter of pride as far as our country is concerned, that Bengal has taken lead in various fields in the life of our country. There were statwart in literature, politics and revolution, who illuminated the image of the country in the world. But it is a misfortune that today the save Bengal has the credit of bringing the Chinees into our country. Even though they are less in number, but they create an atmosphere of violence and terror throughout the state. They owe allegiance to China and Mao-Tse-Tug. They openly declared that Mao is their chairman. They dance according to the tune of the Communist Party of China. The state is in the grap of unprecedented terror and turmail. The situation has gone to such an extent that even the statue of Swami Vivekananda has become a prey to their wrath, what to speak of the statues of Gandhiji and Jawaharlal ? A news item appeared in the press that on 15th August, when throughout the country the national flag was honoured, in some parts of Bengal it was reduced to ashes. Even in this extremely grave situation, if the Central Government is in a dormant mood, the consequences will be unprediciable. Recently when Shri Kanu Sanyal was held, arms made in China were also recovered in large numbers. The police also could recover some materials used in bomb making. Apart from this, it was reliably learnt that arms had been brought in clandestinely from East Pakistan from time to time. The Prime Minister has repeatedly stated in both Lok Sabha and Rajya Sabha that violence would be put down with an iron hand. I want to know whether the Government will put down violence firmly or are they performing more verbal-sowar sault. To-day what we see is that the Central Government have made common cause with the Communists and the Muslim league. Who knows that they have not secretly consorted with the Naxalites also ?

Much has been said both inside and out of Parliament, that the present Governor of West Bengal should be recalled. He has proved inefficient in maintaining law and order. I don't have any personal grudge towards Shri Dhavan. But if he is unable to

restore peace and order, it would be quite natural to insist that the Central Government should recall him from Bengal.

The dangerous apathy of the Government with lead to disastrous consequences. Unless they deal it with firm determination, and rout-out violence from the country, these elements can play an effective role in the coming election in Bengal. To lose West Bengal means, the succession of whole of eastern part of India. Therefore, it is high time that the Government seriously thought over it and took straingent measures to put down violence

Here, I would make some suggestions. My first suggestion is to institute an investigation committed to look into the matter whether these miscreant elements have intruded in the police or not. If it is found so, they should be needed out forthwith, and make the police force an effective instrument in putting down violence.

Secondly, I allege that this Government has always adopted a luke-warm attitude in implementing the land reform Acts. This land reform law has provided a pretext to the violent and unsocial elements to creat an atmosphere of terror. Therefore the Government should expedite the implementation of land reform.

Thirdly, unemployment problem has assumed dangerous proportions in West Bengal which is a matter of serious concern to every body. The Government should seriously think over at fourthly, to-day an uncertainty prevails in the industrial sector in West Bengal. This will effect the country's economy and especially the economic condition of the state is going to be further distressed. The Government must do some thing so that our industries may not have to suffer a set back.

I want to say a few words regarding the education in West Bengal. The atmosphere of educational institutions has become poisonous. A campaign is going on to mean away the students from the influence of their old culture and concepts of society. Their faith in the national leaders is slowly eroding. The Government should check this growing menace.

Finally, I have to say one thing about the Hindi teachers of West Bengal. The Central Government gives grant to the non-Hindi-speaking states for the propagation of Hindi. On the basis of this scheme nearly 300 teachers of West Bengal are given grant. But some cutting is made in the amount before they get it. Apart from this, their grade is also not fixed. The Government should take some constructive steps in this direction and there by sweat out the disgatisfaction prevailing among the Hindi teachers.

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : सभापति महोदय, दो माननीय सदस्यों ने यहां दो नये तर्क पेश किये। एक थे श्री इन्द्रजीत गुप्त जिन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति शासन से पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, अतः इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यह सच है कि गत 4-5 महीनों में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मगर अब सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। शायद इसलिए बंगाल बंद जोकि इस महीने की 28 तारीख को निश्चित किया गया था अब वापस ले लिया गया है। कई दिनों से दुर्गापुर में जो हड़ताल चल रही थी, अब सरकार के कड़े रवैये के कारण ही समाप्त कर दी गई है। अतः यह कहना उचित न होगा कि राष्ट्रपतिशासन से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, और इसलिए शासन काल की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री रामपूर्ति का तर्क यह था कि केन्द्रीय सरकार नक्सलपंथियों को प्रोत्साहन दे रही है इसलिये वे मार्क्सवादी दल के कुछ नेताओं को खतम कर रहे हैं। यह एक बहुत अजीब तर्क है। जहां तक हमारी जानकारी है, नक्सलवादी मार्क्सवादी दल का अतिवादी अंश है। दोनों एक ही

सिक्के के दो पहलु हैं, एक अतिवादी, दूसरा उतना अतिवादी नहीं है। यही फर्क है दोनों में। अतः यह सुझाव देना कि मार्क्सवादी नेताओं को समाप्त करने के लिये सरकार नक्सलपंथियों को प्रोत्साहन दे रही है, एक आश्चर्यजनक कथन है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सभी प्रकार के आन्दोलनों तथा विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिये बंगाल प्रणेता रहा है। द्वितीय महायुद्ध तथा भारत के विभाजन के पश्चात् इसके बुरे दिन आ गये हैं। अतः यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था में समुचित रूप से सुधार करे तथा पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये अतिरिक्त निधि निर्धारित करे। कुछ समय से बंगाल औद्योगिक विकास में भी पीछे रह गया है। बंगाल का पहला स्थान था तथा महाराष्ट्र का दूसरा था। अब नये उद्योग-धन्धों के शुरू न होने से बंगाल की आर्थिक स्थिति पिछड़ गई है। देश की राजनीतिक, कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के कारण नये उद्योग-धन्धों प्रारम्भ नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में भी अधिक निधि नहीं लगाई है। अतः बंगाल में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिये जितनी भी महत्वपूर्ण मदें जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें प्रारम्भ किया जाना चाहिये। एक यह तो हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने की है। दूसरा रेलवे का है। या तो वृत्ताकार रेलवे या भूमिगत रेलवे में से जो शीघ्र प्रारम्भ की जा सके उसे विचार के लिए लिया जाना चाहिये। उद्योग धन्धे तभी प्रारम्भ किये जा सकते हैं जब कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो। बंगाल को जितनी भी निधि दी जाये उसके बारे में यह देखा जाये कि उसका अपव्यय तो नहीं किया जा रहा है। कलकत्ता में राज्य परिवहन है वह घाटे में चलने वाली संस्था है और साथ ही ट्रामवे जिसका कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है वह भी घाटे में चलने वाली संस्था है। बंगाल सरकार के अधिकारियों ने ट्राम के किराये को बढ़ाने के मामले का विरोध किया है। यह एक अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। कलकत्ता में ट्राम का किराया विश्व के अन्य स्थानों के ट्राम के किराये से सबसे कम है, यदि इसमें उचित वृद्धि की जाये तो इसके विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिये। इसलिये यदि बंगाल के अधिकारियों को अधिक निधि मुहैया की जाती है तो उन्हें उस निधि का सैद्धान्तिक विचारों के कारण उन्हें दुरुपभोग नहीं करने दिया जाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थिति अधिक खराब होने का कारण मालिकों तथा कर्मचारियों में झगड़े का नहीं है परन्तु उसका अन्तर्संघ प्रतिद्वन्द्व है। एक दल मजदूर संघों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करता है कि दूसरे दल की अपेक्षा उसका नियन्त्रण अधिक रहे। इन अन्तर्संघ प्रतिद्वन्द्वों को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

वर्तमान स्थिति यह है कि बम पकड़े जा रहे हैं। नक्सलपंथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तथा विस्फोटक सामग्री की खोज की जा रही है। यदि प्रशासन की ओर से अधिक सक्रिय कार्यवाही की जायेगी तब निःसन्देह स्थिति में सुधार होगा तथा निर्वाचन को कोई बात संभव हो सकेगी। अन्यथा फिलहाल तो ऐसी स्थिति है कि यदि निर्वाचन कराये जायेंगे तो वह निष्पक्ष निर्वाचन नहीं होंगे तथा लोगों को अपने मत का प्रयोग करने नहीं दिया जायेगा। अतः मैं समझता हूं कि यदि सरकार ने सक्रिय कार्यवाही की तो उद्योग-धन्धे प्रारम्भ किये जा सकेंगे तथा इसके फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार) : सदन में यह वाद-विवाद होता रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब होने का कारण 1967 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार है परन्तु ऐसी बात नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को वर्षों से उपेक्षा करती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हो गई है।

बजट पर मन्त्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बंगाल में उत्पन्न विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन किया था परन्तु केवल ऐसा करने से यह समस्या हल नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार के घाटे की राशि को केन्द्र द्वारा थोड़े दिनों के लिए निलम्बित कर दिया गया था परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को उसका भुगतान केन्द्र को करना चाहिये था। इससे स्पष्ट है कि टाल मटोल के दिन अभी पूरे नहीं हुये हैं। पश्चिम बंगाल की समस्याएं तो थोड़ी हैं परन्तु केन्द्र द्वारा विभाजन के पश्चात उस पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

1951 से 1961 तक पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 32.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि उसका अखिल भारतीय औसत 21.5 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शरणार्थियों की संख्या 50 लाख है परन्तु जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उन्हें मिला कर संख्या 60 लाख है।

अन्य राज्यों से लोग पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं तथा वहां कमाने लग गये हैं वे भी 60 लाख से कम नहीं हैं।

वहाँ पर बेरोजगारी को समस्या है क्योंकि बंगाल को पनपने के लिये उचित भाग नहीं दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पश्चिम बंगाल में उत्पादन घट गया है। प्रति व्यक्ति आय 0 5 प्रतिशत कम हो गई जबकि अखिल भारतीय औसत 0.8 प्रतिशत बढ़ गया। इतना अन्तर क्यों है ? केवल केन्द्रीय सरकार इसके लिये उत्तरदायी है।

लाइसेंसों के वितरण के मामले में पश्चिम बंगाल को उचित भाग नहीं मिला। वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता बम्बई और महाराष्ट्र राज्य के उद्योगों में लगाई गई है और पश्चिम बंगाल को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है।

1966 के आंकड़ों के अनुसार बंगाल में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या में 3.4 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि महाराष्ट्र तथा गुजरात में क्रमशः 45 तथा 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत सरकार द्वारा निर्यात पर कुल कमाये गए राजस्व का लगभग 38 से 40 प्रतिशत अकेले बंगाल ने दिया है। केन्द्रीय सरकार के राजस्व में पश्चिम बंगाल का बहुत योगदान है परन्तु पश्चिम बंगाल को उसके अपने उद्योगों के लिए जो हिस्सा दिया जाता है वह न्यूनतम है। इस प्रकार का शोषण वर्षों से लगातार हो रहा है।

चालू पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों के अनुसार बड़ी सिंचाई योजना के लिये महाराष्ट्र को 70 करोड़ रुपये मिलते हैं जबकि पश्चिम बंगाल को 19 करोड़ रुपये मिलते हैं। छोटी सिंचाई

योजना के लिये महाराष्ट्र को 26 करोड़ रुपये दिये जाते हैं जबकि बंगाल को केवल 10 करोड़ रुपये दिये जाते हैं।

यह नक्सलपंथियों या अतिवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल में उपद्रव पैदा करने का प्रश्न नहीं है। पश्चिम बंगाल के नवयुवकों का भविष्य अन्धकारमय है और वे वर्तमान परिस्थितियों को, जिनमें गतिरोध आ गया है, बदलना चाहते हैं। यदि सरकार वास्तव में उनका हित करना चाहती है तो सरकार को इसके मूल कारणों को पग लगाना चाहिये। सरकार को पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के लिए जो बजट पेश किया गया है उससे हमें संतुष्टि नहीं है। निःसंदेह कलकत्ता तथा इसके पड़ोसी क्षेत्रों की अपनी समस्यायें हैं परन्तु इस बजट से ऐसा प्रतीत होता है मानों केवल उसे कलकत्ता के आधार पर ही बनाया गया हो अथवा ऐसे जैसे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अतिरिक्त, दूसरे स्थान हैं ही नहीं। यदि दक्षिण बंगाल का विकास किया जाए तो उत्तरी बंगाल वालों को कोई शिकायत नहीं होगी परन्तु वे यह कदापि सहन नहीं करेंगे कि उत्तरी बंगाल की जनता को हानि पहुँचा कर दक्षिण बंगाल को विकासित किया जाए।

इस बजट में कामसावती, मयूराक्षी आदि योजना की बात कही गई है वह प्रशंसनीय है परन्तु क्या इस बजट में कोई ऐसी योजना है जो उत्तरी बंगाल की अर्थ-व्यवस्था में विकास कर सके ?

पश्चिम बंगाल की समस्त कृषि से होने वाली आय का एक तिहाई भाग उत्तरी बंगाल से मिलता है। उत्तरी बंगाल की जनसंख्या समस्त राज्य की जनसंख्या का 1/6 भाग है। उत्तरी बंगाल को और अधिक विकसित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक कृषि में उत्पादन हो। 1962-63 के आँकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य की 1102.88 करोड़ रुपये की आय में उत्तरी बंगाल की देन लगभग 200 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार राज्य की आय को लगभग 20 प्रतिशत भाग देने वाले उत्तरी बंगाल को तीनों पंचवर्षीय योजनाओं पर लगे 525 करोड़ रुपए तथा 167 करोड़ रुपये जो अलग से व्यय किए गए, उस रकम में से केवल 15 करोड़ रुपये उत्तरी बंगाल पर व्यय किए गए। यदि उत्तरी बंगाल की देन लगभग 20 प्रतिशत थी तो उसपर उसी हिसाब से उसके विकास के लिए व्यय किया जाना चाहिए था।

पश्चिम बंगाल की जनता को इन योजनाओं के अन्तर्गत विकास का लाभ प्रति व्यक्ति 200 रुपये मिला जबकि उत्तरी बंगाल की जनता को प्रति व्यक्ति 25 रुपए मिले।

जब कभी बाढ़ नियन्त्रण के उपायों अच्छे विद्युत एवं संचार साधनों आदि की बात कही जाती है तो एक ही तर्क दिया जाता है कि धन की कमी है। जब कभी उत्तरी बंगाल के विकास की बात कही जाती है तो चाहे राष्ट्रपति का शासन हो अथवा किसी दल का, चाहे संयुक्त मोर्चा सरकार हो अथवा काँग्रेस-पश्चिम बंगाल के नेताओं का यही तर्क रहता है कि राज्य के समक्ष वित्तीय संकट है।

एकीकरण के समय 1949 में कूच बिहार के तत्कालीन महाराजा ने वहां के लोगों के हित सम्बन्धी कार्यों पर खर्च करने के लिए 1.34 करोड़ रुपये की धनराशि रखी थी। लोक-लेखों में इसका पहली ही मद में—कूच बिहार के लिए सामान्य संचय के नाम से वर्णन है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कूच बिहार के लोगों को इस 1.34 करोड़ रुपये की धनराशि से मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया। यदि इसका हिसाब लगाया जाए तो 20-22 वर्षों में यह राशि 20-25 करोड़ रुपये हो जाती है और वास्तविक लाभ 5-6 करोड़ रुपया हो जाता। कूच बिहार के विकास के लिए 50,000 रुपये की एक तुच्छ धनराशि निर्धारित की गई है। समझ में नहीं आता कि सरकार इससे अस्पताल बनायेगी अथवा औषधियों की खरीद करेगी। परन्तु मूल प्रश्न ऐसे ही रह जाता है। इन वर्षों में यह 1.34 करोड़ रुपये की धनराशि कैसे व्यय की गई ? तत्कालीन सरकार तथा महाराज के बीच हुए करार में स्पष्ट रूप से जन हित कार्यों के लिए इस राशि को व्यय करने का लिखा गया है परन्तु जब कभी बाढ़ नियंत्रण के लिए पुल आदि बनाने की बात होती है तो यह कह दिया जाता है कि निधि नहीं है। केन्द्रीय सरकार को एक जांच समिति बनानी चाहिए जिसमें एक सदस्य केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय का और एक अन्य व्यक्ति राज्य के वित्त विभाग का, एक सदस्य महाराजा महल का या उसका उत्तराधिकारी और कम से कम कूच-बिहार की जनता के दो या तीन प्रतिनिधि हों, ताकि गत कई वर्षों से जिस ढंग से इस धन का प्रयोग किया गया है, उसकी जांच की जा सके।

पश्चिमी बंगाल के लिए हुई गत सलाहकार समिति की बैठक में मैंने कूच-बिहार के ललित बर्मन के परिवार को उत्तरी बंगाल में अक्तूबर 1968 में आई बाढ़ के कारण क्षति होने के कारण सरकार से ललित बर्मन को क्षति पूर्ति करने के लिए कहा था परन्तु यह उत्तर मिला कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली। कूच बिहार के उप-आयुक्त से इस बारे में पूछा गया है कि घटना की विस्तार से जांच करें तथा बतायें कि क्षति पूर्ति सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उन्हें मिला है अथवा नहीं ?

यह ऐसा मामला है जिसे मैंने 1968 में प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा इस सम्बन्ध में मुझे प्रधान मन्त्री का उतर मिला।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री बे० कु० दासचौधरी : इस पत्र-व्यवहार में प्रधान मंत्री के तीन-चार पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रधान मंत्री के 4 जनवरी, 1969 के पत्र में लिखा था कि मेरे पत्र को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भेजा जा रहा है जिन्हें वह प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से कुछ धनराशि पहले भेज चुकी है। यदि आवश्कता पड़ी तो और अधिक धनराशि उन्हें भेजी जायेगी ताकि वह इन घटनाओं के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इसके उत्तर में कहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला। प्रधान मंत्री द्वारा यह दो बार कहा जा चुका है कि उक्त मामले को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है परन्तु राज्य के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब हम किस पर विश्वास करें ? यह एक गंभीर परिस्थिति है।

मैं वित्त मंत्री महोदय से पुनरावेदन करता हूँ कि वह उत्तरी बंगाल के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिये कुछ कार्यवाही करें। वहाँ पर तांबा भी अधिक मात्रा में है। उसे भी निकाला जाए। पटसन, जस्ता, तम्बाकू आदि भी अधिक मात्रा में होता है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। श्री रणधीर सिंह।

श्री बे० कु० दासचौधरी :*

Shri Randhir Singh (Rohtak): The President rule in West Bengal should be extended till the normally is restored there. It should continue at least for a minimum period of two years and after that it conditions go normal elections should be arranged for.

The existing lawlessness in West Bengal is a serious danger to the country as a whole. The Government should take stringent measures to get rid of the present chaos and those doing guilty against law should be severely dealt with and rule of law be established at all costs. The Government should make Naxalites ambition a forbidden prints. All their expectating of turning the North-East region into anarchy should be reduced to ashes. We should take assistance of police force from other states if required and root-out these antinational elements.

These Naxalites have infiltrated into our police force and military power. We should set up a commission of inquiry to go into the matter and weedont these undesirable elements.

We should amend our laws of need be and should enforce Criminal Act, Public Safety Act and preventive Detention Act in order to arrest the people responsibie for creating disturbances. It these Acts have not been provided in West Bengal, we should make a provision go them in that state.**

The Government should take steps to solve the socio-economic problem of West Bengal. A time bound programme should be formulated to tackle the problem of unemployment. Land reforms should be carried out immediately and the land be given to small farmers after abolishing zamindari system.

We should make amendments in section 120 of Indian Penal Code to make a provision of death sentence to those who are challenging the sovereignty of the country. Other laws and it required even the constitution should be amended to suppress antinational elements.

Shri Janeshwar Misra**

श्री समर गुह :*

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय श्रीमान्, इस वाद-विवाद में कम से कम इस बात पर सभी एक मत हैं कि बंगाल की समस्याओं के रूप में तथा राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए। मुझे एक ही बात का संदेह है कि जितने सदस्यों

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

ने वक्तव्य दिये हैं उनमें से अधिकतर ने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखा है। इसके साथ ही मुझे संदेह है कि क्या ये सभी वक्तव्य इमानदारी और सत्यता से परिपूर्ण हैं ? साथ ही एक माननीय सदस्य ने उत्तरी बंगाल तथा दक्षिणी बंगाल के बीच भेद-भाव करने की कोशिश की है। जब हम इस प्रकार की गम्भीर समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा कि हम बंगाल को उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल तथा कलकत्ता आदि क्षेत्रों में विभाजित करें। पश्चिमी बंगाल की समस्यायें विशेषकर कलकत्ते की समस्यायें न केवल राष्ट्रीय समस्यायें ही समझी जानी चाहिएं बल्कि उनका हल भी राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में ही खोजा जाना चाहिए।

[श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

हमने विशेषकर कलकत्ता क्षेत्र के विकास के लिए जो व्यवस्था की है उससे सदस्य इस बारे में संतुष्ट हो जायेंगे। हमने कलकत्ते की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या समझ कर हल करने की कोशिश की है। इस बात के अतिरिक्त कि बजट में बृहत् कलकत्ता क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, हमने कलकत्ता नगर निगम तथा हावड़ा नगर पालिका के घाटे को पूरा करने के लिये 7.08 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है ताकि उनका घाटा पूरा किया जा सके।

चौथी योजना में बृहत कलकत्ता क्षेत्र के विकास के लिए 43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना में से कई करोड़ रुपये दूसरी हुगली परियोजना के निर्माण पर व्यय किये जायेंगे जिससे काफी सीमा तक कलकत्ता क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा अन्य विकास कार्यों में सहायता मिलेगी। केंद्रीय योजना में से हम बृहत कलकत्ता क्षेत्र में महानगर परिवहन सेवा के विकास के लिए 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं।

कलकत्ता की कुछ गम्भीर समस्यायें हैं, उदाहरण के लिए शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी निरतर आ रहे हैं। अब तक लगभग 42 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से आ चुके हैं और अभी भी आयेंगे। यह समस्या बराबर बनी रहेगी और हमें आने वाले अनेक वर्षों तक इसका सामना करते रहना पड़ेगा। अतः इस समस्या की ओर हमें विशेष ध्यान देना है।

कलकत्ते की समस्याओं को हल करने के लिए बृहत कलकत्ता क्षेत्र के विकास के लिए अपने सीमित साधनों के अन्दर रहते हुए हमने जो धनराशि रखी है, निश्चय ही वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कलकत्ते की समस्यायें अभी हाल ही में पैदा नहीं हुई हैं। वे कई दशकों से धीरे-धीरे उत्पन्न होती हुई बढ़ती रही हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जिनके कारण से समस्यायें बढ़ती रही हैं। इसके अतिरिक्त इन समस्याओं को राजनैतिक कारणों से और भी जटिल बना दिया गया है। हम अपने उपलब्ध साधनों के भीतर रहते हुए इन जटिल समस्याओं को सर्वोत्तम ढंग से हल करना चाहते हैं।

यह कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल की उपेक्षा की जाती रही है जो थोड़े से आंकड़े मैंने एकत्र किये हैं उनसे ही इस बात की असत्यता प्रमाणित हो जाती है। 31-3-1969 तक राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्रीय निवेश 11 करोड़ रुपया किया गया है ; पश्चिमी बंगाल में

किया गया निवेश औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित महाराष्ट्र राज्य की तुलना में 4 गुना है ।

पहली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में दी गई केंद्रीय सहायता के बारे में पश्चिम बंगाल राज्य को 454 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल के साथ भेद-भाव नहीं किया गया है और भविष्य में भी इसके साथ भेद-भाव नहीं किया जायेगा । यदि भेद-भाव हुआ भी, तो यह इसके पक्ष में ही होगा विरुद्ध नहीं ।

पश्चिमी बंगाल के बारे में अन्य कई बातें और भी कही गई हैं जिन में से एक चाय नीलामी केंद्र के बारे में है । इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इस केंद्र को कलकत्ता से हटाया जा रहा है जिससे कलकत्ता के बहुत से निवासियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा । इस विषय से केंद्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नही है । आसाम राज्य की सरकार अपने यहां एक चाय नीलामी केंद्र खोलना चाहती है । केंद्रीय सरकार को इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है । हम केवल इतना कर सकते हैं कि चाय बोर्ड कलकत्ता केंद्र को समाप्त न करे । मैं विश्वास दिलाता हूं कि कलकत्ते का चाय नीलामी केंद्र बंद नहीं किया जायेगा ।

पटसन जांच आयोग के विषय में कहा गया है । इसके सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पटसन जांच आयोग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है । इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके द्वारा किया गया लाभ-प्रद कार्य जारी रहे और इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में पटसन उद्योग को सहायता मिले ।

एक सदस्य द्वारा बजट का विरोध किया गया है, मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इस बजट का 90 प्रतिशत संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा तैयार किया गया था और इस सरकार में विरोध करने वाले सदस्य का दल मुख्य रूप से प्रधान रहा है । यह बजट हमारे सामने पेश किया गया, हमने कहा था कि लेखानुदान प्राप्त करने के पश्चात् इसका पुनरीक्षण किया जायेगा और उसके पश्चात् सदन में एक संशोधित बजट पेश किया जायेगा । इस सम्बन्ध में हमने जो संशोधन किया है वह यह है कि 15 करोड़ रुपये के घाटे को कम करके 11 करोड़ कर दिया गया है ।

कुछ सदस्यों ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन के विषय में कहा है । यह प्रतिवेदन पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन है । हमने बजट में 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । हमें पता नहीं कि अंतिम सुझाव क्या होगा, लेकिन हमने बजट में यह तदर्थ-व्यवस्था कर दी है । जो भी निर्णय इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार करेगी उसे क्रियान्वित किया जायेगा, और यदि आवश्यक समझा गया तो उसके लिए और भी धनराशि दी जायेगी ।

यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार पश्चिमी बंगाल के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जो धन-राशियां नियत करे वह वहां के प्रसाधनों, शुल्कों तथा जनसंख्या आदि को ध्यान में न रखकर बल्कि पश्चिमी बंगाल को एक विशेष महत्व देकर नियत की जानी चाहियें । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम पश्चिमी बंगाल को प्राथमिकता दे रहे हैं और हम अपने उपलब्ध साधनों

में से वहां अधिक से अधिक सहायता देना चाहते है इसके लिए हमें ग्राम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

जो सुझाव दिये गये हैं मैं अभी-अभी बात नहीं कर रहा हूं पर इतना विश्वास दिलाता हूं कि उनपर पूरी तरह से विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में, जब भी आवश्यक समझा जाएगा, आवश्यक सूचना तथा-तथ्य प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि सदस्यों को सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाये।

कूच बिहार के सामान्य आरक्षित कोष के विषय में भी आपत्ति उठाई गई है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय कूच बिहार को मिलाया गया था उस समय वहां के लिए आरक्षित कोष बनाया गया था और शुरू में इसमें 105.89 लाख रुपये थे। इस राशि का उपयोग कई वर्षों तक किया जाता रहा। इस कोष में ब्याज तथा अन्य चीजें भी जमा हैं। निवेश से संभवतया 20 लाख रुपये का लाभ हुआ है। 1970-71 के अन्त तक शेष धनराशि लगभग 143.27 लाख रुपये थी। इस धन का उपयोग कूच बिहार के विकास के लिये किया गया है और भविष्य में भी ऐसा ही किया जाता रहेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आसाम सरकार ने कांदला पत्तन से विदेशों को चाय भेजने के लिये केंद्र सरकार से कांदला पत्तन तक रेल यातायात की राज्य सहायता मांगी गई है। क्या केंद्र सरकार गोहाटी से विदेशों को चाय भेजने के लिए आसाम सरकार को ऐसी सहायता देने का विचार रखती है?

दूसरे मंत्री महोदय ने कहा है कि 1969 तक पश्चिमी बंगाल को बहुत सहायता दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य तथा केन्द्र की ओर से पश्चिमी बंगाल को राशि दी गई वह लगभग 322 करोड़ पर ही स्थिर रही है जबकि महाराष्ट्र को तीसरी पंचवर्षीय योजना में 433 करोड़ और चौथी योजना में 890 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

श्री विद्याचरण शुक्ल : पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़े एकत्र करके माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

जहां तक आवंटित राशि का प्रश्न है मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे तीसरी पंचवर्षीय योजना तक के हैं। उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : सलाहकार समिति की बैठक में कहा गया था कि उत्तरी बंगाल विकास बोर्ड और उत्तरी बंगाल औद्योगिक वित्त निगम नाम के दो सांविधिक निकाय बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा अनुरोध है कि इनका शीघ्र ही गठन करने के लिए राज्य सरकार से बात-चीत की जाये।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I want to know the allocations made in budget for the police by the United Front Government as well as by present administration. May I also know the amount allocated for giving pension to freedom fighters of Andaman ?

Shri Vidya Charan Shukla : To my mind an amount of Rs. 12 crores has been allocated for the freedom fighters. We are not going to curtail the said amount. The question is how to find out the persons who are genuinely entitled to get this benefit ?

This amout is subject to variation. It has been given in consonance with the needs.

Shri Ramavtar Shastri : My second question regarding allocation of money for the Police has not been replied to.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री को यहां उपस्थित रहने को कहा जाये क्योंकि वह गृह-कार्य मंत्री हैं, इससे यह पता चलेगा कि सरकार पश्चिमी बंगाल की समस्या के प्रति गम्भीर है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इस सभा में पश्चिमी बंगाल पर चर्चा किसी न किसी रूप में होती रहती है । राष्ट्रपति प्रशासन की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव और बजट पर चर्चा करने से पश्चिमी बंगाल के विकास कार्यों और अन्य पहलुओं पर यथोचित प्रकाश पड़ा है। मेरे माननीय मित्र श्री राममूर्ति ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने का दोष इस सरकार पर डाला जाना चाहिए । मेरे विचार में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह सब केन्द्र के कारण नहीं हुआ । संयुक्त मोर्चा सरकार के विभिन्न दलों में मेल नहीं रह सका और वहां के मुख्य मंत्री को अनशन का सहारा लेना पड़ा था । उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार की भर्त्सना की, उन परिस्थितियों में पश्चिमी बंगाल की सरकार चल नहीं सकी और वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा, आप यह जान सकते हैं कि इसके लिए किसे दोष दिया जाना चाहिए । इस पृष्ठभूमि में 19 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । यह शासन 30 सितम्बर, 1970 तक लागू रहना था क्योंकि इसे राज्य सभा ने पारित किया था । संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार हमें इस सभा में यह प्रस्ताव लाना पड़ा जोकि राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 अक्तूबर, 1970 से आगे 6 महीने तक बढ़ाये जाने के बारे में था । आपको यह याद होगा कि 19 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय विधान सभा स्थगित थी । इस पर राज्यपाल ने अनुच्छेद 174(2)(क) के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा का सत्रावसान कर दिया । तदुपरांत जब यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी दल मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं है तो अनुच्छेद 174(2)(ख) के अनुसार 30 जुलाई, 197 को विधान सभा भंग कर दी गई । यह सभा भली-भांति जानती है कि राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद से सरकार की यह इच्छा रही है कि कानून तथा व्यवस्था पुनः स्थगित हो और भूमि सुधारों को तत्परता से क्रियान्वित किया जाये तथा अन्य योजनाओं को कार्यरूप दिया जाये । चंकि विभिन्न सदस्यों ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है अतएव मैं सलाहकार समिति के विचार-विमर्श से उठाये गये कुछ पगों का उल्लेख करूंगा ।

सलाहकार समिति के अनुमोदन पर राष्ट्रपति द्वारा दो अधिनियम पारित किये गये हैं । पहला, कलकत्ता में बाहर से आने वाले माल पर कर लगाया जाये जिससे अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सके और दूसरा कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के गठन के बारे में है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण कलकत्ता रहेगा और उसे योजनाओं को क्रियान्वित करते समय कोई रुकावट

नहीं आयेगी। वैसे कलकत्ता में कई एजेंसियां हैं परन्तु एक एजेंसी की आवश्यकता थी जोकि सम्पूर्ण कलकत्ता के विकास के कार्य को हाथ में ले सके और उनकी समस्या को सुलझा सके। इस आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार की एजेंसी अथवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

सलाहकार समिति की बैठक 10 और 11 जून, 1970 को हुई थी। इसमें इन दो अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों को पारित करने का अनुमोदन किया गया तथा इस बैठक में अन्य प्रशासनिक मामलों पर भी विचार किया गया था।

राष्ट्रपति शासन के दौरान भूमि सुधार अधिनियम पारित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत बर्गदारों (bargadars) के लिए वास्तविक तथा ठोस काम किये गये हैं। फसल में उनका भाग 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है उनकी भू-धारणाधिकार की सुरक्षा में सुधार लाया गया है तथा उनके खेती करने के अधिकार को पैतृक बना दिया गया। जमींदारी के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वह फसल में उसके भाग की रसीद को प्रस्तुत करे कृषि सम्बन्धी अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि वे भूमि सुधार को जोरदार तरीके से कार्यान्वित करे। मेरे पास भूमि के बारे में आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि राष्ट्रपति शासन के प्रथम चार महीनों में भूमिहीन श्रमिकों को 15,405 एकड़ भूमि बांटी गई है।

कई सदस्यों ने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया है। श्री राममूर्ति ने कानून तथा व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट करते समय बड़ी विचित्र बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा है कि साम्यवादी नक्सलवादियों को साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के विरुद्ध भड़का रहे हैं। यह सब बातें समूचे मामले पर गम्भीर संदेह पैदा करती है। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नक्सलवादियों को साम्यवाद दल (मार्क्सवादी) के विरुद्ध सहायता दे रही है। परन्तु जनता यह नहीं भूली है कि ये उग्रवादी कैसे आये और पश्चिम बंगाल में इन उग्रवादियों को बढ़ावा देने के लिए कौन उत्तरदायी है। 1967 में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने विधान सभाओं और संयुक्त मोर्चा सरकारों में आने का निर्णय किया था। उनका एक वर्ग इससे असंतुष्ट था तथा वह देश में सशस्त्र क्रांति लाने में विश्वास रखता था। वह इससे अलग हो गया तथा फिर देश में हिंसा आदि का दौर चला, बाद में इन्होंने भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिन) नाम का एक अलग दल बनाया, यहीं से उग्रवादियों और नक्सलवादियों की उत्पत्ति हुई है। मैं यह बता दूं कि पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनावधि में चारु मजूमदार और कानु सान्याल को मुक्त किया गया था और उनके विरुद्ध मामलों को भी वापिस ले लिया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार ने हिंसा आदि के 1153 मामलों को वापिस ले लिया था, हत्या, डाका व आगजनी के मामलों में सजा पाये हुए 41 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया इसी प्रकार सजा पाये हुए 12 अन्य व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था, इन व्यक्तियों की रिहाई से पश्चिमी बंगाल में नक्सलवादी आन्दोलन को बढ़ावा मिला है।

यदि श्री राममूर्ति सभा में खड़े होकर यह कहें कि इस देश के संवैधानिक ढ़ांचे को क्षति पहुंचाने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध कार्यवाही करना अच्छा है तो बात समझ में आ सकती है परन्तु वे तो तथ्य को तोड़ मरोड़कर कह रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलवादियों को सहायता दे रही है।

मुझे इस पर आश्चर्य होता है । उन्हें नक्सलवादियों पर सीधा आक्रमण करने का भी साहस नहीं है । उनका यह कहना है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नक्सलवादियों के साथ मिलकर उनके दल के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है । यदि मैं उनसे यह कहूं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग नक्सलवादियों के विरुद्ध किया जा रहा है तो क्या वे इसका समर्थन करेंगे ?

मैं 26 मई 1970 के अमृत बाजार पत्रिका में से श्री अजय मुखर्जी का उद्धरण देना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के 9 महीने के शासनकाल में 519 राजनीतिक सघर्ष हुए जिसमें 81 व्यक्ति मारे गये तथा लगभग 2,000 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था । यह मेरा वक्तव्य नहीं हैं । यह पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन मुख्य मन्त्री का वक्तव्य है ।

यह कहा गया था कि वहां कानून तथा व्यवस्था इतनी बुरी नहीं है और चुनावों को कराया जा सकता है, मैं इस पर अधिक गहराई पर न जाकर इस सम्बन्ध में 11 अगस्त 1970 तक के आंकड़े दूंगा । इसको देखने से पता चलता है कि किसी भी प्रकार से कानून तथा व्यवस्था को सामान्य नहीं बताया जा सकता है । अतएव ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे हो सकते हैं ।

श्री राममूर्ति और डा० मैत्रेयी बसु ने दुर्गापुर का उल्लेख किया है परन्तु दोनों के कथनों में बड़ा अन्तर है । डा० बसु ने दुर्गापुर के कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने पर बधाई दी है ।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने से हड़ताल वापिस ले ली गई थी । यह नहीं सोचिये कि बात समाप्त हो गई है । पश्चिम बंगाल की जनता इनके द्वारा किये गये अत्याचारों का बदला लेगी ।

श्री कृष्ण चन्द पंत : दुर्गापुर की घटना ने यह बता दिया है कि पश्चिमी बंगाल में आपके दल को कोई समर्थन नहीं देता है ।

सभापति महोदय : यह सब चुनाव पर छोड़िये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और अन्य अधिकारियों ने इस बात के लिए कार्यवाही की है कि वहाँ आतंक आदि न फैले ।

श्री उमानाथ : क्या वहां एक नवविवाहित युगल के साथ मारपीट करके आंतक नहीं फैलाया गया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जब पहले श्री राममूर्ति ने इस घटना के बारे में मुझे बताया था तो मैंने इसकी जांच करवाई । मुझे यह बताया गया कि यह घटना नितान्त झूठी है ।

पश्चिमी बंगाल में अनेक कदम उठाये गये हैं, सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक और सम्भावित कदम उठाने के लिए कृतसंकल्प है । मैं यह बता दूं कि 2000 से भी अधिक संदिग्ध नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य इसी प्रकार के उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है और बड़ी संख्या में शस्त्रास्त्र, गोलाबारुद तथा बम बनाने की सामग्री बरामद की गई हैं । न केवल दफा 144 लगाई गई है अपितु इसके उल्लंघन को प्रज्ञेय अपराध माना गया है ।

अतएव कई सदस्यों द्वारा इन एंजेसियों पर आरोपित निष्क्रयता बरतने का आरोप निराधार है।

जनता का मनोबल बढ़ने और उनसे प्राप्त होने वाले सहयोग के कारण हमें आशा है कि उग्रवादियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यह आवश्यक है कि हम निरन्तर सावधान रहे तथा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप नक्सलवादियों से राजनीतिक तौर पर लड़ाई कर रहे हैं पर उनके लिए पुलिस की भी आवश्यकता है (व्यवधान)

यदि हमें राज्य में कानून तथा व्यवस्था की पुनःस्थापना करनी है तो इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक दलों और जनता की सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां जनता ने हिंसा और विघटनकारी तत्वों का विरोध किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार का विरोध बढ़ेगा।

कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य, विशेषकर साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), यह मांग कर रहे हैं कि चुनाव शीघ्र कराये जायें, उनका कहना है कि चुनाव होने के उपरान्त ही कानून तथा व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में कोई चुनाव कराना ठीक नहीं है, माननीय सदस्य श्री जनेश्वर ने कहा है कि यदि अभी चुनाव कराये गये तो वोटों के बदले बम डाले जायेंगे। प्रोफेसर समर गुह ने भी यही बात कही है। उस राज्य के लोगों को अतीत में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम चाहते हैं कि आगामी चुनावों में जनता को अपना विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त करने का अवसर मिले और वे शान्ति तथा सुरक्षा के वातावरण में अपने मत का प्रयोग कर सकें।

श्री समर गुह : शीघ्र चुनाव कराये जाने के प्रश्न पर दिनांक 28 को बंगला बन्द का आयोजन किया जाने वाला था। परन्तु उन्हें इसे वापिस लेना पड़ा क्योंकि पश्चिमी बंगाल की जनता इसे नहीं चाहती। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चंद्र पंत : माननीय श्रीमती इला पालचौधरी ने स्वाधीनता सेनानियों को निदेशिका तैयार करने की मांग की है। सो यह कार्य शिक्षा मंत्रालय कर रहा है।

पश्चिम बंगाल की समस्यायें बड़ी ही विविध तथा जटिल हैं तथा केवल राष्ट्रपति शासन की अवधि में ही सब का समाधान करने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में हम अनेक कारगर कार्यवाहियां शुरू कर चुके हैं तथा उनसे सुधार परिणाम भी जाहिर होने लगे हैं। परन्तु अभी तो बहुत कुछ करना शेष है तथा हम हर संभव कार्य करने को कटिबद्ध हैं।

इस कार्य के संदर्भ में यह भी अपेक्षित है कि इस सभा का प्रत्येक वर्ग दलगत भावना से ऊपर उठकर अपना पूरा सहयोग दे ताकि पश्चिम बंगाल राज्य में समुचित कानून और व्यवस्था तथा समृद्धि लायी जा सके।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Most of the speakers who took part in this debate have asked for the removal of the Governor of West Bengal, Shri Dhawan but the hon. Minister has not accused even a single word in this regard.

Shr: Ramavtar Shastri (Patna) : My point is that a reference has been made here regarding drought conditions in Purulia and other districts as well as floods in West Bengal. I want to know the plans of the Government in this regard and also the assistence being given to the concerned states.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय ने बिलट्ज में प्रकाशित लेख, जिसमें मुस्लिम पर बम फेंके जाने की मनघड़न्त घटनाओं की चर्चा की गई है। इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस पर बम फेंके जाने से राज्य में अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करें। जनता में सुरक्षा की भावना लाने तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए हमें निरन्तर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है जिसमें जनता अपना कारोबार शान्ति के वातावरण में कर सके।

मेरे माननीय मित्र के विचार में कुछ दलों को यह अधिकार है कि वे हिंसात्मक अन्तर्-दलीय संघर्ष पैदा करें और उस राज्य की समूची आर्थिक व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर दें जिससे समाज के निर्बल वर्गों को उठाने पड़े, वे पुलिस को भी वहां से हटाना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री राममूर्ति ने कम से कम इस तथ्य की ओर तो ध्यान दिलाया है कि नक्सलवादी समाज-विरोधी तत्वों का उपयोग कर पुलिस के कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ? मेरी जानकारी के अनुसार तो ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। ये सब कल्पित बातें हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न कारागार में नवयुवकों को निर्दयता से पीटे जाने के बारे में हैं जिसके कारण अनेक युवकों की मृत्यु हुई। क्या यह सच नहीं है कि सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण से विपक्षी दलों के कार्यकर्त्ताओं का दमन करने के लिए कर रही है ? सरकार के नाम पर इस प्रकार कार्यकर्त्ताओं को पीट-पीट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : Regarding freedom fighters. It is said that some of them are in the evening of their lives. Now, since West Bengal in under Central Rule, may I know whether the steps being taken for giving pension and other kind of assistence to them ?

Secondly, a committee was constituted for constructing the memorial of Trilokya Maharaj. Would Government make any provisions in the budget of West Bengal so as to raise the sand Memorial ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : एक राजनैतिक दल ने पुलिस संगठन में दल बंदी पैदा करने का प्रयास किया तथा इस उद्देश्य से पश्चिम बंगाल पुलिस कर्मचारी संघ की स्थापना की जिसे संयुक्त मोर्चा सरकार ने पुरानी पश्चिम बंगाल पुलिस संगठन की मान्यता वापस लेकर मान्य प्रदान की। क्या दलगत भावना से गठित इस पश्चिम बंगाल पुलिस कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त कर दी गई है ?

तत्कालीन गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि दलगत भावना रखने वाले अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासन से निकाल दिया जायेगा। संयुक्त मोर्चा सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों को दलगत भावना से युक्त पाया था। इस संदर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मन्त्री महोदय का आशय यह था कि इस राज्य में अब स्थिति में सुधार हो रहा है। हमें ज्ञात है कि बमों तथा गोली चलने की घटनायें वहां काफी समय से हो रही हैं। इस सम्बन्ध में क्या यह सच नहीं है कि वहां की पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है अथवा भय से कार्यवाही नहीं कर रही है कि आगामी लोकप्रिय सरकार उसका शोषण करेगी ? क्या मन्त्री महोदय पुलिस की रक्षा करने तथा वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भी तैनात करने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तो ऐसा कोई डर नहीं हो सकता। अब तक यह नहीं किया जायेगा तथा पुलिस को यह आश्वासन नहीं दिया जायेगा कि उन्हें उनके कर्तव्य पालन के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा, बंगाल में शांति स्थापित नहीं हो सकेगी ।

श्री मैत्रेयी बसु (दारजिलिंग) : मैंने मंत्री महोदय से श्री ए० के० सरकार को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में पूछा था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह मामला अली-पुर द्वार से सम्बन्धित है जिसमें श्री बाबू नन्दी को एक अधिकारी की अलमारी से गिरफ्तार किया गया था।

क्या सरकार को साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा नगरकाटा जैसे क्षेत्रों में फ्री जोन बनाये जाने के बारे में भी मालूम है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री जनेश्वर मिश्र जी ने पश्चिम बंगाल के राज्य पाल को हटाने के बारे में जो पूछा है इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इतना अवश्य है कि दल उनकी यह बात नहीं मान रहे हैं। सूखे की स्थिति के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ये आंकड़े श्री विद्याचरण शुक्ल के पास हो सकते हैं। हां हमने राहत देने के कार्य अवश्य किये हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार और कुछ भी करेंगे।

जहां तक पुलिस पर बम फेंकने की घटनाओं को काहवते कहने की बात है, सो श्री ज्योतिर्मय बसु शायद काफी दिन से कलकत्ता नहीं गये हैं। वे स्वयं वहां जाकर इसकी सत्यता को जाने। किस दल के कार्यकर्ता को जेल में पीटना तथा मार डालना हमारी नीति में शामिल नहीं है तथा मुझे आशा है कि उनके दल ने भी यह नीति नहीं अपनाई होगी।

श्री तिवारी ने राजनैतिक सेनानियों का जिक्र किया। सो उनको सहायता देने के लिए हमने 9 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की है। जिससे अधिकांशत: अन्दमान जेल में रहे व्यक्तियों को सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त गृह-कार्य मंत्रालय में तथा राज्यों में भी इस प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था तथा नियम हैं।

महाराज त्रिलोक्य चक्रवर्ती को स्मारक के बारे में स्मारक समिति का कोई प्रस्ताव हमें प्राप्त नही हुआ है।

पुलिस संगठन की मान्यता समाप्त करने के बारे में मुझे ज्ञात नहीं कि पश्चिम बंगाल सरकार इस संदर्भ में क्या विचार रखती है। वैसे श्री समर गुह की बात को मैंने नोट कर लिया हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि गत कुछ मास पूर्व की स्थिति की तुलना में आज प्रशासन व्यवस्था कहीं बेहतर है। जहां तक पुलिस को आगामी लोकप्रिय सरकार के शोषण से पुलिस को

बचाने का प्रश्न है। सो मैं यही कर सकता हूँ कि इसके लिए हम आगामी चुनावों को जीतने का प्रयास करेंगे।

डा० मैत्रेयी बसु द्वारा पूछे गये प्रश्नों को मैंने नोट कर लिया है क्योंकि इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय : अब में सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following demands for grants on account for the year 1970-71 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	क—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	
1.	4—निगम कर से भिन्न आय कर सम्बन्धी कर	7,47,000
2.	9—भू-राजस्व	5,10,47,000
	अ—अंशदान और विविध समायोजन	
	76—भू-राजस्व—अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समर्पण	21,97,000
	कक—जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी मुआवजे का राजस्व खाते से बाहर पूंजी खाता	
	92—भू-राजस्व—जमींदारी उन्मूलन पर भू-स्वामियों आदि को मुआवजे की अदायगी	2,30,00,000
	क—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्व का संग्रह	
3.	10—राज्यीय उत्पादन शुल्क	69,52,00
4.	11—मोटर गाड़ियों पर कर	16,06,000
5.	12—बिक्री कर	53,50,000
6.	13—अन्य कर और शुल्क	27,09,000
7.	14—स्टाम्प	19,07,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
8.	15—पंजीकरण शुल्क	55,78,000
	ख—ऋण व्यवस्था	
9.	16—ऋण और अन्य देनदारियों पर ब्याज	46,67,000
	ग—प्रशासनिक सेवायें	
11.	18—संसद्, राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों के विधान-मण्डल	40,26,000
12.	19—सामान्य प्रशासन	5,28,57,000
13.	21—न्याय प्रशासन	1,65,28,000
14.	22—जेल	1,59,81,000
15.	23—पुलिस	18,99,19,000
16.	26—विविध विभाग—अग्नि शमन सेवाएं	56,50,000
17.	26—विविध विभाग—अग्नि शमन सेवाओं से भिन्न	4,58,00,000
	घ—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवायें	
18.	27—वैज्ञानिक विभाग	51,000
19.	28—शिक्षा	45,31,29,000
20.	29—चिकित्सा	15,21,67,000
21.	30—लोक स्वास्थ्य	7,70,44,000
22.	31—कृषि—कृषि	11,07 85,000
	घघ—राजस्व खाते से बाहर सामाजिक और विकास सम्बन्धी व्यय का पूंजी खाता	
	95—कृषि—कृषि सुधार और अनुसंधान की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,90,96,000
	घ—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवायें	
23.	31—कृषि—मीनक्षेत्र	48,30,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
24.	33—पशु पालन	1,48,68,000
	झझ - विविध पूंजी खाता—राजस्व खाते से बाहर	
	124—पशु-पालन—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय—वृहत्तर कलकत्ता दुग्ध पूर्ति-योजना	5,82,68,000
	घ —सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवायें	
25.	34—सहकारिता	97,16,000
26.	35—उद्योग—उद्योग	2,03,98,000
	घघ—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाओं का पूंजी खाता—राजस्व खाते से बाहर	
	96—उद्योग—औद्योगिक और आर्थिक बिकास पर पूंजी परिव्यय	1,07,65,000
	घ—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवायें	
27.	35—उद्योग—कुटीर उद्योग	1,50,77,000
	घघ—सामाजिक और विकास सम्बंधी सेवाओं का पूंजी खाता—राजस्व खाते से बाहर	
	96—उद्योग - औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय—कुटीर उद्योग	5,68,000
	घ—सामाजिक और विकास सम्बंधी सेवायें	
28.	35—उद्योग—सिकोना	4,49,000
	घ—सामाजिक और विकास सम्बंधी सेवायें	
	37—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास संबंधी निर्माण कार्य	3,35,62,000
	चच—लोक निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और विविध लोक सुधार की योजनायें—राजस्व खाते से बाहर	

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
29.	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य	7,53,000
	राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	
	सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास संबंधी निर्माण कार्यों के अधीन ऋण और अग्रिम	4,33,000
	घ—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	
30.	38—श्रम और नियोजन	3,68,73,000
31.	39—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन—अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,52,44,000
32.	39—विविध सामाजिक और विकास सम्बन्धी संगठन—अनुसूचित आदिम जातियों और जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़ कर	1,23,33,000
	ङ—बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें, सिंचाई और बिजली योजनायें	
	42—बहु-प्रयोजनी नदी योजनाएं	5,34,19,000
	43—बहु-प्रयोजनी नदी योजनायें—सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण-कार्य (वाणिज्यिक)	67,81,000
	44—बहु-प्रयोजनी नदी योजनायें—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण-कार्य (गैर-वाणिज्यिक)	2,92,83,000
33.	**ङङ—बहु-प्रयोजनी नदी योजनाओं, सिंचाई और बिजली योजनाओं का राजस्व खाते से बाहर पूंजी खाता**	
	98—बहुप्रयोजनी नदी योजनायें—बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,91,27,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	99—सिंचाई नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (वाणिज्यिक)	28,45,000
	100—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (गैर-वाणिज्यिक)	28,53,000
	च—लोक निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और विविध लोक सुधार की योजनायें	
34.	50—लोक निर्माण कार्य	11,05,03,000
35.	51क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना	99,35,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर लोक निर्माण कार्यों (सड़कों सहित) और विविध लोक सुधार की योजनाओं का पूंजी खाता	
	106क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना पर पूंजी परिव्यय	1,80,67,000
	छ—परिवहन और संचार (सड़कों को छोड़कर)	
36.	53—बन्दरगाह और नौचालन	12,77,000
37.	57—सड़क और जल परिवहन योजनायें	53,37,000
	छछ—राजस्व खाते से बाहर परिवहन और संचार (सड़कों को छोड़कर) का पूंजी खाता	
	114—सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4,84,000
	झ—विविध	
38.	64—अकाल सहायता	1,50,12,000
39.	65—पेंशनें और सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ	2,19,75,000
	झझ—राजस्व खाते से बाहर विविध पूंजी खाता	
	120—पेंशनों के राशिकृत मूल्य की अदायगी	5,63,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	झ—विविध	
40.	67—भारतीय नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते	20,000
41.	68—लेखन सामग्री और छपाई	78,15,000
42.	70—वन	1,90,28,000
43.	71—विविध—अंशदान	8,93,67,000
44.	71—विविध—खेलकूद	16,99,000
45.	71—विविध—नागरिक सुरक्षा	1,25,21,000
46.	71—विविध—अन्य विविध व्यय	4,19,18,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर लोक निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और विविध लोक सुधार की योजनाओं का पूंजी खाता	
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	3,66,63,000
	झ—विविध	
47.	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये वसूल न हो सकने वाले बट्टे खाते डाले गये ऋण	1,34,67,000
	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	3,10,01,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर लोक निर्माण कार्यों (सड़कों सहित) और विविध लोक सुधार की प्रयोजनाओं का पूंजी खाता	
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	48,00,000
	राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	
	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम	40,00,000

1	2	3
	ट—असाधारण मदें	
	ङङ—राजस्व खाते से बाहर बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं, सिंचाई और बिजली योजनाओं का पूंजी खाता	
50.	98—बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय—दामोदर घाटी प्रायोजना	7,22,93,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर लोक निर्माण कार्यों (सड़कों सहित) और विविध लोक सुधार की योजनाओं का पूंजी खाता	
51.	103—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4,85,57,000
	झझ—राजस्व खाते से बाहर विविध पूंजी खाता	
52.	124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,86,54,000
	राज्यों/संवीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	
54.	राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	21,53,12,000

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पश्चिमी बंगाल के बारे में दिनांक 19 मार्च, 1970 को जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने की अवधि 1 अक्तूबर, 1970 से 6 मास के लिए और बढ़ाये जाने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पश्चिम बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक

WEST BENGAL APPROPRIATION (No. 2) BILL

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की

संचित निधि में कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त विधेयक पर टिप्पणी करना चाहते हैं। वह तीसरे पाठ के समय अपने विचार प्रकट कर लें। अब मैं खण्डों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and Long Title were added to the Bill.

विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I have to make out a few points. First, the hon. Minister Shri Pant has given some details about withdrawal of cases by the Government against Shri Sanyal, Majumdar etc. who are being Naxalites, criminals and murderers. My point is that although there had been incidents of gheraos, illegal strikes mass massacres etc. in West Bengal. Yet the Government kept on looking as a passive spectator for 3 long years. So, only the Central Government is responsible for all these troubles and present atmosphere of violence. Therefore charge the Government of not carrying out their duties as laid down in the constitution of India. I also charge the various parties if the then UF Government.

I agree that there should not be any elections till normalcy is restored in that state. At present people there has lost faith in democratic Government and elections. Therefore, the first thing to be done is to maintain law and order. Let there be no elections till the people are sure that after that elections they would be able to have a democratic Government. The Government should adopt a specific policy against those parties who are trying to creat anarchy and terror in that state.

The other day we read in the newspapers that material sufficient to manufacturing 44,000 bombs has been recovered. It reveals the scale at which such activities are going on. It also reveals that this material is being smuggled into West Bengal from China and Pakistan on a very large scale. Let the Government assure that this smuggling will be checked fully.

The infilteration of persons of the said parties in the services is also deep-rooted but I regret to say that Government are doing nothing to weed them out.

Finally, I want that the hon. Minister may assure the people of West Bengal that all the culprits who take the law in their hands or indulge in any other activities of violence illegal strikes, gherao etc. will not be excused at any cost.

The supreme court has declared the Gheraos illegal. The Government should look into the affairs of Durgapur Steel Plant where the loss has been to the tune of Rs. 400 crores in 3 years. Let the persons responsible for this loss be severely punished. No body should be extended any favour whatsoever.

सभापति महोदय : नियम 218 के अनुसार जिन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी है, मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। श्री कंवर लाल गुप्त को तीसरे पाठ के समय इसकी अनुमति दी गई है क्योंकि यद्यपि उन्होंने पूर्व सूचना दी थी तो भी उन्हें पहले अवसर न दिया सका था।

Shri Vidya Charan Shukla : The hon. Member Shri Kanwar Lal Gupta has repeated what had already been said during the debate earlier. My hon. friend Shri Pant has also made every point clear in details.

So, I request that the Bill moved by me may be passed.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार दिनांक 26 अगस्त, 1970/4 भाद्र, 1892 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday 26th August, 1970/4 Bhadra, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.